

SL. NO. 196

भारत के नियंत्रण-संस्थानों का परिवर्तन : १९८१-८२
श्री श्री अन्वय (विशेष) राजस्व प्राप्ति का अन्वय

336.54
C737

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
National Archives Library

भारत सरकार
Government of India

नई दिल्ली
New Delhi

आह्वानांक सं०

Call No.

336.54

अवाप्ति सं०

Accession No.

C737

10,000 NAL/12

134643



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक .

का

प्रतिवेदन

वर्ष 1981-82 के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड I

अप्रत्यक्ष कर

36-54
2739
1981-82

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार
Government of India

नई दिल्ली
New Delhi

आह्वानांक Call No. 336.84e737

अवाप्ति सं० Acc. No. 132643-

MGIPF—412 NAL/79

शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
4	5 (अंतिम कालम)	65	63
6	3-4	11. 64 लाख रु० में से (जिसे	(1. 64 लाख रु० में से जिसे
8	नीचे से 8	सितम्बर	दिसम्बर
22	6	गिए	किए
24	1	पत्तर	पत्तन
24	9	विमाद	विमान
25	2	09. 02	0. 02
26	1	संरचना	संरचना
27	1	अद	अदा
27	12	14989	14389
28	4 नीचे से	75 रु० और 150 रु०	75 रु० से 150 रु०
57	2 (नीचे से)	5,36,18,69,346	6,36,18,69,346
65	8 (नीचे से)	52. 94	54. 94
77	2 नीचे से	विनिर्णोत्तर	विनिर्माणोत्तर
89	4	भी जारी	भी 23 मार्च, 1982 को जारी
89	21	5 रु० प्रति बैटरी के	विशेष
91	17	जुड़ी	—
93	5	उत्पाद नियमावली	उत्पाद शुल्क नियमावली
93	9	उसके मूल	उसके प्राहक, मूल
94	15	सामग्री	कच्ची सामग्री
96	9	और भी	और उसकी
101	9	के बोर्ड के	के
107	10	के अनुसार	—
108	4	क के	क क
108	14	की मांग	के अंश
108	14	25 क के	26 क क
108	22	सितम्बर	1 सितम्बर

पृष्ठ सं०	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
109	6 नीचे से	टाट	टार
110	20	26.00 लाख रु०	26 रु०
111	6	मार्च	1 मार्च
112	अन्तिम	5587	558.7
113	6 नीचे से	कोटा	मूल्य
114	2	6 प्रतिशत दर	6 प्रतिशत और
114	11	39.116	39,116
116	13	सीमा	उत्पाद
118	12	फरवरी	अप्रैल
123	6	में है,	में नहीं है,
129	14	से अधिक	से अधिक नहीं
134	3	कपड़े से	कपड़े को
140	7(नीचे से)	1,12,350	1,12,350 रु०
145	4	14 जुलाई, 1979	14 जुलाई, 1978
167	16	6,21,708 रु०	6,21,078 रु०
169	9	कार्य	की
187	नीचे से 5	मई 1980	मई, 1980
191	नीचे से 10	सामलों में	10 मामलों में
206	2	30 जून	10 जून
212	6	31 मई, 1981	31 जुलाई, 1981
212	16	विलम्ब	विलम्ब
215	8	शुल्क के और इसकी	शुल्क जिसकी
218	6	291.56 करोड़ रु०	291.59 करोड़ रु०
222	4 नीचे से	1980-81	—
224	3	5-8	5.8
242	17	(दिसम्बर, 1981)	(1 दिसम्बर, 1981)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन


वर्ष 1981-82

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड I

अप्रत्यक्ष कर



134643

26/8/85

विषय-सूची

संदर्भ
पैराग्राफ सं०

पृष्ठ सं०

अध्याय 1—सीमाशुल्क प्राप्तियां

1. 01	राजस्व आंकड़ें	1
1. 02	संग्रहण की लागत	2
1. 03	बकाया सीमा शुल्क	2
1. 04	बकाया विदेश यात्रा कर	2
1. 05	कालातीत मांगें	3
1. 06	तदर्थ छूटें	3
1. 07	शुल्क का बट्टे खाते डाला जाना, माफी आदि	4
1. 08	लेखा परीक्षा के परिणाम	4

शुल्कों का न लगाया जाना

1. 09	बांड की समाप्ति पर अथवा उसकी शर्तों के पूरा न किये जाने पर शुल्क का न लगाया जाना	5
1. 10	पोत भण्डारों पर शुल्क की वसूली न किया जाना	6
1. 11	सदा की सामान पर शुल्क का वसूल न किया जाना	7
1. 12	अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क का न लगाया जाना	8
1. 13	थल सीमा-शुल्क स्टेशनों में शुल्क का कम लगाया जाना	10

मूल्यांकन में गलतियां

1. 14	मूल्य में शामिल न किये गये उतराई-चढ़ाई प्रभार	12
-------	---	----

गलत वर्गीकरण

1. 15	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम लगाया जाना	13
1. 16	गलत वर्गीकरण के कारण प्रतिकारी शुल्क का कम लगाया जाना	14

छूट की गलत भंजुरी

1. 17	गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क का कम लगाया जाना	18
-------	--	----

अन्य गलतियां

1. 18	अन्य गलतियों के कारण शुल्क का कम लगाया जाना	21
-------	---	----

यात्री सामान

1. 19	यात्री सामान पर शुल्क	23
-------	---------------------------------	----

शुल्क का प्रतिदाय

1. 20	गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क का अनियमित प्रतिदाय	29
-------	---	----

प्रतिअदायगियों का भुगतान

1. 21	वर्गीकरण के नियम न होने के कारण प्रति अदायगी का अधिक भुगतान	34
1. 22	प्रति अदायगी का अनियमित भुगतान	40
1. 23	प्रति अदायगी के भुगतान में गलतियां	44

अधिनिर्धारण

1. 24	शुल्क का अधिक लगाया जाना	44
-------	------------------------------------	----

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

1. 25	शुल्क छूट हकदारी योजना	47
1. 26	कम उतारे गए सामान को लेखाबद्ध न करने के कारण शास्तिक कार्यवाही आरम्भ करने में विलम्ब	51
1. 27	जन्त किये गए माल के निपटान में विलम्ब	52
1. 28	अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब	53

अध्याय 2—संघ उत्पाद शुल्क

2. 01	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	57
2. 02	बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नताएं	52
2. 03	वसूली की लागत	43
2. 04	संघ उत्पाद शुल्क की वसूली में बकाया राशियां और अशोध्य राजस्व	53
2. 05	धोखाधड़ी और अपवचन के लिये मुकदमा चलाया जाना	65
2. 06	लेखापरीक्षा के परिणाम	65
2. 07	अबमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम लगाया जाना समीकृत भाड़ा के लिये समायोजन	56
2. 08	पैकिंग का मूल्य	67

2. 09	उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुएं जिनका पूरा मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था	71
2. 10	निर्धार्य मूल्य की गलत संगणना	76
2. 11	विनिर्मित उत्पाद जिनका स्वयं उपयोग किया गया था	79
2. 12	संबंधित व्यक्तियों को पूर्ति	84
2. 13	बीजक मूल्य	85
2. 14	बट्टा और वृद्धि प्रभार	88
2. 15	हिस्से पुर्जें जोड़ने या विनिर्मित करने की लागत	91
2. 16	जाब कार्य और ग्राहक द्वारा आपूर्ति सामग्री	92
गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क का लगाया जाना		
2. 17	सौन्दर्य प्रसाधन	94
2. 18	पेट्रोलियम उत्पाद और जाईलीन	98
2. 19	कनवेयर बॉल्टिंग	99
2. 20	मनीला कागज या क्राफ्ट कागज	101
2. 21	अन्य सभी माल के रूप में (अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है) किया गया गलत वर्गीकरण	104
2. 22	अन्य सभी सामानों (अन्यत्र अविनिर्दिष्ट) के रूप में वर्गीकृत न किया जाना	108
छूट की गलत स्वीकृति के कारण कम कर लगाया जाना		
2. 23	चीनी	112
2. 24	पेट्रोल के उत्पाद और बिजली	116
2. 25	प्लास्टिक	119
2. 26	पेटेन्ट या मालिकाना औषधियां	123
2. 27	अन्य रसायन	123
2. 28	टायर और ट्यूब	127
2. 29	कागज	129
2. 30	सूती कपड़े	133
2. 31	अन्य विनिर्मित वस्तुएं	134
2. 32	मशीनरी और विविध विनिर्मित वस्तुएं	136

संदर्भ		पृष्ठ सं०
पैराग्राफ सं०		
2. 33	ऐसी सभी वस्तुएं जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं हुआ है	140
2. 34	प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क की सीमा तक छूटें	142
लघु विनिर्माताओं को दी गई छूटें		
2. 35	विनिर्दिष्ट वस्तुएं (वार्षिक निकासी 20 लाख रु० से अधिक नहीं)	146
2. 36	लघु यूनिटों को अनियमित छूट का दिया जाना	152
प्रयोज्य वस्तुओं पर संदत्त शुल्क के लिये अनुमत क्रेडिट के अनियमित उपयोग के कारण शुल्क का कम लगाया जाना		
2. 37	रद्दी अथवा कतरनों की निकासी पर	158
2. 38	शुल्क मुक्त माल के लिये प्रयोज्य वस्तुएं	162
2. 39	निर्धारित रीति की जगह अन्य रीति से उपयोग	166
शुल्क का न लगाया जाना		
2. 40	उत्पादन का छिपाया जाना	171
2. 41	गैर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में गलत निकासी	172
2. 42	अनियमित शुल्क मुक्त निकासियां	182
2. 43	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की हानि पर शुल्क का न लगाया जाना	190
2. 44	उत्पाद शुल्क योग्य कतरन और रद्दी पर शुल्क का न लगाया जाना	192
अनियमित रिबेट और प्रतिदाय		
2. 45	रिबेट की अनियमित स्वीकृति और निर्यातों पर शुल्क का आस्थगन	194
2. 46	अनियमित प्रतिदाय	199
उपकर का कम लगाया जाना		
2. 47	रबड़ बोर्ड द्वारा कम उपकर लगाया जाना	205
2. 48	जूट उत्पादों पर उपकर का न लगाया जाना	208
2. 49	संसाधित वस्त्रों पर उपकर का न लगाया जाना	210
2. 50	कागज पर उपकर का न लगाया जाना	211
ध्यान देने योग्य अन्य बातें		
2. 51	स्थगन आदेश वापस लेने के लिये कार्यवाही करने में विलम्ब	212
2. 52	शुल्क का परित्याग	213
2. 53	पुनः गोदाम में न रखे गये माल पर शुल्क	214
2. 54	आकस्मिक लाभ	215
2. 55	हीरे की अग्नी लगे औजारों पर जाँच कार्य	216
2. 56	पाठ्य पुस्तकें और धार्मिक पुस्तकें	217

संदर्भ

पैराग्राफ सं०

पृष्ठ सं०

अध्याय 3—अन्य राजस्व प्राप्तियां

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की प्राप्तियां

अनुभाग 'क'—संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

3. 01	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	218
3. 02	बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का संग्रहण	219
3. 03	कर राजस्व के संग्रहण की लागत	221

विक्रय कर

3. 04	सर्वेक्षण, पंजीकरण और घोषणा फार्म	222
3. 05	विक्रय कर देने वाले व्यापारियों के निर्धारण में प्रगति	229
3. 06	विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियां और जप्तियां	231
3. 07	विक्रय कर के संग्रहण में बकाया	232
3. 08	विक्रय कर विभाग के पास बकाया पड़े वसूली प्रमाण पत्र	234
3. 09	अभिलेखों में विसंगतियां होने के बावजूद अनुमत की गई छूटें	235
3. 10	अस्वीकार्य छूटों का अस्वीकार न किया जाना	237
3. 11	अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में विक्री को अन्तर्ण माना जाना	238
3. 12	कर की गलत दर का लागू किया जाना	240
3. 13	सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारणों में प्रत्यक्ष गलतियां	240
3. 14	कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिये अर्थ दण्ड के उद्ग्रहण में चूक	241
3. 15	कर के संग्रहण और अभिलेखों के मिलान में प्रणाली के दोष	242

राज्य उत्पाद शुल्क

3. 16	शुल्क का अनियमित प्रतिदाय	244
-------	-------------------------------------	-----

स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस

3. 17	स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	245
-------	-------------------------------------	-----

संदर्भ	पृष्ठ सं०
पैराग्राफ सं०	
मोटर गाड़ी कर	
3. 18 नवीनीकरण फीस वसूल करने में विफलता	247
भू-राजस्व	
3. 19 संग्रहण प्रभारों का वसूल न किया जाना	248
3. 20 बकाया मांगों को अग्रणीत करनेमें विफलता	249
मनोरंजन कर	
3. 21 मनोरंजन कर राजस्व के कुछ पहलू	249
अनुभाग ख : संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	
3. 22 खरीद एवं बिक्री छिपाये जाने के कारण राजस्व की हानि	252

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

वर्ष 1981-82 के लिए संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों (सिविल) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है—एक खण्ड अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है और दूसरा प्रत्यक्ष करों से ।

इस खण्ड में अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं । यह प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया गया है :—

अध्याय 1 में सीमा शुल्क राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और ऐसी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम, कम लगाए गए सीमा शुल्क और लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख किया गया है ।

अध्याय 2 में इसी प्रकार संघ उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में राजस्व प्रवृत्तियों और उनकी लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है ।

अध्याय 3 में संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियों, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व और मनोरंजन कर से संबंधित प्राप्तियों एवं संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की विक्रय कर से संबंधित प्राप्तियों और उनकी लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है ।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातें वे हैं जो विभिन्न विभागों और विभागीय कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा के ध्यान में आई थीं । उनका अभिप्राय संबंधित विभागों के कार्यचालन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना नहीं है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए ।

खण्ड-1

अध्याय 1

सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.01 राजस्व आंकड़े

पिछले वर्ष 1980-81 के लिए बजट अनुमानों और आंकड़ों के साथ साथ वापसियों और प्रति-अदायगियों को घटाने के बाद वर्ष 1981-82 के दौरान सीमा शुल्क से निवल प्राप्तियां नीचे दी जाती हैं:—

निम्नलिखित से सीमा-शुल्क प्राप्तियां	1980-81 के लिए प्राप्तियां	1981-82 के लिए प्राप्तियां	1981-82 के लिए बजट अनुमान	1981-82 के लिए संशोधित बजट अनुमान
	(करोड़ रु० में)			
आयात	3413.02	4395.98	3879.86	4222.00
निर्यात	110.24	50.71	72.92	53.00
निर्यात पर उपकर	10.28	12.05	10.58	12.84
अन्य सामान]	47.11	39.34	35.00	35.00
सकल राजस्व	3580.65	4498.08	3998.36	4322.84
घटाएं:				
वापसियां	84.21	86.97	65.66	60.84
घटाएं:				
प्रति अदायगियां*	87.16	110.75	100.00	122.00
निवल राजस्व	3409.28	4300.36	3832.70	4140.00

*इस राशि में उत्पाद शुल्क को आवंटित प्रति अदायगी शामिल नहीं है।

राजस्व संग्रहण में लचीलापन, विशेष रूप से मशीनरी, यांत्रिक औजार और विद्युत उपकरण, लोहा तथा इस्पात, मानव निर्मित रेशों और स्नेहक तेलों के आयात में वृद्धि के कारण था।

अनुमानों की तुलना में निर्यात शुल्क राजस्व में कमी का कारण मूंग-फली के खाद्य पदार्थ, काफी तथा ढेलेदार लोह अयस्क के निर्यात से कम वसूली बताया गया।

1.02 संग्रहण की लागत

पिछले वर्ष के लिये आंकड़ों के साथ-साथ वर्ष 1981-82 के दौरान सीमा शुल्क के संग्रहण में हुआ व्यय नीचे दिया जाता है:—

निम्नलिखित पर संग्रहण का व्यय	1980-81	1981-82
	(करोड़ रु० में)	
आयात, निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्य	6.61*	6.86
निवारक और अन्य कार्य	27.78*	26.34
जोड़	34.39*	33.20
सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत	0.96	0.74

1.03 बकाया सीमा शुल्क

31 मार्च 1982 तक निर्धारित सीमा शुल्क की राशि जो 31 अक्टूबर, 1982 को अभी वसूल की जानी थी 1749.61 लाख रु० थी (इसमें से 1488.66 लाख रु० एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे)। 31 अक्टूबर, 1981 को तदनुसूची राशि 2270.51 लाख रु० थी।

1.04 बकाया विदेश यात्रा कर

बकाया विदेश यात्रा कर (जो अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले यात्री द्वारा देय होता है जिसके लिए किराया भारतीय मुद्रा में अदा किया गया है) जिसका संग्रहण अभी यात्रियों की वाहक कम्पनियों द्वारा किया जाना

* वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 1982 में यथा संशोधित।

था और जिसे 15 अक्टूबर, 1971 और 15 जून 1979 के बीच आरम्भ हुई यात्रा के संबंध में सरकार को क्रेडिट किया जाना है, नीचे दिया जाता है। इसी प्रकार उन यात्राओं के संबंध में भी जो 15 जून 1979 अथवा उसके बाद आरम्भ हुई थी (जब दर बदल कर यथा मूल्य की जगह विशिष्ट कर दी गई थी) बकाया राशि नीचे दी जाती है :—

31 मार्च 1982 को बकाया कर

कर लगाई गई यात्राओं पर सीमा शुल्क प्रशासन नियंत्रण करने वाले सीमा शुल्क गृह	15 जून 1979 से पूर्व यात्राएं	15 जून 1979 के बाद यात्राएं
		(लाख रु० में)
दिल्ली	134.26	1.59
बम्बई	18.07	2.09
कलकत्ता	7.65	2.55
मद्रास	2.31	शून्य

मद्रास में एक वाहक कम्पनी से 2.31 लाख रु० प्राप्य हैं जो परिसमाप्त हो गई बताई गई है।

1.05 कालातीत मांगे

31 मार्च 1982 तक विभाग द्वारा जारी की गई मांगों में से जो 31 अक्टूबर 1981 को वसूली के लिये बकाया थी, 326.92 लाख रु० की राशि की मांगों की वसूली जो ग्यारह सीमा शुल्क गृहों तथा कलकटरियों से संबंधित थी कालातीत हो गई थी, परन्तु स्वैच्छिक भुगतानों की प्रत्याशा में जारी की गई थी।

1.06 तदर्थ छूटें

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को लोक हित तथा असाधारण परिस्थितियों में जिनका उल्लेख आदेश में किया जाना होता है, आदेश द्वारा सीमा शुल्क की अदायगी से किसी भी माल को, जिस पर यह शुल्क उद्ग्राह्य है, शुल्क से छूट देने

का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1981-82 और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमत की गई और ली गई ऐसी छूटों की संख्या नीचे दी जाती है :-;

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
(i) अनुमत की गई और ली गई छूटों की संख्या	198	97	68	65
(ii) अन्तर्प्रस्त कुल शुल्क (करोड़ रु० में)	59.98	204.54	274.77	438.055
(iii) उन मामलों की संख्या जिनमें प्रत्येक में 10,000 रु० से अधिक का शुल्क प्रभाव है	125	75	61	59
(iv) ऊपर (iii) में दिये गए मामलों में अन्तर्प्रस्त शुल्क (करोड़ रु० में)	59.95	204.53	274.76	438.054

1.07 शुल्क का बढ़े खाते डाला जाना

वर्ष 1981-82 और पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़े खाते डाले गये सीमा शुल्क, छोड़े गये जुमाने और अनुग्रह पूर्वक की गई अदायगियां नीचे दी जाती हैं :-

वर्ष	बढ़े खाते डाले गए शुल्क की राशि (लाख रु० में)
1981-82	33.66
1980-81	44.39
1979-80	3.73
1978-79	27.62

1.08 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान सीमा शुल्क गृहों तथा कलक्टरियों में अभिलेखों की नमूना जांच से शुल्क और उपकरण कम लगाये जाने के मामले और अधिक अदायगियों तथा अधिक प्रतिदायों के मामले और कुल

13.48 करोड़ रु० की राशि के राजस्व हानि के मामलों का पता चला। 27.11 लाख रु० के अधिक शुल्क लगाए जाने और अदायगियों के मामले भी लेखापरीक्षा में देखे गये, जो देय तो हो गई थीं परन्तु जिन की अदायगी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताओं के उदाहरण स्वरूप मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आगामी पैराग्राफों में दिये गये हैं :—

- (क) शुल्कों का न लगाया जाना
- (ख) मूल्यांकन में गलतियां
- (ग) गलत वर्गीकरण
- (घ) छूट की गलत मंजूरी
- (ङ) अन्य गलतियां
- (च) निर्यात उपकर
- (छ) यात्री सामान
- (ज) शुल्क की वापस अदायगी
- (झ) प्रति अदायगियां
- (ञ) अधिनिर्धारण
- (ट) ध्यान देने योग्य अन्य बातें।

शुल्कों का न लगाया जाना

1.09 बांड की समाप्ति अथवा उसकी शर्तों को पूरा न किये जाने पर शुल्क का न लगाया जाना

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन शुल्क की अदायगी के बिना बांड के अधीन आयातित और लाइसेंस के अधीन गोदाम में रखे गये माल पर शुल्क और ब्याज तथा जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए यदि माल की निकासी विहित अवधि के अन्दर नहीं की जाती।

(i) एक इकाई ने जो 'होज शिकंजों' का विनिर्माण कर रही थी, शुल्क की अदायगी किये बिना बांड के अधीन आयातित स्टेनलेस स्टील की पट्टियां, इस्पात की छड़ों आदि का प्रयोग कर रही थी इस शर्त को पूरा नहीं किया कि तैयार उत्पाद भारत के बाहर निर्यात किये जायेंगे।

उत्पादन इस आधार पर 12, अप्रैल 1978 को बन्द कर दिया गया कि भारत के बाहर माल के लिये और बाजार उपलब्ध नहीं था।

1. 29 लाख रु० के स्टेनलेस स्टील पर 1.64 लाख रु० मूल्य की कुल मात्रा में से (जिसे मार्च 1973 और मार्च 1976 के बीच आयात किया गया था) और उसका पुनः निर्यात नहीं किया गया था, विभाग द्वारा 2,91,565 रु० की राशि का आयात शुल्क और व्याज लगाने के लिये कार्यवाही लेखापरीक्षा की पूछताछ के बाद केवल अप्रैल 1979 में आरम्भ की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1982) कि शुल्क और व्याज अब अदा कर दिये हैं और आवद्ध भंडागार में शेष स्टॉक की निकासी हो गई है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई ने जो दूरदर्शन ट्यूब का विनिर्माण कर रही थी बांड के अधीन कांच के आवरण (शैल) का आयात किया परन्तु 893 आवरणों पर (मई 1977 में पत्तन से लाये गये 54,642 में से) जो टूटे पाये गये थे, शुल्क अदा नहीं किया। उसी वर्ष बाद में लाये गये और 20,500 आवरणों में से 216 आवरण उसी प्रकार टूटे पाये गये। मई 1977 में और पुनः अक्टूबर 1978 में टूटे आवरणों पर शुल्क न लगाये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर 72,352 रु० के शुल्क की मांग की गई और नवम्बर 1979 में विभाग द्वारा संगृहीत की गई।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी हैं (दिसम्बर 1982)।

1.10 पोत भंडारों पर शुल्क का वसूल न किया जाना

जब विदेश जाने वाले यान तटीय व्यापार में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं तब अप्रयुक्त पोत भंडारों पर प्रत्यावर्तन के समय शुल्क लगाया जाता है।

विदेश जाने वाले 7 यानों के तटीय यात्रा के लिए वापस आने पर (जुलाई 1976 और अक्टूबर 1978 के बीच) यान भंडारों पर देय शुल्क जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक पत्तन में लगाया अथवा निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार प्रत्यावर्तन करने वाले 20 यानों पर 8.55 लाख रु० का शुल्क संग्रहीत नहीं किया गया यद्यपि प्रत्यावर्तन के बाद 1 से 3

वर्ष बीत चुके थे। (जैसा कि लेखापरीक्षा में अगस्त, 1979 और फरवरी 1982 में देखने में आया था)।

7 मामलों में जिनमें शुल्क निर्धारण अभी नहीं किया गया विलम्ब रासायनिक परीक्षणों के परिणाम और अंतिम बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुआ बताया गया। 8.55 लाख रु० में से 2.08 लाख रु० की वसूली उन पार्टियों से की जानी है जो परिसम्पत्त हो गई है। एक पार्टी से प्रायः 75,543 रु० में से केवल 15,000 रु० की राशि वसूल की गई थी।

ये मामले वित्त मंत्रालय को सूचित किये गये थे (सितम्बर 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

1. 11 अदावी सामान पर शुल्क का वसूल न किया जाना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार आयातित सामान को जिसका दावा नहीं किया जाता और जो सुपुर्द नहीं किया जाता है, अभिरक्षक (पत्तन न्यास) द्वारा नीलामी द्वारा बेचा जाना चाहिए और उसकी विक्री आय से सीमा शुल्क वसूल किया जाना चाहिए।

वर्ष 1981-82 के लिये पत्तन न्यास के वार्षिक लेखाओं में सितम्बर 1973 के दौरान और मार्च 1977 से सितम्बर 1980 के बीच की गई नीलामियों में न्यास द्वारा बेचे गए अदावी और परित्यक्त माल पर सीमा शुल्क अदा करने के उद्देश्य से 1.81 करोड़ रु० की राशि उच्चत के रूप में रखी गई दिखाई गई थी। किन्तु सीमा शुल्क गृह द्वारा न तो शुल्क की मांग की गई है और न ही वसूली की गई है।

एक अन्य बड़े सीमा शुल्क गृह में 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान की गई नीलामी द्वारा ऐसी बिक्रियों पर देय शुल्क के प्रति पत्तन न्यास से क्रमशः अप्रैल 1981 और फरवरी 1982 में 60 लाख रु० और 1 करोड़ रु० की तदर्थ अदायगियां प्राप्त हुई थी। वर्ष 1980-81 के संबंध में पेशगी अथवा तदर्थ भुगतान भी प्राप्त नहीं हुआ था। 1975-76 और 1976-77 के वर्षों के संबंध में शुल्क की अदायगियां केवल जुलाई 1980 में सीमा शुल्क गृह में प्राप्त हुई थी (दो वर्षों के लिये क्रमशः 11,844 रु० और 2,69,135 रु०) जबकि 1977-78 में की गई नीलामियों के संबंध में 60 लाख रु० का तदर्थ भुगतान अप्रैल 1980 में और शेष 19,14,324 रु० का भुगतान जुलाई 1981 में प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा में मांग न किये जाने के कारण पूछे गये थे (दिसम्बर 1980)। परन्तु किसी भी सीमा शुल्क गृह से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

1.12 अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क का न लगाया जाना

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत में उत्पादित अथवा विनिर्मित माल पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क के अनुरूप प्रतिकारी शुल्क सभी आयातित माल पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में उद्ग्राह्य होता है।

(i) बैटरी ग्रेड (परन्तु तकनीकी ग्रेड अथवा रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं) मैंगनीज डायोक्साइड के बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि वह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 25 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है। किन्तु, अध्याय 25 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अध्याय केवल उस माल पर लागू होगा, जो कच्चे रूप में होता है अथवा जिसकी धुलाई, संदलन, पिसाई की जाती है और जिसका पाउडर बना दिया जाता है, परन्तु जो निस्तप्त न हो अथवा जिसे और किसी प्रकार से संसाधित नहीं किया जाता है। विशेष रासायनिक मैंगनीज डायोक्साइड (जो सन्तानन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है) और इलेक्ट्रालिटिक मैंगनीज डायोक्साइड का वर्गीकरण अध्याय 28 के अन्तर्गत किया जाना है और उनके आयात पर उद्ग्राह्य सीमा शुल्क के अलावा, अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत यथा मूल्य 8 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य है।

एक बड़े सीमा शुल्क गृह में दिसम्बर 1979 और जुलाई 1980 के बीच आयातित विशेष रासायनिक मैंगनीज डायोक्साइड और इलेक्ट्रालिटिक मैंगनीज डायोक्साइड गलती से अध्याय 25 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे और केवल सीमा शुल्क लगाया गया था। कोई अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क संग्रहीत नहीं किया गया क्योंकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 25 के अन्तर्गत आने वाले माल पर भारत सरकार द्वारा मार्च 1979 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। इसके परिणामस्वरूप 1,68,691 रु० का अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1980 और जनवरी 1981 के बीच) सीमा शुल्क गृह ने गलत वर्गीकरण और अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क न लगाये जाने की बात मान ली और बताया (फरवरी 1982) कि राशि वसूल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (अगस्त 1982) कि 14, 507 रु० अभी तक संगृहीत हो गए हैं।

(ii) अक्टूबर 1980 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1980 से अखबारी कागज सहित सभी प्रकार के कागज तथा कागज बोर्ड पर यथा मूल्य 1/8 प्रतिशत की दर पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क लगाया और संगृहीत किया जाना था। तदनुसार, 1 नवम्बर, 1980 से आयात पर तदनुसूची प्रतिकारी शुल्क उद्ग्राह्य था।

17 नवम्बर, 1980 और 19 नवम्बर, 1981 के बीच आयातित अखबारी कागज और अन्य प्रकार के कागज के परेषणों पर एक सीमा शुल्क गृह में 1,11,210 रु० का उक्त उपकर (प्रतिकारी शुल्क) नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1981 और अप्रैल 1982 के बीच) सीमा शुल्क गृह ने गलती स्वीकार कर ली (सितम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (अक्टूबर 1982) कि अब तक 14,753 रु० का शुल्क वसूल कर लिया गया है।

(iii) "अन्य कोल तार आसवन, उत्पादों के साथ डामर के मिश्रण" के आयात पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत प्रतिकारी शुल्क उद्ग्राह्य है।

6,78,905 रु० मूल्य के 240 टन कोल तार डामर और बंधकों के आयात पर सीमा शुल्क लगाया गया था परन्तु 78,753 रु० राशि का प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1979) सीमा शुल्क गृह ने बताया (सितम्बर 1981) कि 78,753 रु०

की मांग अब कर दी गई थी। संग्रहण आयातक द्वारा दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार कर लिया है।

1. 13 थल सीमा शुल्क स्टेशनों में शुल्क का कम लगाया जाना

(i) भारत सरकार द्वारा 22 जून, 1935 को जारी की गई एक अधिसूचना (और समय समय पर संशोधित की गई) के अन्तर्गत किसी आटोमोबाइल क्लब या संस्थाओं जो ऐसी संस्थाओं के फेडरेशन आफ एलाइन्स इंटरनेशनल डी टूरिज्म से संबद्ध हो, के सदस्यों द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय अनुमति पत्र (ट्रिपटिक) या सीमा शुल्क परमिट (सीमा शुल्क कार्यालयों पर कार्नेट डी पैसेज) जो ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हों के अन्तर्गत मोटर कारों मोटर साइकिलों को आयात करने की अनुमति दी जा सकती है और वाहन सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त होते हैं बशर्ते कि अनुमति पत्र या परमिट वेस्टर्न इण्डिया आटोमोबाइल संस्था द्वारा गारंटीकृत हों। ऐसे वाहनों को आयात की तारीख से छः महीनों के अन्दर पुनः निर्यात करना होता है। इसके अलावा वाहनों का आयात केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो पास या परमिट का धारक हो। तथापि वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 1963 के अन्तर्गत अनुमति पत्र या परमिटधारी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वाहन के आयात की अनुमति दे दी थी बशर्ते कि सीमा शुल्क समाहर्ता इस बात से संतुष्ट हो कि वास्तविक आयातकर्ता अन्यथा अनुमति पत्र या परमिट प्राप्त करने का अधिकारी है और उसके पास अनुमति पत्र या परमिट धारी व्यक्ति का समुचित प्राधिकार पत्र है एवं वेस्टर्न इण्डिया आटोमोबाइल संस्था ने निर्धारित समय के अन्दर वाहन के पुनः निर्यात के लिए विशिष्ट गारंटी दी है।

नवम्बर 1972 से नवम्बर 1973 के दौरान एक थल सीमा शुल्क स्टेशन से ऐसे व्यक्तियों द्वारा चार वाहन आयात किए गए थे जो अनुमति पत्र या परमिट धारी नहीं थे और वाहन के पुनः निर्यात के बारे में आटोमोबाइल संस्था ने गारंटी नहीं दी थी। वे पुनः निर्यात नहीं किए गए थे और आटोमोबाइल संस्था के नाम सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस पर उसने इस आधार पर अदायगी नहीं की कि संस्था ने इन मामलों में वाहनों के

निर्यात की गारंटी नहीं दी थी। सरकार के अनुदेशों का सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप इन चार मामलों में 57,401 रु० के सीमा शुल्क की हानि हुई।

लेखा परीक्षा आपत्ति नवम्बर 1976 में समाहर्ता को सूचित की गई थी और उसके बाद कलकटरी ने 1977 में वित्त मंत्रालय को लिख दिया।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (सितम्बर 1982)।

(ii) 2500 घन सेंटीमीटर तक की क्षमता वाले इंजनों वाली मोटर गाड़ियों पर यथा मूल्य $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल) उद्ग्राह्य था जो 1 मार्च 1979 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया था। मूल शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क भी पहली मार्च 1979 से पहले उद्ग्राह्य था जो 1 मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया था किन्तु 19 जून, 1980 से पुनः लगा दिया गया था।

चार सैलून कारें जो मोटर गाड़ियों के विवरण के अन्तर्गत आती थी, 2 जून, 1979 से 26 जून, 1980 तक की अवधि के दौरान पूर्वी भारत के एक थल सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात की गई थी। उन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पुरानी दर के आधार पर यथा मूल्य $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क (प्रतिकारी) और यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया गया यद्यपि कुछ कारों का आयात 1 मार्च, 1979 से 19 जून, 1980 के दौरान किया गया था।

प्रतिकारी शुल्क को कम वसूली उस प्रणाली की विफलता प्रकट करती है जिसके द्वारा मूल्यांकन और निर्धारण स्टाफ जो दूर स्थित थल सीमा शुल्क स्टेशनों में भी नियुक्त हो को शुल्क की दरों में परिवर्तन के बारे में अविलम्ब अवगत कराया जाना अपेक्षित है के बारे में लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाया गया था (अक्तूबर 1981)। कलकटरी ने बताया कि इन चार सैलून कारों के संबंध में 12,145 रु० के कम शुल्क की वसूली करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (सितम्बर 1982)।

मूल्यांकन में गलतियाँ

1. 14 मूल्य में शामिल न किए गए उतराई-चढ़ाई प्रभार

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 और सीमा-शुल्क मूल्यांकन नियमावली 1963 के अनुसार आयात के समय और स्थान पर सामान के बिक्री मूल्य में भाड़ा, बीमा पैकिंग तथा अन्य अनुषंगी प्रभार जो आमतौर पर व्यापारियों द्वारा समुद्रपार व्यापार प्रथा के अन्तर्गत सामान्यतः वहन किए जाते हैं, शामिल किए जाने चाहिए। समुद्र बीमा प्रभार आयात व्यापार प्रथा में सामान्य व्यय होने के कारण और उतराई-चढ़ाई प्रभार सामान्य अनुषंगी प्रभार होने के कारण सामान के मूल्य में शामिल किए जाने चाहिए। जहां अदा किए गए वास्तविक सीमा प्रभार अवधारित नहीं किए जा सकते वहां सामान्यतः बीमा प्रभारों के लिए जहाज तक मूल्य के 1½ प्रतिशत की दर से तदर्थ वृद्धि कर दी जाती है।

जून 1978 में आयातित 7,960 टन आमोनिया सल्फेट के संविदागत लागत-भाड़ा मूल्य में उतराई-चढ़ाई और बीमा प्रभार शामिल नहीं किए गए थे। 21.28 रु० प्रति टन की दर से उतराई-चढ़ाई प्रभार और बीमा के लिए मूल्य में 1½ प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि न किए जाने के कारण एक सीमा शुल्क गृह में 46,702 रु० का कम शुल्क लगा।

लेखा परीक्षा में चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 1980) उतराई-चढ़ाई प्रभार न जोड़ने की भूल सीमा शुल्क गृह ने स्वीकार कर ली। बीमा प्रभारों के संबंध में सीमाशुल्क गृह ने बताया कि वास्तव में आयातकर्ता ने जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, बीमा प्रभारों पर कोई व्यय नहीं किया था। तथापि बोर्ड ने विशिष्ट अनुदेश जारी कर दिए थे कि बीमा प्रभार कारोबार में सामान्यतः वहन किए गए प्रभार होते हैं इसलिए वास्तव में वहन न किए जाने पर भी जोड़े जाने चाहिए।

यह मामला वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 1982) उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

गलत वर्गीकरण

1. 15. गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम लगाया जाना ।

(i) मिश्रित उर्वरकों पर सीमा शुल्क उद्ग्राह्य नहीं है हालांकि खनिज या रसायनिक उर्वरकों व नाइट्रोजन फास्फेट या पोटेशियम और अन्य उर्वरकों पर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं, यथा मूल्य 60 प्रतिशत की दर से शुल्क उद्ग्राह्य है। यहां मिश्रित शब्द का अर्थ ऐसा उर्वरक है जिसमें तीन पोषक तत्वों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से एक से ज्यादा तत्व हों। मुख्य रसायनी के परामर्श पर अगस्त 1981 में समाहर्ताओं के सम्मेलन में भी इसकी पुष्टि कर दी गई थी जिससे समाहर्ताओं की कान्फ्रेंस जो अप्रैल 1969 में आयोजित हुई थी, का वह मत रद्द हो गया था जिसमें कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट को मिश्रित उर्वरक मान लिया गया था क्योंकि वह कैल्सियम मैग्नीसीयम और अमोनियम नाइट्रेट से बनता था।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा मार्च 1978 से जुलाई 1978 के दौरान आयात किए गए कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के तीन परेषणों पर मूल सीमा शुल्क 'शून्य' दर से लगाया गया, यद्यपि आयातित मद में केवल एक पोषक तत्व अर्थात् नाइट्रोजन था और वह मिश्रित उर्वरक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आयातित परेषणों पर 2 करोड़ रु० का शुल्क नहीं लगा।

लेखा परीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 1980) सीमा शुल्क गृह ने लेखा परीक्षा आपत्ति को अगस्त 1981 में समाहर्ताओं की कान्फ्रेंस में निर्णय लिए जाने तक स्वीकार नहीं किया। सीमा शुल्क गृह ने जुलाई 1982 में बताया कि आयातकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे कम वसूली की अदायगी कर दें। वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

मंत्रालय ने बताया है कि कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट पर स्थापित/प्राधिकृत प्रथा के अनुसार निर्धारण किया गया था और विगत में उन आयातों के किए गए निर्धारणों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जो सरकारी लेखा पर लोक क्षेत्र उपक्रम द्वारा किए गए थे।

(ii) माप यंत्र के साथ लगे वाहक पम्प सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष 84.10(2) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

‘शक्ति चालित’ के रूप में वर्णित एक ‘द्रव चालित पम्प’ जो सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा अगस्त 1980 में आयात किया गया था, पर शीर्ष 84.10(1) के अन्तर्गत यथा मूल्य 40 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क और 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 30-क के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया गया था। सीमा शुल्क गृह के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने सही बताया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क यथा मूल्य 8 प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य था और 8,470 रु० का और शुल्क वसूली योग्य था। किन्तु मद के माप यन्त्र लगे वाहक पम्प होने के कारण (जैसा कि विवरण सामग्री से पता लगा था) उसे शीर्ष 84.10(2) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था और सीमा शुल्क यथा मूल्य 60 प्रतिशत की दर से लगाया जाना चाहिए था। ऐसा न करने के फलस्वरूप 90,976 रु० का कम शुल्क लगाया गया। (आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सूचित 8,470 रु० के कम शुल्क सहित)।

लेखा परीक्षा में वर्गीकरण की गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1981) सीमा शुल्क गृह ने गलती स्वीकार कर ली (जून 1982) और बताया कि 90,976 रु० का विभेदक शुल्क फरवरी 1982 में वसूल कर लिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

1.16 गलत वर्गीकरण के कारण प्रतिकारी शुल्क का कम लगाया जाना

(i) क्लोरोसल्फोनीकृत पॉलीथिलीन होने के कारण हाइपालोन का सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष 39 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाना है जिसके अन्तर्गत कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक के सामान आते हैं और इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15क, जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक के सामान आते हैं, के अन्तर्गत प्रतिकारी शुल्क लगाना होता है।

सितम्बर 1978 में आयातित हाइपालोन के एक परेषण पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15क के अन्तर्गत अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क भी लगाया गया था। आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वापसी के आवेदन पत्र पर सीमा शुल्क गृह ने माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 16 कक, जिसके अन्तर्गत पालीबुटेडीन आदि आते थे परन्तु पॉलीथिलीन नहीं आते थे, के अन्तर्गत कृत्रिम रबड़ के रूप में पुनः वर्गीकृत किया और गलती से 54,474 रु० की वापसी की गई (जुलाई 1980)। दिसम्बर 1979 से अक्तूबर 81 के दौरान आयातित हाइपालोन के चार और परेषणों का भी वर्गीकरण कृत्रिम रबड़ के रूप में किया गया और तदनुसार प्रतिकारी शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1980 और मार्च 1981 के बीच) विभाग ने बताया (अक्तूबर 1980) कि हाइपालोन में रेजिन का गुण नहीं था और इसलिए यह टैरिफ मद 15 क के अन्तर्गत नहीं आता था। विभाग का यह मत गलत है और सितम्बर 1974 में जारी की गई टैरिफ सूचना जिसमें यह दिया है कि हाइपालोन पर प्रतिकारी शुल्क मद 15 क के अन्तर्गत निर्धारित किया जाए, के विपरीत है। लेखापरीक्षा के ध्यान में आए पांच परेषणों में कम लगाए गए शुल्क की राशि 2.39 लाख रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के विचार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दी हुई सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार मशीनों के पुर्जों का वर्गीकरण उसी शीर्ष के अन्तर्गत किया जाना है जिसके अन्तर्गत मशीन का होता है। कुछ प्रीकम्बस्चन चैम्बर डीजल इंजन और “तापन इकाइयों” में चालू करने के साधन के रूप में पेंसिल की तरह के ग्लो प्लग लगाए जाते हैं जो ऐसे प्लगों के भाग होते हैं जिनका वर्गीकरण शीर्ष “आन्तरिक दहन इंजनों के लिए वैद्युत आरम्भ-प्रज्वलन उपस्कर (ग्लो प्लग सहित)” के अन्तर्गत करना होता है। इसके अतिरिक्त “तापन इकाइयों” मात्र प्रतिरोधक नहीं है और इनका वर्गीकरण मशीन या उपकरण के भाग के रूप में किया जाना है और न कि “वैद्युत तापन प्रतिरोधक” के रूप में।

एक प्राइवेट फर्म द्वारा सितम्बर 1978 और नवम्बर 1979 में आयात की गई 'तापन इकाइयों' का वर्गीकरण तापन प्रतिरोधक के रूप में किया गया था और इस पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत यथामूल्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत प्रतिकारी शुल्क लगाया गया जबकि ग्लो प्लग के रूप में इस पर सीमाशुल्क 120 प्रतिशत यथामूल्य और प्रतिकारी शुल्क 8 प्रतिशत लगाया जाना था। इस गलती के कारण 97,307 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 1979) सीमा शुल्क गृह ने बताया (अप्रैल 1982) कि तापन इकाइयाँ वैद्युत तापन प्रतिरोधकों के विवरण के अनुरूप थीं। तथापि इसने अगस्त 1980 और दिसम्बर 1981 के बीच किए गए बाद के पांच शुल्क निर्धारणों में ग्लो प्लग के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्क दर को अपनाया जिसमें 7.71 लाख रु० की राशि के शुल्क अन्तर्गस्त थे।

इन तथ्यों की सूचना वित्त मंत्रालय को दिए जाने पर (अगस्त 1982) उन्होंने आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 1982)।

(iii) सितम्बर 1968 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार टायर एवं ट्यूब, जो "मोटर गाड़ियों" शब्द के अर्थ के भीतर पड़ने वाले उपकरण में लगाए जाने के लिए तैयार किए जाते हैं, का शुल्क के लिए निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद सं० 16 की उप मद (1) के अन्तर्गत "मोटर गाड़ियों के लिये टायर" के रूप में किया जाना था। परन्तु जो अन्य उपकरणों के लिए थे उनका निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 16 की उप मद (3) के अन्तर्गत "सभी अन्य टायर" के रूप में किया जाना था। मई 1968 में सरकार द्वारा जारी किए गए एक अन्य परिपत्र के अनुसार डम्परोँ पर उत्पाद शुल्क "मोटर गाड़ियों" के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 34 के अन्तर्गत लगाया जाना है। फलस्वरूप डम्परोँ के लिए बनाए गए टायरोँ एवं ट्यूबों का वर्गीकरण मोटर गाड़ियों के लिए टायर के रूप में किया जाना है।

"ट्यूब रहित टायर" (आर 25 डम्परोँ में उपयोग के लिए), जो दिसम्बर 1979 में आयात किए गए थे का वर्गीकरण "सभी अन्य टायर" के रूप में किया गया था और उन पर अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क 25

प्रतिशत यथामूल्य लगाया गया था वजाय इसके कि उनका वर्गीकरण "मोटर गाड़ियों के लिए टायर" के रूप में किया जाता और उन पर 55 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क और मूल उत्पाद शुल्क के 5 प्रतिशत की दर पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता। इसके परिणामस्वरूप 77,210 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा गलत वर्गीकरण की ओर ध्यान दिलाए जाने पर मई 1980 सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार कर ली और कम लगाए गए शुल्क की वसूली कर ली गई थी। (सितम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26 ख(1) के अन्तर्गत धातु मल, राख और टूटे हुए जस्ते सहित अनगढ़ा जस्ता शुल्क योग्य है। मद 26 ख(2) के अन्तर्गत शुल्क जस्ते के विनिर्माण पर भी लगाया जाना है। 1 मार्च 1981 से वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा लागू किए गए एक संशोधन के अनुसार जस्ते की रद्दी और कतरन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की एक अलग मद 26ख(1क) के अन्तर्गत और कैलाट्स मद 26ख(2) के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे। तथापि बोर्ड के दिनांक 2 मार्च 1982 के अनुदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि 1 मार्च 1982 के पहले जस्ते का कतरन मद 26(ख)(1) के अन्तर्गत समग्र वर्गीकरण में शामिल था।

नवम्बर 1980 में आयातित जस्ते के कतरन के एक परेषण (भार 21 टन) पर सीमा शुल्क टैरिफ मद 79.01/02 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य पर शुल्क लगाया गया था और 15 प्रतिशत यथामूल्य पर सहायक शुल्क लगाया गया था तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत यथामूल्य पर अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क लगाया गया था। तथापि माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26 (ख)(1) के अन्तर्गत 2,625 रु० प्रति टन की दर से प्रतिकारी शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क के रूप में प्रतिकारी शुल्क का 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना था। इस गलती के कारण 56,595 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1981) विभाग ने बताया कि मार्च 1982 में बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बावजूद जस्ते का कतरन 1 मार्च 1981 से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26 ख(1) के अन्तर्गत नहीं आएगा।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

(v) मार्च 1981 में कीचड़ निकालने वाले "पम्प" के आयात पर एक बड़े सीमा शुल्क गृह में सीमा शुल्क के अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 30-क (जिसके अन्तर्गत द्रवों के लिए केवल बिजली से चलने वाले पम्प आते हैं) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क लगाया गया था। 10 अप्रैल 1972 को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि "कीचड़ पम्प" पानी के नीचे की गाद निकालने के लिए होता है और न कि केवल द्रव पदार्थ। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 30-क के अन्तर्गत नहीं आता। अतः यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आएगा और इस पर शुल्क 8 प्रतिशत यथामूल्य पर लगाया जाना था। गलत वर्गीकरण के कारण 20,891 रु० का अतिरिक्त शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार नहीं की। सीमा शुल्क गृह द्वारा किया गया वर्गीकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 30-क में दिए गए विवरण के अन्तर्गत नहीं आता और यह बोर्ड की सलाह के भी विपरीत है। //

वित्त मंत्रालय को इन तथ्यों की सूचना दिए जाने पर (अगस्त 1982) उन्होंने आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 1982)।

गलत छूट दिया जाना

1. 17 गलत छूट दिए जाने के कारण शुल्क का कम लगाया जाना

(i) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(2) के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह माल को शुल्क की अदायगी से मुक्त करने का आदेश जारी कर सकती है। जुलाई 1978, मार्च 1979

और जुलाई 1979 में तीन एसे छूट के आदेश जारी किए गए थे जिनमें 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर तक के छपाई और लिखाई के कागज को शुल्क से छूट दी गई थी, जब ये सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात किए गए थे। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 154 के अन्तर्गत फरवरी 1980 में जारी किए गए एक आदेश द्वारा सरकार ने आयातित कागज के प्रति वर्गमीटर भार से संबंधित शर्त को समाप्त कर दिया था। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 154 में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या सीमा शुल्क के किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश में कोई लिपिकीय या गणितीय गलती हो अथवा किसी समय किसी आकस्मिक चूक अथवा भूल के कारण उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है।

कागज के भार से संबंधित शर्त प्रत्यक्षतः एक कानूनी बात थी न कि लिपिकीय गलती। भार से सम्बन्धित शर्त को समाप्त करने वाला फरवरी 1980 में जारी किया गया आदेश वस्तुतः विशिष्ट भार से अधिक भार के लिए एक रियायत थी और अधिनियम के अन्तर्गत यह रियायत पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमत नहीं की जा सकती थी। परीक्षण के अनुसार भार की शर्त के अनुरूप न होने वाले कागज के आयात (1979 में 14 आयात पत्रों के अन्तर्गत) पर धारा 154 को प्रभावी रूप से लागू करने से अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत 1.17 करोड़ रु० की राशि का शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च और मई 1980 के बीच) विभाग ने बताया कि उनकी कार्यवाही धारा 154 के अन्तर्गत थी जो सही नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अभिप्राय यह था कि आयात किए जाने वाले कम कागजों को शुल्क से मुक्त कर दिया जाए और कागज के भार के संबंध में उपलब्ध संकेत के अनुसार शर्त का मसौदा "प्रति वर्गमीटर 60 ग्राम से अधिक भार न हो" रखा गया था जिसका सरकार ने अनुमोदन कर दिया था। तथापि यदि कागज के भार अधिक होने थे तो ऐसी शर्त लगाने का इरादा नहीं था। कागज का अधिक भार पाए जाने के बारे

में विधी मंत्रालय की यह राय थी कि "ऐसा प्रतीत होता है कि तदर्थ छूट आदेश जारी करते समय इन शब्दों—प्रति वर्गमीटर 60 ग्राम से अधिक का न हो—का समावेश करने में लिपिकीय गलती हो गई थी"। तथापि गलती स्पष्टतः शुल्क से मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कागजों के सही भार के संबंध में अनभिज्ञता की थी न कि लिपिकीय या गणितीय गलती थी।

(ii) मार्च 1980 में आयातित इन्टेग्रेटेड और डिफ्यूज्ड चिप्स पर एक बड़े सीमा शुल्क गृह में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 85.18/27(1) के अन्तर्गत 8 सितम्बर 1977 की अधिसूचना के अनुसार 75 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर पर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया था। तथापि, अनुसूची के अध्याय 85 की टिप्पणियों में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे चिप्स मोनेलिथिक इन्टेग्रेटेड सर्किट्स होने के कारण इलैक्ट्रानिक माइक्रो सर्किट्स हैं जिन पर 120 प्रतिशत यथामूल्य की शुल्क की पूरी मानक दर पर शुल्क लगाया जाना था। इस प्रकार 82,626 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में शुल्क कम लगाए जाने के बारे में बताए जाने पर (अगस्त 1980) सीमा शुल्क गृह ने मार्च 1982 में आपत्ति स्वीकार कर ली। वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (अप्रैल 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

(iii) शीर्ष 85.18/27(2) के अधीन निर्धार्य विद्युत-धारित्रों पर 120 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर अतिरिक्त शुल्क उद्ग्राह्य है। अगस्त 1977 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कागज धारित्रों पर 60 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक के सीमा शुल्क की राशि से छूट दी गई थी।

अगस्त 1977 की उपर्युक्त छूट अधिसूचना के अनुसार जुलाई 1980 में आयातित विद्युत विश्लेषी धारित्रों पर शुल्क 75 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर और 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर अतिरिक्त

शुल्क लगाया गया था जबकि माल वास्तव में विद्युत विश्लेषी धारित्र थे न कि कागज धारित्र और शुल्क की रियायती दर के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 97,927 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (अक्तूबर 1981) विभाग ने 97,927 रु० की वसूली को मांग की (फरवरी 1982)। वसूली की सूचना प्राप्त होनी है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

अन्य गलतियां

1. 18 अन्य गलतियों के कारण शुल्क कम लगाया जाना

(i) उस आयातित माल पर जिस पर 60 प्रतिशत यथामूल्य से कम दर पर मूल सीमा शुल्क प्रभाय है, 1 मार्च 1981 से सहायक शुल्क बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया था।

आयात को गई शीत वेल्लित टीन मुक्त इस्पात चादर, क्रोमियम लेपित के एक परेषण पर, जिसे दिसम्बर 1981 में बन्धक गोदाम से अन्तिम रूप से निर्यात लिया गया था, 30 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर मूल सीमा शुल्क लगाया गया था किन्तु सहायक शुल्क 10 प्रतिशत यथामूल्य के स्थान पर 5 प्रतिशत यथामूल्य लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जून 1982) सीमा शुल्क गृह ने सहायक शुल्क के अन्तर की वसूली के लिए 36,797 रु० की मांग का नोटिस जून 1982 में जारी किया। वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

(ii) एक लाख रुपये या उससे अधिक के मूल्य के द्योतक अंकों को उतारने में असावधानी के कारण हुई लिपिकीय या गणितीय गलतियों के कारण शुल्क लगाए जाने में पर्याप्त कमी आई।

मई 1981 के दौरान एक लोक क्षेत्र उपक्रम द्वारा आयोजित डम्पर पुर्जों के एक परेपण में एक मद का मूल्य 53,42,068 रु० था। तथापि आगम-पत्र में भूल से 52,42,068 रु० दर्ज किए गए जिससे 56,600 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (अक्टूबर 1981) विभाग ने गलती स्वीकार कर ली और लगाया गया कम शुल्क वसूल कर लिया (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जहां आयोजित माल का मूल्य बीजक में विदेशी मुद्रा में दिया जाता है, उसका भारतीय रुपयों में मूल्य आगम-पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर संपरिवर्तित करके निकाला जाता है।

II

एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह में जुलाई 1981 में आयोजित एक परेपण से संबंधित बीजक में अमरीकी डालर में दिखाए गए मूल्य को संपरिवर्तित किए जाने के समग्र आगम-पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख को प्रचलित 100 रु० के लिए 11.385 अमरीकी डालर की सही दर के स्थान पर 100 रु० के लिए 12.015 अमरीकी डालर की गलत विनिमय दर लागू की गई थी। जनवरी 1982 में लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर सीमा शुल्क गृह ने आपत्ति स्वीकार कर ली और कम लगाए गए 1,64,437 रु० के शुल्क की मांग कर दी।

वित्त मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1982) कि राशि वसूल कर ली गई है।

यात्री सामान

1.19 यात्री सामान पर शुल्क

(i) सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार "सामान" में साथ नहीं लाया गया सामान तो आता है किन्तु मोटर गाड़ियां नहीं आतीं। किसी पत्तन या हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों द्वारा की गई सामान की घोषणा लिखित या मौखिक हो सकती है। सन्देह होने पर निवारक अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष जांच की जाती है। घोषणा और जांच के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और संग्रहीत किया जाता है और सामान सीमा शुल्क के नियंत्रण से छुड़ाया जाता है।

(ii) सामान के रूप में आयातित जिस माल पर शुल्क की छूट नहीं दी जाती, उस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 100.01 के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्राह्य है। 1978 में शुल्क मुक्त छूट 1,000 रु० तक बढ़ा दी गई थी और उससे अधिक 2,000 रु० तक के मूल्य के माल पर 120 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क प्रभाय था। 17 जून 1980 से यह दर बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दी गई थी। 15 जुलाई 1980 से, शुल्क मुक्त छूट और 2,000 रु० तक के मूल्य से अधिक की राशि पर 150 प्रतिशत की दर पर शुल्क लगाए जाने के अतिरिक्त, बकाया सामान पर 320 प्रतिशत की प्रभावी दर पर शुल्क भी लगाया जाना था बजाय इसके कि उसे अप्राधिकृत रूप से आयातित किया गया सामान मान लिया जाए और जब्ती, जुर्माना और अर्थदण्ड लगाया जाए। यह व्यवस्था अधिक समय लगाने वाली न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया से बचने के लिए की गई थी। वह सामान जो प्रत्यक्षतः व्यापार का माल था और सामान नहीं था, उस पर बिना लाइसेंस के आयातों के रूप में जुर्माना और अर्थदण्ड लगाया जाना था। 15 मार्च 1981 से 150 प्रतिशत और 320 प्रतिशत की दरें बढ़ाकर क्रमशः 155 प्रतिशत और 325 प्रतिशत कर दी गई थी और 28 फरवरी 1982 से क्रमशः 160 प्रतिशत और 330 प्रतिशत कर दी गई थी।

(iii) बम्बई पत्र पर पिछले तीन वर्षों में आवक यात्री सामान की प्रवृत्ति निम्नलिखित थी :—

1	2	3	4	5	6	7
	1979-80	1980-81	1979-80 की तुलना में 1980-81 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि	1981-82	1979-80 की तुलना में 1981-82 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि	1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान प्रतिशतता में वृद्धि

(राजस्व और मूल्य करोड़ रुपयों में)

I. विमाद द्वारा

(क) आवक यात्री	8,88,376	9,87,510	11	11,22,720	26	14
(ख) साथ लाये गये सामान पर राजस्व संग्रहण	47.00	64.42	37	77.43	65	20
(i) शुल्क	42.80	62.53		77.08		
(ii) मोचन दण्ड	4.03	1.80		0.24		
(iii) व्यक्तिगत शास्ति	0.17	0.09		0.10		
(ग) साथ न लाये गये सामान पर राजस्व संग्रहण	2.51	4.15	65	5.77	129	39

(i) शुल्क	1.89	3.88		5.75			
(ii) शास्ति	0.62	0.27		0.92			
II. समुद्र द्वारा							
साथ लाये गये और							
साथ न लाये गये							
सामान पर राजस्व	4.49	5.12	14	6.47		44	26
(i) शुल्क	3.62	4.90		6.42			
(ii) जुर्माना	0.87	0.22		0.05			
III. जव्ती मामलों की संख्या							
(हुवाई जहाज द्वारा)	286	उपलब्ध नहीं		45			
जव्त किए गए सामान							
का मूल्य	2.20	7.12		0.39			
IV. न्यायनिर्णीत सामान के							
मामलों की संख्या							
(हुवाई जहाज द्वारा)							
(बिना लाइसेंस वाले							
आमत)	47,453	19,172	(—) 60	4.288*	(—) 91	(—) 78	
न्यायनिर्णीत सामान	16.35	0.03	(—) 99	3.32*	(—) 81	10966	
का मूल्य							
V. सामान के न्यायनिर्णीत							
मामलों की संख्या	5946	2224	(—) 63	486	(—) 92	(—) 78	
(समुद्र द्वारा)							

*जव्त किया गया माल ।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि सामान शुल्क संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1980-81 की तुलना में 1981-82 में हुई वृद्धि को छोड़कर निर्णित मामलों में सामान के मूल्य में कमी होने की प्रत्याशा पूरी हो गई है। हवाई जहाज द्वारा साथ लाये गये सामान पर राजस्व में प्रतिशतता वृद्धि 1979-80 की तुलना में 1981-82 में आवक यात्रियों की संख्या में प्रतिशतता वृद्धि (26 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है (65 प्रतिशत)। 1981-82 में यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई राजस्व को वृद्धि को छोड़ने के बाद भी 1979-80 की तुलना में 1981-82 में राजस्व संग्रहण में 39 प्रतिशत की निवल वृद्धि, शुल्क की दर प्रथम 2,000 रुपयों पर (निःशुल्क आयात की सीमा से अधिक) 120 प्रतिशत (जो 1979-80 में लगाया जा रहा था) से बढ़ाकर 155 प्रतिशत (1981-82 में) कर देने से हुई जो 35 प्रतिशत की वृद्धि से केवल थोड़ी सी ज्यादा है। सामान आयात से प्रति व्यक्ति शुल्क वसूली में स्पष्टतः केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो शुल्क की 330 प्रतिशत की निषेधात्मक दर के कारण थी। सीमा शुल्क गृह द्वारा रिकार्ड में दर्ज किये गए सामान (जिससे अब काफी राजस्व अर्जित किया जाता है) में शामिल वस्तुओं के संबंध में आधार भूत आंकड़े एकत्र करने और सामान से प्राप्त होने वाले राजस्व जिसमें तेजी से वृद्धि हुई है, के विश्लेषण के लिए सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष 100.01 के अंतर्गत नये उपशीर्ष खोलने की आवश्यकता है। वृद्धि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	सामान से राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1978	42.39
1979	57.98
1980	85.53
1981	121.93

(iv) पर्यटक सामान नियमावली में वास्तविक पर्यटकों के निजी सामान को अस्थायी रूप से निशुल्क आयात करने की व्यवस्था है बशर्ते कि यह सामान पर्यटकों द्वारा भारत छोड़ते समय फिर निर्यात कर दिया जाये। कैमरा जैसे अधिक मूल्यवान सामानों को पर्यटक द्वारा लिखित रूप में यह वचन दिये जाने पर निःशुल्क जाने दिया जाता है कि वह उन्हें भारत से

पुनः निर्यात कर देगा और ऐसा न करने पर उस पर उदग्राह्य शुल्क आद कर देगा। ऐसे सामान "पर्यटक सामान पुनः निर्यात फार्म" में दर्ज कर दिये जाते हैं और इसकी एक प्रति पर्यटक को दे दी जाती है जो उसे भारत छोड़ते समय पत्तन या हवाई पत्तन पर वापस करनी होती है। भारत छोड़ते समय पत्तन या हवाई पत्तन पर पर्यटकों से एकल किये पुनः निर्यात फार्म उपयुक्त पृष्ठांकन के बाद पर्यटक सामान पुनः निर्यात फार्म जारी करने वाले पत्तन या हवाई पत्तन को मिलान के लिए भेज दिये जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि ऐसी मूल्यवान वस्तुएं पुनः निर्यात कर दी गई है और वे पर्यटकों द्वारा देश में अनधिकृत रूप से नहीं बेची गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बम्बई और दिल्ली के हवाई पत्तनों से जारी किये गये पर्यटक सामान पुनः निर्यात फार्मों की संख्या जिनका मिलान नहीं किया जा सका निम्नलिखित थी :—

वर्ष	जारी किये गये पर्यटक सामान पुनः निर्यात फार्मों की संख्या	मिलान किये गये फार्मों की संख्या	मिलान न किये गए फार्मों की संख्या	(मिलान न करने की प्रतिशतता)
बम्बई				
1976 तक	--	--	14,789	
1977	63718	56634	7084	11
1978	73107	56547	16560	23
1979	65158	52505	12853	20
1980	73940	59199	14741	20
1981	97759	80667	17092	17
दिल्ली				
1977-78	26080	24763	1317	5
1978-79	21016	18086	2930	13
1979-80	27026	24184	2842	11
1980-81	29752	24657	5095	17
1981-82	31047	22465	8582	27

वर्ष 1980 में जारी किये गये पर्यटक सामान पुनः निर्यात फार्मों जिनका मिलान नहीं किया गया था में से 60 प्रतिशत फार्म उस वर्ष में बिना शुल्क के भुगतान के आयातित कुल कम से कम 8.8 करोड़ रु० के सोने के अभूषणों से सम्बन्धित थे, इनमें से प्रत्येक मामले में सोने के अभूषणों का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक था।

(v) यात्रियों द्वारा लाई गई मोटर साइकिलों और ऐसे अन्य मोटर वाहनों (जो सामान के रूप में न हों) पर शीर्ष 87.09/12 के अंतर्गत 130 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क और 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क तथा 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य है। हालांकि बिना लाइसेंस या सीमा शुल्क परमिट के बिना आयातित ऐसे सामान पर मोचन दण्ड और शास्ति उद्ग्राह्य है किन्तु लगाये गए शुल्क दण्ड और शास्ति की राशि इसी प्रकार के आयातित सामान पर शुल्क की उच्च दर से कम रहती है, शुल्क की यह दर मूल्यानुसार 330 प्रतिशत लगाई जाती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एयर लाइन्स के कर्मियों द्वारा ऐसी 23 मोटर साइकिलों के आयात पर शुल्क प्रभाव का अन्तर 1,21,350 रु० अर्थात् औसतन 5,280 प्रति मोटर साइकिल बनता था।

(vi) यात्रियों द्वारा सामान के रूप में आयातित अभूषण की वस्तुओं का मूल्य समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार निश्चित किया जाता है और 1 जून 1982 से यह मूल्य 125 रु० प्रति ग्राम की दर पर निश्चित किया गया था। अन्य वस्तुओं के लिए, विदेशों में महत्वपूर्ण विपणन केन्द्रों द्वारा प्रकाशित व्यापार सूची पत्र के अनुसार समय-समय पर हवाई सीमा-शुल्क पूल द्वारा मूल्य सूचियां प्रकाशित की जाती हैं। ये सामान की विभिन्न मदों के निर्धारण में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए निर्देश का काम करती हैं। कपड़ा और साड़ी आदि जैसे सामान का मूल्य प्रत्येक के लिए 75 रु० और 150 रु० के बीच लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ियों, कैमरों आदि का मूल्य समान रूप से नहीं लगाया जाता क्योंकि हो सकता है कि उनका प्रयोग किया गया हो किन्तु अनुमत किया गया मूल्यहास कभी भी सामान

दस्तावजों पर दर्ज नहीं किया जाता है और यह काफी सीमा तक निर्धारण अधिकारी के विवेक निर्णय पर निर्भर करता है, सामान की निकासी के बाद उसके विवेक निर्णय के प्रयोग की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि मूल्य सूची के मार्ग निर्देशों के अधीन अनुमान और तत्काल आधार पर निर्धारित शुल्क के अलावा तथ्यों का कोई रिकार्ड नहीं होता।


लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि "सोनी रंगीन टी० वी० 20 इंच माडल" के दो नगों का मूल्य 3,800-3800 रु० और उसी प्रकार के दो अन्य नगों का मूल्य 4,000-4000 रु० लगाया गया था। संगणकों का मूल्य 200 रु० से 1200 रु० के बीच लगाया गया था और रिकार्ड में उन्हें संगणक दिखाया गया था। 1000 सामान शुल्क रसीदों में 320 में कपड़े दिखाये गये थे; 133 रसीदों पर कपड़ों का मूल्य ठीक 500 रु० दिखाया गया था और उन पर यथा मूल्य 155 प्रतिशत या यथा-मूल्य 160 प्रतिशत की दर पर शुल्क प्रभारित किया गया था। 10 रसीदों पर कपड़ों का मूल्य 500 रु० से अधिक दिखाया गया था। विवेक निर्णय के आधार पर सामान की मदों का मूल्य लगाये जाने के आधार के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछ ताछ (अप्रैल 1982) करने पर सीमा शुल्क गृह ने बताया (अप्रैल 1982) कि सामान का मूल्यांकन प्रयोग की अवधि वस्तुओं की दशा आदि अनुषंगी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान की मदों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि और प्रशासनिक जांच और लेखा परीक्षा में सत्यापन के लिए लिखित आंकड़ों के अभाव को देखते हुए सामानों की मदों पर वैध शुल्क के निर्धारण और वसूलियों के लिए प्रणाली की समीक्षा करना आवश्यक प्रतीत होता है।

यह मामला वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 1982) उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

शुल्क का प्रतिदाय

1. 20 गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क का अनियमित प्रतिदाय।

(i) दिसम्बर 1979 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बेन्जीन (कच्चे नैपथा से प्राप्त) से विनिर्मित केप्रोलेक्टम जिस पर उत्पाद शुल्क की उचित राशि का भुगतान कर दिया गया है उतने उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं जो यथा-मूल्य 23 प्रतिशत से अधिक हो तथा सम्पूर्ण विशेष उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं।



अप्रैल 1980 में आयातित केप्रोलेक्टम पर यथामूल्य 75 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क, यथामूल्य 15 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क यथायूल्य की दर से 50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त (प्रतिकारी) शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की राशि के 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया गया था। अपील करने पर आयातकर्ताओं को यह साध्य प्रस्तुत करने पर कि उनका आयातित केप्रोलेक्टम बेन्जीन से विनिर्मित था, 23 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए प्रतिकारी शुल्क और प्रदत्त विशेष उत्पाद शुल्क का प्रतिदाय, उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमत कर दिया गया था। यह मत व्यक्त किया गया था कि अधिसूचना में दिये गये शब्दों "बेन्जीन (कच्चे नैफथा से प्राप्त) जिस पर उत्पाद शुल्क की उपयुक्त राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया" का कोई महत्व नहीं है और इसे छूट देने के लिये पूर्वशर्त नहीं माना जाना चाहिए था। अपीलीय आदेशों के अनुपालन में जुलाई 1981 में आयातकर्ताओं को 8,07,829 रु० का प्रतिदाय दिया गया था, विभाग ने अपीलीय आदेशों को सरकार के समक्ष चुनौती नहीं दी थी। इस तथ्य को देखते हुए कि बेन्जीन, जिससे केप्रोलेक्टम विनिर्मित किया गया था, पर भारत में उत्पाद शुल्क की उपयुक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, आयातित केप्रोलेक्टम पर अधिसूचना लागू नहीं की जा सकती। लेखापरीक्षा में उन कारणों की पूछताछ की गई थी जिनके कारण विभाग ने सरकार के समक्ष अपील किए बिना ही वापस अदायगी कर दी थी (दिसम्बर 1981); विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

मामला वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 1982); उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

(ii) फरवरी 1979 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार चमड़ा उद्योग में जूतों के लिये प्रयुक्त कृत्रिम बैकरों या अलंकारिक वस्तुओं सहित आयात की कुछ मदों पर यथामूल्य 40 प्रतिशत की दर पर सीमा शुल्क की रियायती दर उद्ग्राह्य थी।

पी० वी० सी० चर्म वस्त्र और पोल्युरिथेन चर्म वस्त्र के तीन परेषण चालू लम्बाई में आयात किये गये थे (अगस्त 1979) और प्रारम्भ में वस्त्र के रूप में यथामूल्य 100 प्रतिशत सीमा शुल्क, सहायक शुल्क और उपयुक्त प्रतिकारी शुल्क के लिये निर्धारित किये गये थे। बाद

में निर्धारण संशोधित किया गया और यद्यपि संबंधित माल कृत्रिम बेकर या अलंकारिक वस्तुओं अथवा अधिसूचना में कोई अन्य मद में से नहीं था तथापि अधिसूचना के अनुसार 40 प्रतिशत की रियायती दर स्वीकार की गई और 2,05,553 रु० की राशि का अधिक वसूल किया शुल्क वापस कर दिया गया ।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (अगस्त 1980) और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि आयातित माल चालू लम्बाई में था और कृत्रिम बेकर या अलंकारिक वस्तुएं नहीं थी सीमा शुल्क गृह ने 2,05,553 रु० की मांग जारी की (अगस्त 1980) । इसी प्रकार के अन्य आयातित सामान की समीक्षा करने पर सीमा शुल्क गृह ने भी 5.83 लाख रु० की अतिरिक्त मांग की (सितम्बर 1980) । वसूली की सूचना प्रतीक्षित है ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (अक्टूबर 1982) कि मांग उच्च न्यायालय द्वारा उस समय तक रोक दी गई है जब तक कि मांगों के विरुद्ध की गई अपील का निर्णय नहीं हो जाता ।

(iii) जुलाई 1977 में सीक्यूरिटी कागज मिल द्वारा आयातित और 5,62,216 रु० पर मूल्यांकित "धात्विक सीक्यूरिटी धागों" का परेषण सीमाशुल्क टैरिफ के 52.01 शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के अन्तर्गत यथा मूल्य 100 प्रतिशत की दर पर मूल शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत की दर पर सहायक शुल्क तथा 56 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिकारी शुल्क लगाया था । तथापि, अक्टूबर 1977 में किये गये इसी प्रकार के आयात पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के अन्तर्गत प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया गया था । लेखापरीक्षा द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में सीमा शुल्क गृह ने बताया कि आयातित सीक्यू-रिटी धागे चांदी के बने थे और वे बिना किसी प्रतिकारी शुल्क के 71.05/11(1) शीर्ष के अंतर्गत सही रूप से निर्धारित किये गये थे । परन्तु बाद में मंत्रालय की राय को स्वीकार करते हुए सीमा शुल्क गृह ने बताया (मई 1981) कि संबंधित सामान मूल्यवान धातु का बना हुआ नहीं था और इसलिये वह 52.01 शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था तथा प्रतिकारी शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के

अन्तर्गत उदग्राह्य था। जून 1969 में बोर्ड द्वारा इस आशय का टैरिफ निर्णय भी जारी किया गया था।

इसी बीच 2.55 लाख रु० का प्रतिदाय जिसे प्रतिकारी शुल्क के रूप में वसूल किया गया था सीमा शुल्क गृह द्वारा अदा कर दिया गया (अप्रैल 1981)। प्रतिदाय दावे की कार्यवाही आयात पत्र की दूसरी प्रति पर की गई थी क्योंकि मूल आयात पत्र जिस पर आपत्ति की गई थी, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के जांचाधीन था।

अभी तक 2.55 लाख रु० को वसूली की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है (अगस्त 1982)।

मामला वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया था (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

(iv) 84.66 लाख रु० मूल्य के 'डी अमोनियम फास्फेट' के परेषण के आयात पर शुल्क यथामूल्य 60 प्रतिशत और सहायक शुल्क यथामूल्य 10 प्रतिशत तथा प्रतिकारी शुल्क यथामूल्य 15 प्रतिशत की दर पर लगाया गया था। चूंकि दिनांक 11 अगस्त 1973 की अधिसूचना के अनुसार सामान शुल्क लगाये जाने से मुक्त था अतः आयातकों ने पुनर्निर्धारण के लिये कहा। आयातकों को देय 58,41,586 रु० की वापस अदायगी करने की वजाय नवम्बर 1980 में 59,26,246 रु० की वापस अदायगी की गई थी।

लेखापरीक्षा में अधिक प्रतिदाय बताये जाने पर (मार्च 1981), विभाग ने गलती स्वीकार कर ली (जुलाई 1982) और 84,660 रु० के अधिक प्रतिदाय की वसूली कर ली;

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

प्रति अदायगियों का भुगतान

सीमा शुल्क की प्रति अदायगी की संजूरी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राधिकृत की जाती है और उत्पाद शुल्क पर छूट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत प्राधिकृत की जाती है। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली 1971 इन दो धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाई गई है। भारत में विनिर्मित और निर्यातित किसी माल के सम्बन्ध में जैसा कि इन नियमों में परिभाषित किया गया है, 'प्रति अदायगी' से तात्पर्य उस शुल्क की कटौती से है जो किसी आयातित सामान पर अथवा भारत में इस प्रकार के सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पादशुल्क योग्य सामान पर प्रभार्य होती है।

नियमावली के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की दरें (समग्र उद्योग दरें) सरकार द्वारा शुल्क दत्त सामान की औसत मात्रा और प्रत्येक श्रेणी या विवरण जिससे सामान की विशिष्ट श्रेणी सामान्यतः भारत में उत्पादित या विनिर्मित की जाती है, के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाती है। निर्यातित सामान की श्रेणी या विवरण वित्त मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किये जाते हैं (और वर्षों में संशोधित) और उक्त प्रतिअदायगी नियमावली से संलग्न सारणी में प्रत्येक श्रेणी या विवरण को उपक्रम संख्या आबंटित की जाती है। उपरोक्त औसतों के आधार पर अवधारित प्रतिअदायगी की राशि या दर सारणी में प्रत्येक श्रेणी या विवरण के सामने उल्लिखित की जाती है।

नियमावली के अन्तर्गत यदि समग्र उद्योग आधार पर नियत प्रतिअदायगी की राशि अथवा दर निर्यातित सामान के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या संघटकों पर अदा किये गये शुल्क के तीन चौथाई से कम हो तो प्रत्येक निर्यातकर्ता केवल अपने सामान के निर्यात के लिए ब्रांड दर या प्रतिअदायगी की राशि नियत करने के लिए आवेदन कर सकता है।

1981-82 और पिछले चार वर्षों के दौरान की गई प्रतिअदायगी का कुल भुगतान नीचे दिया जाता है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1976-77	120
1977-78	133
1978-79	150
1979-80	152
1980-81	164
1981-82	204

1. 21 वर्गीकरण के लिये नियमावली के न होने के कारण प्रति अदायगी का अधिक भुगतान

प्रति अदायगी नियमावली के अन्तर्गत एवजी की व्यवस्था नहीं है जिससे कि सरकार यदि निर्यातित माल में प्रयुक्त कच्चे माल और संघटकों पर प्रदत्त शुल्क किसी भी प्रकार सीमांत द्वारा दावित प्रतिअदायगी की राशि प्रत्यक्षतः कम है, तो औसत समग्र उद्योग दरों पर प्रतिअदायगी करने से मना कर सके। इससे बहुत सामान्य तरीके या नपे-तुले शब्दों में दिये गये विवरणों के साथ उपक्रम संख्या के अन्तर्गत आनुग्राहिक प्रति-अदायगी किये जाने का खतरा होता है।

(i) 'अन्यत्र विनिर्दिष्ट न किए गए कार्बनिक रसायनों' के निर्यात पर प्रति अदायगी अनुसूची की उपक्रम संख्या 1,123 के अन्तर्गत जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत पर शुल्क की प्रति अदायगी स्वीकार की जाती है। "औषधि में प्रयुक्त की जाने वाली अन्तः, द्रव्य जो कार्बनिक रसायन है" का उल्लेख विशेष रूप से अनुसूची की उपक्रम संख्या 1201 के प्रति किया जाता है।

विटामिन-ए के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त एक अन्य औषधि बीटा आयोनान के चार परेषणों पर जो अक्टूबर 1978 से जनवरी 1979 की अवधि के दौरान निर्यात किये गये थे उपक्रम संख्या 1204(ख) के अधीन 2 प्रतिशत की प्रतिअदायगी अनुसूची की उपक्रम संख्या 1123 के अन्तर्गत जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत पर प्रतिअदायगी स्वीकृत की गयी थी। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 21,044 रु० राशि की अधिक प्रतिअदायगी का भुगतान किया गया।

गलती को लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जनवरी 1981) सीमा शुल्क गृह ने वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुए पत्र (सितम्बर 1978) के आधार पर यह बताते हुए अपना निर्धारण उचित ठहराया कि बीटा आयोनान एक ज्ञात संरचना का कार्बनिक मिश्रण है इसलिये इसे उपक्रम संख्या 1123 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। यह मानते हुये जैसा कि इस मामले में है, औषधि में प्रयोग की जाने वाली अन्तः औषधियां अज्ञात संरचना की है, प्रति अदायगी अनुसूची के अन्तर्गत वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय की आपूरण आयात

लाइसेंस योजना के अन्तर्गत बीटा आयोनान को औषध में प्रयोज्य अन्तः औषधि के रूप में माना जाता है। इस मामले में निर्यात किए गए सामान फार्मास्यूटिकल कम्पनी द्वारा विनिर्मित किये गये थे। प्रतिअदायगी नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत औषधि में प्रयोज्य अन्तः औषध के लिये नियत 2 प्रतिशत की दर की तुलना में भी सीमा शुल्क गृह निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर किसी अधिक शुल्क को उचित नहीं ठहरा सका। शुल्क के उद्ग्रहण के लिये माल के वर्गीकरण की नियमावली के विपरीत जब इस प्रतिअदायगी का भुगतान होता है तो उसमें व्याख्या के लिये किसी नियम के न होने पर प्रतिअदायगी नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत प्रतिअदायगी दरों के परिकलन के लिये योजना के वर्गीकरण को अलग नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (अक्टूबर 1982) कि मामला संदेहास्पद है और इस पर कलक्टरों के सम्मेलन में विचार किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(ii) मई 1976 और अगस्त 1977 के बीच निर्यातित हाइड्रोलिक पंपों के सात परेषणों पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 3 प्रतिशत समग्र उद्योग की दर पर प्रति अदायगी की अनुमति दी गई जो मोटरगाड़ियों और ट्रैक्टरों के पुर्जों पर लागू थी। तथापि रिकार्ड में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि निर्यातित सामान मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों के पुर्जे थे। पूर्ण हाइड्रोलिक पंपों और उनके संयोजकों के निर्यात पर 135 रु० प्रति दशमिक टन की दर से वापसी दी जानी थी जो उपकेन्द्र और गैर उपकेन्द्र दोनों ही पंपों के संबंध में लागू थी। सामानों के निर्यात से पहले प्रत्यक्ष जांच की गई थी और पोत परिवहन विलों में दिए गए हाइड्रोलिक पंपों के विवरण सही पाए गए थे। अतः प्रश्नगत सामानों पर मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों के पुर्जों के रूप में दी गई प्रति अदायगी के कारण सरकार को 47,401 रु० की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (अगस्त 1978) विभाग ने बताया कि हाइड्रोलिक पंप विशेष रूप से मोटर गाड़ियों के लिए बनाए गए थे। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 1982) कि निर्यातित माल पंपिंग फ्लूड या हवा के लिये प्रयोग में नहीं आते हैं बल्कि हाइड्रोलिक दबाव को उत्पन्न करने के प्रयोग में आते हैं जो ट्रैक्टर के पावर लिफ्ट तकनीक को परिचालित करते हैं।

और वे ट्रैक्टर के विशेष रूप से बने हुए पुर्जे थे। यह उत्तर लेखापरीक्षा की उस आपत्ति के सुसंगत नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि पम्पों (जो विशेष रूप से मोटर गाड़ियों के लिये बने हैं उनके लिए भी) के विनिर्माण में सामग्रियों पर शुल्क का भार औसत आधार पर होता है जो उपकेन्द्र और गैर उपकेन्द्र पंपों के लिए निर्धारित 135 रु० प्रति टन शुल्क प्रतिअदायगी से अधिक नहीं है। प्रतिअदायगी अनुसूची को प्रतिअदायगी नियमों में दिए गए औसत निकालने की योजना के साथ पढ़ना पड़ता है। अनुसूचियों की व्याख्या उस ढंग से नहीं की जा सकती जिस ढंग से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क टैरिफ अनुसूचियों के वर्गीकरण के प्रयोजन से व्याख्या की जाती है। देय प्रतिअदायगी का वास्तविक तत्व (निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों पर प्रदत्त औसत शुल्क के आधार पर) निर्णायक तत्व होगा। विशिष्ट मद उपकेन्द्र और गैरउपकेन्द्र' पंपों के संबंध में चूंकि समग्र उद्योग प्रति अदायगी पर निर्धारित है अतः मोटर गाड़ियों के अन्य बहुत से पुर्जों को भी शामिल करते हुए शेप इन्दराज का आश्रय लेना और राजस्व की हानि सही नहीं थी।

(iii) पीतल के बने प्रेशर स्टोव के और उसके धातु से बने संघटकों के निर्यात पर वापसी 1979-80 के लिए प्रतिअदायगी की दरों की अनुसूची की उपक्रम संख्या 3816 (क) के अनुसार जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 22 प्रतिशत देय थी। यह यथामूल्य दर 1978 में पीतल की कीमत पर आधारित थी क्योंकि पीतल पर उत्पाद शुल्क प्रति किलोग्राम विशिष्ट शुल्क है। बर्तनों और शीटों या स्ट्रिप तथा आर्टवयर से बनी वस्तुओं जो उपक्रम संख्या 3805(ग) के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर पीतल से विनिर्मित अन्य वस्तुओं के निर्यात पर भी प्रतिअदायगी 9.10 रु० प्रति किलोग्राम की विशिष्ट दर से देय थी। सितम्बर 1980 से लागू प्रति अदायगी अनुसूची में उपक्रम संख्या 3816(क) के विवरण में धातु से बने संघटकों को निकालने के लिए संशोधन कर दिया गया अर्थात् वह दर केवल पीतल से बने स्टोव पर लागू थी। इसके अतिरिक्त उपक्रम संख्या 3805(ग) के विवरण में संशोधन करके उसे 'तांबा से बनी वस्तुएं' कर दिया गया था और उस पर प्रतिअदायगी की दर 10 रु० प्रति किलोग्राम नियत की गई थी।

जून 1980 में निर्यातित दो परेषणों जिनमें प्रेशर स्टोव के लिए 60,000 दर्जन पीतल के निपल्स थे, पर निर्यातक को उपक्रम संख्या

3816(क) के अन्तर्गत जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 22 प्रतिशत प्रति-अदायगी की अनुमति दी गई थी, हालांकि बर्नर के संघटक के रूप में वे प्रेशर स्टोव के सही संघटक न थे। चूँकि निर्यातित माल केवल पीतल से बनी वस्तुएं थीं अतः उप-क्रम संख्या 3805(ग) के अन्तर्गत विशिष्ट दरों पर प्रतिअदायगी 'पीतल से बनी अन्य वस्तुओं' के रूप में देय थी न कि "प्रेशर स्टोव के धातु से बने संघटकों" के रूप में यथामूल्य दर पर। चूँकि निर्यातों पर देय प्रतिअदायगी की दरें कच्चे सामानों पर प्रदत्त शुल्क को ध्यान में रखते हुए औसत के आधार पर नियत की जाती है अतः निपलों के प्रेशर स्टोव या उसके संघटकों के रूप में वर्गीकरण और यथामूल्य दर पर भुगतान के कारण राजस्व की हानि हुई। पीतल पर सरकार द्वारा वसूल किया गया उत्पाद शुल्क विशिष्ट और निम्न था और 1978 और 1980 के बीच पीतल और उसके कारण पीतल के निपलों की कीमत में वृद्धि के साथ उसे बढ़ाया नहीं गया था। पीतल के मूल्य पर 22 प्रतिशत प्रतिअदायगी की अनुमति देने पर 1980 में पीतल पर वसूल शुल्क के साथ प्रदत्त प्रतिअदायगी का कोई संबंध नहीं रहा और इसके परिणामस्वरूप दोनों निर्यात परेषणों पर 1,46,894 रु० की प्रतिअदायगी का अधिक भुगतान किया गया था।

प्रतिअदायगी के अधिक भुगतान के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (जनवरी 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि चूँकि ब्रास निपल्स प्रेशर स्टोव के बर्नरों के तादात्म्य अवयव हैं अतः वर्गीकरण तथा प्रतिअदायगी का भुगतान सही था। जबकि पीतल से बनी वस्तुओं पर प्रतिअदायगी के भुगतान के लिए उप-क्रम संख्या 3805(ग) के अन्तर्गत विशिष्ट दर निर्धारित की गई थी, उप-क्रम संख्या 3816(क) के अन्तर्गत पीतल के निपलों का वर्गीकरण और प्रति-अदायगी दरों की योजना पर ध्यान दिए बिना यथामूल्य दरों पर भुगतान सही नहीं था तथा वह राजस्व के हित में नहीं था।

(iv) जनवरी 1978 से अप्रैल 1978 के बीच निर्यातित मीटर लाइन के वैगनों के पीतल बेयरिंग (कांस्य बेयरिंग) के लिए सामानों के अनेक परेषणों पर निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त तांबा, टीन, सीसा और जस्ता की अन्तर्वस्तु यदि वे तैयार माल के रूप में निर्यात की जाती, पर लागू दर पर प्रतिअदायगी की अनुमति दी गई थी। यह

निर्यात धातुओं का निर्यात नहीं था बल्कि कांस्य वेयरिंग का था, जो रेलवे वैननों के पुर्जे थे और प्रतिअदायगी अनुसूची के अनुसार ब्रांड दरों का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। तथापि उनका वर्गीकरण मिश्र-धातु के रूप में किया गया था और उसमें प्रयुक्त धातु पर तदनुसार 1.91 लाख रु० की प्रतिअदायगी का भुगतान किया गया था।

वर्गीकरण के आधार के बारे में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर (जुलाई 1979) विभाग ने बताया (जुलाई 1979) कि प्रतिपूरक नकद सहायता का दावा करने के लिए कांस्य वेयरिंग 'मिश्र धातु' के रूप में वर्गीकरण के योग्य थे न कि 'वैनन के पुर्जे' के रूप में। अतः वेयरिंग को यथानुपात सुसंगत धातु से बनी वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि प्रतिअदायगी का आधार प्रति अदायगी नियमावली के अन्तर्गत योजना है अतः उपरोक्त तर्क सही नहीं है। तथापि दिनांक 6 अक्टूबर 1979 के पत्र में वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क गृह को बाद में सुझाव दिया कि जहां निर्यातित माल में धातुओं का निवल वजन सुनिश्चित किया जा सकता है वहां प्रतिअदायगी की संगणना प्रत्येक अंशभूत धातु के आधार पर की जाए जैसे कि ये अलग-अलग निर्यात किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1982) कि रेलवे वैननों के पुर्जों की बजाय मिश्र धातु की वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण सही था क्योंकि प्रतिअदायगी का अर्थ निर्यातित माल को आयातों पर शुल्क के भार से मुक्त करना है। हालांकि यह तर्कसंगत है फिर भी यह अब तक सांविधिक प्रतिअदायगी नियमों के उन उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता जिनमें यह अपेक्षित है कि ऊपर के मामलों से मिलते जुलते मामलों में ब्रांड दर नियत की जानी चाहिए और जब तक उपरोक्त सुझाव का नियमों में विवेचन नहीं कर दिया जाता तब तक उपरोक्त के अनुसार किए गए भुगतान प्रतिअदायगी के नियमों के अनुसार नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नियमों में इस तर्क को सम्मिलित न किये जाने के कारण इस तर्क का व्यवहार में (जैसाकि उप पैराग्राफ में उल्लिखित पीतल के निपलों के मामले में हैं) एक जैसा अनुपालन नहीं किया जाता है।

(V) 'छोटे और काटने के सभी प्रकार के औजारों' के ग्यारह परेषण जो फरवरी 1981 और अप्रैल 1981 के बीच निर्यात किए गए थे इनमें (क) टंगस्टेन कारबाइड टिप्स और इनसर्ट्स तथा (ख) टंगस्टेन

कारबाइड टिण्ड और औगुर वरमा शामिल थे। उन परेषणों की सुसंगत वापसी अनुसूची की उप-क्रम संख्या 3905 जो 19 सितम्बर 1980 से समाप्त कर दी गई थी के अन्तर्गत वर्गीकरण करके 185 रु० प्रति किलो-ग्राम की दर से 2,66,176 रु० की प्रतिअदायगी का भुगतान किया गया था। अतः अगस्त 1981 में 42,697 रु० की प्रतिअदायगी का भुगतान अनियमित था। परन्तु जब उप-क्रम संख्या 3905 विद्यमान थी तब भी टंगस्टेन कारबाइड टिण्ड औगुर वरमे इसके अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः उन पर 44,593 रु० की प्रतिअदायगी का भुगतान पूर्णतः अनियमित था। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने निर्यातित दोनों मदों के लिए क्रमशः सितम्बर 1980 से जून 1981 और 19 सितम्बर 1980 से 28 फरवरी 1981 तक की अवधि के लिए प्रतिअदायगी की ब्रांड दरें जुलाई 1981 में निर्धारित की थी। सीमाशुल्क गृह यह नहीं बता सका कि भुगतान क्यों किया गया और यह अगस्त 1981 में समाप्त अनुसूची की समग्र उद्योग दर पर क्यों किया गया जबकि ब्रांड दरें जुलाई 1981 में घोषित कर दी गई थी।

वित्त मंत्रालय ने इन तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

(vi) मार्च 1981 में निर्यातित अरंडी के तेल बी०पी० पर एक मुख्य सीमाशुल्क गृह में दिसम्बर 1981 में प्रतिअदायगी अनुसूची की उप-क्रम संख्या 1205 (जैसाकि 19 सितम्बर 1980 को था) जिसके अन्तर्गत "औषधि और फार्मास्यूटिकल्स जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है" आते हैं, के संदर्भ में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से 42,243 रु० की प्रति अदायगी की अनुमति दी गई थी। यह प्रतिअदायगी जुलाई 1981 में जारी मंत्रालय के इस आशय के स्पष्टीकरण के आधार पर स्वीकृत की गई थी कि निर्यातित माल अर्थात् अरंडी का तेल बी०पी० प्रतिअदायगी अनुसूची की उप-क्रम संख्या 1205 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य था।

एक मुश्त अरंडी का तेल बी०पी० निर्यात की अवधि के भीतर लागू प्रतिअदायगी अनुसूची की किसी भी मद के विवरण के अन्तर्गत नहीं आता है। अरंडी के तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी कच्चे माल पर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि तेल के फार्मास्यूटिकल्स मानक के अनुसार तैयार करने में प्रयुक्त कुछ आयातित रसायनों पर शुल्क का

भुगतान किया जाता है। अरंडी के तेल पर प्रतिअदायगी केवल 1 जून 1981 से अनुमत की गई थी किन्तु केवल उनके निर्यात के लिए प्रयुक्त पैकिंग सामग्रियों पर शुल्क भार के संबंध में (वास्तविक प्रतिअदायगी प्रयुक्त पैकिंग सामग्री के आधार पर दी जाती है)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में भी तेल मद 12 (वनस्पति अवाष्पी तेल) के अन्तर्गत आता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अरंडी का तेल एक ऐसा मूल उत्पाद है जिस पर कच्चे माल पर शुल्क के सम्बन्ध में प्रतिअदायगी का समान्यतः दावा नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 1982 में निर्धारित ब्रांड दर में ब्रांड दर की वजाय आयातित शोधक रसायनों के लिए लगभग 1.25 प्रतिशत और पैकिंग प्रभारों के लिए 1.7 प्रतिशत की अनुमति दी गई थी।

अतः ब्रांड दर अनुमत करने की वजाय 1981 में औषध और फार्मास्यूटिकल्स के रूप में अरंडी के तेल का गलत वर्गीकरण करके प्रतिअदायगी की स्वीकृति अनियमित थी और इसके परिणामस्वरूप सरकार को 16,897 रु० के राजस्व की हानि हुई जो 5 प्रतिशत की दर पर स्वीकृत प्रतिअदायगी और 3 प्रतिशत ब्रांड दर, जो नियत की जा सकती थी, का अन्तर है।

यह गलती लेखापरीक्षा में बताई गई थी (मई 1982); वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि अरंडी के तेल का विनिर्माण औषधियों के विनिर्माण के लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता था और इसलिए इसका औषधि के रूप में वर्गीकरण ठीक था। तथापि इस प्रकार के दृष्टिकोण से प्रतिअदायगी अनुसूची के अन्तर्गत वर्गीकरण के लिए नियमों की आवश्यकता को और अधिक बल मिलता है क्योंकि औषधियों की तरह से 5 प्रतिशत की प्रतिअदायगी अनुमत की गई है जबकि उस पर सरकार ने शुल्क अधिकतम 3 प्रतिशत लिया है जिससे सरकार को निवल हानि होती है।

1.22 प्रति अदायगी की अनियमित अदायगी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 12 के अन्तर्गत निर्यातित वस्तुओं पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क पर रिबेट अनुमत किया जाता है। तैयार उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की प्रतिअदा-

यगी अनुमत नहीं की जाती है, केवल तैयार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर प्रदत्त शुल्क की प्रति अदायगी की जाती है।

(i) पोलिथीन लेपित कागज से निर्मित वस्तुओं पर सर्वउद्योग दरों से प्रति अदायगी इन वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त लेपित कागज पर पहले लिए गए उत्पाद शुल्क के आधार पर अनुमत की जाती है। केवल लेपित कागज के उसी रूप में निर्यात पर सर्वउद्योग दर पर प्रति-अदायगी का दावा करने के लिए अलग से प्रति अदायगी दरें इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित नहीं की गई थी। ऐसे लेपित कागज के उसी रूप में निर्यात किए जाने पर ही प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का प्रतिदाय या रिबेट का दावा करने के लिए कानून में व्यवस्था थी।

एक सीमा शुल्क गृह में 'पोलि कोटिड क्राफ्ट पेपर' के निर्यात पर प्रति अदायगी का दावा प्रति अदायगी अनुसूची में वर्णित 'पोलिथीन लेपित कागज से निर्मित वस्तुएं' के अन्तर्गत अनुमत किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे कागज पर देय उत्पाद शुल्क वापस कर दिया गया। तथापि निर्यातित वस्तु पर विभाग ने पोलिथीन लेपित क्राफ्ट कागज पर उद्ग्राह्य दरों से कभी भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल नहीं किया था क्योंकि निर्यात बंधक माल के रूप में होता था।

लेखापरीक्षा में बताया गया (सितम्बर 1979) कि पोलिथीन लेपित कागज से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिअदायगी के दावे की निर्यातित वस्तु को कागज ही मानकर की गई अदायगी वापसी के नियमों और उनके अन्तर्गत अनुसूची के अभिप्राय (तथा उनके निर्वाचन) के विपरीत थी। इसके अतिरिक्त इस अनुसूची में लेपित कागज को उसी रूप में निर्यात करने पर ही प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए एक विशिष्ट दर (ब्रांड दर) की व्यवस्था थी। इसलिए निर्यातित वस्तुओं पर प्रतिअदायगी केवल इस ब्रांड दर से अनुमत की जानी चाहिए थी न कि 'पोलिथीन लेपित कागज से निर्मित वस्तुएं' के लिए सर्वउद्योग दरों से। प्रतिअदायगी के अनियमित भुगतान से 15,386 रु० की प्रतिअदायगी का अधिक भुगतान हुआ। सीमा शुल्क गृह का विचार था कि यह भुगतान ठीक था (अक्तूबर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (सितम्बर 1982) कि चूंकि मामला संदेह से परे नहीं है इसलिए इस पर सीमा शुल्क कलेक्टरों के दैरिफ सम्मेलन पर विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 74 और 75 में भारत में आयातित वस्तुओं को भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात करने पर अथवा आयातित वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में किए जाने पर ऐसी विनिर्मित वस्तुओं को भारत से बाहर किसी स्थान से निर्यात किए जाने पर प्रतिअदायगी का भुगतान करने की व्यवस्था है।

एक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी के स्वामित्व में दो जलपोतों पर रखे गए फालतू पुर्जों के आयात पर प्रतिअदायगी के रूप में 1,43,387 रु० का भुगतान किया गया था (मार्च 1981)। ये जलपोत भारत के एक पत्तन से दूसरे पत्तन को सामान लाने ले जाने का कार्य करते थे। आयातित फालतू पुर्जों का भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात नहीं हुआ था और तदनुसार प्रतिअदायगी का भुगतान अवैध था।

प्रतिअदायगी के अनियमित भुगतान का मामला जिससे 1,43,387 रु० की हानि हुई थी, लेखा परीक्षा में बताया गया था (दिसम्बर 1981); विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1982) कि ये जहाज केवल भारतीय पत्तनों को स्पर्श करते थे किन्तु एक भारतीय पत्तन से दूसरे पत्तन को जाते समय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में प्रवेश करते थे और इसलिए उन्हें विदेशों में जाने वाले जहाजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन जहाजों पर लगाये गए उपकरणों पर प्रतिअदायगी को मंत्रालय द्वारा उचित ठहराया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि विदेश जाने वाले जहाजों एवं ऐसे जहाजों में प्रतिष्ठापित स्थायी जुड़नार पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

तथापि, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत प्रतिअदायगी भारत के बाहर किसी स्थान को किए गए निर्यात पर ही देय होती है और अधिनियम में निर्यात शब्द का अर्थ "भारत के बाहर किसी स्थान को भारत से बाहर ले जाना" दिया गया है। अतः एक भारतीय पत्तन से दूसरे पत्तन को जाते समय तट-पोतों का अंतर्राष्ट्रीय

समुद्रों से गुजरने मात्र को निर्यात नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त अधिनियम में समुद्र में जाने वाले जहाज की परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु यह मानते हुए कि उसका वही अर्थ होता है जो कि अधिनियम में विदेश जाने वाले जहाज के संबंध में दिया गया है, समुद्र में जाने वाले जहाजों पर उद्ग्राह्य सीमा शुल्क से छूट देने की छूट अधिसूचना को जारी किए जाने का अर्थ यही है कि समुद्र में जाने वाले जहाजों पर शुल्क उद्ग्राह्य है किन्तु कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर शुल्क के उद्ग्रहण से छूट मिल जाती है। इस प्रकार की छूट की आवश्यकता न पड़ती यदि ऐसे जहाजों पर प्रतिअदायगी स्वीकार्य होती। इससे केवल इस बात की पुष्टि होती है कि यदि निर्यात का मानदण्ड पूरा न होता तो समुद्र में जाने वाले जहाजों या उन पर लगे जुड़नार पर प्रतिअदायगी देय नहीं थी। जुड़नारों के संबंध में कोई छूट अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिससे शुल्क की वापसी का दावा स्वीकार किया जाता किन्तु इस मामले में विवादास्पद फालतू पुर्जे जहाजों पर लगाए नहीं गए थे अपितु केवल फालतू पुर्जों के रूप में ले जाए गए थे।

(iii) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 के नियम 5(2) के अनुसार निर्यातित वस्तुओं पर देय प्रतिअदायगी के लिए तिथि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार निश्चित करनी होती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 16 में यह व्यवस्था है (जहां तक वायुयान द्वारा निर्यात किए जाने का सम्बन्ध है) कि शुल्क की दर के लिए प्रभावी तारीख वह तारीख है जिस को पोत परिवहन बिल प्रस्तुत किया जाता है।

वायुयान द्वारा निर्यातित 1000 कि०ग्रा० 'हेक्सोक्लोरोफीन' (जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य: 1,69,445 रु०) का पोत परिवहन बिल सीमा शुल्क गृह में 7 जून 1980 को प्रस्तुत किया गया था। वायुयान में वस्तुओं का लदान 12 जून 1980 को किया गया था। सीमाशुल्क गृह ने 25 जुलाई 1980 को जारी किए गए एक सरकारी आदेश के अनुसार जो 7 जून 1980 की जगह 9 जून 1980 से प्रभावी था 99,801 रु० की प्रतिअदायगी का भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 91,327 रु० की प्रतिअदायगी अधिक की गई।

यह गलती लेखापरीक्षा द्वारा मई 1982 में बताई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (अक्टूबर 1982) कि आदेश में 9 जून 1980 की प्रभावी तारीख गलती से बताई गई थी और अब उसे संशोधित करके (अक्टूबर 1982) आदेश को 7 जून 1980 से प्रभावी कर दिया गया है ।

1. 23 प्रतिअदायगी के भुगतान में गलतियां

एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह में खराद मशीन के कुछ उपकरणों के निर्यात पर प्रतिअदायगी के दावे इन मशीनों को सभी प्रकार से खराद के पुर्जे, जेपर और प्लेनर जो पूर्णतः हाइस्पीड स्टील से निर्मित हों के रूप में वर्गीकृत करके स्वीकार कर लिए गए । परन्तु ये वस्तुएं हाई स्पीड स्टील से निर्मित नहीं थी बल्कि केवल खराद मशीन के उपकरण और उसकी सहायक मशीनें थीं जो 31 मई 1979 तक प्रतिअदायगी अनुसूची में वर्णित "मशीनी संघटक और उसके सब प्रकार के फालतू पुर्जे और उपकरण जो मुख्यतः धातुओं से बने हों" तथा किसी अन्य जगह विनिर्दिष्ट न हों के अन्तर्गत आती थी और तत्पश्चात् 18 सितम्बर 1980 तक उनका "सभी प्रकार के मशीन पुर्जे जो अन्य जगह विनिर्दिष्ट न हों और संघटक पुर्जे फालतू पुर्जे और उपकरण" के रूप में अर्थ लगाया जाना था । गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप सितम्बर 1976 से नवम्बर 1979 के बीच निर्यातित 45 परेषणों पर 1,04,169 रु० की प्रतिअदायगी का अधिक भुगतान हुआ ।

सितम्बर 1979 और मार्च 1980 में लेखा परीक्षा द्वारा गलती बताए जाने पर विभाग ने गलती मान ली और छः परेषणों पर 7,225 रु० की वसूली कर ली । शेष परेषणों पर वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है ।

अधिनिर्धारण

1. 24 अधिक शुल्क का लगाया जाना

नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मामलों में आयात परेषणों का निर्धारण करते समय 27.11 लाख रु० का शुल्क अधिक लगाया गया । इसमें से 13.82 लाख रु० का अधिक शुल्क सरकारी

विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों ने अधिक दिए गए शुल्क के प्रतिदाय का दावा नहीं किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ उदाहरणात्मक मामले जिनमें लागत के प्रति अधिक जागरूकता आवश्यक है, नीचे दिए गए हैं :—

(i) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा मई 1981 में आयातित विद्युत से गर्म किए जाने वाले टनल प्रकार के एयर रिसर्कुलेटिंग ओवन जिनमें नान-फ्लेम प्रूफ स्विचगीयर और पैनल लगे हुए थे, पर सीमा शुल्क तथा 5 प्रतिशत यथामूल्य सहायक शुल्क लगाया गया। आगम-पत्र के साथ लगे हुए तकनीकी विवरण से पता लगा कि आयातित वस्तुएं औद्योगिक विद्युत भट्टियों या चूल्हे थे और दिनांक 1 मार्च 1981 की एक अधिसूचना के अनुसार बिजली की या बिना बिजली की औद्योगिक भट्टियों और चूल्हों पर सहायक शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था। इस प्रकार 5 प्रतिशत यथामूल्य का सहायक शुल्क लगाकर इन प्रेषणों पर 1,19,518 रु० का अधिक शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताए जाने पर (अक्टूबर 1981) सीमा-शुल्क गृह ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 1981) और बताया कि शुल्क के प्रतिदाय के लिए आयातक द्वारा प्रस्तुत तीन दावे प्राप्त हुये थे और उनको अदा कर दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है कि अधिक लिया गया शुल्क अब वापस कर दिया गया है।

(ii) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा आयातित 42,775 रु० मूल्य के "रिकवर्ड कमोनिया कम्प्रेसर के लिए वल्व गार्ड" के परेषण को प्रशीतन और वातानुकूलन उपकरणों के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत सीमा शुल्क 40 प्रतिशत और अतिरिक्त शुल्क 131.25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। परन्तु वातानुकूलन या प्रशीतन उपकरणों पर उनके वर्गीकरण के आधार पर 60 प्रतिशत या 100 प्रतिशत सीमा-शुल्क उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने में हुई विसंगति की ओर ध्यान दिलाए जाने और माल सम्बद्ध साहित्य दिखाए जाने की मांग किए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने सूचीपत्र आदि के संदर्भ में मामले की पुनः जांच की और बताया (मार्च 1982) कि माल का उपयोग "प्राप्त अमोनिया गैस के लिए कम्प्रेसर वाल्व" के रूप में किया गया था और वे प्रशीतन और वातानुकूलन उपकरणों के लिए अभिप्रेत नहीं थे और सीमा शुल्क तो सही लगाया गया था परन्तु लगाया गया अतिरिक्त शुल्क नियमानुसार नहीं था और वह केवल 8 प्रतिशत (न कि 131.25 प्रतिशत) ही लगाया जाना चाहिए था। इस पर विसंगति दूर कर दी गई थी परन्तु लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप प्रकाश में आए 76,444 रु० के अतिरिक्त शुल्क के अधिक उद्ग्रहण के बारे में विभाग ने बताया (मार्च 1982) कि इसका प्रतिदाय नहीं किया गया क्योंकि यह सीमाबाधित हो गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अधिक उद्ग्रहण के लिए कोई आपत्ति नहीं की थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

(iii) अगस्त 1976 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार खाद के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आयातित यूरिया मूल सीमा शुल्क से मुक्त था। मार्च 1980 में जारी की गई तथा जून 1980 में संशोधित एक अन्य अधिसूचना के अनुसार इस पर सहायक शुल्क भी नहीं लगाया जाता है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा खाद के रूप में उपयोग किए जाने के लिए जून 1980 में आयातित यूरिया के दो परेषणों पर छूट संबंधी अधिसूचना का ध्यान दिए बिना 5 प्रतिशत यथा-मूल्य पर सहायक शुल्क लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 7,76,049 रु० का शुल्क अधिक लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने गलती स्वीकार कर ली (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

1.25 शुल्क छूट हकदारी योजना

निर्यात प्रोत्साहन उपाय के रूप में, निर्यात आदेश के निष्पादन में अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे माल और अयातित संघटकों पर सीमा शुल्क लगाए जाने की छूट देने के उद्देश्य से 1976 में एक योजना लागू की गई थी। आयातित माल की रद्दगी पर शुल्क की वसूली करने सहित आयातकर्ता द्वारा निर्यात दायित्वों को पूरा कराए जाने का उत्तरदायित्व केवल आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के अधिकारियों को ही सौंपा गया था। निर्यात दायित्व पूरा न किए जाने की स्थिति से निपटने के लिए आयातकर्ता ने आयातित मर्दों पर शुल्क की अदायगी के लिए बांड निष्पादित किए। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के एजेन्टों के रूप में कार्य किया और जब निर्यात किए जाने थे तब वे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शुल्क छूट हकदारी के प्रमाणपत्रों में पृष्ठांकन करते थे। आयातकर्ता द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा कर दिए जाने की सूचना लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त हो जाने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा बांड रद्द कर दिए गए थे।

बम्बई सीमा शुल्क गृह के अभिलेखों में दी गई सूचना के अनुसार 1976-77 से 1979-80 तक चार वर्षों के दौरान उस पत्तन के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत किए गए आयात और निर्यात निम्नलिखित थे :—

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
(i) उन निर्यातकर्ताओं की संख्या जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत शुल्क से छूट प्राप्त की	28	43	131	224
(ii) आयात की गई वस्तुओं की संख्या	7	24	43	61
(iii) आयात किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रु० में)	1.98	1.22	4.44	50.71
(iv) परित्यक्त शुल्क (करोड़ रु० में)	1.19	1.18	5.40	45.93
(v) निर्यात किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रु० में)	1.16	4.52	13.28	62.07

निष्पादित बांडों की संख्या, अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर उन्मुक्त किए गए बांडों की संख्या और उन बांडों की संख्या जिन्हें रद्द किया जाना है, निम्नलिखित थी :—

	1976	1977	1978	1979	1980
(i) निष्पादित बांडों की संख्या	10	51	83	234	376
(ii) उन्मुक्त किए गए बांडों की संख्या	6	37	53	88	40
(iii) उन्मुक्त न किए गए बांड	4	14	30	146	336

कलकत्ता सीमा शुल्क गृह में अभिलेखों में दी गई सूचना के अनुसार 1976-77 से 1979-80 तक चार वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आयात और निर्यात हुए :

	1976-77 से 1979-80 तक
(i) उन निर्यातकर्ताओं की संख्या जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत शुल्क से छूट प्राप्त की	30
(ii) आयात किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रु० में)	9.54
(iii) परित्यक्त शुल्क (करोड़ रु० में)	4.82
(iv) निर्यात किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रु० में)	8.04
(v) निष्पादित बांडों की संख्या	42

(क) वम्बई में 36 मामलों में निर्यात के मूल्य आयात के मूल्य से कम थे। 3.71 करोड़ रु० मूल्य के जिन आयातों पर 2.33 करोड़ रु० का शुल्क छोड़ दिया गया था, उन के प्रति निर्यातों का मूल्य 48.20 लाख रु० बनता था। 36 में से 21 मामलों में कोई निर्यात नहीं किया गया था और बाहर खर्च की गई 2.98 करोड़ रु० (लागत, बीमा, भाड़ा सहित आयात का मूल्य) की विदेशी मुद्रा के प्रति छोड़े गए शुल्क की राशि 1.68 करोड़ रु० बनती थी। आयात की तारीख से 31 मई 1982 तक की अवधि के लिए छोड़े गए शुल्क के संबंध में सरकार को 12 प्रतिशत की दर पर 49.20 लाख रु० के व्याज की हानि हुई। इसी प्रकार शेष 15 मामलों में, निर्यात के मूल्य समायोजित करने के बाद आयात के शेष मूल्य पर छोड़े गए शुल्क के संबंध में सरकार को 6.54 लाख रु० के व्याज की हानि हुई।

(ख) दो आयातकर्ताओं द्वारा बिना गड़े तांबे और जस्ते के आयात पर निर्यात दायित्व आंशिक रूप से ही पूरा किया गया था और सीमा शुल्क गृह ने 10.46 लाख रु० के शुल्क की वसूली करने के लिए मांग जारी की (मई 1980)। तथापि आयातकर्ता द्वारा निष्पादित बांड को सीमा शुल्क से तथ्यों की पुष्टि कराए बिना ही लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा मुक्त कर दिया गया था।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आयातकर्ता द्वारा किए गए स्टेनलैस-स्टील चद्दरों के आयात (अगस्त 1978) पर छोड़े गए शुल्क की राशि 75.20 लाख रु० बनी। परन्तु आयातकर्ता द्वारा केवल 73.00 लाख रु० का बांड ही निष्पादित किया गया था जिसको आयातकर्ता द्वारा निर्यात दायित्व पूरा न किए जाने पर सरकार के नाम जब्त कर लिया गया। अगस्त 1978 में आयात की गई 205.63 टन स्टेनलैस-स्टील चद्दरों की उतरने पर लागत 33.9 लाख रु० थी और उस पर उद्ग्राह्य आयात शुल्क सहित (75.20 लाख रु०) आयातकर्ता को इसकी लागत 53,048 रु० प्रति टन बनती थी। जनवरी 1980 से मार्च 1980 तक की अवधि के दौरान जब आयात दायित्व पूरा किया जाना था (निर्यात के लिए समय अवधि 30 अप्रैल 1980 तक बढ़ा दी गई थी), स्टेनलैस-स्टील चद्दरों का प्रचलित बाजार मूल्य 67,525 रु० प्रति टन था। इस योजना के अन्तर्गत आयात की गई 205.63 टन स्टेनलैस-स्टील चद्दरों पर प्रति टन 14,477 रु० की दर पर आयातकर्ता को 29.76 लाख रु० का निवल लाभ हुआ भले ही बांड 75.20 लाख रु० (73 लाख रु० की वजाए) के लिए ही था और सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। बांड जब्त किए जाने के अतिरिक्त आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के दण्ड-उपबन्धों के अन्तर्गत आयातकर्ता को दण्डित किए जाने के लिए निर्यात दायित्व में चूक करने के लिए अर्थ दण्ड के रूप में उसके अप्रत्याशित लाभों को जब्त किए जाने जैसी कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ) कलकत्ता में 17 शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्रों के अधीन स्वीकृत आयात पर छोड़े गए शुल्क की राशि 2.03 करोड़ रु० बनी परन्तु निर्यात किये जाने के वारे में अभिलेखों में कोई जिक्र नहीं था, किन्तु इन मामलों में शुल्क की वसूली के लिये केवल 1.06 करोड़ रु०

की राशि के लिये ही मांग की गई थी। इनमें से 31 दिसम्बर 1981 को 23.00 लाख रु० की मांगें तीन वर्षों से अधिक समय से और 35.4 लाख रु० की मांगें 2 वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। अन्य 13 मामलों में यद्यपि मांगे जारी किये जाने की आवश्यकता थी (क्योंकि निर्यात नहीं हुआ था) तथापि मांग न की गई शुल्क की राशि 1.73 करोड़ रु० बनती थी। अन्य 8 मामलों में निर्यात के लिये स्वीकृत समय समाप्त हो चुका था परन्तु यह देखने के लिये कोई अभिलेख नहीं था कि निर्यात हुआ था अथवा नहीं। इन मामलों में न लगाये गये शुल्क की राशि 99.50 लाख रु० थी।

(ड) चार निर्यातकों के मामले में जिन्होंने निर्यात दायित्व पूरा कर दिया था, निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से कम था जिस पर शुल्क से छूट ली गई थी। 72.58 लाख रु० मूल्य के निर्यात की तुलना में जिस पर 38.48 लाख रु० की राशि का शुल्क छोड़ा गया था, केवल 37.41 लाख रु० मूल्य के माल का निर्यात किया गया था।

(च) एक अन्य पत्तन में एक प्रमुख साबुन कारखाने को जुलाई 1979 में दिये गये अग्रिम लाइसेंस और दिसम्बर 1979 में जारी शुल्क से छूट प्रमाण-पत्र के अधीन तैयार माल अर्थात् सिथेटिक डिटरजेंट पाउडर निर्यात करने के दायित्व के साथ 190.08 टन कच्चे माल अर्थात् सोडियम ट्रिपोलीफोसफेट आयात करने की अनुमति दी गई थी। उसने मई 1980 से दिसम्बर 1980 तक 1058.51 टन डिटरजेंट पाउडर का निर्यात किया, किन्तु सीमा शुल्क गृह ने जिसके माध्यम से निर्यात किया गया था डिटरजेंट पाउडर पर 4,25,106 रु० की राशि का वापसी दावा स्वीकार किया और वापसी के रूप में 1,17,249 रु० की राशि भी संस्वीकृत की गई, परन्तु अदा नहीं की गई।

जब यह अनियमितता लेखापरीक्षा में बताई गई (जून 1981) तब विभाग ने यह मान लिया (अगस्त 1981) कि कोई वापसी देय नहीं थी और वह निर्यात निर्यात दायित्व के अनुपालन में था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (सितम्बर 1982) कि निर्यातक ने इस तथ्य की घोषणा नहीं की थी कि निर्यात निर्यात दायित्वों के अनुपालन में किया गया था और डी ई ई सी योजना के अधीन निर्यातित माल के

विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर शुल्क अदा नहीं किया गया था। मुद्रित पोत परिवहन बिल की वापसी वाली प्रति के अनुसार निर्यातक को पोत परिवहन बिल के नीचे यह घोषणा करनी आवश्यक थी कि उसने निर्यातित उत्पाद में शुल्क प्रदत्त कच्ची सामग्री प्रयुक्त की थी। इस बात का संकेत नहीं दिया गया था कि निर्यातक द्वारा की गई गलत घोषणा के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

उपरोक्त उप पैरा (क) से (ड) के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

1.26 कम उतारे गये सामान को लेखाबद्ध न करने के कारण शास्तिक कार्यवाही श्रारम्भ करने में विलम्ब

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में विनिर्दिष्ट है कि जहां माल कम उतारा जाता है अथवा लेखाबद्ध नहीं किया जाता है वहां सहायक सीमा शुल्क कलक्टर की संतुष्टि के लिये वाहन के प्रभारी व्यक्ति (स्टीमर एजेंट) पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है जो उस शुल्क की राशि से दुगुनी न हो, जो प्रभारित की जाती है। इसके पूर्व कि सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा उसके ध्यान को बाहर ले जाने की अनुमति दे सके उसे पत्तन न्यास से एक 'बेबाकी पत्र' प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार की अनुमति दिए जाने से पूर्व सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शास्तियों की वसूली की जा चुकी है।

(i) जैसाकि ऊपर बताया गया है 22 स्टीमर एजेंटों से 31 दिसम्बर 1981 को 86.87 लाख रु० की राशि शास्ति के रूप में बकाया थी। 5 स्टीमर एजेंटों (22 में से) से 30 जून 1981 के अंत में पत्तन न्यास प्रभार के रूप में 57.01 लाख रु० की राशि बकाया थी किन्तु उनके द्वारा ऐसी अदायगियों के प्रति केवल 26.45 लाख रु० की राशि जमा की गई और जैसाकि ऊपर बताया गया है, 47.71 लाख रु० की राशि इन पांच स्टीमर एजेंटों से प्राप्य थी। जब ध्यान को ले जाने की अनुमति दी गई थी तो केवल 75,000 रु० की रकम ही वसूल की गई थी।

(ii) वर्ष 1976 से वर्ष 1981 के दौरान 1,008 मामलों में उपर्युक्त के अनुसार दिसम्बर 1981 के अंत तक 85.23 लाख रु० की शास्ति

की वसूली नहीं की गई बताई गई थी। उपरोक्त वर्षों के सभी शास्ति रजिस्टर तुरन्त उपलब्ध नहीं थे परन्तु उपलब्ध रजिस्ट्रों से लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि वर्ष 1973 से वर्ष 1981 के दौरान उद्ग्राह्य असंगृहीत शास्ति की राशि 165 लाख रु० थी।

(iii) ऊपर उल्लिखित मामलों (जिनमें शास्ति का संग्रहण नहीं किया गया था अथवा सुनिश्चित नहीं किया गया था), के अतिरिक्त 1967 से 1975 तक के वर्षों से संबंधित 2133 जहाजों की माल सूचियों की अप्रैल 1982 के अंत तक जांच नहीं की गई थी जिससे कि न लादे गए अथवा कम उतारे गए माल का पता लगाया जा सके। इसलिए उन पर उद्ग्राह्य शास्ति अप्रैल 1982 तक निर्धारित नहीं की गई थी।

इस मामले को वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था (सितम्बर 1982); उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

1.27 जब्त किए गए माल के निपटान में विलम्ब

अपनी 72वीं रिपोर्ट (1968-69) के पैरा 1.69 में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि माल के जब्त किए जाने और पार्टियों को कानूनी कार्यवाहियां करने के लिए दिए गए समय के बीत जाने के बाद शीघ्र ही उनकी नीलामी कर दी जानी चाहिए। अक्टूबर 1969 में, सरकार ने सीमा शुल्क गृहों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलक्टरों को तदनुसार कार्यवाही करने का निदेश दिया।

(i) 3,93,325 रु० मूल्य की नौ आयातित कारों और गाड़ियों पर विभाग द्वारा 9,72,263 रु० की राशि का शुल्क वसूल किया जाना था और यद्यपि इन गाड़ियों को अगस्त 1979 और फरवरी 1980 के बीच जब्त किया गया था, उनका जून 1982 तक नीलामी द्वारा निपटान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में, इस विलम्ब के बारे में बताए जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1982) कि गाड़ियों के मूल्यांकन तथा नीलामी द्वारा उनका निपटान करने के लिए एक समिति बनाई गई है। 1,26,000 रु० के मूल्य की केवल तीन गाड़ियां, जिन पर 3,11,446 रु० की राशि का

शुल्क वसूली योग्य था, 29 और 30 जून 1982 को नीलाम की गई थी और 6 गाड़ियों की अभी भी नीलामी की जानी है (सितम्बर 1982)।

(ii) 11,63,060 रु० के मूल्य की कलाई घड़ियों के पुर्जे 1969 में पकड़े गए थे और सितम्बर 1970 और अप्रैल 1971 में जब्त किए गए थे। 1.98 लाख रु० के आरक्षित मूल्य पर अगस्त 1978 में निष्फल रूप से (पांचवीं बार नीलामी बुहराने के बाद) अक्टूबर 1978 में उन्हें अन्तिम रूप से बेचा गया। इस विक्री से केवल 1,76,500 रु० (दूसरी बार की नीलामी में अधिकतम बोली) प्राप्त हुए जबकि पहली बार की नीलामी में 3,11,000 रु० की अधिकतम बोली लगाई गई थी।

(iii) 19 फरवरी, 1974 को पकड़े गए 5,19,300 मृत्तिका धारित्रों को 25 सितम्बर 1974 को जब्त किया गया। 9 जून, 1976 को एक अपराध के मामले का निपटान करने के बाद धारित्रों को नीलामी के द्वारा 54,000 रु० में केवल 22 अगस्त 1978 को बेचा गया क्योंकि गोदाम के अधीक्षक को 29 सितम्बर, 1977 तक इस बात का पता नहीं था कि माल को जब्त किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इसमें न तो कोई असाधारण विलम्ब हुआ था और न ही नियत खराब थी। राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के विशेषज्ञों द्वारा कारों और घड़ियों का मूल्यांकन कराने में कुछ समय लग गया। सूचना प्राप्त न होने से भी धारित्रों के बेचने में कुछ विलम्ब हुआ। सामान के निपटान संबंधी कार्यवाही शीघ्र कराने के लिये तथा निपटान वस्तुओं के मूल्यांकन के लिये उपलब्ध विशेषज्ञता का तुरन्त उपयोग करने के बारे में अक्टूबर 1981 में जारी किये गये अनुदेशों से भविष्य में विलम्ब या निष्फल नीलामियां होने की आशा नहीं है।

1.28 अनन्तिम निर्धारणों का निर्णय लेने में विलम्ब

अपनी 76वीं और 140वीं रिपोर्ट (VI लोकसभा) में लोक लेखा समिति ने आयातकर्ताओं से अपेक्षित सूचना तथा दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण बहुत से अनन्तिम निर्धारणों के मामलों के विचाराधीन रहने के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

(i) दो पत्तनों में, हाल के वर्षों में बकाया अनन्तिम निर्धारणों की स्थिति इस प्रकार थी :—

निम्न तारीखों को बकाया अनन्तिम निर्धारण	कलकत्ता	मद्रास
	पत्तन में	पत्तन में
31 मार्च, 1978	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31 मार्च, 1979	उपलब्ध नहीं	817
31 मार्च, 1980	2872	109
31 मार्च, 1981	3090	1080
31 मार्च, 1982	उपलब्ध नहीं	1447

31 मार्च 1980 और 31 मार्च, 1981 को बकाया अनन्तिम निर्धारणों का वर्षवार विश्लेषण इस प्रकार है :—

निम्नलिखित वर्षों से संबंधित अनन्तिम निर्धारण	कलकत्ता		मद्रास	
	31 मार्च, 1980	31 मार्च, 1981	31 मार्च, 1980	31 मार्च, 1981
	1970 और उससे पूर्व के वर्ष	139	132	कुछ नहीं
1971	53	47	”	”
1972	97	69	9	5
1973	132	99	12	6
1974	192	145	20	6
1975	283	229	25	17
1976	366	269	85	57
1977	535	340	71	35
1978	893	472	105	71
1979	182	897	37	119
1980	उपलब्ध नहीं	391	645	22
1981	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	751

अगस्त 1979 में वित्त मंत्रालय द्वारा यह निदेश दिए जाने के बावजूद कि यदि आयातकर्ता द्वारा सूचना नहीं दी जाय अथवा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए जायें तो एक पक्षीय निर्धारण कर दिया जाना चाहिए, निर्धारणों को अंतिम रूप दिए जाने की गति बहुत धीमी थी। 1979 और 1980 में बकाया पड़े मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के कारण अभी तक (जुलाई 1982) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ii) कलकत्ता पत्तन में 31 मार्च 1981 को बकाया पड़े अनन्तिम निर्धारणों में से 1972 से 1980 तक के वर्षों के दौरान किए गए अनन्तिम निर्धारणों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी और केवल 166 मामलों में आयातकर्ताओं को सुसंगत दस्तावेजों और ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए गए प्रतीत होते थे। केवल आठ मामलों में औपचारिक रूप से समय को बढ़ाए जाने की अनुमति दी गई थी किन्तु उसके बाद भी एकपक्षीय निर्धारण नहीं किए गए थे। 166 मामलों में से केवल सात मामलों में एकपक्षीय निर्धारण किए गए थे जिनमें 5.46 लाख रु० की मांग उठाई गई थी जिसे अभी तक (अगस्त 1982) वसूल नहीं किया गया है।

(iii) 31 मार्च 1980 और 31 मार्च 1981 को कलकत्ता पत्तन में बकाया क्रमशः 2872 और 3090 अनन्तिम निर्धारणों में से 1005 और 1024 मामले परियोजना ठेकों के प्रति किए गए आयातों से सम्बद्ध थे। 1961 से 1970 तक के वर्षों से सम्बद्ध 124 मामलों में से 1980-81 के वर्ष के दौरान केवल 7 मामलों को अन्तिम रूप दिया गया था, और शेष 117 मामले अभी भी बकाया पड़े थे। ठेके के अन्तर्गत आयात की अन्तिम तारीख से दो माह के भीतर मामलों को अंतिम रूप देना होता है और यह तारीख अधिकांश मामलों में समाप्त हो गई थी और अन्य मामलों में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि कितने आयात की और सम्भावना थी। फिर भी निर्धारणों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया और न ही जहां मांग की जानी थी, मांग की गई।

(iv) जब कभी निर्धारण अनन्तिम रूप से किया जाता है, 1963 के विनियम के अनुसार आयातकर्ता द्वारा अनुमानित शुल्क जिसका अंतिम रूप से निर्धारण किया जाय (जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया) और

निर्धारित अनन्तिम शुल्क के बीच के अन्तर की राशि के लिए एक बांड निष्पादित करना होता है। लेखापरीक्षा में 926 अनन्तिम निर्धारणों में जांच किए जाने पर बांडों का मूल्य 77.36 करोड़ रु० था जो सरकार को तभी उपचित होता यदि गारंटी देने वाले के प्रति बांडों को लागू किया जाता है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा निदेश दिया गया था, एकपक्षीय निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण अभी तक इतने राजस्व की मांग नहीं की गई है, जबकि रकम बांडों द्वारा सुरक्षित कर ली गई थी।

(v) 3090 अनन्तिम निर्धारण जो 31 मार्च 1981 को निर्णय के लिये वकाया पड़े थे, में से 1024 मामलों का संबंध ऐसे लोक क्षेत्र के उपक्रम और विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा किए गए आयातों से था जिनके द्वारा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि वकाया पड़े अनन्तिम निर्धारणों के मामलों की संख्या अधिक है और यह बताया है कि अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

अध्याय 2

संघ उत्पाद शुल्क

2.01 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 1981-82 के दौरान संघ उत्पाद शुल्क से हुई कुल प्राप्तियों की राशि 7420.74* करोड़ रु० थी। मूल उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए अन्य शुल्क से 1981-82 के दौरान हुई प्राप्तियां पिछले वर्ष के तदनुसूची आंकड़ों सहित, नीचे दी गई हैं :—

	संघ उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	
	1980-81 रु०	1981-82 रु०
1	2	3
क--विभाज्य शुल्क		
मूल उत्पाद शुल्क	55,25,46,15,203	61,85,20,78,520
सहायक उत्पाद शुल्क	(--) 4,37,048	37,324
विशेष उत्पाद शुल्क	2,57,99,49,844	3,36,16,66,475
खनिज उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	37,63,940	10,11,644
जोड़—(क)	57,83,78,91,939	65,21,47,93,963
ख--राज्यों को समनुदेशित शुल्क :—		
बिक्री कर के एवज में	4,08,91,53,015	4,94,58,49,505
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क		
विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क	1,31,06,39,013	1,41,60,19,841
जोड़—(ख)	5,39,97,92,028	5,36,18,69,346

*दिसम्बर 1982 में महालेखा नियंत्रक द्वारा सूचित संगोषित अनन्तिम आंकड़े।

ग--अविभाज्य शुल्क :		
विनियामक उत्पाद शुल्क	65,670	42,039
सहायक उत्पाद शुल्क	2,00,043	1,43,528
विशेष उत्पाद शुल्क	4,27,59,809	7,64,67,378
कपड़े और कपड़े से बनी वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	62,93,46,373	83,45,47,790
अन्य शुल्क	38,04,724	39,16,349
जोड़--(ग)	67,61,76,619	91,51,17,084
घ--वस्तुओं पर उपकर		
	1,06,46,84,919	1,69,10,89,139
ङ--अन्य प्राप्तियाँ		
	2,16,61,706	2,45,36,738
जोड़--मुख्य शीर्ष	65,00,02,07,211	74,20,74,06,270

पिछले पांच वर्षों में प्राप्तियों की प्रवृत्ति और टैरिफ मदों और उपमदों (प्रत्येक उनके सामने दी गई दर सहित) की संख्या, जिनके अन्तर्गत शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन से वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया था, नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	संघ उत्पाद शुल्क से प्राप्तियाँ (करोड़ ₹० में)	टैरिफ मदों की संख्या	टैरिफ उप-मदों की संख्या
1977-78	4,447.51	136	294
1978-79	5,341.95	138	304
1979-80	6,011.09	139	307
1980-81	6,500.02	139	313
1981-82	7,420.74	140	322

वस्तुओं की संख्या जिनसे वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक से 100 करोड़ रु० से अधिक उत्पाद शुल्क प्राप्त हुआ, उन वस्तुओं की संख्या जिनसे 10 करोड़ रु० और 100 करोड़ रु० के बीच प्राप्ति हुई और उनकी संख्या जिनसे प्रति वर्ष 10 करोड़ रु० से कम प्राप्ति हुई, पिछले पांच वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दी गई है (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता को दर्शाते हैं) :—

वर्ष	वस्तुओं की संख्या जिनसे प्राप्ति होती है*		
	100 करोड़ रु० से अधिक	10 करोड़ और 100 करोड़ रु० के बीच	10 करोड़ रु० से कम
1977-78	12(60)	41(34)	85(6)
1978-79	18(71)	43(25)	78(4)
1979-80	18(72)	47(24)	72(4)
1980-81	21(75)	49(21)	67(4)
1981-82	21(76)	52(21)	68(3)

हाल के वर्षों में जिन वस्तुओं से प्रति वर्ष 100 करोड़ रु० से अधिक और 1 करोड़ रु० से कम की प्राप्ति हुई है वे नीचे दी गई हैं :—

क्रम संख्या	वस्तुएं जिनमें प्रत्येक से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु० से अधिक प्राप्ति हुई है*	वस्तु से प्राप्ति		
		1979-80 में	1980-81 में	1981-82 में
1	2	3	4	5
(करोड़ रु० में)				
1.	सिगरेट	583.37	613.30	686.84
2.	सभी अन्य वस्तुएं जो और कहीं उल्लिखित नहीं हैं	382.26	433.72	536.03

*पिछले वर्षों के आंकड़े अलग-अलग सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से लिए गए हैं। 1981-82 के आंकड़े सांख्यिकीय एवं आसूचना निदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क द्वारा दिए गए हैं।

1	2	3	4	5
3.	कृत्रिम रेशे और धागा	396.49	464.98	527.27
4.	मोटर स्मिर्ट	558.32	492.09	518.41
5.	टायर और ट्यूब	207.62	288.25	360.41
6.	परिष्कृत डीजल तेल और वास्य शील तेल	387.05	280.44	359.22
7.	लोहा और इस्पात उत्पाद	271.23	275.63	340.55
8.	मोटर गाड़ियां	160.14	227.42	314.56
9.	चीनी (खंडसारी सहित)	240.31	248.29	294.94
10.	पेट्रोलियम उत्पाद जो अन्य प्रकार से उल्लिखित नहीं हैं	208.38	175.15	182.03
11.	कागज	149.93	174.46	169.60
12.	सीमेंट	123.79	136.74	169.59
13.	सूती वस्त्र	125.48	153.07	161.25
14.	मिट्टी का तेल	165.25	123.78	149.63
15.	विद्युत	154.83	139.08	146.65
16.	एल्युमिनियम	105.34	111.51	142.03
17.	कृत्रिम वस्त्र	96.66	112.45	140.61
18.	प्लास्टिक	109.64	123.49	137.68
19.	बीड़ी	116.26	117.59	123.15
20.	सूती धागा	97.53	108.59	103.41
21.	पेटेंट अथवा स्वाम्य औषधियां	77.98	84.18	100.97

वस्तुएं जिनमें प्रत्येक से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रु० से कम प्राप्ति हुई*

1. कपूर	0.46	0.75	0.98
2. सीसा	0.59	0.82	0.94
3. निवृत्ति प्लास्क	0.77	1.05	0.93
4. पेट्रोलियम गैस	--	--	0.84
5. ताश	0.93	0.93	0.82
6. चलचित्र प्रक्षेपण उपकरण एवं उनके पुर्जे	0.52	0.66	0.60
7. टाइपराइटर के रिबन और उसी प्रकार के रिबन	0.53	0.53	0.44
8. लिनोलियम	0.52	0.66	0.40
9. मेन्थोल	0.44	0.43	0.39
10. टेलिविजन चित्र एवं ध्वनि रिकार्ड आदि	--	--	0.32
11. फ्लैक्स फैब्रिक एवं रेमी फैब्रिक	0.20	0.23	0.30
12. हुक्का का तम्बाकू	1.69	0.30	0.29
13. जिप या स्लाइड फासनर	0.22	0.25	0.24
14. वायरलेस रिसेविंग सेटों के पुर्जे	0.32	0.23	0.23
15. लेपित वस्त्र	0.06	0.13	0.19
16. ध्वनि रिकार्ड करने आदि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं	--	--	0.13
17. यांत्रिक लाइटर्स	0.04	0.05	0.09
18. फ्लैक्स यार्न और रेमी यार्न	--	--	0.03
19. टेलिविजन कैमरा	--	--	0.01
20. सिगार एवं चुरट	0.03	0.02	--

*पिछले वर्षों के आंकड़े अलग-अलग सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से लिए गए हैं। 1981-82 के आंकड़े सांख्यिकीय एवं असूचना निदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा कुलक द्वारा दिए गए हैं।

2.02 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नताएं

वर्ष 1981-82 के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नताएं पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नताएं	अनुमानों की तुलना में वृद्धि या कमी की प्रतिशतता
				(करोड़ रु० में)
1978-79	5299.06	5341.95	(+) 42.89	(+) 0.81
1979-80	6008.00	6011.09	(+) 3.09	(+) 0.05
1980-81	6264.81	6500.02	(+) 235.21	(+) 3.75
1981-82	7116.90	7420.74	(+) 303.84	(+) 4.27

28 फरवरी 1981 को संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में पाए गए उल्लेखनीय परिवर्तन, जिन्हें वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) में समाविष्ट किया गया, और उनके स्पष्ट प्रभाव नीचे दिए जाते हैं :—

(i) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र से बनी वस्तुएं) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत शुल्क की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई थी। वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्ति 31.31 करोड़ रु०* थी।

(ii) पॉलिस्टर फिल्मों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में एक नई मद 15खख लागू की गई थी। इस से वर्ष के दौरान 1.52 करोड़ रु० की प्राप्ति हुई।

*सांख्यिकीय एवं आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, से प्राप्त सूचना के अनुसार।

2.03 वसूली की लागत

1981-82 के दौरान संघ उत्पाद शुल्क की वसूली करने में किया गया व्यय पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	उत्पाद शुल्क से प्राप्तियाँ	वसूली पर व्यय	प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वसूली की लागत
			(करोड़ रु० में)
1978-79	5341.95	35.35	0.66
1979-80	6011.09	35.39	0.58
1980-81	6500.02	38.42	0.59
1981-82	7420.74	44.03	0.59

2.04 संघ उत्पाद शुल्क की वसूली में बकाया राशियाँ और अशोध्य राजस्व

(i) 31 मार्च 1982 को वसूली के लिए बकाया उत्पाद शुल्क की मांग (जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है) 250.25 करोड़ रु०* थी, वस्तुवार ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

वस्तु	उत्पाद प्राप्य शुल्क की राशि
	(करोड़ रु० में)
अविनिमित्त तम्बाकू	11.82
मोटर स्प्रिट	14.38
परिष्कृत डीजल तेल	1.87
कागज	9.46
रेयन धागा	4.90
सूती वस्त्र	10.37
लोहा व इस्पात के उत्पाद	8.17
टिन की प्लेटें	0.16
रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन उपकरण	4.66
अन्य सभी मदें	184.46
जोड़	250.25

*आंकड़े अनन्तिम हैं और दिल्ली व गोआ कलक्टोरियों के आंकड़े इनमें शामिल नहीं

(ii) राजस्व की राशि, जो सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान परिसीमा अवधि के भीतर मांग जारी न किए जाने के कारण सरकार द्वारा वसूल नहीं की जा सकती थी, 10.51 करोड़ रु० थी ।

(iii) वर्ष 1981-82 के दौरान अशोध्य समझकर माफ कर दी गई, छोड़ दी गई या बट्टे खाते डाल दी गई राजस्व की राशि 31.67 लाख रु०* थी (वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित) । माफ कर दिए जाने या बट्टे खाते डाल दिए जाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए थे :—

	मामलों की संख्या	राशि रु०
(1) निम्नलिखित कारणों से माफी		
(क) आग	48	17,06,245
(ख) बाढ़	3	44,464
(ग) चोरी	1	238
(घ) अन्य कारण	118	11,57,995
(2) निम्नलिखित के कारण छोड़ी गई या बट्टे खाते डाली गई		
(क) निर्धारित जो मृत्यु के बाद कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गए	141	19,206
(ख) निर्धारित जिसका पता नहीं चल सका	96	15,410
(ग) निर्धारित जो भारत छोड़ गया	7	7,600
(घ) निर्धारित जो शुल्क देने की स्थिति में नहीं	606	2,13,755
(ङ) अन्य कारण	4	2,658
जोड़		31,67,571

*आंकड़े अन्तिम हैं और इसमें दिल्ली कलक्टरों के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

2. 05 धोखा धड़ी और अपवंचन के लिए मुकदमा चलाया जाना*

वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत धोखाधड़ी और अपवंचन संबंधी अपराधों के लिए चलाए गए मुकदमों, लगाई गई शास्ति की राशि, और जब्त किए गए मामले के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(1) अपराधों की संख्या जिन पर मुकदमों चलाए गए	. 88
(2) उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्म सिद्ध हो गया	. 28
(3) पकड़े गए माल का मूल्य	. ₹० 15.77 करोड़
(4) जब्त किए गए माल का मूल्य	. ₹० 2.26 "
(5) लगाई गई शास्तियों की राशि	. ₹० 2.38 "
(6) जब्त किए गए माल के संबंध में निर्धारित शुल्क की राशि	. ₹० 1.56 "
(7) जवती के बदले दण्ड स्वरूप लगाए गए जुमाने की राशि	. ₹० 0.41 "
(8) निपटारे में तय की गई राशि	. ₹० 53,526
(9) जवती के बाद नष्ट किए गए माल का मूल्य	. ₹० 54,585
(10) जवती के बाद बेचे गए माल का मूल्य	. ₹० 1,79,639

2. 06 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरियों के अभिलेखों और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले लाइसेंसधारियों के मूल आवकारी अभिलेखों की नमूना जांच से 52.94 करोड़ ₹० की सीमा तक शुल्क का अवनिर्धारण और राजस्व की हानियों का पता चला ।

देखी गई अनियमितताएं निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(क) अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम लगाया जाना ।

(ख) गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना ।

*आंकड़े अनन्तिम हैं और इसमें दिल्ली और नागपुर कलक्टरियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

- (ग) गलत छूट दिए जाने के कारण शुल्क का कम लगाया जाना ।
- (घ) लघु विनिर्माताओं को छूट ।
- (ङ) प्रयोज्य सामग्री पर दिए गए शुल्क के लिए अनुमत क्रेडिट के अनियमित उपयोग के कारण शुल्क का कम लगाया जाना ।
- (च) शुल्क का न लगाया जाना ।
- (छ) अनियमित वापसियां और रिबेट ।
- (ज) उपकर का कम लगाया जाना ।
- (झ) अन्य रुचिकर बातें ।

कुछ महत्त्वपूर्ण मामले अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए जाते हैं ।

अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम लगाया जाना

2. 07 समीकृत भाड़ा के लिए समायोजन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम 1944 की धारा के अन्तर्गत ऐसे मूल्य को सामान्य मूल्य माना जाएगा जिस पर माल को थोक व्यापार के दौरान निकासी के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए सामान्यतया बेचा जाता है । जहां निर्धारिती द्वारा माल विभिन्न वर्ग के खरीददारों (जो संबंधित व्यक्ति न हो) को विभिन्न स्थानों पर बेचा जाता है वहां प्रत्येक ऐसा मूल्य प्रत्येक ऐसे वर्ग के खरीददार के संबंध में माल का सामान्य मूल्य माना जाएगा । वित्त मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद मार्च 1976 और जुलाई 1976 में यह स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी, जिनको विभिन्न मूल्यों पर माल बेचा जा सकता है, विभिन्न वर्ग के खरीददार होते हैं और जब मूल्य में समीकृत भाड़ा शामिल हो तो निर्धार्य मूल्य का परिकलन करने के लिए मूल्य से उसकी कोई कटौती अनुमत नहीं है ।

एक विनिर्माता जो चमकदार टाइल का विनिर्माण करता था, दो मुख्य नगरों में अपने विक्री डिपों को माल अन्तरित किया करता था और उन दो नगरों को माल भेजने पर क्रमशः 2.20 रु० और 4 रु० प्रति डिव्वा भाड़ा लिया करता था । निर्धार्य मूल्य का परिकलन दोनों डिपों से सभी विक्रियों पर उसके द्वारा मूल्य में शामिल किए गए ऐसे समान रूप से नियत भाड़ा प्रभारों को निकालकर किया गया था । सामान्य

मूल्य से समीकृत भाड़े को निकाल दिए जाने का परिणाम अवमूल्यांकन हुआ जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1978 से मार्च 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 3,33,066 रु० की राशि का शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1980 और अगस्त 1981) विभाग ने बताया (मई 1982) कि राशि की वसूली के लिए फरवरी 1982 में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (सितम्बर 1982) कि एक उच्च न्यायालय में निर्धारिती द्वारा रिट याचिका दायर कर दी गई है ।

2.08 पैकिंग का मूल्य

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(4) (घ) (i) के अनुसार पैक की हुई हालत में निकासी किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल से संबंधित मूल्य में पैकिंग की लागत शामिल होती है सिवाय इसके कि जहां पैकिंग टिकाऊ हो और उसे खरीददार द्वारा विनिर्माता को वापस किया जा सकता हो । जहां खरीददार द्वारा विनिर्माता को टिकाऊ डिब्बे आपूर्त किए जाते हैं और वह खरीददार को आपूर्ति के लिए उनमें उत्पाद शुल्क योग्य माल भेजता हो वहां उत्पाद शुल्क लगाने के लिए टिकाऊ पैकिंग का मूल्य निर्धार्य मूल्य में शामिल किया जाना है । यह बात मार्च 1976 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई थी ।

(i) गैसों और रसायनों के एक विनिर्माता ने (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली) नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के टिकाऊ सिलिंडरों में आपूर्ति की जिनमें से कुछ उसने खरीदे थे और कुछ खरीददारों द्वारा उसे दिए गए थे । खरीददारों द्वारा आपूर्त किए गए सिलिंडरों में गैस की विक्री पर सिलिंडरों का मूल्य गैसों के निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप फरवरी से दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 3,25,920 रु० का शुल्क कम लगाया गया ।

इस चूक की ओर लेखा परीक्षा में ध्यान दिलाया गया था (जून 1982); विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)। फरवरी 1981 से पहले और जनवरी 1982 के बाद की भी निकासियों के संबंध में इसी प्रकार के कम उद्ग्रहण का अभी विभाग द्वारा परिकलन किया जाना है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि की है (नवम्बर 1982)।

(ii) बिजली के पंखों के एक विनिर्माता ने पहले उन्हें पालिथिन के थैलों में और उसके बाद लकड़ी के बक्सों में पैक किया। विभाग ने लकड़ी के बक्सों की लागत को पंखों के निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया, यद्यपि कि लकड़ी के बक्से न तो टिकाऊ थे और न ही वापस किए जाने थे। इसके कारण अवमूल्यांकन हुआ जिससे अप्रैल 1979 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 8,51,205 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने बताया (मई 1982) कि लकड़ी के बक्से पंखे के हिस्सों को चोरी व टूट-फूट से बचाने के लिए अतिरिक्त पैकिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार की पैकिंग किसी भी तरह से पंखों के विनिर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं थी। ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं करती जिससे कि राजस्व की हानि हो।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(iii) एक कम्पनी, जो प्लाईवुड (टैरिफ मद 16ख के अन्तर्गत आने वाली) का विनिर्माण करती थी, ने विनिर्माण के स्थान में की गई बिक्रियों के संबंध में अलग से पैकिंग प्रभार वसूल किए परन्तु निर्धार्य मूल्य में प्रभारों को शामिल नहीं किया। अन्य स्थानों में की गई बिक्रियों के संबंध में इसने मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्य भी प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 1980 से जून 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 3,54,379 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

अवमूल्यांकन को पकड़ने में हुई चूक की ओर लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1981) विभाग ने बताया (अक्तूबर 1981) कि एक कारण बताओं और मांग नोटिस जारी कर दिया गया है (जुलाई 1981)। मांग की पुष्टि और वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iv) प्रेसर कुकर के एक विनिर्माता ने अपने अधिकांश उत्पाद (98 प्रतिशत) की निकासी उनको लकड़ी के बक्सों, जो वापस नहीं किए जाने थे, में पैक करने के बाद की। तथापि ऐसे लकड़ी के पैकिंग का मूल्य कुकर के निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 1979 से सितम्बर 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 1,77,553 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च 1982) विभाग ने गलती को स्वीकार किया (जुलाई 1982) और विनिर्माता को एक कारण बताओ एवं मांग नोटिस 1,77,553 रु० के लिए जारी किया। मांग की पुष्टि के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(v) आक्सीजन और ऐसीटिलीन गैस (टैरिफ मद 14 ज के अन्तर्गत आने वाली) के एक विनिर्माता ने वापस किए जाने योग्य सिलिंडरों की लागत के कारण क्रमशः आक्सीजन और ऐसीटिलीन गैस के प्रति घन मीटर 1.25 रु० और 3.90 रु० की दर के विक्री मूल्य के आधार पर गैसों के निर्धार्य मूल्य पर कटौती का दावा किया जिसे विभाग ने अनुमत कर दिया। तथापि, वास्तव में इन कटौतियों का दावा सिलिंडरों के मूल्य पर व्याज प्रभार और मूल्यह्रास के प्रति किया गया था और न कि उनकी लागत पर जोकि गैस के मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। कटौती, यद्यपि सिलिंडरों में प्रतिवर्ष दी गई गैस की मात्रा पर आधारित थी, गैस के विनिर्माण एवं आपूर्ति की लागत के अंश को निरूपित करती थी जो

कि गैसों के विक्री मूल्य में शामिल थी। कटौती विनिर्माण के बाद की किसी लागत को निरूपित नहीं करती थी और उपभोज्य पैकिंग (सिलिंडरों पर मूल्यहास) के तरह की थी जो विनिर्माण के स्थान से फैक्टरी के गेट तक भी गैस को हटाने के लिए आवश्यक थी। अतः अनुमत की गई कटौती कानून के विपरीत थी और इसके कारण 88,156 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 1981) विभाग ने अप्रैल 1978 से दिसम्बर 1981 तक की गई आक्सीजन गैस की निकासियों के संबंध में 1,33,542 रु० का एक कारण बताओं एवं मांग नोटिस जारी किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (नवम्बर 1982) कि लेखापरीक्षा आपत्ति की जांच की जा रही है।

(vi) वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन के पैरा 77(क) में सिगरेटों के निर्धार्य मूल्य की संगणना में सिगरेटों की पैकिंग के लिए प्रयुक्त नालीदार फाइबर बोर्ड के डिब्बों की लागत न शामिल किए जाने से 4.21 करोड़ रु० के शुल्क के अवनिर्धारण की ओर ध्यान दिलाया गया था। इस चूक को इस आधार पर न्यायसंगत बताया गया था कि डिब्बे ग्राहकों द्वारा खरीदे गए या आपूर्त किए गए थे और ये सिगरेटों को पैक करने के लिए अनिवार्य नहीं थे। लोक लेखा समिति (1981-82 सातवीं लोक सभा) ने अपनी 69वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सरकार को यह जानने के लिए अन्तर्ग्रस्त मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए कि क्या उत्पादन शुल्क कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है जिससे कि स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाए। सरकार ने अपनी की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणी में बताया था (नवम्बर 1981) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बिल का मसौदा तैयार करने में, जिसे बताया गया कि तैयार किया जा रहा था, समिति की अभ्युक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा।

एक कलकटरी के अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित की गई तीन यूनिटों में इसी प्रकार के अवनिर्धारण और 2.39 करोड़ रु० के कम शुल्क लगाये जाने के मामले लेखापरीक्षा में देखने में आए थे (अक्तूबर,

नवम्बर और दिसम्बर 1981 में)। इन तीनों यूनिटों द्वारा निर्मित सिगरेटों का निर्धार्य मूल्य नालीदार फाइबर बोर्ड के डिब्बों की लागत घटाने के बाद अवधारित की गई थी हालांकि उनकी लागत खरीदारों से वसूल की गई थी और उन्होंने यह दर्शाया था कि न तो डिब्बे ग्राहकों से अधिप्राप्त किए गए थे और न ही ग्राहकों द्वारा आपूर्ति किए गए थे और फिर भी उनका उपयोग विनिर्माताओं द्वारा बराबर किया गया था।

यह तथ्य विभाग को जनवरी 1982 में सूचित किए गए थे, उसका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि अप्रैल 1980 से अप्रैल 1982 के दौरान की गई निकासियों के संबंध में तीनों यूनिटों से 4.94 करोड़ रु० की तीन मांगों की गई है और उनका अधिनिर्णय किया जाना है।

2.09 उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुएं जिनका पूरा मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत विनिर्मित उत्पाद के निर्धार्य मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस उत्पाद के मूल्य में से देय शुल्क कम किया जा सकता है। किन्तु यदि निर्धारिती सरकार को अदा किए गए उत्पाद शुल्क से अधिक शुल्क या वस्तुओं के मूल्य के रूप में कोई और रकम वसूल करता है तो मूल निर्धार्य मूल्य में ऐसी अधिक रकम जोड़ने के बाद निर्धार्य मूल्य पुनः अवधारित करना होता है।

(i) क्राफ्ट पेपर का विनिर्माण करने वाली एक मिल ने अपने ग्राहकों से यथामूल्य 40 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क वसूल किया था किन्तु सरकार को 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक भार वाले पेपर पर यथामूल्य 10 प्रतिशत और 65 ग्राम प्रतिवर्ग मीटर तक के पेपर पर यथामूल्य 7½ प्रतिशत की दर से शुल्क अदा किया था। अधिक वसूल किए गए शुल्क को शामिल करने के लिए निर्धार्य मूल्य का पुनः अवधारण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1978 से अप्रैल 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 5,45,789 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1979), विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी और मांग जारी कर दी (सितम्बर 1981), विनिर्माता की अपील अनिर्णीत पड़ी है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(ii) एक और पेपर मिल ने अपने ग्राहकों से क्राफ्ट पेपर पर यथामूल्य 40 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल किया किन्तु सरकार को केवल यथामूल्य 20 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा किया और विभाग ने उत्पाद शुल्क योग्य सामान के निर्धार्य मूल्य को संशोधित करने के लिए कार्यवाही नहीं की। निर्धार्य मूल्य के संशोधित न किए जाने के परिणामस्वरूप जुलाई 1980 से जून 1981 के दौरान निकासी किए गए 2,935 टन क्राफ्ट पेपर पर 4,30,251 रु० का कम कर लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाया गया था (अक्टूबर 1981) विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (नवम्बर 1982) कि निर्धारित द्वारा रिट याचिका दायर किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किए गए हैं।

(iii) एक और पेपर मिल ने सरकार को उसके द्वारा अदा किए शुल्क की तुलना में अपने ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूल किया किन्तु निर्धार्य मूल्य पुनः निर्धारित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मई 1979 से फरवरी 1982 के दौरान की गई निकासी पर 2,97,757 रु० कम शुल्क लगा।

लेखापरीक्षा में अक्टूबर 1981 में इस विफलता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने नवम्बर 1981, फरवरी 1982 और अप्रैल 1982 में कारण बताओ नोटिस एवं मांग नोटिस जारी कर दिए। मांग की पुष्टि और वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है और आगे बताया है (नवम्बर 1982) कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने पहले भी आपत्ति उठाई थी किन्तु उसके विवरण उपलब्ध नहीं किए गए थे।

(iv) सेलोफेन के एक विनिर्माता ने ग्राहकों से बैंकिंग और आनुषंगिक प्रभारों के रूप में वीजक मूल्य का 1.5 प्रतिशत वसूल किया (21 फरवरी 1979 से) जिसे मार्च 1980 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान निकासी किए गए माल के निर्धार्य मूल्य को अवधारित करने के लिए शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 6,03,750 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में कम मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1979), विभाग ने निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया किन्तु फरवरी 1979 से फरवरी 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर कम लगाए गए शुल्क की मांग नहीं की गई थी। विनिर्माता ने प्रतिवाद करते हुए सितम्बर से नवम्बर 1980 तक के महीनों के दौरान की गई निकासियों पर केवल 1,11,960 रु० की राशि अदा की। विनिर्माता की अपील सितम्बर 1981 में रद्द कर दी गई थी।

शेष राशि और बाकी अवधि के संबंध में प्राप्य राशि की वसुली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि निर्धारिती ने भारत सरकार को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी है।

(v) संपीडित औद्योगिक आक्सीजन गैस और ऐसीटिलोन गैस के एक विनिर्माता ने खुले बाजार में उपभोक्ताओं और दर-संविदाओं के अनुसार खरीदने वालों को बेची गई इन गैसों का मूल्य पृथक-पृथक तरीके से निर्धारित किया, मूल्य निर्धारण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। विनिर्माता ने दर-संविदाओं के लिए मूल्य पर शुल्क अदा करने के बाद गैस अपने डिपुओं को अंतरित कर दी यद्यपि यह सत्यापित नहीं किया गया था कि डिपुओं से की गई बिक्री दर-संविदा के अन्तर्गत की गई थी।

लेखापरीक्षा में कम मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अक्तूबर 1979), डिपुओं से दर संविदाओं के अन्तर्गत न की गई बिक्री को बिक्री वीजकों के अनुसार अलग कर दिया गया और विभाग ने डिपुओं से 1 अप्रैल 1978 से 30 अप्रैल 1981 तक की अवधि

के दौरान की गई विक्री पर उद्ग्राह्य विभेदक शुल्क के रूप में 2.07 लाख रु० की मांग जारी कर दी, मांग 27 नवम्बर 1981 को वसूल हो गई थी ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982) ।

(vi) बिजली की मोटरों और बिजली से चलने वाले पम्पों का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने बिजली से चलने वाले पम्पों का विनिर्माण करने के लिए फैक्टरी के अन्दर बिजली की मोटरों का उपयोग किया । विनिर्माता ने पम्पों के खरीदार से बिजली की मोटरों के मूल्य पर और पंपों के मूल्य पर भी शुल्क वसूल किया, किन्तु उत्पाद शुल्क निर्धारित करते समय बिजली की मोटरों पर शुल्क का अंश पम्पों के निर्धार्य मूल्य की संगणना में शामिल नहीं किया गया था । लेखापरीक्षा ने अप्रैल 1979 में बताया कि इसके परिणास्मवरूप, जुलाई 1977 से फरवरी 1978 तक की अवधि के दौरान 27,884 रु० का कम शुल्क वसूल हुआ था । इसके पश्चात् विभाग ने फरवरी 1973 से जनवरी 1978 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 2.36 लाख रु० के विभेदक शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया ।

मांग की पुष्टि और वसूली के संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मई 1982) ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1982) कि मांग की तुरन्त पुष्टि करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा फरवरी 1981 में यह स्पष्ट किया गया था कि शुल्क का प्रतिदाय करने के लिए निर्धार्य मूल्य पुनः अवधारित करना पड़ेगा, वापस किया गया शुल्क विनिर्माता द्वारा वसूल किए गए माल के मूल्य (शुल्क निकाल कर) का हिस्सा होता है जिससे माल का निर्धार्य मूल्य बदल जाता है ।

एक निर्धारिती को 12.11 लाख रु० का प्रतिदाय संस्वीकृत किया गया था (जनवरी 1981) क्योंकि उसने पालिथीलीन पर उद्ग्राह्य शुल्क की अपेक्षा, अधिक शुल्क अदा कर दिया था, उसके द्वारा अदा किया गया शुल्क प्रभाव उपभोक्ताओं से वसूल किए गए विक्री मूल्य के भाग के

रूप में उनको अंतरित कर दिया गया था। प्रतिदाय संस्वीकृत करते समय, निर्धार्य मूल्य पुनः अवधारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित को अधिक प्रतिदाय किया गया। लेखापरीक्षा में इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने (मई 1981) के बाद प्रतिदाय बिल का पुनरीक्षण किया गया (जून 1981) और 3,26,974 रु० की वसूली के लिए निर्धारित को कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया गया (जुलाई 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (जुलाई 1982)। मांग की पुष्टि और वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवम्बर 1982)।

(viii) एक फ़ैक्टरी ग्राहक की विशिष्टियों के अनुसार अंतर्दहन इंजनों का विनिर्माण करती थी। कुछ इंजन हाथ से चलने वाले थे किन्तु उनमें से अधिकांश में बिजली के स्टार्टर लगे हुए थे। कुछ हाथ से चलने वाले और बिजली के स्टार्टर, दोनों से ही चलने वाले थे। चूंकि बिजली के स्टार्टरों को सहायक पुर्जे माना गया था, इसलिए उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन से ऐसे इंजनों, जहां उनमें बिजली के स्टार्टर लगे हुए थे और वे ऐसे स्टार्टरों के बिना चलाए नहीं जा सकते थे, का निर्धार्य मूल्य अवधारित करते समय, उनका (बिजली के स्टार्टर) मूल्य शामिल नहीं किया गया था, बिजली के वे स्टार्टर इंजनों का अभिन्न अंग थे और सहायक पुर्जे नहीं थे। इसलिए शुल्क लगाने के प्रयोजन से ऐसे स्टार्टरों का मूल्य ऐसे इंजनों के मूल्य में शामिल किया जाना अपेक्षित था। ऐसा न करने के कारण 4,14,815 रु० का कम शुल्क लगा।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 4,14,815 रु० वसूल कर लिए।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्तूबर 1982)।

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र में ऊनी वस्त्र का एक विनिर्माता जो शुल्क (विभाग द्वारा अनुमोदित की गई मूल्य सूची के आधार पर) अदा करने के बाद अपने शोरूमों के माध्यम से अपने उत्पादों की विक्री कर रहा था, वास्तव में उन्हें अनुमोदित मूल्य सूची में दिए गए दामों की अपेक्षा

अधिक दामों पर बेच रहा था। वास्तविक विक्रय मूल्य के आधार पर विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित न किए जाने के परिणामस्वरूप 1,25,860 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1981), विभाग ने 1979-80 से 1981-82 के वर्षों के संबंध में 1,25,860 रु० का कारण बताओ नोटिस एवं मांग नोटिस जारी किया। वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने अपत्ति स्वीकार नहीं की है और बताया है (नवम्बर 1982) कि विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति के प्राप्त होने से पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी थी। तथापि, 1,25,860 रु० की मांग 17 मई 1982 को ही की गई थी।

(X) उर्वरकों के एक विनिर्माता ने दिनांक 16 जून 1976 को एक अधिसूचना के अनुसार रियायती दरों पर शुल्क अदा किया किन्तु अपने ग्राहकों से पूरी दरों पर शुल्क वसूल किया। किन्तु अधिक वसूली के कारण ऊंचे निर्धार्य मूल्य पर विभेदक शुल्क के लिए उसका पुनः निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1977-78 और 1978-79 के वर्षों के दौरान की गई निकासी पर 1,28,599 रु० का कम शुल्क लगा।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1979) विभाग ने बताया (अप्रैल 1980) कि निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय निर्धार्य मूल्य फिर से अवधारित किया जाएगा। किन्तु विभाग द्वारा न तो निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया है और न ही विभेदक शुल्क मांगा गया है (अप्रैल 1982)।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

2. 10 निर्धार्य मूल्य की गलत संगणना

(i) जून 1977 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार तीन बैंड के वायरलैस रिसेविंग सेटों (जो टैरिफ मद 33 क के अन्तर्गत आते हैं) पर यथामूल्य 25 प्रतिशत की दर से शुल्क उद्ग्राह्य है यदि

उनका मूल्य 250 रु० से अधिक न हो, जबकि 250 रु० से अधिक मूल्य के सेटों पर शुल्क यथामूल्य 35 प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य है। अधिसूचना में स्पष्टीकरण में यह लिखा हुआ है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'मूल्य' शब्द का वही अर्थ होगा जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 में दिया गया है।

वायरलेस रिसेविंग सेटों के एक प्रमुख विनिर्माता को विभाग ने यथामूल्य 25 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा करने की अनुमति दे दी थी क्योंकि सेटों का मूल्य 209.14 रु० प्रति सेट था (380 रु० के विक्रय मूल्य में से 64.50 रु० के व्यापार बट्टा, 51.46 रु० के विनिर्माणोत्तर व्यय और लाभ और यथामूल्य 25 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क और उस पर 5 प्रतिशत की दर से विशेष शुल्क संगणित करते हुए 54.90 रु० की राशि घटाने के बाद। किन्तु 51.46 रु० के विनिर्माणोत्तर व्यय और लाभ को घटाने की वैधता के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर विभाग ने अनन्तिम रूप से कटौती अनुमत की जो कि अन्तिम संगणना के समय अस्वीकृत कर दी जाएगी। उसने 25 प्रतिशत की दर से शेष शुल्क अर्थात् 54.90 रु० प्रति सेट के लिए प्रतिभूति भी प्राप्त कर ली। तथापि, उक्त कटौती के बिना सेट का मूल्य बढ़कर 260.60 रु० हो जाता था और शुल्क यथामूल्य 35 प्रतिशत की दर से और उस पर विशेष शुल्क 5 प्रतिशत की दर से अर्थात् 54.90 रु० प्रति सेट की बजाय 95.77 रु० प्रति सेट उद्ग्राह्य था। इसलिए प्राप्त की गई प्रतिभूति अपर्याप्त थी और अप्रैल 1981 से अक्टूबर 1981 तक की अवधि के दौरान निकासी किए गए 34,947 सेटों पर 14.28 लाख रु० का शुल्क या तो लगाया नहीं गया या उसके लिए प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च 1982), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की (मई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1982) है कि समाहर्ता द्वारा सूचित किया गया है कि विनिर्माणोत्तर व्यय को शामिल करके सेटों का मूल्य 249.90 रु० प्रति सेट बनता है और शुल्क केवल 25 प्रतिशत की दर से ही उद्ग्राह्य है। यह सही नहीं है क्योंकि विनिर्माता ने स्वयं विनिर्माण की लागत 209.14 रु० और "विनिर्माणोत्तर व्यय और लाभ" 51.46 रु० बताया था जिससे कुल निधाय मूल्य 260.60 रु० बन जाता है।

(ii) दिनांक 20 अप्रैल 1961 की एक अधिसूचना के अनुसार पेटेन्ट और स्वामित्व वाली दवाइयों के विनिर्माताओं को डाक्टरों के सेम्पलों की निकासी बिना शुल्क के करने की अनुमति दी गई थी किन्तु उसे किसी भी महीने में सभी प्रकार की पेटेन्ट या स्वामित्व वाली औषधियों की पिछले महीने के दौरान की गई कुल शुल्क प्रदत्त निकासी के मूल्य के 5 प्रतिशत (1 अप्रैल 1977 से चार प्रतिशत) तक सीमित कर दिया गया था। सेम्पल अस्पतालों, नर्सिंग होम या डाक्टरों को मुफ्त पूर्ति के लिए होने चाहिए और वे पृथक रूप से पैक किए जाने चाहिए और उन पर "डाक्टर का सेम्पल विक्री के लिए नहीं" लिखा होना चाहिए।

डाक्टरी सेम्पलों जिनकी निकासी बिना शुल्क की अदायगी के की जा सकती थी, की मात्रा संगणित करने के लिए, दो विनिर्माताओं को 'विक्री के लिए नहीं' मुद्रांकित ऐसे सेम्पलों का मूल्यांकन करने की अनुमति दे दी गई थी मानों वे इस प्रकार मुद्रांकित नहीं किए गए थे और मूल्य सूचियों में दिखाई गई थोक और फुटकर दरों पर बट्टा अनुमत कर दिया (तदर्थ रूप में)। चूंकि उपरोक्त अधिसूचना में डाक्टरी सेम्पलों के संबंध में जिनकी निकासी अधिसूचना के अन्तर्गत बिना शुल्क के की जा सकती थी, 'मूल्य' शब्द के अर्थ की परिभाषा नहीं दी गई थी, सेम्पलों (उपहार के रूप में उपयोग के लिए विनिर्माता द्वारा निकासी करके अपने पास रखे गए) जिनकी उसी प्रकार के विक्री योग्य माल से तुलना नहीं की जा सकी, का मूल्य निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सामान्य लाभ सहित उत्पादन की लागत पर किया जाना था और कृत्रिम तदर्थ बट्टे की बजाए केवल वास्तविक बट्टा ही अनुमत किया जाना था। तदनुसार मूल्य निर्धारण करने के बाद मुफ्त सेम्पलों की मात्रा को सीमित न करने के कारण, मात्रा की सीमा से अधिक निशुल्क निकासी किए गए डाक्टरी सेम्पलों पर 3.72 लाख ₹० का कम शुल्क लगाया गया। यह गलती विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा सूचित की गई थी (दिसम्बर 1978 और जुलाई 1979) जिसने आपत्ति स्वीकार नहीं की है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि तदर्थ बट्टा जो कि अक्टूबर 1962 में जारी किए गए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार निकटतम मात्रा के व्यापारिक पैकिंग के मूल्यांकन के लिए अनुज्ञेय है, मुफ्त सेम्पलों पर

दिया जाना था और उसके अनुसार अप्रैल 1975 और नवम्बर 1979 के बीच की गई निकासी पर 12.26 लाख रु० की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस और मांग नोटिस जारी कर दिए गए थे। बट्टे को वास्तविक राशि तक सीमित करने के मामले पर भी जोकि ऊपर दिया गया है, विचार करने की आवश्यकता है।

2. 11 विनिर्मित उत्पाद जिनका स्वयं उपयोग किया गया था

जहां उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुएं आंशिक रूप से बाहरी व्यक्तियों को बेच दी जाती हैं और आंशिक रूप से उत्पाद करने वाली फैक्टरी के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत अवधारित मूल्य निर्धार्य मूल्य माना जाता है। तथापि, जहां वस्तुएं उत्पादन वाली फैक्टरी में पूर्णतः इस्तेमाल में लाई जानी है, वहां निर्धार्य मूल्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली, 1975 के नियम 6(ख) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत तुलनीय वस्तुओं के मूल्य अथवा तुलनीय वस्तुओं का मूल्य का पता न लग सकने पर उत्पादन की लागत के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए।

नियम 6(ख)(ii) में यह अपेक्षित है कि जहां उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुएं विनिर्माता द्वारा बेची नहीं जाती किन्तु अन्य उत्पादों के उत्पादन या विनिर्माण के लिए उसके द्वारा या उसकी ओर से इस्तेमाल में लाई जाती है, वहां वस्तुओं का मूल्य सामान्य लाभ सहित उनकी उत्पादन या विनिर्माण लागत के आधार पर लगाया जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने भी दिसम्बर 1980 में अनुदेश जारी किए थे कि लागत आधार पर मूल्य का अवधारण करने के लिए आंकड़े विनिर्माण की अवधि से संबंधित लागत आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए और यदि निर्धारण के समय ऐसे आंकड़े (लागत आंकड़े) उपलब्ध न हों तो शुल्क अनन्तिम रूप से लगाया जाना चाहिए और संबंधित अवधि के आंकड़े उपलब्ध होने पर उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(i) सल्फ्यूरिक एसिड (98 प्रतिशत शक्ति का) के एक विनिर्माता ने उसकी अधिकांश मात्रा का फैक्टरी में ही प्रयोग किया और उसका मूल्य 425 रु० प्रति टन घोषित किया जो विभाग द्वारा 1 अप्रैल 1979

से स्वीकार कर लिया गया था। अन्य व्यक्तियों को बेचे गए एसिड पर, उसने सल्फर की लागत के अलावा जाव कार्य के आधार पर रूपान्तरण प्रभार वसूल किए। सल्फर की लागत और रूपान्तरण प्रभार को हिसाब में लेते हुए सल्फ्यूरिक एसिड की उत्पादन लागत 613 रु० प्रति टन बनती है जो कि निर्धार्य मूल्य था। उस क्षेत्र में एसिड का बाजार मूल्य 1050 रु० प्रति टन था और विनिर्माता ने अप्रैल और मई 1980 के दौरान जबकि उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, उसी मूल्य पर एसिड खरीदा था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1979 से मई 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 1,53,521 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलत मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई 1980) विभाग ने बताया कि थोक व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान कोई भी विनिर्माता साधरणतया विनिर्माण लागत से कम कीमत पर अपना माल नहीं बेचेगा विशेषकर उस समय जबकि प्रचलित बाजार मूल्य के कारण विक्रय मूल्य में इस प्रकार की कमी आवश्यक नहीं थी। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए इस बात की जांच करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया कि क्या विक्रय मूल्य अवास्तविक विक्रय मूल्य तो नहीं था। मामले की दुबारा जांच करने के बाद उसने बताया (अप्रैल 1981) कि विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्य के लागू रहने की अवधि के दौरान विभिन्न पार्टियों को 425 रु० प्रति टन के घोषित और अनुमोदित मूल्य पर सल्फ्यूरिक एसिड की तीन और विक्रियां की गई थीं और विभाग द्वारा सतर्कता से की गई पूछताछ से ऐसा नहीं लगा कि ये विक्रियां अवास्तविक विक्रियां थी। सल्फर का मूल्य जो जनवरी 1979 में केवल 700 रु० प्रति टन था, बढ़कर अक्टूबर 1979 में 1380 रु० प्रति टन हो गया था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। जब सल्फर का मूल्य और बढ़कर जून 1980 में 1800 रु० प्रति टन हो गया तो 11 जुलाई 1980 से घोषित मूल्य बढ़ाकर 750 रु० प्रति टन (जून 1980 में लेखा परीक्षा किए जाने के बाद) कर दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 425 रु० प्रति टन की दर से बिक्री असम्बद्ध खरीददार को की गई थी और 750 रु०

प्रति टन का मूल्य अनन्तिम था जिसे अंततः अनुमोदित करके 812.13 रु० प्रति टन कर दिया गया था ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने उसके द्वारा विनिर्मित सल्फ्यूरिक एसिड का मूल्य 13 अप्रैल 1981 से विभाग से 950 रु० प्रति टन अनुमोदित करवा लिया । 15 अप्रैल 1981 के बाद उत्पाद की कोई बिक्री नहीं हुई थी और उसे अपनी फैक्टरी में ही इस्तेमाल किया गया था । वर्ष 1980-81 के लिए संयंत्र के वार्षिक लागत विवरण के अनुसार, एसिड की उत्पादन लागत 1276 रु० प्रति टन थी जिसमें लाभ शामिल नहीं था । इसके परिणामस्वरूप 15 अप्रैल 1981 से 31 दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान 2,260 टन उत्पाद को अपनी फैक्टरी में ही इस्तेमाल किए जाने के संबंध में 1,61,452 रु० का शुल्क कम लगा ।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1982), विभाग ने बताया (जून 1982) कि विनिर्माता से विभेदक शुल्क की मांग करने के लिए संशोधित निर्धार्य मूल्य परिकलित कर लिया गया है । संशोधन के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 2,240 टन की मात्रा के संबंध में 1,59,994 रु० की मांग जारी कर दी गई है ।

(iii) ट्रेड बैटरियों के दो विनिर्माताओं ने जो मुख्यतः अपनी फैक्टरी में खपत के लिए और अंशतः फालतू संघटकों के रूप में बिक्री के लिए बैटरियों के संघटकों का उत्पादन कर रहे थे, दो अन्य स्थानों में स्थित बिक्री डिपुओं को अपने उत्पाद भेजें । फालतू संघटकों का घोषित कीमतों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए उन पर शुल्क लगाया गया जबकि घोषित मूल्य लागत आधार पर उनके मूल्य जो कि निर्धार्य मूल्य था, से बहुत कम था क्योंकि फालतू संघटक थोक व्यापार के दौरान नहीं बेचे गए थे । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1981 से मार्च 1982 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 1,00,599 रु० का शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में कम मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अक्तूबर, 1981), विभाग ने बताया (मार्च 1982) कि विनिर्माता मूलतः बैटरियों के विक्रता है न कि संघटकों के, जो कि उसी सीमा तक बेचे गए थे जितनी कि उनके डिपुओं में बैटरियों में इस्तेमाल करने के लिए उनकी आवश्यकता थी, अतः वे संघटकों के थोक विक्रता नहीं थे। किन्तु इससे विभाग द्वारा स्वीकृत कम मूल्यांकन को (जो अधिनियम के विपरीत है) न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह सोचा नहीं जा सकता है कि सामान्य मूल्य अलाभकारी मूल्य होगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iv) पेच, टिबरियों और काबलों के एक विनिर्माता ने टाइपराइटर बनाने में उनका स्वयं उपयोग किया था और उनकी फालतू पुर्जों के रूप में निकासी भी की थी जिनके लिए नियमित मूल्य सूची उपलब्ध थी। ये मूल्य निर्धारित द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़ों के आधार पर विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक थे। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत नियमित मूल्य के उपलब्ध होने पर इस बात के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया कि निर्धारण ऐसे मूल्यों के आधार पर क्यों नहीं किए गए थे और उसकी बजाए लागत आंकड़ों के आधार पर किए गए थे। गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण 1 जनवरी 1977 से 31 दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 25.91 लाख रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1981), विभाग ने अपत्ति स्वीकार कर ली और अप्रैल 1982 में 25.91 लाख रु० की मांग जारी कर दी। मांग के संग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (जुलाई 1982)।

(v) संघनित दूध का एक विनिर्माता दूध को पैक करने के लिए धातु के डिब्बे भी बनाता था। विभाग द्वारा डिब्बों का मूल्य विनिर्माण की लागत के आधार पर (लाभ के अंश सहित) अवधारित करने की अनुमति दे दी गई हालांकि विनिर्माता द्वारा उसी प्रकार की विशिष्टियों के

तुलनीय धातु के डिब्बे ऊंचे मूल्यों पर खरीदे भी गए थे। मूल्य का सही रूप से निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप जनवरी 1975 से दिसम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 1,55,284 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1976 में और पुनः जुलाई 1978 और फरवरी 1980 में) विभाग ने बताया (नवम्बर 1980) कि 1,55,284 रु० का विभेदक शुल्क सितम्बर 1980 में विनिर्माता से वसूल कर लिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(vi) प्लाईवुड (टैरिफ मद 16 ख के अंतर्गत आने वाली) के एक विनिर्माता ने अपने समस्त उत्पादन की आन्तरिक रूप से खपत की और पिछले वर्ष की उत्पादन लागत के आधार पर बनाई गई मूल्य सूचियों के संदर्भ में अवधारित किए गए निर्धार्य मूल्य पर शुल्क अदा किया। उक्त मूल्य सूची विभाग द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित की गई थी और चालू वर्ष की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धार्य मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। मूल्य संशोधित न किए जाने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 1975 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 1,93,316 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1981), विभाग ने 1,93,316 रु० के लिए कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी कर दिया (जून 1982)। मांग की पुष्टि और वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला विचाराधीन है।

(vii) वार्निश के एक विनिर्माता को जो उनका स्वयं उपयोग कर रहा था, जुलाई 1979 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के लिए अपने उत्पादों के मूल्य को लागत आंकड़ों के आधार पर निश्चित करने की अनुमति दे दी गई थी, जोकि जुलाई 1979 से पूर्व की विनिर्माण अवधि से संबंधित थे। इसके परिणामस्वरूप 1,04,900 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती विभाग के ध्यान में लाई गई थी (मार्च 1982), उसका उत्तर प्रतीक्षित है ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि पिछले आंकड़ों के आधार पर किए गए अनन्तिम निर्धारण को अब प्रमाणित लेखाओं के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(viii) निर्जल अमोनिया का एक विनिर्माता इसका आंशिक उपयोग स्वयं करता था और उसे उस भाग का 3,200 रु० प्रति टन की दर से मूल्य निर्धारण करने की अनुमति दे दी गई थी जोकि उत्पाद के 3600 रु० प्रति टन के विक्रय मूल्य से कम था। सितम्बर 1980 से अक्टूबर 1981 तक की अवधि के दौरान आंतरिक रूप से उपयोग में लाए गए 4681 टन अमोनिया पर 2,94,920 रु० का शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इस कम मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने विनिर्माता के विरुद्ध मांग जारी कर दी (अप्रैल 1982)। वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई 1982) ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1982) ।

2.12 संबंधित व्यक्तियों को पूर्ति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(क)(iii) के अनुसार, जहां विनिर्माता ऐसी व्यवस्था करता है कि वस्तुओं को सामान्यतः थोक व्यापार के दौरान न बेचकर किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बेचता है, वहां उसके द्वारा बेची गई या ऐसे संबंधित व्यक्ति के माध्यम से बेची गई वस्तुओं का सामान्य मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर वे संबंधित व्यक्तियों द्वारा व्यापारियों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को सामान्यतः बेची जाती है (निकासी के समय थोक व्यापार के दौरान) ।

फैक्टरी में टेपरिकार्डरों का सारा उत्पादन ऐसे व्यापारियों को सप्लाई किया गया था जो फैक्टरी से सम्बद्ध थे और जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारवार में हित था। तदनुसार, शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वह मूल्य लिया जाना चाहिये था जिस मूल्य पर

ऐसा सामान व्यापारियों ने बेचा था। किन्तु इसकी बजाय, विभाग ने व्यापारियों से वसूल किये गये मूल्य को निर्धार्य मूल्य स्वीकार कर लिया था जिसके कारण जुलाई 1977 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 3,77,272 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1978) विभाग ने अपत्ति स्वीकार कर ली और अक्टूबर 1981 में 3,77,273 रु० की मांग की पुष्टि कर दी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1982) कि विनिर्माता की अपील विचाराधीन है।

2.13 बीजक मूल्य

30 अप्रैल 1975 की एक अधिसूचना के अनुसार, बिक्री होने पर, विनिर्माण की फैक्टरी से निकासी किया गया सामान (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाला) उतने शुल्क से मुक्त है (निर्धारित के विकल्प पर) जितना ऐसे सामान की बिक्री पर विनिर्माता के बीजक में दिखाये गये मूल्य पर संगणित शुल्क से अधिक हो। 10 दिसम्बर 1975 को वित्त मंत्रालय ने ये अनुदेश जारी किये कि ऐसे सामान के बीजक मूल्य की जांच लेखापरीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित विनिर्माता के लेखाओं के सन्दर्भ में की जानी चाहिए।

(i) 1978-79 के दौरान निकासी किये गये विद्युत् स्विच गियरों का मूल्य बीजक में 2,25,64,411 रु० दिया गया था जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया था। किन्तु विनिर्माता के व्यापार और लाभ हानि लेखे के अनुसार उनका मूल्य 2,26,09,600 रु० था। लेखापरीक्षित लेखाओं से मूल्य की जांच न किये जाने के परिणामस्वरूप 35,895 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में अवमूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (फरवरी 1980) विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल से वर्ष 1978-79 के दौरान की गई निकासियों पर 4,48,682 रु० के अवमूल्यांकन का पता चला और विभाग ने जनवरी 1981 में विनिर्माता को एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया था और जुलाई 1981 में मांग की पुष्टि कर दी। वसूली के बारे में सूचना प्रतीक्षित है (मई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(ii) (क) हवाई जहाज विनिर्माण करने वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 44.81 लाख रु० की राशि अपने एक ग्राहक से आपूर्त किये गये जहाजों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित अलंकरण पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में और 4,75,917 रु० की अन्य राशि उपक्रम द्वारा विनिर्मित जहाजों के लिये पुर्जों पर अदा की गई रायल्टी की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की। किन्तु इसने इन भुगतानों को जहाज के मूल्य में नहीं जोड़ा। इसने उस राशि पर जो अपने ग्राहकों को जहाज के बीजक मूल्य में (जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया था) अवमूल्यांकित की थी, 1,15,103 रु० का शुल्क भी अदा नहीं किया। यह गलती लेखा परीक्षा द्वारा सितम्बर 1979 में बताई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982), कि 1,03,650 रु० और 11,454 रु० के दो कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिये गये हैं तथा उन पर अधिनिर्णय किया जाना है।

(ख) उसी उपक्रम ने, एक अन्य ग्राहक को आपूर्त किये गये टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले सामान के बीजक मूल्य में अलंकरण और विकास प्रभारों की लागत शामिल नहीं की। किन्तु विनिर्माण में विनिर्माता द्वारा सामान अलंकरण और विकास प्रभारों पर खर्च की गई राशि, विनिर्मित उत्पाद की आपूर्ति के लिये ठेके की शर्त के रूप में उस व्यक्ति से वसूल कर ली गई थी जिसको ये सामान आपूर्त किये गये थे। बीजक मूल्य के अवमूल्यांकन (विभाग द्वारा स्वीकृत) के कारण 74,125 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलतियां लेखापरीक्षा में दिसम्बर 1981 में बताई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 95,239 रु० के लिये भेजी गई मांग पर अधिनिर्णय किया जाना है।

(iii) मशीनों के लिये फालतू पुर्जों का विनिर्माण करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्टरी ने उन्हें विभिन्न शहरों में शो-रूमों के जरिये लागत मूल्य पर बेचा जो उस मूल्य का 1/3 था जिस पर फालतू पुर्जों की सीधी बिक्री फैक्टरी द्वारा पर की जा रही थी। इसके अलावा, शो-रूमों द्वारा कुछ फालतू पुर्जे उस मूल्य पर भी बेचे गये थे जिस पर वे, फैक्टरी द्वारा पर बेचे जा रहे थे। डेबिट नोटों में दिखाये गये लागत मूल्य को गलत रूप से बीजक मूल्य के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 के दौरान 1,17,045 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह गलती जून 1981 में बतलाई गई थी। 1 मार्च 1975 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के लिये देय विभेदक शुल्क अभी संगणित किया जाना है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

(iv) गैस (औद्योगिक) कम्प्रेसरों के विनिर्माण में लगे एक निर्धारिती ने ग्राहकों से प्राप्त 23,53,482 रु० से कम्प्रेसर संयंत्र लगाए और चालू किए। निर्धारिती ने केवल 3,84,800 रु० के मूल्य पर शुल्क अदा किया। शेष 19,68,682 रु० पर कम लगाया गया शुल्क 1,57,495 रु० था।

लेखापरीक्षा द्वारा अवमूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने राशि के लिये मांग जारी कर दी (अप्रैल 1982) और इसकी पुष्टि कर दी। वसूली के बारे में सूचना प्रतीक्षित है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मांग के विरुद्ध अपील कर दी गई है।

(v) कपड़ा मशीनरी का एक विनिर्माता, सप्लाई प्रारंभ करने से छः महीने पहले, मशीनरी की लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में ले रहा था, किन्तु बीजक में आपूर्ति के समय विद्यमान मूल्य दिखाया गया था। निर्धारिती ने बीजक मूल्य के आधार पर शुल्क अदा करने का विकल्प दिया था। एक खरीदार को सप्लाई की जाने वाली 160.64 लाख रु० मूल्य की मशीनरी के प्रति जुलाई 1977 और जुलाई 1978 के बीच ठेकागत मूल्य के 30 प्रतिशत (10 प्रतिशत के स्थान पर) का अग्रिम भुगतान ले लिया गया था और आपूर्ति दिसम्बर 1978 में शुरू हुई थी। सप्लाई प्रारंभ होने के बाद एक बार जनवरी 1979 में और दुबारा जनवरी 1980 में मूल्य में संशोधन करके वृद्धि की गई थी। तथापि बीजक में मशीनरी का मूल्य प्रारंभ में ठेके में निर्दिष्ट मूल्य ही दिखाया गया था। बीजक मूल्य से ऊपर वसूल किया गया अतिरिक्त मूल्य और प्राप्त अग्रिम भुगतान पर प्रोद्भूत ब्याज क्रमशः 23.12 लाख रु० और 20.30 लाख रु० था।

लेखापरीक्षा द्वारा गलत मूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1980), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 1982) कि फरवरी 1982 में निर्धारिती से 1,08,193 रु० की राशि की मांग की गई थी और वसूल कर ली गई थी। गलत मूल्यांकन पर न तो आन्तरिक लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की थी और न विभाग के मूल्यांकन कक्ष ने।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अगस्त 1982)।

(vi) पी० वी० सी० पाइपों और जुड़नारों का एक विनिर्माता विलायक सीमेंट भी विनिर्मित कर रहा था। उसने अक्टूबर 1978 से सीमेंट पर शुल्क अदा करना विभाग की इस सलाह पर बन्द कर दिया कि राज्य जल प्रदाय एवं ड्रेनेज बोर्ड को निःशुल्क आपूर्ति किये गये सीमेंट पर कोई शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था।

विभाग द्वारा दी गई सलाह पर लेखापरीक्षा ने आपत्ति की थी (फरवरी 1979) क्योंकि विलायक सीमेंट अन्य खरीदारों को भी बेचा गया था और निजी खपत के लिये भी उपयोग किया गया था तथा साधारणतया इसका मूल्य 40 रु० से 50 रु० प्रति कि०ग्रा० था। एक ठेके के आधार पर, बोर्ड को निःशुल्क आपूर्ति किए गए अधिकतर सीमेंट की (लगभग 85 प्रतिशत) आपूर्ति को पी० वी० सी० पाइपों और जुड़नारों की आपूर्ति के साथ जोड़ दिया गया था और सीमेंट की आपूर्ति के मूल्य को कुल आपूर्ति के लिये प्राप्त राशि में शामिल कर लिया गया था। इसलिये बीजक में दर्ज विलायक सीमेंट के शून्य मूल्य को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए था और न विक्री बीजक के अनुसार मूल्य पर आधारित मूल्यांकन के लिये निर्धारिती के विकल्प को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप विभाग ने अक्टूबर 1978 से नवम्बर 1979 के बीच की गई निकासियों पर 58,653 रु० के शुल्क की वसूली के लिये दिसम्बर 1979 में कार्यवाही प्रारंभ कर दी किन्तु दिसम्बर 1979 के आगे से विलायक सीमेंट की शुल्क मुक्त निकासी अनन्तिम आधार पर अनुमत कर दी। नवम्बर 1981, फरवरी 1982 और अप्रैल 1982 में विभाग ने सूचित किया कि अक्टूबर 1978 से मई 1979 तक की अवधि के लिए 25,331 रु० की मांग सीमा बाधित

हो गई थी और जून 1979 से नवम्बर 1979 तक की अवधि से सम्बन्धित 33,322 रु० की मांग जो नवम्बर 1981 में जारी की गई थी, अपीलीय समाहर्ता द्वारा रोक दी गई थी। दिसम्बर 1979 से जुलाई 1981 की अवधि से सम्बन्धित 1,05,198 रु० की दूसरी मांग भी जारी कर दी गई थी।

इस मामले का ऐसा कोई रिकार्ड नहीं था जिससे यह पता चलता कि विभाग के मूल्यांकन कक्ष ने इसे मूल्यांकन के संशोधन के लिये अपने हाथ में लिया था। मांग को अन्तिम रूप देने और उसकी वसूली के बारे में सूचना प्रतीक्षित है (मई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अगस्त 1982)।

2.14 बट्टा और वृद्धि प्रभार

केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत व्यापार बट्टे की, जो थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार दिया जाता है, निर्धार्य मूल्य निश्चित करते समय कटौती अनुमत कर दी जाती है।

(i) एक फ़ैक्टरी में विनिर्मित बैटरियों (कौंध प्रकाश के लिये) का मूल्य, 5 अक्टूबर 1974 से 14 मई 1975 तक की अवधि के दौरान और फिर 7 अगस्त 1975 के बाद की गई निकासियों के संबंध में विभाग ने 314.06 रु० प्रति बैटरी निश्चित किया था। किन्तु 15 मई 1975 से 6 अगस्त 1975 तक की अवधि के दौरान सभी खरीदारों को दिये बताये गये 5 रु० प्रति बैटरी के बट्टे के कारण मूल्य प्रति बैटरी 15 रु० कम कर दिया गया था। तथापि, रिकार्डों से पता चला कि यह बट्टा सभी खरीदारों को नहीं दिया गया था और कुछ को केवल 10 रु० का बट्टा दिया गया था। इसलिये निर्धार्य मूल्य में कटौती अनुज्ञेय नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप 15 मई 1975 से 6 अगस्त 1975 के बीच की गई निकासियों पर 1.45 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

जून 1976 में जारी की गई लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 1980) कि बट्टा या उधार पत्र सभी

खरीदारों को अनुमत किया गया था। किन्तु विभाग फैक्टरी के रिकार्ड से जो भेजी गई एक पार्टी को उपलब्ध नहीं कराए गये थे, उस मत की जांच करने में असमर्थ रहा और परिणामस्वरूप इसने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और शुल्क के लिये मांग कर दी। किन्तु सीमा बाधित हो जाने के कारण मांग की अभी तक (अक्तूबर 1982) पुष्टि नहीं हुई थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (जुलाई 1982)।

(ii) यदि सामान की बिक्री के लिये विनिर्माता द्वारा बीजक में प्रभारित मूल्य कच्ची सामग्री, मजदूरी आदि के मूल्य में वृद्धि से सम्बन्धित निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो तो अन्तिम मूल्यांकन में वृद्धि प्रभारों के लिये पूरक बीजक में दिया गया मूल्य भी शामिल किया जाएगा।

(क) एक विनिर्माता ने उसके द्वारा आपूर्त जहाजों के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री, मशीनरी और उपस्कर के लिये विनिर्माता दरों में अन्तर के कारण वृद्धि प्रभारों के लिये खरीदारों को जनवरी 1980 में 48,36,365 रु० के पूरक बिल भेजे। चूंकि ऐसे बिलों से आपूर्त किये गये जहाजों के फैक्टरी पर मूल्य में भी वृद्धि हो गई इसलिये शुल्क अधिक मूल्यांकन पर देय था। अधिक मूल्यांकन पर शुल्क की मांग न करने से 3,86,909 रु० के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा अक्तूबर 1980 में अवमूल्यांकन की ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग फरवरी 1981 में निर्धारित को एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया और नवम्बर 1981 में मांग की पुष्टि कर दी। वसूली के बारे में सूचना प्रतीक्षित है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अगस्त 1982)।

(ख) चीनी के उत्पादन के लिये मशीनरी के विनिर्माण, स्थापना और चालू करने के ठेकों को निष्पादित करने वाली एक सार्वजनिक लि० कम्पनी ने बीजक मूल्य के आधार पर शुल्क अदा करने का विकल्प दिया। कम्पनी ने ग्राहकों के साथ करार के अनुसार सामग्री और श्रम के लिये प्रभारों में वृद्धि के लिये ग्राहकों को बिल भेजते समय बीजक मूल्य

में वृद्धि पर सरकार को शुल्क नहीं दिया। जुलाई 1979 से जून 1980 के दौरान की गई निकासियों के संबंध में, कम्पनी द्वारा दिये गये वृद्धि प्रभारों के विलों के आधार पर सरकार को 4,51,006 रु० का शुल्क देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्टूबर 1980) विभाग ने अप्रैल 1981 में कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया। मांग को अन्तिम रूप दिये जाने और जुलाई 1979 से पहले की अवधि के लिये अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो के निर्धारण के लिये की गई कार्रवाई पर सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1982) कि मांग को अधि-निर्णीत करने के लिये शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

2.15 संयोजन या उत्पादन करने की लागत

ऐसे सामान का, जो विनिर्माता द्वारा स्थल पर संयोजित किया जाता है (या उत्पादित किया जाता है) विनिर्माण की फैक्टरी से अलग-अलग पुर्जों में निकासी के बाद, उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिये जुड़ी संयोजित (खरीदी गई मदों सहित) में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा 5 अक्टूबर 1981 को जारी किये गये एक ज्ञापन में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था। यदि संयोजन में काफी समय लगता है तो निकासी के समय लगाया गया अनन्तिम शुल्क स्थल पर संयोजित (या उत्पादित करने) के बाद अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया जाता है।

(i) टर्न-की आधार पर हीट एक्सचेंजरो, दाब पात्रों आदि जैसे विशिष्ट उपस्करों के विनिर्माण में लगे एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 1975-76 और 1976-77 के दौरान "स्थल पर उत्पादन प्रभार" के रूप में ग्राहकों से 3,47,43,909 रु० प्राप्त किये। किन्तु, विभाग ने इस प्रकार के प्रभारों को जोड़ने के लिये उपस्कर का फिर से मूल्य नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप 3,47,439 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1977 और मार्च 1978) विभाग इस बात पर सहमत हो गया कि स्थल उत्पादन प्रभार मूल्य में जोड़े जाने योग्य है और बताया कि अब तदनुसार निर्धारण किये जा रहे हैं।

शुल्क की मांग जारी करने और उसकी वसूली के बारे में सूचना प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि चूंकि स्थल पर भूमि पर लगाये गए संयंत्र और मशीनरी चल नहीं हैं इसलिये वह सामान नहीं माने जायेंगे। तथापि, भूमि पर लगाये गये सभी सामान, सामान से भिन्न अचल सम्पत्ति नहीं है।

(2) 'वैगिंग एंड हेडलिंग कनवेयर सिस्टम' के विनिर्माता एक निर्धारिती ने इसे अपने ग्राहक के परिसर में स्थापित किया। 1,61,64,832 रु० के ठेके में 16,16,483 रु० के इंजीनियरिंग प्रभार शामिल थे। तथापि इस राशि को उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिये मशीनरी के निर्धार्य मूल्य में नहीं जोड़ा गया था। प्रभारों को न जोड़ने के कारण 1,29,319 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1981) विभाग ने बताया (अक्टूबर 1981) कि निर्धारिती को 1,29,319 रु० का कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया गया है (अगस्त 1982)।

मांग की पुष्टि और वसूली की सूचना प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है। -

2.16 जाँब कार्य और ग्राहक द्वारा प्राप्त सामग्री

30 अप्रैल 1975 की एक अधिसूचना के अनुसार, किसी फैक्ट्री में 'जाँब कार्य' के रूप में विनिर्मित टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले सामान, उन पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क की उतनी राशि से मुक्त है, जो जाँब

कार्य के लिये प्रभारित राशि पर संगणित शुल्क से अधिक हो। जाँव कार्य का अभिप्राय ऐसे कार्य से है जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया के लिये अभिप्रेत कोई वस्तु जाँव वर्कर को दी जाती हो और वह वस्तु अभिप्रेत विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत जाने के बाद जाँव वर्कर द्वारा आपूर्तिकर्ता को लौटा दी जाती है। 1 अप्रैल 1981 से केन्द्रीय उत्पाद नियमावली में नियम 56-ग के लागू हो जाने से 30 अप्रैल 1975 की अधिसूचना निरस्त हो गई और यदि जाँव वर्कर ने नियम 56-ग में निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किया हो तो गौण जाँव वर्कर विनिर्माता द्वारा विनिर्मित सामान पर, केवल उसके मूल विनिर्माता को शुल्क अदा करना होगा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत निश्चित किये गये मूल्य के आधार पर, जिसमें उसके ग्राहक द्वारा आपूर्त की गई कच्ची सामग्री यदि कोई हो, का मूल्य भी शामिल होगा, जाँव कार्य सामान पर जाव वर्कर विनिर्माता द्वारा शुल्क अदा किया जाना चाहिए।

(i) एक विनिर्माता यूनिट ने दूसरे विनिर्माता यूनिट से इस्पात ट्यूबें, छड़ें और पट्टियाँ प्राप्त की और उन्हें बियरिंग रिसों, रोलरों और केजों में परिवर्तित कर दिया तथा केवल जाँव प्रभारों पर शुल्क अदा किया। चूंकि अस्तित्व में आई नई वस्तुओं की विशिष्टियाँ और नाम कच्ची सामग्री से भिन्न हैं तथा विनिर्माण की प्रक्रिया उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये 'जाँव कार्य' शब्द की परिभाषा में नहीं आती, इसलिये जुलाई 1977 से फरवरी 1981 के दौरान निकासी किये गये विनिर्मित उत्पादों पर अवमूल्यांकन के कारण 10.82 लाख रु० शुल्क का कम लगा।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1977) विभाग ने फरवरी और मार्च 1981 में कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिये। विनिर्माता द्वारा दायर की गई अपील पर उच्च न्यायालय ने मांग के विरुद्ध स्थगन आदेश दे दिया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला उच्च न्यायालय में बकाया है।

(ii) रेलवे द्वारा दी गई विशिष्टियों के अनुसार विभिन्न आकार, रूप और डिजाइन के रेलवे क्रासिंग और स्विचों के विनिर्माता ने कच्ची

सामग्री अर्थात् ग्राहक द्वारा निःशुल्क आपूर्त पटरियां और स्वयं खरीदे गये हिस्से जैसे छड़ें, नट और बोल्ट प्रयोग किये । उसे केवल ग्राहक से प्राप्त विनिर्माण प्रभारों पर शुल्क अदा करने की अनुमति दे दी गई । इसके परिणामस्वरूप, मार्च 1975 से मार्च 1981 के दौरान की गई निकासी पर, ग्राहक द्वारा आपूर्त सामग्री के मूल्य पर शुल्क न लगाये जाने के कारण 9,43,997 रु० कम शुल्क लगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (फरवरी 1979) विभाग ने बताया (फरवरी 1982) कि विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि निर्धारिती ने मांग के विरुद्ध रिट याचिका दायर कर दी है ।

(iii) कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने वाले ग्राहकों की ओर से जाँच कार्य करने वाला एक विनिर्माता, 1 अप्रैल 1981 के बाद भी, उसके द्वारा प्राप्त जाँच प्रभारों के मूल्य पर शुल्क अदा कर रहा था और उसने ग्राहकों द्वारा आपूर्त सामग्री के मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया था । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 1981 के दौरान की गई निकासी में सामान का अवमूल्यांकन हुआ और 1,02,214 रु० का शुल्क कम लगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1982 से मार्च 1982 के बीच) विभाग ने बताया (जून 1982) कि 65,409 रु० निर्धारिती से वसूल कर लिये गये हैं तथा शेष राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्तूबर 1982) ।

(iv) अन्तर्दहन इंजनों और इसके पुर्जों के एक विनिर्माता को, शुल्क का भुगतान किये बिना क्रैंक शाफ्टों की निकासी की अनुमति दे दी गई । शाफ्ट, बाजार से खरीदी गई गढ़ी हुई क्रैंक शाफ्टों को बाहर जाव कार्य

आधार पर मशीन से संसाधित कराकर विनिर्मित किये गये थे। क्रेक शाफ्टों का ऊष्मा उपचार और अन्तिम रूप से मशीन द्वारा संसाधन विनिर्माता द्वारा, उनकी विक्री से पहले किया गया था। इसलिये विनिर्माता द्वारा, क्रेक शाफ्टों पर उनकी अन्तिम निकासी के समय, उनके विनिर्माता के रूप में शुल्क अदा किया जाना चाहिए था। नवम्बर 1979 से जुलाई 1980 के दौरान निकासी किये गये 69 क्रेक शाफ्टों पर 83,197 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया (मार्च 1982)। उसके बाद विनिर्माता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी और अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्तूबर 1982)।

गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क का लगाया जाना

2.17 सौन्दर्य प्रसाधन

ब्यूटी क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, स्किन फूड, टॉनिक आदि सहित त्वचा की रक्षा के लिए निर्मित पदार्थ सौन्दर्य प्रसाधन और श्रृंगार पदार्थ होने के कारण टैरिफ मद 14च के अन्तर्गत आते हैं जबकि पेटेन्ट और स्वामित्व वाली औषधियां टैरिफ मद 14इ के अन्तर्गत आती हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड ने जुलाई 1975 में यह स्पष्ट किया कि उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए उत्पाद का टैरिफ मद 14च या 14इ के बीच वर्गीकरण इस पर निर्भर करेगा कि उत्पाद में सौन्दर्य के गुण अधिक हैं या औषधि के। वर्गीकरण, उत्पाद के संबंध में विवरण सामग्री, तत्वों और उसके प्रयोग के आधार पर किया जाना चाहिए। यह निर्णय मात्र इस तथ्य के आधार पर नहीं किया जा सकता कि उत्पाद को औषधि नियंत्रक के नियंत्रण में लाया गया है।

(i) एक विनिर्माता ने सफेद पेट्रोलियम जैली बेस (85 प्रतिशत से 86 प्रतिशत) में एन्टीसेप्टिक क्रीम तैयार की और इसमें बोरिक एसिड (1 प्रतिशत), जिंक आक्साइड (3 प्रतिशत), अजल लैनोलीन (5 से 6

प्रतिशत) और टैलकम पाउडर (5 प्रतिशत) की थोड़ी-थोड़ी मात्रा थी। इसे पेटेंट या स्वामित्व वाली औषधि के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति इस आधार पर दे दी गई कि एक राज्य में खाद्य और औषधि नियंत्रक ने इस उत्पाद को पेटेंट या स्वामित्व वाली दवा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्रीम को त्वचा की सुरक्षा (त्वचा को मुलायम और सुनम्य बनाने के लिये) के लिये और दाढ़ी बनाने के बाद लगाने की क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है और बोर्ड द्वारा 1975 में किये गये स्पष्टीकरण को देखते हुए इसके चिकित्सीय महत्व और की तुलना में त्वचा की सुरक्षा के लिये इसके उपयोग का पता लगाने के लिये उत्पाद का रासायनिक विश्लेषण किया जाना चाहिए था। यह इसलिए विशेष रूप से आवश्यक था कि टैरिफ मद 14च के अन्तर्गत लगाया जाने वाला शुल्क टैरिफ मद 14इ के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शुल्क से अधिक था। टैरिफ मद 14च के अन्तर्गत उत्पाद का वर्गीकरण न किये जाने के कारण उत्पाद का विनिर्माण करने वाले यूनितों में से एक यूनित द्वारा अप्रैल, 1977 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 5.97 करोड़ रु० का शुल्क कम लगा। विनिर्माता के अन्य यूनितों के सम्बन्ध में कम लगे शुल्क की राशि अभी निश्चित की जानी है।

यह गलती लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1977 में और दुबारा सितम्बर 1979 में ध्यान में लाई गई थी। जुलाई 1982 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्णय किया कि त्वचा की सुरक्षा के लिए सौंदर्य प्रसाधन होने के कारण एन्टीसेप्टिक क्रीम टैरिफ मद 14च के अन्तर्गत आती है।

वित्त मन्त्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि पुनर्विचार के बाद बोर्ड ने जुलाई 1982 की टैरिफ सूचना वापस ले ली है। और एन्टी-सेप्टिक क्रीम को पेटेंट या स्वामित्व वाली औषधि के रूप में फिर से वर्गीकृत कर दिया है। इसके कोई कारण नहीं दिये गये हैं।

(ii) सितम्बर 1981 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार ऐसे सभी विनिर्मित पदार्थ जो सौंदर्य बढ़ाने में सहायक पदार्थों के रूप में हैं टैरिफ मद 14च के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने चाहिए जिसके अन्तर्गत त्वचा और बालों

की सुरक्षा के लिये सौन्दर्य प्रसाधन और श्रृंगार पदार्थ आते हैं तथा जिसमें श्रृंगार क्रीम, लिपस्टिक, ब्यूटी क्रीम आदि शामिल हैं ।

सौन्दर्य वृद्धि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली "आई ब्रो पेंसिलों" और "विन्दी पेंसिलों" के विनिर्माता से टैरिफ मद 14च(1) के अन्तर्गत यथामूल्य 100 प्रतिशत की दर से शुल्क की मांग करने की बजाय इन्हें टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत करने और यथामूल्य 8 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा करने की अनुमति दे दी गई । विभाग द्वारा अनुमत किये गये गलत वर्गीकरण के कारण जनवरी 1981 से जनवरी 1982 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 4,41,394 रु० के शुल्क की मांग नहीं की गई ।

लेखा परीक्षा द्वारा गलती की और ध्यान दिलाया गया था (मार्च 1982), विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है ।

(iii) सौन्दर्य प्रसाधनों के एक विनिर्माता ने मार्च, 1978 तक "क्रीम थैलियों" (अलकोहल मुक्त गाढ़ा इत्र) को सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में वर्गीकृत करके शुल्क अदा किया । उसके बाद उसने इस आधार पर उत्पाद टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद के पुनः वर्गीकरण के लिये आवेदन किया कि वे क्रीम पर आधारित इत्र थे । विभाग ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया और उसने प्रतिवाद करते हुए शुल्क अदा कर दिया । प्रतिदाय के लिये उसका दावा विभाग ने अक्टूबर 1978 में रद्द कर दिया । तथापि अक्टूबर 1980 में उसकी अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली गई कि इस प्रकार की क्रीम थैलियां त्वचा की रक्षा करने और उसकी सुन्दरता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली साधारण क्रीमों की तरह नहीं थी और इसलिए इत्र के रूप में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थी तथा 16 नवम्बर 1976 से 25 मार्च 1980 के दौरान की गई उत्पाद की निकासियों पर प्रदत्त 2,28,355 रु० के शुल्क का प्रतिदाय स्वीकृत कर दिया (मई 1981) । विभाग ने अपीलीय आदेशों की समीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया ।

“सुन्दरता” शब्द के व्यापक शब्दकोषीय अर्थ अर्थात् वह गुण जो प्रायः दृष्टि को आनन्द देता है या सौन्दर्य परक आनन्द देता है, सौन्दर्य परक प्रायः इन्द्रियों द्वारा बोध से सम्बन्धित है, को ध्यान में रखते हुए क्रीम थैलियों का टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरण गलत था क्योंकि क्रीम थैलियाँ दर्शन या स्पर्श या घ्राण की दृष्टि से सौन्दर्य साधन थीं। लेखा परीक्षा द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1982) विभाग ने गलती स्वीकार नहीं की।

वित्त मन्त्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया है (नवम्बर 1982) कि प्रतिदाय सञ्जम अर्धन्यायिक प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित एक आदेश के परिणामस्वरूप अनुमत किया गया था।

2.18 पेट्रोलियम उत्पादन और जाईलोन।

(i) 1 मार्च 1982 तक टैरिफ मद 7 के अन्तर्गत केवल मिट्टी का तेल आता था जिसे ऐसे खनिज तेल (खनिज कोल्जा तेल और तारपीन के विकल्प को छोड़कर) के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें 18 मि०मी० या इससे ऊँची लम्पें निकलती हैं तथा जिसे तेल से जलने वाले लैम्पों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 मार्च 1982 से टैरिफ मद 7 के अन्तर्गत “एन्विणेशन टरबाईन ईंधन” भी आता है।

छ: यूनिटों ने “एन्विणेशन टरबाईन ईंधन” बनाया और शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिये इसे टैरिफ मद 7 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया यद्यपि इसे साधारणतया तेल से जलने वाले लैम्पों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता और उत्पाद को “पेट्रोलियम उत्पाद—जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है” के रूप में टैरिफ मद 11क के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण अगस्त 1979 से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान पांच हवाई अड्डों में की गई ईंधन की निकासियों के सम्बन्ध में 4.91 करोड़ रुपए का शुल्क कम लगा।

लेखा परीक्षा द्वारा गलती की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 1981) लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद 1982 के बजट में टैरिफ मद 7 में संशोधन (1 मार्च 1982) से करके अप्रत्यक्ष रूप से गलती स्वीकार करने के बावजूद विभाग ने गलत वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया है।

वित्त मन्त्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) जाईलीन कोलतार आस्रुत, यदि शुद्ध हो तो टैरिफ मद 6 (मोटर स्पिरिट) और यदि किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो तो टैरिफ मद 8 (डीजल तेल) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है। एक अधिसूचना द्वारा इसे 5 अगस्त 1978 से मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की एक फैक्टरी में जाईलीन को उस पर टैरिफ मद 6 या 8 के अन्तर्गत शुल्क अदा करने की वजाय, टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और निकासी की गई थी। 1 मार्च 1975 से 4 अगस्त 1978 के दौरान की गई निकासियों पर विभाग द्वारा टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत करने और उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति देने से 38,05,449 रु० के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा यह गलती विभाग के ध्यान में लाई गई थी (मार्च 1981)।

वित्त मन्त्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि जाईलीन, 4 नवम्बर 1957 के पत्र में दिये गये बोर्ड के आदेशों के अनुसार, शुल्क से मुक्त हैं, इसलिये कम शुल्क लगाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता बिना वैध अधिसूचना के और बोर्ड के पत्र (जिसमें मोटर स्पिरिट या डीजल तेल के रूप में वर्गीकरणीय जाईलीन को मुक्त नहीं किया गया) द्वारा छूट देना सही नहीं थी। मन्त्रालय ने यह भी बताया है कि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत जाईलीन का वर्गीकरण संदिग्ध है और इसकी जांच की जा रही है।

2.19 कनवेयर बेल्टिंग

अगस्त 1974 में दी गई एक टैरिफ सूचना में केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड ने प्लास्टिक लेपित या पी०वी०सी० संसिक्त कनवेयर बेल्टिंग्स

को इस आधार पर कि प्रयुक्त कपड़ा सूती, कृत्रिम या अन्य वस्त्र था या टैरिफ मद 19 या 22 या 22ख के अन्तर्गत वर्गीकृत किया था। तथापि, नवम्बर 1980 में जारी की गई अन्य टैरिफ सूचना में बोर्ड ने आयातित प्लास्टिक लेपित या पी०वी०सी० संसिक्त वैल्टिगस को, उनमें प्रयुक्त धागे की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना प्रतिकारी शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिये अन्य सामान के रूप में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और यह मत व्यक्त किया कि आयातित वैल्टिगस न तो प्लास्टिक का सामान होगी और न सूती वस्त्र और इसलिए टैरिफ मद 15क या 19 के अन्तर्गत नहीं आयेगी बल्कि केवल टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आयेगी।

दक्षिण में एक स्वदेशी विनिर्माता से प्राप्त इस आशय का अभि-वेदन कि आयातित वैल्टिगस का टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरण स्वदेशी उद्योग के लिए हानिकर पक्षपातपूर्ण भेदभाव है और स्वदेशी वैल्टिगस पर भी टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाना चाहिए, बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 3 अप्रैल 1981 को बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी रूप से विनिर्मित कनवैयर वैल्टिगस टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं की जानी थी बल्कि केवल आयातित वैल्टिगस ही उनमें प्रयुक्त धागे का ध्यान रखे बिना इस प्रकार वर्गीकृत की जानी थी।

पूर्व में एक फैक्टरी ने वर्ष 1969 से 1974 के दौरान निकासी किये गये अपने ऐसे उत्पादों के वर्गीकरण का हमेशा ही विरोध किया था 28 अक्टूबर 1980 को पारित अपने संशोधन आदेश में सरकार ने यह मत व्यक्त किया कि ऐसी वैल्टिगस टैरिफ मद 19 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय नहीं थीं क्योंकि इसे सूती वस्त्र के रूप में बाजार में नहीं बेचा जाता और वाणिज्यिक शब्दावली में इसे सूती कपड़े के रूप में नहीं जाना जाता, इसे टैरिफ मद 15क के अन्तर्गत प्लास्टिक उत्पादन के रूप में वर्गीकृत करने से भी इन्कार कर दिया और यह मत व्यक्त किया गया कि 1 मार्च 1975 से जब से कि टैरिफ मद 68 लागू की गई थी, वैल्टिग मद 68 के अन्तर्गत निर्धार्य थी। उस तिथि से पहले की अवधि के लिये कोई शुल्क भी अदा नहीं किया जाना था।

आयातित वाहक पट्टों तक उसे सीमित करके बोर्ड द्वारा जो टैरिफ सूचना 10 नवम्बर 1980 में जारी की गई थी, उसमें देशी पट्टों के संबंध में सरकार की अपील पर अक्टूबर 1980 में पास किए गए संशोधन आदेश को ध्यान में नहीं रखा गया था। देशी पट्टों के संबंध में 3 अप्रैल 1981 के बोर्ड के स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर पूर्व में स्थित फ़ैक्ट्री द्वारा देशी पट्टों की निकासी को तदनुसार वर्गीकृत करने की अनुमति मांगी गई थी। परन्तु विनिर्माता ने एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने सरकार के उपरोक्त उद्धृत संशोधन आदेश के अनुसार शुल्क लगाने का निर्देश दिया। फिर भी विभाग ने बोर्ड के 3 अप्रैल 1981 के बोर्ड के स्पष्टीकरण के आधार पर 2.63 करोड़ रु० के शुल्क के लिए कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किया जिस पर उच्च न्यायालय ने निषेधादेश जारी कर दिया है।

लेखापरीक्षा में देशी विनिर्माताओं के लिए अहितकर स्वदेशी वाहक पट्टों को आयातित पट्टों से भिन्न वर्गीकृत करने का मूलाधार और जारी की गई टैरिफ सूचना (तथा स्पष्टीकरण भी) और अपील में जारी किए गए संशोधन आदेश (दोनों सरकार द्वारा जारी किए गए थे) में विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में विचार किया गया था (अगस्त 1982)। टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत देशी पट्टों की निकासियों पर वसूल न की गई राजस्व की मात्रा और 1 मार्च, 1975 से टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत करके आयातित पट्टों पर परित्यक्त प्रतिकारी शुल्क के बारे में भी लेखापरीक्षा में विचार किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.20 मनीला कागज या क्राफ्ट कागज

“कागज बोर्ड और अन्य सभी प्रकार का कागज जिसे और कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किया गया”, के रूप में वर्णित टैरिफ मद 17(2) के अन्तर्गत आने वाले “क्राफ्ट कागज के रूप में सामान्यतः जाने गए सभी प्रकार के कागज” पर 24 जनवरी, 1978 से शुल्क की प्रभावी दर यथा-मूल्य 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दी गई थी और

1 मार्च, 1979 से दर को फिर बढ़ाकर 40 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया था। तथापि, उसी उपमद के अन्तर्गत आने वाले अन्य किस्म के कागज पर लागू प्रभावी दर 30 प्रतिशत यथामूल्य ही रही। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 6 मार्च, 1979 के परिपत्र में बताया कि कई प्रकार के मनीला कागज और मशीन से तैयार क्राफ्ट विशेष आदि सहित कागज की कुछ किस्मों को जो वजन में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक थी और टैरिफ मद सं० 17(2) के अन्तर्गत आती थीं, को व्यापार में पूरी तरह क्राफ्ट कागज ही माना गया था। परन्तु क्राफ्ट कागज, मशीन द्वारा चमकाया हुआ मनीला, मशीन से तैयार क्राफ्ट कागज आदि के शुल्क के दर में वृद्धि से ये कागज, कागज व्यवसाय द्वारा क्राफ्ट कागज से भिन्न घोषित कर दिए गए थे और मद 17(2) के अन्तर्गत आने वाली कागज की अन्य किस्मों पर लागू कम दर पर ही शुल्क अदा किया गया था। मंत्रालय के परिपत्रों में कागज व्यवसाय द्वारा अपनाई गई गलत दर को क्षेत्रीय अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था जिससे वे ऐसे कागजों पर क्राफ्ट कागज पर लागू उच्च दर पर शुल्क लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

“लपेटने वाले मनीला कागज” के एक विनिर्माता ने जो 65 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक वजन का था, की यथामूल्य 30 प्रतिशत शुल्क की अदायगी पर निकासी की थी। उसने जो सम्बद्ध वर्गीकरण सूचियां यथामूल्य 30 प्रतिशत की दर से निर्धारण के लिए 6 फरवरी 1978, 1 मार्च, 1978 और 1 मार्च, 1979 को दाखिल की थीं, उन्हें विभाग ने अनुमोदित कर दिया था और निर्धारणों को उसी के अनुसार अन्तिम रूप दिया गया था। कागज व्यवसाय द्वारा गलत तरीके अपनाए जाने के बारे में बताने वाले बोर्ड के मार्च 1979 में जारी परिपत्र के बावजूद कोई तमूना परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। विनिर्माता द्वारा तैयार की गई “कोटि नियंत्रण” रिपोर्ट में यह दिखाया गया था कि मिल द्वारा विनिर्मित “लपेटने वाला मनीला कागज” फटने, टूटने की लम्बाई और नमी की मात्रा के संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित लक्षणों और विशिष्टियों में क्राफ्ट कागज के समान था। क्राफ्ट कागज के रूप में उत्पाद पर शुल्क न लगाए जाने के फल-स्वरूप दिसम्बर 1978 से अक्तूबर 1980 की अवधि के दौरान हुई निकासियों पर 5,59,839 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

गलती को लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (नवम्बर 1980) विभाग (समाहर्ता) ने बताया (अक्टूबर 1981) कि लपेटने वाला मनीला कागज सामान्यतः बाजार में क्राफ्ट कागज के रूप में नहीं जाना जाता था हालांकि ये पैकिंग कागज के रूप में प्रयुक्त होता था। उत्तर में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया था कि कागज व्यवसाय द्वारा अपनाई गई प्रथा में किया गया परिवर्तन तीन वर्ष से कम पुराना था और उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। 1978 से पहले बहुत वर्षों तक भी जब क्राफ्ट कागज पर शुल्क कम था कागज व्यवसाय द्वारा अनेक प्रकार के मनीला कागज को सामान्यतया क्राफ्ट कागज के रूप में वर्णित किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि यद्यपि लपेटने वाले मनीला कागज के कुछ लक्षण क्राफ्ट कागज के लक्षणों जैसे थे तथापि उसमें बहुत सी विभिन्नतायें भी थीं। स्पष्टतः मंत्रालय का परिपत्र और मनीला कागज का क्राफ्ट कागज और क्राफ्ट कागज का मनीला कागज के रूप में वर्गीकरण 1978 से पहले बोर्ड द्वारा अनुमत व्यापार प्रथा तकनीकी प्राचलों द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार नहीं थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में जब शुल्क की दरें संशोधित होती हैं तब 1978 से पूर्व की व्यापार प्रथा लागू होनी चाहिए और इसे कागज व्यवसाय द्वारा राजस्व के अहित में बदलने नहीं दिया जाना चाहिए। विचाराधीन यांत्रिक शक्ति वाला लपेटने वाला और पैकिंग कागज संस्थापित व्यवसायिक प्रथाओं के अनुसार वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता थी न कि व्यवसाय द्वारा शुल्क से बचने के लिए नाम में परिवर्तन कर लिए जाने के अनुसार। तदनुसार शुल्क 40 प्रतिशत की उच्च दर पर लगाया जाना था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि ऊपर उद्धृत समाहर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन मनीला कागज सामान्यतः क्राफ्ट कागज के रूप में नहीं जाना जाता था। यह तर्क नाम में परिवर्तन को रोकने के लिए मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत है। यह गलत प्रथा तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक कि छूट अधिसूचना में वर्गीकरण "सामान्यतः जाने गए" के संदर्भ में किया जाता है जिसे निश्चित करना कठिन है, और मनीला कागज, क्राफ्ट कागज आदि के संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित तकनीकी प्राचलों के संदर्भ में स्पष्टतः निर्धारित नहीं किया जाता।

2.21 अन्य सभी साल के रूप में (अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं) किया गया गलत वर्गीकरण

(i) अगस्त 1971 में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में 3/16 इंच या इससे कम की मोटाई वाले बियरिंगों को पतले घेरे वाले बियरिंग माना गया था (टैरिफ मद 34क के अन्तर्गत आने वाले)। अगस्त 1978 में जारी की गई टैरिफ सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि यह प्रश्न कि क्या कोई बियरिंग पतला घेरे वाला बियरिंग है या नहीं, भारतीय मानक संस्थान की सम्बद्ध विशिष्टियों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। जून 1981 में जारी की गई टैरिफ सूचना में बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया था कि यदि कोई वस्तु "बुश" के रूप में वर्णित की जाती है तथा मुख्यतः बियरिंग के रूप में काम करती है तो यह बियरिंग के रूप में वर्गीकृत की जानी चाहिए न कि अन्यथा।

बुशों के एक विनिर्माता ने उन्हें सभी अन्य सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है, के रूप में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया था और यथामूल्य 8 प्रतिशत शुल्क अदा किया था हालांकि उसके द्वारा निकासी किए गए बुशों ने बियरिंगों के रूप में काम किया था जिन पर शुल्क 20 प्रतिशत यथामूल्य लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 के दौरान की गई निकासियों पर 26.64 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताए जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने बताया (नवम्बर 1981) कि जून 1981 में टैरिफ सूचना जारी किए जाने से पहले बुशों को बोर्ड के पूर्व अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। तथापि विभाग ने कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि निर्धारित नै रिट याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिए हैं।

(ii) 24 अप्रैल 1962 से टैरिफ मद 33 ख के अन्तर्गत बिजली के तार और केबिलों पर शुल्क निर्धार्य है। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने 28 दिसम्बर 1965 को यह सलाह दी थी कि 14 एस० डब्ल्यू० जी० से अधिक बारीक गेज के नंगे तांबे के तार जो विद्युत संवाहकों के रूप में उपयोग न किए जा रहे हों, मद 33 ख के अन्तर्गत नहीं आते थे जब

तक उन्हें विद्युत रोधी न बनाया गया हो। बाद में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने अप्रैल 1979 में दी गई अपनी टैरिफ सूचना में बताया कि इस प्रकार नंगे तांबे के तार विद्युत प्रवाह संवाहित करते थे और इसलिए वे टैरिफ मद 33 ख के अन्तर्गत वर्गीकरणीय होंगे।

केबिलों के एक विनिर्माता ने तांबे के तापानुशीलित नंगे तार में परिवर्तित करने के लिए अपनी दो सहायक इकाईयों को शुल्क प्रदत्त तांबे की छड़े आपूर्त की, जो 14 एस० डब्ल्यू० जी० से अधिक बारीक थी, जिन्हें उसने अन्ततः अपनी केबिल फैक्टरी में संचार तारों और केबिलों के विनिर्माण में प्रयुक्त कर लिया था (परन्तु बिना किसी और शुल्क की अदायगी के)। यद्यपि शुल्क टैरिफ मद 33 ख के अन्तर्गत उच्च दरों पर उद्ग्राह्य था तथापि विभाग ने तांबे के तापानुशीलित नंगे तारों पर शुल्क की मांग टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत की (अन्य सभी सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं)। इसके परिणामस्वरूप जून 1977 से मई 1979 की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 21,97,956 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (सितम्बर 1978) विभाग ने बताया (नवम्बर 1979) कि वसूली कानूनी रूप से सम्भव नहीं हो सकती परन्तु बाद में बताया (दिसम्बर 1981) कि एक इकाई के संबंध में 2,50,827 रु० और दूसरी इकाई के संबंध में 2,55,040 रु० की मांग की गई थी और उसकी पुष्टि कर दी गई थी (दिसम्बर 1978 से मई 1979 के दौरान की गई निकासियों पर) नवम्बर 1978 तक की पूर्व अवधि के लिए मांगों समय सीमा के कारण कालातीत हो गई थी। इन मांगों के प्रति की गई अपीलें अनिर्णीत हैं।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(iii) टैरिफ मद 40 के अन्तर्गत आने वाले इस्पात के फर्नीचर और उनके हिस्सों पर शुल्क 25 प्रतिशत यथामूल्य उद्ग्राह्य है। तथापि, इस्पात की बनी झिरीदार एंगलों और चैनलों को टैरिफ मद में सम्मिलित नहीं किया जाता। परन्तु स्टील के फर्नीचर के हिस्सों के रूप में संयोजन के लिए विशेष रूप से ऐसे झिरीदार बनाए गए एंगलों को शामिल किया जाता है।

एक स्टील फर्नीचर विनिर्माता (टैरिफ मद 40 के अन्तर्गत) ने छेद वाले एग्नाल भी बनाए थे जिनके लिए विभाग द्वारा उसे टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत (अन्य सभी वस्तुएं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं) वर्गीकृत करने और यथामूल्य 8 प्रतिशत शुल्क अदा करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1979 से मार्च 1982 के दौरान की गई निकासी पर 38,045 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलती लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (मई 1981) विभाग ने शुल्क वसूल करने के लिए तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए परन्तु बताया कि स्टील फर्नीचर के उन हिस्सों से इतर हिस्सों पर शुल्क उद्ग्रहण से छूट है जिनको स्टील फर्नीचर के आवश्यक संघटकों के रूप में स्पष्टतः अलग करने के लिए विशेष आकृति अथवा डिजाइन दिया गया है और जिनमें दूसरे हिस्सों के संयोजन से बोल्टो और नटों से अथवा उनके बिना कोई स्टील फर्नीचर की चीज संयोजित की जा सकती है। परन्तु स्टील फर्नीचर की डिजाइन के अनुसार छेद किए गए एग्नाल फर्नीचर के आवश्यक संघटक हैं और उन्हें शुल्क मुक्त नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iv) बोल्ट, नट और पेच टैरिफ मद 52 और मोटर गाड़ियों के कुछ विनिर्दिष्ट हिस्से टैरिफ मद 34 क के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है। इस प्रकार के सामान इन दो मदों में से किसी एक के अन्तर्गत आयेंगे और ये टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय नहीं हैं (अन्यत्र अविनिर्दिष्ट अन्य सभी सामान)।

ट्रैक्टरों और मोटर गाड़ियों के हिस्सों के एक विनिर्माता को स्टीयरिंग स्कूज और स्टीयरिंग नटों को टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत करने और 8 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क अदा करने के बाद उनकी निकासी करने की अनुमति दे दी गई थी। उत्पाद ट्रैक्टरों में प्रयुक्त केवल स्कूज और नट थे न कि मोटर गाड़ी के विनिर्दिष्ट हिस्से। परन्तु उन्हें किसी भी हालत में टैरिफ मद 52 के विवरण से अलग नहीं रखा जा सकता जिसके अन्तर्गत शुल्क 15 प्रतिशत यथामूल्य उद्ग्राह्य था। विभाग द्वारा स्वीकृत सामान के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक की गई निकासियों पर 1,06,743 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलती लेखापरीक्षा में बताये जाने पर (जुलाई, 1981) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि स्टीयरिंग स्क्रूज और नटों का विनिर्दिष्ट कार्य होता है और वे जोड़ने वाले नहीं हैं। तथापि, उन्होंने यह संकेत नहीं दिया है कि इनके दूसरे कार्य क्या हैं और कोई सामान नट और स्क्रूज बनने से कैसे रह जाता है जबकि टैरिफ विवरण जोड़ने वाले नटों और स्क्रूजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसके अधीन इस नाम से जाने जाने वाले सभी नट और स्क्रूज आते हैं।

(V) मई 1979 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन बिजली के अनुसार स्टेम्पिंग्स और लेमीनेशन्स (जो टैरिफ मद 28 क के अन्तर्गत आते हैं) के विनिर्माण के दौरान उद्भूत स्टील पिघलाने से निकले कतरन पर शुल्क से छूट होती है (अन्यथा इस प्रकार के कतरन पर 330 रु० प्रति टन की दर पर शुल्क उद्ग्राह्य होता है) (टैरिफ मद 26)।

किसी विनिर्माता को इस प्रकार स्टील पिघलाने से निकली कतरन को विभाग द्वारा टैरिफ मद 26 के बजाय टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत (अन्यत्र अविनिर्दिष्ट अन्य सभी सामान) वर्गीकृत करने और तदनुसार शुल्क अदा करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक की गई निकासी पर 56,582 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

गलती लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जनवरी, 1982) विभाग ने बताया (फरवरी 1982) कि केवल अयस्क आधारित एकीकृत स्टील प्लांटों में निकले कतरन पर ही टैरिफ मद 26 के अन्तर्गत शुल्क प्रभाय होता है न कि पिघलाये जाने योग्य स्टील कतरन पर। यह दृष्टि कोण टैरिफ मद 26 के विवरण अथवा मई, 1979 में जारी की गई अधिसूचना में व्यक्त मत से समर्थित नहीं होता।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

2.22 अन्य सभी सामानों (अन्यत्र अविनिर्दिष्ट) के रूप में वर्गीकृत न किया जाना ।

(1) गढ़े लोहे या इस्पात उत्पाद पर जो कच्चे रूप में होते हैं, उनके वजन के आधार पर टैरिफ मद 26 क के (1क) के अन्तर्गत शुल्क की विशिष्ट दर निर्धार्य है। बाद में उनके प्रेषण मशीनिंग और पालिशिंग आदि के होने पर विनिर्मित इस्पात के उत्पाद टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है (अन्यत्र विनिर्दिष्ट न किया गया सभी माल) और उन पर शुल्क उद्ग्राह्य है। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1975 में इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

(क) ढले पहियों और धुरियों से पहियों के सेटों को संयोजित करने वाला स्टील प्लांट इस प्रकार के सेटों को विद्युत् की सहायता से उन्हें मशीनों से तैयार करता था और रेलवे वैगनों के संघटक हिस्सों के रूप में उनकी निकासी करता था। पहियों के सेटों में इस्पात की मांग पर विभाग ने उन पर टैरिफ मद 25 क के (1क) के अन्तर्गत शुल्क वसूल किया यद्यपि उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार शुल्क टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य था। 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान स्टील प्लांट द्वारा निकासी किये गये 38,588 पहियों के सेटों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 99.43 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

चूक को लेखापरीक्षा में बताये जाने पर (दिसम्बर, 1980) विभाग ने बताया (अक्तूबर 1981) कि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत मांग करने की कार्यवाही की जा रही थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि सितम्बर, 1981 से की गई निकासी पर 17.65 लाख रु० की मांग कर दी गई है और उसकी पुष्टि हो गई है, 1 मार्च 1975 से पहली अवधि के लिये भी मांग कर दी गई है।

(ख) एक दूसरे विनिर्माता को भी इस्पात की ढली वस्तुओं पर उनके वजन के अनुसार शुल्क देने की अनुमति दी गई यद्यपि ढलाई मशीन से की गई थी और शुल्क टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत देय था। इसके परिणाम-स्वरूप अप्रैल, 1973 से अप्रैल, 1977 के दौरान की गई निकासी पर 1,49,884 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलती को लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जून 1977) विभाग ने बताया (जून 1978) कि उसने यह गलती पहले ही देखली थी। गलती का पता लगाने के बाद की गई कार्यवाही यदि कोई हो, लेखापरीक्षा को अगस्त, 1982 तक सूचित नहीं की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

1978-79 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 89 में 1,16,994 रु० की राशि के शुल्क न लगाये जाने का एक ऐसा ही मामला सूचित किया गया था और वित्त मंत्रालय ने फरवरी 1980 में बताया था कि मामला जांचाधीन था। उस मामले में की गई किसी भी कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई थी (अगस्त 1982)।

(ii) टैरिफ मद 68 (अन्यत्र अविनिर्दिष्ट सभी अन्य सामान) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय अस्तर लगे जूट के थैले दिनांक 6 जून, 1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त थे।

किसी फैक्टरी में विनिर्मित अस्तर लगे जूट के थैले जूट की विनिर्मित वस्तु के रूप में टैरिफ मद 22 क (2) के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे और टैरिफ मद 22 क के अन्तर्गत आने वाले अस्तर वाले जूट के उत्पादों को कर मुक्त करने वाली एक अधिसूचना के अन्तर्गत उनको शुल्क मुक्त करके निकासी कर दी गई थी। अस्तर लगे थैलों के गलत वर्गीकरण के कारण जनवरी 1977 से 5 जून 1979 के दौरान की गई निकासियों पर 11.59 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती बताये जाने (मार्च 1981) पर विभाग ने बताया कि वजन में 50 प्रतिशत से अधिक जूट की मात्रा वाले हैसियन रोलों और पेपर टाट आदि सहित अस्तर वाले थैलों जो जूट उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं, के सादृश्य पर अस्तर वाले जूट के थैले भी टैरिफ मद 22 क के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे। यह सादृश्य ठीक नहीं है क्योंकि कागज और तार के विपरीत प्लास्टिक फिल्म यद्यपि, वजन में काफी हल्की है तथापि अधिक मूल्यवान है। यह टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत जून 1979 में पुनः जारी की गई छूट अधिसूचना से भी स्पष्ट है।

मामला वित्त मंत्रालय को जुलाई, 1982 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

(iii) नाइलोन के डोरे और रस्से, रेयन के रस्से आदि का एक प्रमुख विनिर्माता उनका उत्पादन नाइलोन और रेयन के धागे से करता था जिन पर शुल्क अदा कर दिया गया था परन्तु अपने उत्पादों की धागे के रूप में शुल्क मुक्त निकासी करता था । उत्पादों में बटे हुए परस्पर धागे की लड़ें शामिल थी जिससे अधिक शक्ति मिल सके और धागे से अलग और भिन्न थे । इनके लक्षण और प्रयोग धागे के लक्षणों और प्रयोग से अलग तथा भिन्न थे । इन कारणों से और दिनांक 22 जून, 1977 के पत्र में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए ये उत्पाद 1 मार्च 1975 से टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे । तथापि मार्च 1975 से जुलाई 1979 के दौरान विभाग ने टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क उदग्रहीत किये बिना इन उत्पादों की निकासी की अनुमति दे दी । इसके परिणामस्वरूप वसूली समय सीमा के कारण कालातीत होने से सरकार को 10.48 लाख रु० के राजस्व की हानि हुई ।

उत्पादों को टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत न किये जाने और उन पर शुल्क न लगाये जाने की विफलता की ओर अक्टूबर 1977 में लेखा-परीक्षा में ध्यान दिलाया गया था और विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली थी (दिसम्बर 1978) । परन्तु दिनांक 22 जून 1977 की टैरिफ सूचना प्राप्त होने के बाद हुई निकासियों पर केवल 26.00 लाख रु० राशि का शुल्क लगाया गया था (मार्च 1978) । विभाग ने दूसरे मामलों में भी शुल्क की जहां वह देय था, मांग नहीं की । इसकी वजाय विभाग ने केवल विनिर्माता को लिखा जिसने 14 अक्टूबर 1979 से प्रतिवाद करते हुए शुल्क अदा करना प्रारम्भ कर दिया । लेखापरीक्षा में दिसम्बर 1979 और फरवरी 1980 में दुबारा आपत्ति उठाये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1981 और अप्रैल, 1982) कि कारण बातों नोटिस 26 फरवरी 1980 को जारी किया गया था और 26 अगस्त, 1979 से 14 अक्टूबर, 1979 की अवधि के लिये 48,655 रु० के शुल्क की मांग का निर्णय जनवरी, 1981 में किया गया था । पूर्व अवधि (मार्च 1975 से जुलाई 1979) के लिये, 10,48,102 रु० राशि का उद्ग्राह्य शुल्क समय सीमा के कारण कालातीत हो गया था ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982) ।

(iv) दो विनिर्माताओं द्वारा बाजार से खरीदे गये रबड़ होजों, होल-क्लपों और लाक नटों तथा स्वनिर्मित होज एडेप्टरों, स्लीवर्स और यूनियन नटों जैसे संघटकों का प्रयोग करके मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त एयर ब्रैक प्रणाली में प्रयोग के लिये होज संयोजनों का उत्पादन किया गया था । मार्च 1979 से संयोजकों पर शुल्क टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य था और यह 30 अप्रैल 1980 तक तदनुसार वसूल किया गया था । तथापि उसके बाद संयोजकों की निकासी इस तर्क पर शुल्क मुक्त कर दी गई थी कि होज संयोजक रबड़ उत्पादों के रूप में टैरिफ मद 16क के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे और टैरिफ 16क के अन्तर्गत होजों पर शुल्क देयता को पहले ही मुक्त कर दिया था । यह तर्क उस स्पष्टीकरण के आधार पर था जिसे केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 2 अप्रैल, 1968 को जारी किया गया था, परन्तु जिसे 3 अगस्त 1974 को निरस्त कर दिया गया था । होज संयोजन अलग ट्रेड लक्षणों और प्रयोग वाला नया उत्पादन था तथा टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था, अतः रबड़ होज से भिन्न था । बोर्ड द्वारा 22 जुलाई 1981 को जारी की गई टैरिफ सूचना में भी यही मत था । विभाग द्वारा अनुमत गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 14 फरवरी 1981 से 13 अगस्त 1981 तक की गई निकासी पर 2,20,325 रु० का शुल्क लगाये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताये जाने पर (सितम्बर 1980) विभाग ने 14 अगस्त 1981 को दो विनिर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये । 13 फरवरी 1981 तक की अवधि में की गई निकासी पर समय सीमा के कारण कालातीत हो जाने से 3.96 लाख रु० राशि के शुल्क की मांग नहीं की जा सकी थी ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर, 1982) ।

छूट की गलत स्वोक्ति के कारण कम कर लगाया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में उस उप-मद की संख्या जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं वर्गीकृत की जानी चाहिये, 1981-82 के दौरान 322 थीं । तथापि विभिन्न टैरिफ मदों के अन्तर्गत जो वर्ष के दौरान लागू थीं, छूट अधिसूचनार्थे जारी किए जाने के कारण मूल उत्पाद शुल्क की

दरों की संख्या 832 थीं। निम्नलिखित टैरिफ मदों के संबंध में लागू छूट अधिसूचनाओं की संख्या अधिकतम थी।

टैरिफ मद सं०	विवरण	1981-82 के दौरान लागू छूट अधिसूचनाओं की संख्या
68	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट अन्य सभी सामान	37
15का	प्लास्टिक	34
18	मानव निर्मित रेशे फिलामेन्ट यार्न और सैल्यूलोजिक स्पन यार्न	32
17	कागज और कागज बोर्ड और उनकी वस्तुएं	27
19	सूती वस्त्र	26
14	पेन्ट्स और वारनिश	25
11 का	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद	21
21	ऊनी वस्त्र	19
6	मोटर स्पिन्ट	18
14 ड	पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली औषधियां	18
26 का	तांबा	18

2.23 चीनी

(1) दिनांक 3 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना के अनुसार चीनी वर्ष 1980-81 से जो चीनी चीनी फैक्टरी द्वारा प्रोत्साहन योजना के अधीन उत्पादित की जाती है तथा जिसकी निकासी अतिरिक्त हकदारी के रूप में की जाती है उस पर शुल्क चीनी निदेशालय, भारत सरकार से उस सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के अध्यक्षीन रियायती दरों पर निर्धार्य होता है।

एक चीनी फैक्टरी जिसने अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र जुलाई 1981 में प्राप्त किया था, उसे उक्त चीनी निदेशालय द्वारा जारी किये गये निर्मुक्त आदेश दिनांक 25 जुलाई 1981 के अन्तर्गत अगस्त 1981 के दौरान 5587 टन खुली बिक्री

की चीनी की निकासी की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 325.9 टन सामान्य खुली बिक्री की चीनी कोटा की थी और 232.8 टन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हकदारी की। निर्मुक्ति आदेश के अनुसार प्रथम निकासी उत्पाद शुल्क की सामान्य दर पर की जानी थी और उसके बाद की निकासियां दिनांक 3 अप्रैल 1981 की अधिसूचना के अनुसार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हकदारी के रूप में रियायती दरों पर की जानी थी। तथापि, फ़ैक्टरी, अगस्त 1981 के दौरान उपरोक्त निर्मुक्ति आदेश के प्रति 285.9 टन चीनी की निकासी की जिसमें से उसने 68.3 टन का दावा शुल्क की सामान्य (उच्चतर) दरों पर शुल्क अदा करके सामान्य खुली बिक्री कोटे के प्रति और 217.6 टन शुल्क की रियायती दरों (निम्नतर) अतिरिक्त हकदारी के कोटे के प्रति किया। शब्द अतिरिक्त हकदारी से यह तात्पर्य है कि यह शुल्क की रियायती दरों पर निकासी किये जाने के लिये तब तक उपलब्ध नहीं थी जब तक कि सामान्य खुली बिक्री के कोटे की निकासी शुल्क की सामान्य दर पर न की गई हो। चूंकि निकासी की गई सम्पूर्ण चीनी सामान्य खुली बिक्री कोटे के अन्तर्गत आती थी अतः उस पर शुल्क की सामान्य दर लगाई जानी चाहिये थी। सामान्य दर की बजाय शुल्क की रियायती दर पर 217.6 टन चीनी की निकासी के फलस्वरूप अगस्त 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 1,13,208 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलती लेखापरीक्षा ने विभाग को बताई थी (फरवरी 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्तूबर 1982)।

(ii) फरवरी 1976 की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने एक वर्ष (चीनी) में किसी नई चीनी फ़ैक्टरी के उत्पादन के (खुली चीनी कोटा) 35 प्रतिशत से अधिक निकासी की गई चीनी की मात्रा के संबंध में लेवी चीनी (न कि टैरिफ कोटा) की नियत कीमत के क्रमशः 15 प्रतिशत मूल शुल्क और 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (37½ प्रतिशत और 7½ प्रतिशत दरों के प्रति) की रियायती दरें निर्धारित कीं।

तदनुसार नई फ़ैक्टरियों को प्रत्येक चीनी वर्ष में उनके उत्पादन के 35 प्रतिशत पर खुली बिक्री वाली चीनी के संबंध में टैरिफ दरों पर शुल्क अदा करना चाहिये था। शेष खुली बिक्री वाली चीनी शुल्क 27

जून 1978 तक 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की रियायती दर पर उदघ्राह्य था जब दर संशोधित करके 6 प्रतिशत दर 5 प्रतिशत कर दी गई थी। 16 अगस्त 1978 से जब चीनी पर से नियंत्रण हटा दिया गया था तो फरवरी 1976 की अधिसूचना रद्द हो गई थी। दो फैक्टरियों द्वारा खुली बिक्री की चीनी की निकासी पर उत्पादन अथवा निकासी के 35 प्रतिशत के अंदर खुली बिक्री चीनी के कोटे पर रियायती दर तथा मूल्यांकन में रियायत (टैरिफ मूल्य के बजाय लेवी मूल्य) प्राप्त की थी। परन्तु शुल्क में रियायत केवल 35 प्रतिशत से अधिक खुली बिक्री वाली चीनी के कोटे के संबंध में ही उपलब्ध थी। इस अनियमितता के फलस्वरूप एक फैक्टरी में 15,849 क्विंटल और दूसरी में 39,116 क्विंटल चीनी की निकासी पर 21,60,553 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

गलती को लेखापरीक्षा में बताये जाने पर (अप्रैल 1979 और मई 1979) विभाग ने यह तर्क दिया (अगस्त 1979) कि यदि फैक्टरी अपने उत्पादन की 25 प्रतिशत चीनी खुली बिक्री चीनी के रूप में पहले निकालती तो जब तक उत्पादन की पहली 35 प्रतिशत चीनी की निकासी खुली बिक्री वाली चीनी के रूप में नहीं हो जाती तब तक उसे नई फैक्टरियों के लिये अधिसूचित रियायती शुल्क के लाभ से वंचित रहना पड़ता जो इसका अभिप्राय नहीं था। विभाग का तर्क उस अधिसूचना से जो शुल्क की रियायत तथा 35 प्रतिशत से अधिक खुली बिक्री कोटे के उत्पादन अथवा निकासी के मूल्यांकन पर भी रियायत की व्यवस्था करती है, परिपुष्ट नहीं होता। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1979, दिसम्बर 1981 और मार्च 1982) कि शुल्क की मांग करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये थे। मांग की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि कुल 22.56 लाख रु० के शुल्क के अन्तर के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं और मामला विधि मंत्रालय की सलाह से आगे जांचाधीन है।

(iii) एक 600 टन प्रति दिन की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी जो 1966 से उत्पादन कर रही थी, 1972 में बेच दी गई थी और पहले

स्वामियों ने दूसरे परिसर में 1250 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला नया संयंत्र लगाया: नई फैक्टरी में उत्पादन नवम्बर 1972 से शुरू हुआ।

नई फैक्टरी ने चीनी के मौसम 1973-74 के संबंध में 7,22,653 रु० के शुल्क की छूट का दावा (4 अक्टूबर 1973 को सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अधीन) इस आधार पर किया कि फैक्टरी नई थी तथा उत्पादन नवम्बर 1973 में प्रारम्भ हो गया था। दावा विभाग द्वारा इस तर्क पर रद्द कर दिया गया था कि फैक्टरी पुरानी थी और 1966 से उत्पादन कर रही थी। इस पर फैक्टरी ने दिनांक 12 अक्टूबर 1974 की अधिसूचना जो तीन वर्षों से अधिक समय से चीनी का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों पर लागू होती थी, के अन्तर्गत चीनी मौसम 1974-75 के संबंध में 55,43,694 रु० का दूसरा दावा किया। परन्तु बाद की अधिसूचना की एक धारा उस फैक्टरी पर लागू होने से इसे विशेष रूप से रोकती थी जो केवल तीन या इससे कम वर्षों से चीनी का उत्पादन कर रही थी (दावा प्रारम्भ में रद्द कर दिया गया परन्तु बाद में विभाग ने अपीलीय समाहर्ता का निर्णय (दिनांक 20 फरवरी 1976) इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वीकार करने का निर्णय किया कि फैक्टरी नवम्बर 1973 से पहले से उत्पादन कर रही थी। तदनुसार अक्टूबर 1979 में 48,19,632 रु० की छूट की स्वोक्रुति दे दी।

लेखापरीक्षा में यह बताया गया था (मार्च 1981) कि चीनी पर छूट अधिसूचना का मूलाधार चीनी की फैक्टरी की परिकल्पना के साथ कड़ाई से जुड़ा था और इस मानदंड पर आधारित था कि फैक्टरी नई है अथवा पुरानी। इसलिये विभाग को मालिक द्वारा विनिर्माण करने के लाइसेंस के उपयोग की निरंतरता अथवा उसके चीनी का निरंतर विनिर्माता बने रहने पर ध्यान देने का अधिकार नहीं था। विभाग को छूट की अनुज्ञेयता पर निर्णय करते समय इस तथ्य को कि क्या फैक्टरी नई थी अथवा पुरानी, को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिये था।

अपीलीय समाहर्ता के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से विभाग को छूट देने पर 48,19,632 रु० के शुल्क की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि बलवांडी फैक्टरी के लाइसेंस का 1973 तक नवीकरण कर दिया गया था तथा लाइसेंस में फैक्टरी का स्थान संशोधित करके बलवांडी से श्रीगोन्डा कर दिया गया था और समाहर्ता इस बात से संतुष्ट है कि फैक्टरी नये स्थान में एक पुरानी इकाई है। उत्तर में दूसरे उन बहुत से कारणों कि फैक्टरी नये स्थान में नई फैक्टरी है, का समाधान नहीं है।

2.24 पेट्रोल के उत्पाद और विजली

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 8 (2) के अन्तर्गत 13 जून 1978 को जारी किये गये एक छूट आदेश के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत पेट्रोलियम निगम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम द्वारा अथवा इसी प्रकार हिन्दुस्तान पेट्रोल निगम से भारत पेट्रोल निगम द्वारा प्राप्त मद 6 से 11 क के अन्तर्गत आने वाले पेट्रोल उत्पादनों को सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त कर दिया। परन्तु यह छूट सिवाय इन मामलों के नहीं लागू होती थी जहां उक्त उत्पाद अन्य तैयार उत्पादों के उत्पादन अथवा विनिर्माण में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किये गये थे। बरीनी शोधक कारखाने द्वारा हल्दिया शोधक कारखाने को आन्तरिक ईंधन अथवा समिश्रणकारी संघटक अथवा दोनों के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये आपूर्त कम सल्फर स्टाक पर दिनांक 21 फरवरी 1977 के आदेश द्वारा शुल्क लगाये जाने से छूट दे दी गई थी परन्तु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम से भारत पेट्रोलियम निगम अथवा भारत पेट्रोलियम निगम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम द्वारा उत्पादनों की आपूर्ति पर छूट केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त उत्पादों तक ही कड़ाई से सीमित कर दी गई थी।

भारत पेट्रोलियम द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को आपूर्त कम सल्फर वाले भारी स्टाक और मोम लगाने वाले आसुतों (टरिफ मद 6 से 11 क के अन्तर्गत आने वाली) पर शुल्क नहीं लगाया गया था हालांकि उत्पाद नये उत्पादों में समिश्रण और संसाधन में अंशतः प्रयोग किए गए थे और वे भारत पेट्रोलियम द्वारा बाहर भेजे गए थे तथा सम्पूर्णतः ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किये गये थे। चूंकि छूट से पहले वाली शर्त पूरी नहीं की गई थी अतः छूट देय नहीं थी। यद्यपि छूट देय नहीं थी

तथापि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को जनवरी 1979 से जुलाई 1979 तक आपूर्त 40,833 टन कम सल्फर वाले भारी स्टाक और जुलाई 1979 से सितम्बर 1980 तक आपूर्त 1,12,001 टन मोम लगाने वाले आसुतों पर शुल्क नहीं लगाया गया था। न लगाये गये शुल्क की राशि 60.06 लाख रु० थी।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताये जाने पर (अक्तूबर 1979) मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि छूट उन उत्पादों पर भी लागू हो सकती थी जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होते थे। छूट आदेश की पढ़त से जो विभाग के लिये राजस्व छोड़ने का एकमात्र कानूनी आधार है, यह आशय नहीं निकलता कि इस प्रकार की राजस्व हानि को अनुमत किया जाय। छूट आदेश अभी तक संशोधित नहीं किया गया है (सितम्बर 1982)। इसी बीच आगे शोधन के लिये (और ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता) एक तेल शोधक कारखाने से दूसरे तेल शोधक कारखाने को अक्तूबर 1980 से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान मोम लगाने वाले आसुतों की इसी प्रकार की आपूर्ति पर और न लगाये गये शुल्क की राशि 3.01 करोड़ रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) 1 मार्च 1978 से बिजली पर उत्पाद शुल्क 2 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर पर उद्ग्राह्य है (टैरिफ मद 11ड के अन्तर्गत)। तथापि 1 मार्च 1978 की अधिसूचना के अनुसार किसी जनित्र स्टेशन, औद्योगिक इकाई अथवा किसी स्थापना (रेलों सहित) द्वारा उत्पादित और ऐसे जनित्र स्टेशन (इसके सहायक प्लांट सहित यदि कोई हो) औद्योगिक इकाईयों अथवा अन्य स्थापना जैसा भी हो, में प्रयुक्त बिजली पर शुल्क से छूट है। दिनांक 27 अप्रैल 1978 की एक दूसरी अधिसूचना के अनुसार किसी जनित्र स्टेशन द्वारा उत्पादित बिजली का 10 प्रतिशत शुल्क से मुक्त था।

(क) एक चीनी का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी बिजली भी उत्पादित करती थी और साथ के परिसर में एक दूसरी फैक्टरी को बिजली की आपूर्ति भी करती थी, उस फैक्टरी ने दिनांक 1 मार्च 1978 की अधिसूचना के अनुसार इस प्रकार की गई आपूर्ति पर छूट का दावा इस तर्क पर किया कि दूसरी यूनिट चीनी की फैक्टरी का एक भाग थी। दूसरी

फैक्टरी ने रासायनिक, आसुतों और चीनी की क्यूव के संयंत्र लगाए, जिसे उत्पाद शुल्क विभाग ने अलग से ही लाइसेंस दे रखा था और चीनी फैक्टरी के नाम में नहीं, जो एक अलग लाइसेंसधारी थी। तदनुसार दूसरी फैक्टरी द्वारा उपभोग की गई बिजली शुल्क मुक्त नहीं थी। मार्च 1978 से दिसम्बर 1980 की अवधि के दौरान इस प्रकार आपूर्त की गई 45,24,175 किलोवाट बिजली पर 90,484 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

चूक लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को बताई गई थी (जनवरी 1981)

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि कर दी है और यह बताया है (नवम्बर 1982) कि छूट की स्वीकृति का मामला विचाराधीन है।

(ख) मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये बिजली का उत्पादन करने वाले किसी तेल शोधक कारखाने में पैदा की गई बिजली का 5 प्रतिशत दूसरों को बेच दिया और 28 फरवरी 1978 से 25 फरवरी 1980 की अवधि के दौरान इस प्रकार की गई विक्री पर उसे दिनांक 27 अप्रैल 1978 की अधिसूचना के अन्तर्गत 59,117 रु० के शुल्क से छूट की अनुमति दी गई थी। दिनांक 27 अप्रैल 1978 की अधिसूचना का आशय संयोग से बिजली पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचाना नहीं था बल्कि केवल बिजली पैदा करने वाले केन्द्रों को मुख्यतः बिजली पैदा करने और बिजली की विक्री के कारखाने में लगे थे, को ही लाभ देना था अतः इस मामले में उस अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 59,117 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

गलती को लेखापरीक्षा में बताये जाने (मार्च 1980) पर विभाग ने आपत्ति को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि 'बिजली जनित केन्द्र' शब्द के अन्तर्गत बिजली के कारखाने में लगे निर्जा केन्द्र तथा नियमित केन्द्र भी आते हैं। तथापि विभाग ने 25 अप्रैल 1978 से 30 नवम्बर 1981 के दौरान किये गये उत्पादन पर उपरोक्त तेल शोधक कारखाने को 75,453 रु० राशि के लिये 5 कारण बताने और मांग नोटिस (जून और सितम्बर 1980, मार्च और अगस्त 1981 तथा जनवरी 1982) जारी किये, जिनमें से एक मांग की पुष्टि (जुलाई 1981)

इस आधार पर कर दी गई थी कि 'विजली जनित्र केन्द्र' 'औद्योगिक इकाई' से भिन्न था और दिनांक 27 अप्रैल 1978 की अधिसूचना के अन्तर्गत तेल शोधक कारखाने को लाभ उठाने का हक नहीं था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.25 प्लास्टिक

(i) दिसम्बर 1979 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार टैरिफ मद 15क के अन्तर्गत आने वाले पॉलीथीलीन जो शुल्क प्रदत्त कच्चे नैफथा या उससे व्युत्पन्न किसी रसायन से विनिर्मित किया गया है पर उत्पाद शुल्क की उतनी राशि को छूट दी गई है जितनी यथामूल्य के 27 प्रतिशत से अधिक हो। कच्चे नैफथा या उससे व्युत्पन्न किसी रसायन से इतर ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो कि तैयार उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से आवश्यक है, तांबे (टैरिफ मद 26क) के संदर्भ में 24 फरवरी 1982 को जारी किए गए वित्त मंत्रालय के पत्र में अनुमत किया गया था।

एक पॉलीथीलीन के विनिर्माता ने विनिर्माण की प्रक्रिया में कच्चे नैफथा के साथ अल्कोहल का उपयोग किया और उस पॉलीथीलीन पर यथामूल्य 40 प्रतिशत का शुल्क अदा किया जो कि अल्कोहल से उत्पादित किया गया माना गया था, किन्तु उस पॉलीथीलीन पर जो कच्चे नैफथा से उत्पादित किया गया माना गया था, यथामूल्य 27 प्रतिशत की रियायती दर पर और आनुपातिक आधार पर उस अनुपात में अदा किया जिस अनुपात में अल्कोहल और कच्चे नैफथा की मात्रा पॉलीथीलीन के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई थी। यथामूल्य 27 प्रतिशत की दर का गलत रूप से लाभ उठाया गया था क्योंकि जैसा कि दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना में अपेक्षित है, पॉलीथीलीन का विनिर्माण शुल्क प्रदत्त कच्चे नैफथा से नहीं किया गया था, बल्कि अल्कोहल से किया गया था जो प्रौद्योगिकीय रूप से आवश्यक नहीं था; इसलिए विनिर्माता कार्यकारी अनुदेशों का लाभ भी नहीं उठा सकता था। अनियमित छूट

का लाभ उठाए जाने के परिणामस्वरूप अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 3.96 करोड़ रु० का शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (मई 1981) विभाग ने बताया कि टिस्को बनाम भारत सरकार के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर छूट अनुमत की गई थी। किन्तु इस मामले में यह निर्णय मुसंगत नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के सामने जो अधिसूचना थी, उसकी शब्दावली यह थी "उन इस्पात पिण्डों पर छूट दी जाती है जिनमें शुल्क प्रदत्त कच्चा लोहा उपयोग में लाया जाता है" जबकि इस मामले में शब्दावली पूर्णतया भिन्न है अर्थात् "कच्चे नैफथा से विनिर्मित" इसके अतिरिक्त दिसम्बर 1979 की अधिसूचना और फरवरी 1982 का स्पष्टीकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बहुत बाद और उस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को जानने के बाद जारी किए गए थे ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है ।

(ii) 29 मई, 1971 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार टैरिफ मद 15 क(2) के अन्तर्गत आने वाली प्लास्टिक की सभी वस्तुएं (सब्त प्लास्टिक के बोर्ड, चादरें, फिल्में और नम्य पी० वी० सी० चादरें फिल्में और लेफ्लेट ट्यूबिंग जिनमें कोई कपड़े की वस्तु नहीं होती, को छोड़कर) इस शर्त के अध्याधीन शुल्क से मुक्त थीं कि ये वस्तुएं या तो टैरिफ मद 15 क(1) के अन्तर्गत आने वाली प्लास्टिक की सामग्री से या प्लास्टिक की छीजन से विनिर्मित की गई थीं ।

एक ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित रासायनिक प्रतिरोधी टंकियां और अन्य संघटकों की शुल्क अदा किए बिना निकासी किए जाने की अनुमति दी गई थी, जो इनके विनिर्माण में पी० वी० सी० चादरें, पाइप और पी० वी० सी० की बनी अन्य आकार की वस्तुएं, कांच रेशे और रैजिन (बंधक माल के रूप में) का उपयोग करता था, जबकि इस माल पर कोई छूट नहीं मिलनी थी । ये वस्तुएं टैरिफ मद 15 क (2) और 22 च के अन्तर्गत आने वाली सामग्री से विनिर्मित की गई थीं, और न कि अनन्यतः टैरिफ मद 15 क (1) के अन्तर्गत आने वाली सामग्री से या प्लास्टिक की छीजन से विनिर्मित की गई थीं । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1980 तक की गई निकासी पर पहले ही 21,45,120 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था ।

अप्रैल 1980 में लेखापरीक्षा में इस गलती को बताए जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार कर ली और नवम्बर 1980 में छूट वापस ले ली और विनिर्माता को शुल्क की अदायगी पर माल की निकासी करने का निदेश दिया और अप्रैल, 1980 से की गई निकासी पर भी शुल्क की मांग की (कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने से पूर्व छः महीनों के लिए)। कोई औपचारिक मांग नहीं की गई थी। अपील का निर्णय विनिर्माता के पक्ष में होने के बाद विभाग ने सरकार द्वारा पुनरोक्षण न कराए जाने का निर्णय इस आधार पर लिया कि उत्पाद को प्लास्टिक से विनिर्मित हुआ मान लिया गया था और यह प्रमुख रूप से शुल्क प्रदत्त सामग्री से बना हुआ था और पूर्वोक्त अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट नहीं था कि केवल पूर्ण रूप से प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर ही छूट उपलब्ध थी। कलकत्तों के टैरिफ सम्मेलन में चर्चा किए जाने के बाद केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस आशय की अगस्त 1981 में टैरिफ सूचना जारी की कि पी० वी० सी० चादरों, पाइपों, और कांच रेशे और रेजिन सहित, पी०वी०सी० की अन्य आकार की बनी वस्तुओं से विनिर्मित कांच रेशे प्रचलित प्लास्टिक सामग्री पर पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट नहीं मिल सकती। चूंकि यह सूचना लेखापरीक्षा में व्यक्त किए गए पहले विचार के अनुसार थी, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से, रेशेदार कांच प्रचलित डिब्बे, नाव, हेलमेट, स्नान-टब, कम्पोजीट कवर आदि जैसे अन्य विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उत्पादों पर शुल्क की वसूली किए जाने का अनुरोध किया गया था (दिसम्बर 1981)। विभाग ने बताया (मार्च और मई 1982) कि इस प्रश्न को निर्णय के लिए दोबारा बोर्ड को भेज दिया गया है। इस दौरान उस विनिर्माता, जिसके मामले में लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाया गया था, द्वारा की गई निकासी पर नहीं लगाए गए शुल्क की राशि 21,45,120 रु० से बढ़कर फरवरी, 1982 के अन्त तक की गई निकासी पर 46,21,859 रु० हो गई।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन प्रश्न अगस्त 1981 की टैरिफ सूचना के अन्तर्गत नहीं आता किन्तु गलत छूट स्वीकृत करने सम्बन्धी लेखापरीक्षा की आपत्ति न तो स्वीकार की गई है और न ही रद्द की गई है।

(iii) 27 फरवरी, 1980 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यदि "फीनोल फार्मैलिडहाइड मोल्डिंग पाउडर" (टैरिफ मद 15क के अन्तर्गत आने वाला) का विनिर्माण कच्चे नैफथा या उससे व्युत्पन्न किसी ऐसे रसायन से किया गया हो, जिस पर शुल्क की उचित राशि अदा कर दी गई है तो उस पर शुल्क की उतनी राशि की छूट है जितनी 30 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक है।

"फीनोलिक वस्तु एम" जिसे फीनोल फार्मैलिडहाइड कहा जाता है, के एक विनिर्माता (यद्यपि इस कथन की पुष्टि के लिए विभाग द्वारा कोई परीक्षण नहीं किए गए थे) ने पाउडर के विनिर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 56क में निर्धारित क्रियाविधि के अधीन प्राप्त हुए शुल्क प्रदत्त कच्चे माल का उपयोग किया था। विनिर्मित मोल्डिंग पाउडर पर शुल्क की अदायगी किए जाने के लिए कच्चे माल पर अदा किए गए शुल्क का भी लाभ उठाया गया था। जिस कच्चे माल पर शुल्क अदायगी का लाभ उठा लिया गया था, वह माल उसी समय से विवरण "वह माल जिस पर शुल्क की उचित राशि की अदायगी पहले ही की जा चुकी है" की व्याख्या में नहीं आता [उपर्युक्त नियम 56 क के उप नियम 3(iii) के उपबन्ध देखें] इसलिए मोल्डिंग पाउडर के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत यथामूल्य की शुल्क की रियायती दर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए शुल्क 40 प्रतिशत यथामूल्य लगाया जाना था। पुनरीक्षण आवेदन दिए जाने पर भारत सरकार के 26 नवम्बर, 1980 के आदेश में भी यह साबित किया गया था कि इस मामले में 27 फरवरी 1980 की अधिसूचना के अन्तर्गत छूट उपलब्ध नहीं थी। इसके फलस्वरूप फरवरी 1980 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 38.46 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह गलती विभाग को जून 1981 में बताई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला जांचा-धीन है।

2. 26 पेटेंट या मालिकाना औषधियां

19 जून 1980 की अधिसूचना के अनुसार जिन पेटेंट या मालिकाना औषधियों में अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक अवयव शामिल होते हैं उन पर शुल्क से छूट दी गई है। किन्तु यदि औषधि में कोई ऐसा अवयव शामिल हो जो अनुसूची में है, तो उस मामले में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि ऐसा अवयव ऐसी भेषजीय आवश्यकता का न हो, जो चिकित्सीय रूप से अक्रिय है और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवयवों की चिकित्सा या रोक निरोधी क्रियाशीलता में बाधा नहीं डालता है।

“आइसो वेन्जासिल फॉर्ट” (टैरिफ मद 14ड के अन्तर्गत आने वाले) के एक विनिर्माता ने उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाया। इस उत्पाद में तीन अवयव थे, जिनमें से दो उपर्युक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट थे, अर्थात् “आइसो निजिड” और “वेन्जायल पास कैल्सियम” जो पैरा ए मीनो सैलिसिलिकएसिड का एक लवण है। छूट के लिए दावा किया गया था और अनुमत किया गया था और 19 जून, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक की अवधि में की गई निकासी पर विभाग द्वारा विनिर्माता को 64,973 रु० की राशि का शुल्क वापस किया गया था। इसके अतिरिक्त सितम्बर 1980 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 2,62,661 रु० का शुल्क भी वसूल नहीं किया गया था। तथापि तीसरा अवयव अर्थात् परिडॉक्सन हाइड्रोक्लोराइड विनिर्दिष्ट किस्म का अक्रिय अवयव नहीं था और इसलिए शुल्क उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली है और बताया है (अप्रैल, 1982) कि विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (सितम्बर 1982)। मांग और वसूली की पुष्टि की सूचना प्राप्त होनी है।

2. 27 अन्य रसायन

(i) जून 1979 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार वार्निशों पर 10 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक के शुल्क से छूट है यदि वे उन अवयवों से विनिर्मित किए जाते हैं जिन पर उत्पाद शुल्क की

उचित राशि की पहले ही अदायगी कर दी गई हो और वार्निशों का उपयोग बिजली की तारों और केबलों को रोधी बनाने के लिए किया गया हो। पुनरीक्षण आवेदन दिए जाने पर नवम्बर 1980 में जारी किए गए आदेश के अनुसार सरकार ने पुष्टि की कि यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 56क में विहित क्रियाविधि के अधीन शुल्क प्रदत्त कच्चा माल फ़ैक्टरी में लाया जाता है तो ऐसे कच्चे माल पर प्रदत्त शुल्क का लाभ पहले ही उठा लिए जाने के कारण वह माल शुल्क अदा न किए जाने वाला कच्चा माल बन जाएगा।

रोधीकृत तारों का एक विनिर्माता ऐसे शुल्क प्रदत्त अवयवों (टैरिफ़ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) से वार्निशों का विनिर्माण भी करता था, जो कच्चे माल पर अदा किए गए शुल्क का लाभ उठा कर नियम 56क में विहित क्रियाविधि के अधीन फ़ैक्टरी में लाया गया था। ऐसा माल शुल्क अदा न किये जाने वाला माल बन जाने के कारण वार्निशों पर 10 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर पर शुल्क का लगाया जाना उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार नहीं था। तथापि, अधिसूचना का लाभ अनुमत किया गया था जिसके फलस्वरूप जून 1981 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 2.21 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (मार्च 1982) विभाग ने जुलाई 1981 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी को शामिल करके 1,38,030 रु० का कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया। वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) 20 अगस्त 1977 की अधिसूचना के अनुसार सोडियम हाइड्रोसल्फ़ाइट (टैरिफ़ मद 14 क क के अन्तर्गत आने वाले) पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की खपत के लिए एक विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से निकासी की गई 150 टन तक की अधिकतम मात्रा

पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी, वशतें कि जिस वित्त वर्ष में निकासी की जाती है, उस में कुल उत्पादन 360 टन से अधिक नहीं हो ।

सोडियम हाइड्रोसल्फेट के एक विनिर्माता को अपने उत्पाद की पैकिंगों के आकार के आधार पर अर्थात् 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 25 किलोग्राम के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों पर वेचने की अनुमति दी गई थी। विनिर्माता को विभाग द्वारा उन उत्पादों के सम्बन्ध में छूट का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी जिनकी छोटे पैकिंगों में निकासी की गई थी और वित्त वर्ष के दौरान ऐसी विक्री के कालानुक्रम का ध्यान रखे बिना मूल्य भी अधिक लगाया गया था। केवल ऊंचे मूल्यों पर छोटे पैकिंगों (1 किलोग्राम) की विक्री पर छूट अनुमत करके यथामूल्य 15 प्रतिशत का शुल्क उद्ग्राह्य होने के कारण विभाग द्वारा 1980-81 के दौरान 64,419 रु० का कम शुल्क वसूल किया गया। यदि वर्ष के दौरान कालानुक्रमानुसार 150 टन तक की निकासी पर छूट अनुमत की जाती तो विभाग द्वारा अधिक शुल्क वसूल किया जा सकता था, जैसा कि अधिसूचना में व्यवस्था की गई थी।

लेखापरीक्षा में इस गलती के बताए जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने बताया कि 150 टन तक पहली निकासी तक ही लाभ प्रतिवन्धित करने वाली अधिसूचना में विशेष शब्द विन्यास न होने के कारण, विनिर्माता वित्त वर्ष के दौरान विक्री के कालानुक्रम का ध्यान रखे बिना ऊंचे मूल्यों की विक्री पर छूट का लाभ उठा सका। यह एक मान्य कानून है कि शब्द छूटों का सही रूप में अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे प्रयुक्त भाषा की स्पष्ट अपेक्षाओं तक ही सीमित रखा जाए; लाभप्रद वाक्य संरचना का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता। "वित्त वर्ष के दौरान निकासी की गई 150 टन तक की मात्रा पर छूट" शब्दों के प्रयोग में निस्संदेह "वित्त वर्ष के दौरान पहली निकासी" शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है, परन्तु इसमें तक "दौरान" के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि छूट वर्ष में समय बीतने के दौरान कालानुक्रमानुसार विनिर्दिष्ट संख्या तक की गई निकासी पर अनुमत की जानी है। इसलिए विभाग द्वारा राजस्व के अहित में अपनाया गया दृष्टिकोण इस पर लागू नहीं होता था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि जिस ढंग से निर्धारिती द्वारा छूट मांगी गई थी, अधिसूचना में उसकी अनुमति है। चूंकि छूट अधिसूचना की व्याख्या सही रूप से की जानी चाहिए, इसलिए अधिसूचना की व्याख्या विधि मंत्रालय से कराना आवश्यक है या अधिसूचना की अस्पष्टता संशोधन करके दूर करनी होगी।

(iii) दिसम्बर 1961 में जारी अधिसूचना (यथा संशोधित) के अधीन उर्वरकों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे नैफ्था पर (टैरिफ मद 14 ज ज) 4.15 रु० प्रति किलोलिटर की रियायती दर पर शुल्क लगना था (जबकि 28 फरवरी, 1975 तक 2,000 रु० प्रति किलोलिटर की सामान्य प्रभावी दर लागू थी और उसके बाद 2100 रु० प्रति किलोलिटर थी)। कच्चे नैफ्था को चटका कर प्राप्त किया गया हाइड्रोजन, अधिकांश मात्रा में अमोनिया और उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और शेष मात्रा उर्वरक फैक्टरियों द्वारा निकट के तेल शोधक कारखाने को बेची जाती है जो उर्वरक फैक्टरी को हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ने पर बदले में उसे भी बेच देती है। इस प्रकार उनके बीच हाइड्रोजन की दो तरफ़ी आवाजाही होती है।

20 जून, 1974 को केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए विशेष अधिसूचना आदेश के अधीन एक उर्वरक फैक्टरी को जिसने रियायती दर पर शुल्क अदा की थी, हाइड्रोजन के विनिर्माण के लिए कच्चे नैफ्था का उपयोग अनुमत किया गया था, जिसकी तेल शोधक कारखाने को आपूर्ति की गई थी। यह इस शर्त के अध्याधीन था कि हाइड्रोजन की आपूर्ति की तारीख से छः महीने के भीतर तेल शोधक कारखाने से इसके बराबर की मात्रा वापस प्राप्त कर ली जायेगी या छः महीनों की अवधि के दौरान तेल शोधक कारखाने से उर्वरक फैक्टरी द्वारा हाइड्रोजन की बराबर की मात्रा पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। छः महीने की समय सीमा को बाद में 16 जुलाई, 1975 के बोर्ड के आदेश द्वारा बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया था कि 16 जुलाई, 1975 (वह तारीख जब वापसी अवधि छः महीनों से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई) से पूर्व छः महीनों की अवधि के दौरान हाइड्रोजन की 11,44,150

घन मीटर की मात्रा उर्वरक फैक्टरी द्वारा तेल शोधक कारखाने में वापस की गई थी, किन्तु छः महीनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद। इसलिए उर्वरक फैक्टरी द्वारा हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे नैपथा पर शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाया जाना अनियमित था क्योंकि हाइड्रोजन गैस छः महीनों की अवधि के बाद वापस की गई थी। इस मामले में विभेदक शुल्क की राशि 12.15 लाख रु० बनती है।

विभाग ने इस मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 1981) बताया कि उसके बाद विभेदक शुल्क वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि वह कालातीत हो गया था।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की है और बताया है (नवम्बर 1982) कि 16 जुलाई, 1975 का संशोधन आदेश दोनों सम्बद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए जारी किया गया था। इसका अभिप्राय 20 जून, 1974 के मूल आदेश को इसके जारी होने की तारीख से संशोधित किए जाने से था ताकि वह समर्थक बन सके और जिस प्रयोजन के लिए उसे जारी किया गया था, वह पूरा हो सके। सांविधिक आदेश में अभिप्राय स्पष्ट न होने के कारण 12.15 लाख रु० का, छोड़ा गया राजस्व कानूनी रूप से हानि थी, जिसे उसके कालातीत होने से पहले वसूल किया जाना था।

2.28 टायर और ट्यूबों

30 मार्च, 1979 को यथा संशोधित तारीख 14 जुलाई, 1978 की अधिसूचना के अधीन, फ्लेपों (टैरिफ मद 16) को छोड़कर टायरों और ट्यूबों की निकासी पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क की उतनी राशि के शुल्क की छूट होती है, जो इस शुल्क के 87.5 प्रतिशत से अधिक हो वशर्ते कि निकासी फैक्टरी की लाइसेंस शुदा क्षमता के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त यह इस परन्तुक के अधीन भी था, कि फैक्टरी ने पहली बार उपर्युक्त माल का उत्पादन अप्रैल, 1976 के पहले दिन से बहुत पहले आरम्भ किया हो और महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा प्रमाणित लाइसेंस शुदा और प्रतिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष पांच लाख टायरों और पांच लाख ट्यूबों से अधिक न हो।

एक फैक्टरी में, जिसकी प्रमाणित लाइसेंस शुदा और प्रतिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष (जैसे मई 1980 में) चार लाख टायरों और चार लाख ट्यूबों की थी, 1979-80 के दौरान टायरों और ट्यूबों का उत्पादन प्रमाणित लाइसेंस शुदा और प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक हुआ था और वास्तव में 7,64,947 टायर और 7,98,891 ट्यूबों का उत्पादन हुआ था। इसके अतिरिक्त फैक्टरी ने 3,75,000 टायरों और 3,75,000 ट्यूबों की 48.125 प्रतिशत यथा मूल्य की रियायती दर पर (जो 55 प्रतिशत यथा मूल्य के शुल्क की प्रभावी दर का 87.5 प्रतिशत है) निकासी की जबकि टायरों और ट्यूबों के लिए प्रत्येक की स्वीकार्य सीमा 3 लाख (लाइसेंस शुदा प्रतिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत) ही थी। अभिलेखों में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी, कि 1979-80 के दौरान टायरों और ट्यूबों का उत्पादन बढ़कर प्रमाणित लाइसेंस शुदा प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग दो गुना होने के फलस्वरूप, राजस्व विभाग द्वारा महानिदेशक तकनीकी विकास से अपने प्रमाण पत्र की यथार्थ रूप से समीक्षा करने के लिए कहा गया था या नहीं। विद्यमान प्रमाण पत्र के आधार पर, फैक्टरी को शुल्क की रियायती दर का लाभ अनुमत किया गया था, जिससे कुल निकासी पर 3,91,79,988 रु० का राजस्व छोड़ा गया था। इस राशि में से प्रमाणित क्षमता के 75 प्रतिशत की सीमा से अधिक की निकासी पर रियायत अनुमत करने से, जो कि किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं थी, 81,25,596 रु० (77,38,663 रु० मूल और 3,86,933 रु० विशेष) की राशि का शुल्क वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताया जाने पर (मई 1980) विभाग ने 77,38,663 रु० की राशि के शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितम्बर 1980 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को देखते हुए विशेष मांग नहीं की गई थी)। विभाग ने यह भी बताया (जून 1981) कि फैक्टरी को अपने उत्पादन में लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के निर्णय को देखते हुए मामला कलक्टर के न्याय निर्णयाधीन था। मांग की वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (नवम्बर, 1981)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि महानिदेशक तकनीकी विकास और औद्योगिक विकास विभाग ने पुष्टि की है (अगस्त 1980) कि लाइसेंस शुद्ध क्षमता से अधिक उत्पादन स्थापित करने से औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1957 का उल्लंघन होता था और कम्पनी के उस अधिनियम के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया था। अधिक निकासी पर शुल्क की रियायती दर का गलत लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में 81.26 लाख रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई है।

2.29 कागज

(1) 18 जून, 1971 को जारी की गई अधिसूचना के अधीन कागज की कुछ किस्मों पर 50 प्रतिशत (उन मिलों में उत्पादित जिनकी प्रति वर्ष प्रतिष्ठापित क्षमता 5000 टनों से अधिक थी, किन्तु प्रतिवर्ष 10,000 टनों से अधिक नहीं थी) से 75 प्रतिशत (उन मिलों में उत्पादित जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 2000 टनों से अधिक थी) के बीच शुल्क से आंशिक छूट अनुमत की गई थी, जो इस शर्त के अधीन थी कि ऐसा कागज में खोई, पटसन, डण्ठल, अन्न की भूसी, हाथी घास, मेस्ट या रद्दी कागज से बनी लुगदी की मात्रा तौल में 50 प्रतिशत से कम न हो।

(क) पैकिंग और रैपिंग कागज का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन शुल्क की रियायती दर पर इस कागज की निकासी की। विनिर्माण की प्रक्रिया में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कच्चे माल के अतिरिक्त नलीदार डिब्बों के रद्दी कागज भी उपयोग में लाए गए थे। तदनुसार निर्धारित को उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन शुल्क

की रियायती दर का लाभ नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसने रद्दी कागज की पट्टियां (बोर्ड) (नलीदार डिब्बों की रद्दी) उपयोग की थी, जो कि विनिर्दिष्ट कच्चा माल नहीं था। रियायत की गलत अनुमति से अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 तक की अवधि में की गई निकासी पर 10,92,725 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने बताया कि "रद्दी कागज" की व्याख्या अधिसूचना में नहीं की गई है और जैसा कि बाजार में सामान्यतः विदित है, रद्दी कागज में कागज और कागज पट्टियों (बोर्ड) की सभी किस्म की रद्दी शामिल होती है। उपर्युक्त विचार बोर्ड के 14 अप्रैल, 1955 के पत्र में जारी किए गए अनुदेश से सिद्ध नहीं होता जिसमें कागज और कागज बोर्ड के बीच ट्रेड उपयोग और वर्गीकरण के अध्यधीन प्रति वर्गमीटर 180 ग्राम से कम या अधिक तौल के संदर्भ में भिन्नता बताई गई है, जबकि सी० सी० सी० एन० वर्गीकरण (उत्पाद शुल्क टैरिफ में समाविष्ट नहीं किया गया है) में यह बताया गया है कि कागज के संदर्भ में कागज बोर्ड भी शामिल होता है (मोटाई या तौल कुछ भी हो सकता है) सिवाय उसके जब संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो। उत्पाद शुल्क टैरिफ में कागज और कागज बोर्ड के बीच भिन्नता व्यापार प्रथा पर आधारित तौल के संदर्भ में ही मानी गई है, इसलिए यह भिन्नता रद्दी कागज और रद्दी कागज बोर्ड पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त जब कागज बोर्ड या रद्दी कागज बोर्ड को रद्दी कागज में शामिल किया जाना अभिप्रेत हो तो ऐसा अभिप्राय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है जैसा कि अधिसूचना संख्या 77/74-सी ई तारीख 27 अप्रैल, 1974 में किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ख) प्रतिवर्ष 4000 टनों की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली एक कागज मिल, जो जुलाई, 1977 से उत्पादन कर रही थी, को दिसम्बर, 1980 तक की गई निकासी पर पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन 5000 टन तक की क्षमता वाली मिलों के लिए उपलब्ध शुल्क की 60 प्रतिशत तक की रियायत अनुमत की गई थी। 17 जनवरी, 1981 से मिल की प्रतिष्ठापित क्षमता 4000 टन से बढ़ाकर 6000 टन प्रतिवर्ष कर दी गई थी और उसे उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत अनुमत की गई थी। महानिदेशक तकनीकी विकास ने 1 जुलाई, 1980 को 6000 टनों की बढ़ी हुई वार्षिक क्षमता के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया और कलेन्डर वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन 5515 टन था, जबकि वित्त वर्ष 1980-81 में उत्पादन 5643 टन था। दोनों ही ओर से उत्पादन 4,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता से अधिक था जिसके आधार पर 16 जनवरी, 1981 तक शुल्क में 60 प्रतिशत की रियायत अनुमत की गई थी। जुलाई, 1980 से ही जब पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 6000 टन की गई क्यों नहीं मानी गई थी इसका कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं था और न ही विभाग द्वारा इसकी पूछताछ की गई थी। 1 जुलाई, 1980 से 16 जनवरी, 1981 तक की अवधि में शुल्क में 60 प्रतिशत की रियायत (50 प्रतिशत की बजाय) की अनुमति से 4.40 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (अगस्त 1982) विभाग ने बताया कि यद्यपि महानिदेशक तकनीकी विकास के पास 6000 टन प्रतिवर्ष की प्रतिष्ठापित क्षमता 1 जुलाई, 1980 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी, 6000 टन प्रतिवर्ष की प्रतिष्ठापित क्षमता से वास्तविक उत्पादन 17 जनवरी, 1981 से आरम्भ हुआ था। तथापि मिल ने अतिरिक्त मशीनरी का प्रतिष्ठापन किए जाने (अर्थात् 6 ड्राईंग सिलेन्डर) और उत्पादन में हुई वृद्धि की सूचना महानिदेशक तकनीकी विकास को 26 जुलाई, 1980 को दी थी और 1980 के दौरान हुआ 5515 टनों का वास्तविक उत्पादन भी प्रतिवर्ष 4000 टनों की मूल क्षमता से काफी अधिक था।

इसके अतिरिक्त मासिक उत्पादन भी जनवरी 1980 से ही 333.3 टन (4000 टनों का 1/12 वां भाग) से अधिक था और जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, सितम्बर 1980 के दौरान 400 से 500 टन के बीच था और अगस्त, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के दौरान 500 और 600 टन के बीच था।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया है (नवम्बर 1982) कि छूट के बारे में निर्धारिती की हकदारी के संबंध में आगे जांच की जा रही है।

(ii) 18 जून, 1977 की अधिसूचना के अनुसार एक मिल, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 5000 टन प्रतिवर्ष से अधिक किन्तु 10,000 टन से अधिक नहीं थी, में विनिर्मित अलेपित और लेपित छपाई और लिखाई कागज (पोस्टर कागज से भिन्न) पर यथामूल्य 12.5 प्रतिशत का शुल्क उद्ग्राह्य था बशर्ते कि कागज में प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम से अधिक पदार्थ न हो और खोई, पटसन डण्ठल, अन्न भूसी आदि से बनी लुगदी का तौल 50 प्रतिशत से कम न हो।

एक विनिर्माता ने दिसम्बर 1980 के दौरान 50,000 किलो ग्राम की लकड़ी की लुगदी में से उत्पादित 65,054 किलोग्राम अलेपित छपाई कागज की यथामूल्य 12½ प्रतिशत का शुल्क अदा करके निकासी की। शुल्क की रियायती दर के लिए हकदारी का सुनिश्चयन करने के लिए विभाग द्वारा रसायनिक परीक्षण नहीं किया गया था। चूंकि लकड़ी की लुगदी की खपत उत्पादित कागज की तौल के 77% से अधिक थी, प्रत्यक्षतः यह एक अजीब सी बात लगती है कि उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी पदार्थ का तौल कागज तौल के 50 प्रतिशत से अधिक कैसे बन सकता है। इसलिए 65,054 किलोग्राम कागज पर यथामूल्य

25 प्रतिशत की दर पर शुल्क उद्ग्राह्य था। 12½ प्रतिशत की रियायती दर पर शुल्क की अदायगी से 36,593 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में गलती अक्टूबर, 1981 में बताई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

2. 30 सूती कपड़े

फरवरी 1980 में यथासंशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2 (च) में यह अनुबंधित है कि सूती कपड़ों को मसाले से सफेद करने (ब्लीचिंग) रेशमी चमक लाने (मरसराइजिंग) रंगाई, छपाई आदि की प्रक्रियाएं, विनिर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाएं होती हैं। टैरिफ मद 19 भी ऐसे सूती कपड़ों को शामिल करने के लिए संशोधित की गई थी, जिनमें मसाले से सफेद करने, रेशमी चमक लाने, रंगाई, छपाई आदि करने की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। यदि एक असंसाधित सूती कपड़े पर जिस पर उपयुक्त शुल्क अदा किया जा चुका है, उपर्युक्त प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया और की जाती है, तो उसके और विनिर्माण अध्यधीन होने के कारण उस पर फिर से उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य होगा। 24 नवम्बर 1979 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जब असंसाधित सूती कपड़े का उपयोग संसाधित सूती कपड़ों में विनिर्माण के लिए उसी फैक्टरी में किया जाता है, जहां इन्हें विनिर्मित किया गया था, तो उन पर उत्पाद शुल्क और असंसाधित सूती कपड़ों पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट है।

नौ संयुक्त सूती कपड़ा मिलों से भूरे (असंसाधित) सूती कपड़ों की उन्हीं विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रित अन्य विनिर्माण यूनिटों को संसाधित किए जाने के लिए निकासी की गई थी। निकासी अप्रैल 1980 से सितम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान शुल्क की अदायगी किए बिना बंध-पत्र के अधीन की गई थी। न लगाया गया शुल्क 1.66 करोड़ रु० बनता था, जिसकी अन्य यूनिटों से संसाधित कपड़ों की अन्तिम निकासी के समय शुल्क के आस्थगित उद्ग्रहण के रूप में मांग नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इस चूक का ध्यान दिलाए जाने पर (अक्टूबर 1981 से फरवरी 1982) विभाग ने बताया (जनवरी से मार्च 1982) कि सुसंगत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत असंसाधित कपड़ों की S/25 C & AG/82—10.

एक अनुज्ञप्त परिसर से दूसरे को निकासी शुल्क की अदायगी किए बिना बंध-पत्र के अधीन की जा सकती है और कपड़ों पर शुल्क की वसूली कपड़े से संसाधित किए जाने के बाद अन्तिम निकासी के चरण पर अदायगी किए जाने के लिए आस्थगित की जाती है। तथापि, शुल्क की अदायगी से छूट अनुमत किए जाने के कारण नहीं दिए गए थे, जबकि संसाधन उसी फ़ैक्टरी में नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.31 अन्य विनिर्मित वस्तुएं

(i) ऊनी टाप्स और कार्डेड गिल्ड स्लीवर्स, जिनमें कुल रेशे के अंश के आधार पर संगणित ऊन का वजन पचास प्रतिशत से अधिक हो, पर टैरिफ मद 43 के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य है। 1 मार्च 1979 की अधिसूचना के अनुसार कार्डेड गिल्ड स्लीवरों पर शुल्क लगाए जाने से छूट है, यदि उनका उपयोग शुल्क योग्य ऊनी टाप्स में होता है।

ऊनी टाप्स और कार्डेड गिल्ड स्लीवरों के एक विनिर्माता ने कार्डेड गिल्ड स्लीवरों से ऊपरी टाप्स का उत्पादन किया और उस प्रक्रिया में छोटी लम्बाई के स्लीवर अलग कर दिए गए थे। उसने उन्हें नायल्स का नाम दिया (जो स्लीवरों से पूर्णतया भिन्न है) और उन पर शुल्क अदा नहीं किया और विभाग द्वारा उसकी कार्रवाई स्वीकार कर ली गई थी। छोटी लम्बाई के स्लीवर ऊनी प्रणाली पर धागे के विनिर्माण में उपयोग में लाए गए थे। कार्डेड गिल्ड स्लीवरों से प्राप्त हुए 1,12,734 कि० ग्राम स्लीवरों पर जिनकी निकासी जुलाई 1979 से सितम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई थी, 10,12,625 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में शुल्क न लगाए जाने की चूक के बारे में विभाग को बताया गया था (फरवरी 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) 24 अप्रैल 1962 को जारी की गई और बाद में 27 जून 1964 की अधिसूचना द्वारा 1 मार्च 1964 से संशोधित की गई अधिसूचना के अनुसार, कच्चा लोहा, लौहा छीजन, गलन लोहा या ढलवां लोहा, किसी भी अन्य बनावट या आकार सहित किसी भी कच्ची अवस्था में लोहा जो टैरिफ मद 25 के अन्तर्गत आता है और पुराने लोहे या इस्पात छीजन या शुल्क प्रदत्त प्राकृत धातु से प्राप्त छीजन से उत्पादित हुआ हो, उस पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट है।

नासिक में एक ढलाई लोहे के विनिर्माता ने शुल्क प्रदत्त कच्चे लोहे (प्राकृत धातु) से ढलवां लोहे का उत्पादन किया और ढलाई की प्रक्रिया के दौरान छीजन निकली, और उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाया। अधिसूचना के शब्दों के अनुसार शुल्क प्रदत्त धातु का किसी कच्चे आकार में लोहे के विनिर्माण में सीधे उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं है। केवल पुराने लोहे, इस्पात छीजन या शुल्क प्रदत्त प्राकृत धातु से प्राप्त छोजन का उपयोग ही अनुमत है। छूट की गलत अनुमति से 1980-81 के दौरान की गई निकासी पर 7 लाख रु० की राशि का शुल्क नहीं लगाया गया था। इसी प्रकार बम्बई और अहमदाबाद में दो अन्य विनिर्माताओं द्वारा की गई निकासी पर क्रमशः 1,92,920 रु० और 81,310 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलतियां बताए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने बताया (अप्रैल 1982) कि छूट लोहे के किसी भी कच्चे आकार अर्थात् टैरिफ मद 25 में आने वाले सभी उत्पादों और शुल्क प्रदत्त कच्चे लोहे से विनिर्मित उत्पादों पर लागू होती थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1982) कि शुल्क केवल कच्चे आकार के लोहे पर या ढले लोहे पर उद्ग्राह्य होता है, दोनों पर नहीं। तथापि, इससे अधिसूचना कई प्रकार से व्यर्थ हो जाएगी।

(iii) 21 जून 1969 की अधिसूचना के अनुसार टैरिफ मद 26-ख की उपमदों (1) और (2) के अन्तर्गत आने वाले जिक इस्ट, जिक पाउडर, जिक प्लेटों, और जिक चादरों पर शुल्क से छूट दी गई थी, जो कि उत्पादन फ़ैक्टरी में अपरिष्कृत जिक के विनिर्माण में उपयोग होते हैं।

अगस्त 1976 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान एक विनिर्माता द्वारा 10,903 मीटरी टन जिंक कथोड और सिल्लियों की निकासी की गई थी, जिस पर इस आधार पर शुल्क नहीं लगाया गया था कि निकासी किए गए उत्पाद जिंक डस्ट और पाउडर के विनिर्माण में उपयोग किए जाने थे। 21 जून 1969 की अधिसूचना में ऐसी निकासी पर शुल्क से छूट दिया जाना स्पष्ट नहीं किया गया था। इस मामले में अधिसूचना गलत रूप से लागू किए जाने से 2.98 करोड़ रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (अगस्त 1977) विभाग ने बताया (मई 1978) कि मामला केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड को भेजा गया था, जिसने 21 अगस्त 1981 को स्पष्ट किया कि जिंक डस्ट और जिंक पाउडर (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) जिंक के अपरिष्कृत उत्पादन नहीं हैं और तदनुसार उपर्युक्त अधिसूचनाओं में दी गई छूट उपर्युक्त निकासियों पर लागू नहीं होगी। विभाग ने जुलाई 1982 में एक कारण बताओ—मांग नोटिस जारी किया। वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

2.32 मशीनरी और विविध विनिर्मित वस्तुएं

अप्रैल 1968 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार रोटरस और स्टेटरस (टैरिफ मद 30 की उप-मद घ के अधीन आने वाले) पर उद्ग्राह्य सम्पूर्ण शुल्क से छूट है, यदि ऐसे रोटरस और स्टेटरस उत्पादन की फैक्टरी में 'विजली मोटरों' के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में (टैरिफ मद 30 की उप-मद "क" से ग के अन्तर्गत आने वाले) उपयोग किए जाते हैं, जिन पर चाहे पूर्णरूप से या आंशिक रूप में उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य है। मार्च 1969 में जारी की गई एक अन्य अधिसूचना के अनुसार विजली की मोटरों पर शुल्क से छूट है, यदि उनका उत्पादन फैक्टरी में टैरिफ मद 33 ग के अन्तर्गत आने वाले घरेलू विजली के उपकरणों के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग किया जाता है।

रोटरस और स्टेटरस के तीन विनिर्माताओं ने बिजली की मोटरों के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उनका उपयोग किया, जिनका उसके बाद टैरिफ मद 33 ग के अन्तर्गत आने वाले "घरेलू बिजली के उपकरण" के विनिर्माण में उपयोग किया गया था। चूंकि मार्च 1969 की अधिसूचना के अनुसार बिजली की मोटरों पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णरूप से छूट दी गई थी, इसलिए अप्रैल 1968 की अधिसूचना के अनुसार छूट उपलब्ध नहीं थी। तथापि बिजली की मोटरों पर कोई शुल्क वसूल नहीं किया गया था। तथापि "घरेलू बिजली के उपकरणों" के विनिर्माण में प्रयुक्त रोटरस और स्टेटरस पर शुल्क की छूट दिए जाने की कोई अधिसूचना नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1975 से जून 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 13.22 लाख रु० का शुल्क कम वसूल किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1981, सितम्बर 1981 और मार्च 1982) विभाग ने बताया (मई और जून 1982) कि मार्च 1969 की अधिसूचना के अन्तर्गत स्टेटरस और रोटरस पर शुल्क से छूट है, जो जब तक मोटरों पर शुल्क उद्-ग्राह्य नहीं है, तब तक सही नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों की पुष्टि कर दी है और बताया है (नवम्बर 1982) कि छूट की स्वीकार्यता पर विचार किया जा रहा है।

(ii) 1 मार्च 1978 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उन शक्ति चालित पम्पों (टैरिफ मद 30-क के अन्तर्गत आने वाले) पर शुल्क से छूट है, जो मुख्यतया पानी निकालने के लिए बनाए गए हैं (उदाहरणतया "गहरे नल कूप टर्बाइन पम्पस")। एक उच्च न्यायालय ने निर्णय किया (मैसर्स ज्योति लिमिटेड बनाम संघ सरकार के मामले में) कि ऐसे पम्पों में "बाउल एसेम्बली" तो एक शक्ति चालित पम्प के साथ में संघटक होगा किन्तु "कालम एसेम्बली" "दी डिस्चार्ज हेड एसेम्बली" और अन्य संघटक सहायक उपकरण ही होंगे।

"गहरे नल कूप टर्बाइन पम्प" के एक विनिर्माता को ऐसे पम्पों के सम्बन्ध में पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन शुल्क से छूट का लाभ उठाने की

अनुमति दी गई थी। किन्तु सहायक उपकरणों (जो टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आयेंगे) की जुलाई 1979 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 11.22 लाख रु० की राशि का शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (मार्च 1981) विभाग ने बताया (फरवरी 1982) कि उच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय एक विशेष मामले से और एक विशेष निर्धारिती से संबंधित था और सामान्य रूप से लागू नहीं होता था। इस उत्तर में इस बात का समाधान नहीं किया गया कि राजस्व की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा अधिसूचना की न्यायिक व्याख्या क्यों नहीं अपनाई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि सितम्बर 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान निकासी किए गए सहायक उपकरणों पर 7.77 लाख रु० की मांग की गई थी और 1 लाख रु० की शास्ति लगाई गई थी। लाइसेंसधारी ने उसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम न्यायादेश दिया गया था।

(iii) 1 मार्च 1975 की अधिसूचना द्वारा ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर आदि के पुर्जों पर, जो टैरिफ मद 37 क की उप-मद (ii) के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, सरकार द्वारा शुल्क से छूट दी गई थी, यदि उत्पादन की फैक्टरी में उनका उपयोग टैरिफ मद 37क की उप मद (i) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयरों आदि जैसे माल के विनिर्माण या जुड़नार में किया गया हो। इस अधिसूचना में स्टाइली नहीं आते हैं, जिनको टैरिफ मद 37क की उप मद (v) के अन्तर्गत अलग से वर्गीकृत किया जाता है, यद्यपि वे कार्टरिजेज के उप-पुर्जे हैं जो उप-मद (ii) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय ग्रामोफोन आदि के पुर्जे होते हैं। व्याख्या के संस्थापित नियमों के अनुसार माल का सामान्य विवरण प्रतिपादित करने वाले शीर्ष की तुलना में माल का अधिक विशिष्ट विवरण प्रतिपादित करने वाले शीर्ष को अधिमान्यता दी जानी चाहिए और इसलिए स्टाइली को उप मद (ii) में कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता बल्कि उप-मद (v) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

25 अगस्त 1962 की एक अन्य अधिसूचना के अनुसार ग्रामोफोन के पुर्जों और सहायक पुर्जों पर शुल्क की छूट तभी अनुमत हैं जब वे रेडियोग्राम में लगाए जाते हैं जो टैरिफ मद 33क (3) के अन्तर्गत आते हैं। अन्य अधिसूचना की भांति यह अधिसूचना टैरिफ मद 37क की उप मद (ii) के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोफोन के पुर्जों तक सीमित नहीं है।

स्टाइली का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने जो उनकी उसी रूप में शुल्क देने के बाद फालतू पुर्जों के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए निकासी करती थी कुछ स्टाइलियों को शुल्क दिए बगैर पिकअप कार्टिरिजों में लगा दिया हालांकि टैरिफ मद 37-क की उप-मद (v) के अन्तर्गत स्टाइली स्पष्ट रूप से उत्पादशुल्क लगने वाली वस्तु है। कार्टिरिजों की निकासी टैरिफ मद 37-क की उप-मद (ii) के अन्तर्गत शुल्क देने के बाद की गई थी। कार्टिरिजों के विनिर्माण में प्रयुक्त स्टाइली पर शुल्क से कोई छूट न होने और 1 मार्च 1975 की अधिसूचना की भाषा में यह स्पष्ट रूप से बताए जाने पर कि केवल उप-मद (ii) के अन्तर्गत आने वाले पुर्जे शुल्क से मुक्त हैं, मार्च 1975 से जुलाई 1980 की अवधि में स्टाइली पर 4,18,851 रु० का शुल्क अवनिर्धारित हुआ।

यह अवनिर्धारण लेखा परीक्षा में नवम्बर 1977 में बताया गया था। विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की। बोर्ड ने नवम्बर 1981 में हुए कलक्टरों के सम्मेलन में इस पर विचार किया और मंत्रालय ने लेखा-परीक्षा को सूचित किया (दिसम्बर 1981) कि जब पूरा पिकअप कार्टिरिज टैरिफ मद 37-क की उप-मद (i) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है, तो स्टाइली जो यद्यपि टैरिफ मद 37-क की उप-मद (ii) के अन्तर्गत न आकर उप-मद (v) के अन्तर्गत आता है 1 मार्च 1975 की अधिसूचना के अन्तर्गत छूट की हकदार होगा। लेखापरीक्षा के विचार से, मंत्रालय का मत तब तक सही नहीं होगा जब तक तारीख 1 मार्च 1975 की अधिसूचना से उप-मद (ii) का उल्लेख समाप्त नहीं कर दिया जाय और इसकी परिधि में तारीख 25 अगस्त 1962 की अधिसूचना की तरह उप-मद (v) को नहीं लाया जाता।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि स्टाइली पर दिए गए शुल्क का क्रेडिट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 56-क

के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता था और इसलिए इस मामले में शुल्क की कोई हानि हुई प्रतीत नहीं होती। तथापि नवम्बर 1981 में अपनाए गए मत को ठीक करने और उसके बजाए नियम 56क का सहारा लेने के लिए अभी तक कोई निदेश जारी नहीं किया गया है (नवम्बर 1982)।

(iv) मई 1970 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार बिजली के बिना विनिर्मित धातु के डिब्बे (टैरिफ मद 46 के अन्तर्गत आने वाले) उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। किसी विशेष विनिर्माता के धातु के डिब्बों के लिए कोई धातु चादरों पर किया गया विशिष्ट या विशेष मुद्रण धातु डिब्बों के विनिर्माण में एक प्रक्रिया है और यदि यह प्रक्रिया बिजली की सहायता से की जाती है तो उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क से छूट नहीं मिलेगी।] केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा भी फरवरी 1977 में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी।

एक विनिर्माता ने बिजली का उपयोग किए बिना धातु के डिब्बों का उत्पादन करने में 69,675 कि० ग्रा० टिन की चादरों का प्रयोग किया। तथापि, विनिर्माता का नाम, ट्रेड मार्क और विवरण 7,13,338 रु० के मूल्य के धातु के डिब्बों पर बिजली की सहायता से मुद्रित किए गए थे परन्तु विभाग ने वर्ष 1980-81 के दौरान इन पर 1,12,350 रु० का शुल्क नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जून 1981) विभाग ने बताया (जून 1981) कि यद्यपि उन्हें आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी, फिर भी सावधानी के रूप में 1,12,350 की मांग कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला विचाराधीन है।

2. 33 ऐसी सभी वस्तुएं जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं हुआ है

(i) दिनांक 1 मार्च 1975 की एक अधिसूचना के अनुसार टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाला पशुओं का चारा (पशुओं के मिश्रित चारे सहित) शुल्क से मुक्त था।

ओरियोमाइसिन क्लोरोटेट्रासाइक्लीन के एक विनिर्माता को अपने उत्पाद टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत करने और उसे "पशुओं के चारे" के रूप में पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निकासी करने की अनुमति दे दी गई थी। इस उत्पाद से सम्बद्ध विवरणों में बताया गया था कि कुक्कुट, दुधारु पशुओं, सूअरों आदि के परिवर्द्धन, उत्पादन और भूख बढ़ाने के लिए इस उत्पाद को "पशुओं के चारे" में थोड़ी मात्रा में मिलाना था। इसलिए यह उत्पाद 'पशुओं का चारा' न होकर पशुओं के चारे का पूरक खाद्य था और शुल्क से छूट पाने का अधिकारी नहीं था। यह अनियमित छूट दिए जाने से अप्रैल 1975 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 6.27 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

फरवरी 1980 में लेखापरीक्षा द्वारा इस अनियमित छूट की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गया। तत्पश्चात् विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 6.31 लाख रु० के शुल्क के लिए दस कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिए।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि सभी मांगों (4,700 रु० की एक मांग को छोड़कर) की अब पुष्टि हो चुकी है। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ii) फरवरी 1979 के अन्त तक साइकिल के रिम टैरिफ मद 35 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे और शुल्क की अदायगी से मुक्त थे, उसके बाद वे टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे जिसके अनुसार 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क देय था। 1 मार्च 1979 को जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा रिमों पर 8 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क की पूरी दर को कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया और जून 1980 में जारी की गई एक अन्य अधिसूचना द्वारा उन्हें शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। टैरिफ मद 35 तथा टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले रिमों पर शुल्क से छूट केवल साइकिल के रिमों तक सीमित थी और उसमें साइकिल रिक्शा या हैवी ड्यूटी साइकिलों के रिम नहीं आते थे।

टायरों का एक प्रसिद्ध विनिर्माता साइकिल रिमों, साइकिल रिक्शा व्हील रिमों और हैवी ड्यूटी साइकिल रिमों का विनिर्माण भी करता था।

उसे छूट की उपरोक्त रियायत जो केवल 'साइकिल' के पुर्जों के लिए थी, साइकिल रिक्शा रिमों और हैवी ड्यूटी साइकिल रिमों की निकासी पर भी अनुमत की गई। चूंकि 'साइकिल रिक्शा रिम' और हैवी ड्यूटी साइकिल रिम, साइकिल रिम या साइकिल के पुर्जे नहीं थे अतः वे शुल्क की रियायती दर या शुल्क से छूट के पात्र नहीं थे और वे टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क की पूरी दर से निर्धार्य थे।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों को बताए जाने पर (फरवरी 1981) विभाग ने बताया (सितम्बर 1981) कि विनिर्माता ने जो वर्गीकरण सूची भेजी थी, उसमें यह घोषित नहीं किया था कि वह साइकिल रिक्शाओं में लगने वाले रिमों का भी विनिर्माण करता था। 10 मई 1979 से 31 मई 1979 की अवधि की बाबत 1,80,553 रु० की राशि के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया था (दिसम्बर 1981)। 10 मई 1979 से पूर्व अवधि की बाबत मांग की जा रही थी। इस यूनिट के विरुद्ध उत्पाद शुल्क सम्बन्धी अपराध का मामला भी दर्ज कर दिया गया था। वसूली और न्यायनिर्णयन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1982)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (सितम्बर 1982)।

2.34 प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क की सीमा तक छूटें

(i) मार्च 1969 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार यदि बिजली की मोटरों (टैरिफ मद 30 के अन्तर्गत आने वाली) का उपयोग बिजली के पंखों (टैरिफ मद 33 के अन्तर्गत आने वाले) के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में उत्पादन करने वाली फैक्टरी में होता है, तो उन पर पूरे शुल्क से छूट प्राप्त थी। मार्च, 1979 में जारी की गई एक अन्य अधिसूचना द्वारा नियम 56क में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने पर बिजली की मोटरों पर देय शुल्क से उस सीमा तक छूट दे दी गई जो उनके विनिर्माण में प्रयुक्त विद्युत स्टेम्पिंगों और पत्तियों पर (टैरिफ मद 28क) के अन्तर्गत आने वाले संदत्त शुल्क के बराबर थी, इसी प्रकार बिजली के पंखों पर उतने शुल्क से छूट दे दी गई जितनी उनके विनिर्माण में प्रयुक्त बिजली की मोटरों पर दिया गया था।

(क) बिजली की मोटरों के विनिर्माण में प्रयुक्त विद्युत् स्टेम्पिंगों और पत्तियों का विनिर्माता एक ही परिसर में तीनों उत्पादों का निर्माण कर रहा था, ये बिजली की मोटरें बिजली के पंखों के विनिर्माण में प्रयुक्त की जा रही थी। उसने मार्च 1979 में जारी की गई दो अधिसूचनाओं के अनुसार विद्युत् स्टेम्पिंगों पर संदत्त शुल्क का क्रेडिट बिजली की मोटरों पर शुल्क की अदायगी के प्रति लिया और बिजली की मोटरों पर इस प्रकार प्रदत्त शुल्क का क्रेडिट बिजली के पंखों पर शुल्क की अदायगी के प्रति लिया। तथापि दूसरी अधिसूचना द्वारा प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क की सीमा तक शुल्क से छूट प्राप्य थी जबकि पहली अधिसूचना द्वारा बिजली की मोटरों पर लगने वाले शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्य थी बशर्ते कि उनका उपयोग बिजली के पंखों के विनिर्माण में उत्पादन की फैक्टरी में किया गया हो। इस प्रकार ऐसी बिजली की मोटरों पर कोई शुल्क उद्ग्राह्य न होने के कारण, उन पर शुल्क की अदायगी और बिजली के पंखों पर उद्ग्राह्य शुल्क में कमी करने के लिए उसका क्रेडिट दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू किए जाने के फलस्वरूप 10 अक्टूबर 1981 से 15 मार्च 1982 की अवधि के दौरान जिस अवधि की मांग परिसीमा द्वारा कालबाधित नहीं हुई थी निकासी किए गए बिजली के पंखों पर 70.23 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया। इससे पहले की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर हुई राजस्व की हानि अभी संगणित की जानी है।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने बताया (मई 1982) कि 70.23 लाख रु० का मांग नोटिस विनिर्माता को भेज दिया गया था। इससे पहले की अवधि में हुई राजस्व की हानि के विषय में सूचना की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ख) मार्च 1979 में जारी की गई एक अन्य अधिसूचना के अनुसार विद्युत् स्टेम्पिंग और पत्तियों (टैरिफ मद 28क के अन्तर्गत आने वाली) पर लगने वाले शुल्क की बाबत उतनी राशि जो स्टेम्पिंग और पत्तियों के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात चादरों और प्लेटों (टैरिफ मद 26कक के अन्तर्गत आने वाली) पर संदत्त शुल्क के बराबर थी, की छूट दे दी गई।

विजली की मोटरों के एक विनिर्माता को मोटरों की निकासी उन पर देय शुल्क में से विनिर्माण में प्रयुक्त विद्युत स्टेम्पिंग और पत्तियों पर उद्ग्राह्य शुल्क कम करके अनुमत कर दी गई जबकि अधिसूचना के अनुसार ऐसे स्टेम्पिंग और पत्तियों पर वास्तव में संदत्त शुल्क कम किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1980 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 5,47,702 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह गलती बताए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने बताया (नवम्बर 1981) कि चूंकि विनिर्माता को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 56क में विहित प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी हुई थी, इसलिए छूट विद्युत स्टेम्पिंग्स और पत्तियों पर देय सकल शुल्क के संदर्भ से दी जानी थी। यदि नियम 56क को उक्त अधिसूचना में इस सीमा तक लागू कर दिया जाएगा कि इस्पात चादरों और प्लेटों के चरण तक संदत्त सभी सीमाशुल्क का क्रेडिट अनुमत किया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि स्टेम्पिंग्स और पत्तियों पर अभी तक कोई शुल्क नहीं दिया गया था और मोटरों पर देय शुल्क स्वयंमेव सकल देय शुल्क हो जाएगा क्योंकि छूट अधिसूचना लागू नहीं रहेगी। विभाग द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाए जाने से कि उत्पादन से पूर्व के सभी चरणों पर शुल्क की दी गई छूट को संदत्त शुल्क के रूप में लिया जाएगा, दो बार (डबल) छूट अनुमत की गई जो राजस्व के लिए अहितकर थी और अनधिकृत थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) दिनांक 14, जुलाई 1978 की एक अधिसूचना के अनुसार टायरों और ट्यूबों को उन पर उद्ग्राह्य उतने शुल्क से कुछ शर्तों के अध्यक्षीन छूट दे दी गई जो ऐसे शुल्क के 75 प्रतिशत से अधिक थी और दिनांक 18 जून 1977 की एक अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत उन्हें उन पर उद्ग्राह्य उतने उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई जो आयात पर पहले ही संदत्त उत्पाद शुल्क के बराबर हो (नियम 56क के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाए जाने के अध्यक्षीन)।

(क) एक विनिर्माता ने जो टायरों और ट्यूबों के उत्पादन में शुल्क संदत्त कच्ची सामग्री (टैरिफ़ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली) का उपयोग करता था, पूर्वोक्त दोनों अधिसूचनाओं के अन्तर्गत छूट प्राप्त की। दिनांक 14 जुलाई 1979 की अधिसूचना में दी गई 25 प्रतिशत रियायत का लाभ अनुमत करने के लिए टायरों और ट्यूबों पर संदेय निबल शुल्क (प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क को छोड़कर) को आधार बनाने की जगह प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क सहित उद्ग्राह्य सकल शुल्क को हिसाब में लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1978 से मई 1979 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 4,46,719 ₹० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (नवम्बर 1981) विभाग ने गलती नहीं मानी और कहा कि पहले उद्ग्राह्य शुल्क का परिकलन कर के 75 प्रतिशत मुजरा किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रयोज्य सामग्री पर संदत्त शुल्क का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अपने इस तर्क के समर्थन में उसने दिनांक 14 जुलाई 1978 की अधिसूचना में दिनांक 4 जून 1979 की अधिसूचना द्वारा किए गए एक संशोधन का जिक्र किया जिसके अनुसार प्रयोज्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं पर पहले संदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट उत्पादन पर संदेय निबल प्रभावी शुल्क की सीमा तक अनुमत किया जाता है। इस संशोधन में यह अंतर्हित नहीं है कि नियम 8(1) के अन्तर्गत उद्ग्राह्य शुल्क से प्रयोज्य सामग्री पर पहले संदत्त शुल्क की सीमा तक दी गई छूट को उद्ग्राह्य शुल्क तक दी जाने वाली छूट के रूप में लिया जाए जिस पर ही केवल 25 प्रतिशत की रियायत दी जानी है। उद्ग्राह्य शुल्क की जो प्रतिशतता छोड़ी जानी हैं, उसकी संगणना पहले उद्ग्राह्य निबल शुल्क को निकाल कर ही की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है,

(ख) दिनांक 16 जून 1976 की एक अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मात्रा से अधिक निकासी किए गए टायरों और ट्यूबों पर (अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित) उद्ग्राह्य शुल्क से 25

प्रतिशत की छूट दी गई थी। उद्ग्राह्य निवल शुल्क उद्ग्राह्य शुल्क की राशि में से प्रयोज्य सामग्री पर पहले ही संदत्त शुल्क को कम करके, जिसे मुजरा किया जाना अनुमत किया गया हो, निकाला जाना था (जैसा कि सरकार ने दिनांक 30 जनवरी 1978 के पत्र में स्पष्ट किया था)। 14 जुलाई 1978 से छूट कम करके 12½ प्रतिशत कर दी गई थी और उसकी मंजूरी कुछ शर्तों के अध्वधीन थी।

टायर और ट्यूबों के एक विनिर्माता को 25 प्रतिशत और 12½ प्रतिशत की छूट अनुमत की गई परन्तु ये प्रतिशतताएं कच्ची सामग्री पर पहले ही संदत्त शुल्क की राशि को कम किए बगैर संदेय शुल्क की राशि पर परिकलित की गई थीं।

इसके परिणामस्वरूप जून 1978 से मार्च 1980 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 18,01,362 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग को जुलाई 1981 में भेजी गई थी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 1982)।

मामला वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया था (जुलाई 1982); उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। मंत्रालय ने 1980-81 के वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2.38 (क) में शुल्क कम लगाए जाने की इस प्रकार की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी।

लघु विनिर्माताओं को दी गई छूटें

2.35 विनिर्दिष्ट वस्तुएं (वार्षिक निकासी 20 लाख रु० से अधिक नहीं)

दिनांक 1 मार्च 1978 की एक अधिसूचना के अनुसार एक वर्ष में कुल मिलाकर 5 लाख रु० के मूल्य तक की निकासी की गई विनिर्दिष्ट उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं (अधिसूचना में विनिर्दिष्ट) पर शुल्क लगाए जाने से छूट दे दी गई बशर्ते कि ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी का मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष में 15 लाख रु० से अधिक न हो। दिनांक 30 मार्च 1979 की एक अन्य अधिसूचना के अनुसार छूट अनुमत

किए जाने के लिए एक और शर्त जोड़ दी गई थी कि पूर्व वित्तीय वर्ष में सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (शुल्क से मुक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) की निकासियों का मूल्य कुल मिलाकर 20 लाख रु० से अधिक न रहा हो।

दिनांक 19 जून 1980 की एक अधिसूचना के अनुसार उस तारीख से एक वर्ष में 5 लाख रु० के मूल्य तक की प्रारम्भ में निकासी की गई वस्तुओं पर शुल्क से पूरी छूट दे दी गई और उसके बाद की 10 लाख रु० मूल्य तक की निकासियों पर अन्यथा उद्ग्राह्य शुल्क कम करके 75 प्रतिशत कर दिया गया।

यदि वस्तुओं का उत्पादन एक विनिर्माता द्वारा अन्य विनिर्माता (उधार लाईसेंसधारी) की ओर से किया जाता है तो उत्पादक [विनिर्माता को छूट देने का निर्णय अलग से उधार लाईसेंसधारी की ओर से, जो उसकी ओर से विनिर्मित उत्पादों के लिए कानूनी तौर पर विनिर्माता है, किए गए विनिर्माण को छोड़कर स्वयं उसके उत्पादन के संदर्भ में किया जाता है। इस बात को वित्त मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से सलाह करके 14 मई 1982 को जारी किए गए अपने अनुदेशों में स्पष्ट कर दिया है। तथापि उधार लाईसेंसधारी की ओर से किया गया उत्पादन 15 लाख रु० और 20 लाख रु० की सीमा संगणित करने में शामिल किया जाएगा।

13 अक्टूबर 1977 को वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किए गए जाँच कार्यों का मूल्य (अर्थात् वसूल किए गए जाँच प्रभार और ग्राहक से प्राप्त सामग्री का मूल्य) भी विनिर्दिष्ट या उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का मूल्य संगणित करने में शामिल किया जाएगा।

(i) संचायक बैटरियों के आधान पात्रों का एक विनिर्माता इन विनिर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन संचायक बैटरियों के एक विनिर्माता की ओर से उसके डिजाइन, विशिष्टियों के अनुसार करके उन पर उसका ट्रेड मार्क अंकित कर देता था। विनिर्माता को पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 से छूट का लाभ इस आधार पर अनुमत किया गया था कि आधान पात्रों के विनिर्माता द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के

दौरान की गई निकासियों का मूल्य 15 लाख रु० से अधिक नहीं था। चूंकि बैटरी विनिर्माता (उधार लाईसेंसधारी) जिसकी ओर से आधान पात्रों का विनिर्माण किया गया था, छूट का अधिकारी नहीं था अतः विनिर्माता पर शुल्क उदग्राह्य था। उन पर शुल्क न लगाए जाने के फलस्वरूप 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान 3.04 लाख रु० का शुल्क कम वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (मई 1980) विभाग ने बताया (जुलाई 1981) कि उधार लाईसेंसधारी को आधान पात्रों का विनिर्माता नहीं माना जा सकता। यह मंत्रालय के पत्र दिनांक 14 मई 1982 में दिए गए स्पष्टीकरण के प्रतिकूल है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्य पर्याप्त रूप से सही माने हैं।

(ii) निर्वात फ्लास्कों और उसके भाग और प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के एक विनिर्माता ने 1979-80 से 1981-82 तक के वर्षों के दौरान फ्लास्कों और उसके भागों (विनिर्दिष्ट वस्तुएं) की निकासियों पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए दी गई छूटें प्राप्त की यद्यपि सम्बद्ध पूर्व वर्षों के दौरान की गई उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासियों का मूल्य कुल मिलाकर 20 लाख रु० की सीमा से अधिक था। ऐसा इस बात के कारण हुआ कि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं उत्पाद शुल्क योग्य थी परन्तु विनिर्दिष्ट वस्तुएं नहीं थी और इसलिए प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं की निकासियां 20 लाख रु० की सीमा संगणित करने में शामिल की जानी थीं। इसलिए विनिर्माता 1979-80 से 1981-82 के वर्षों के दौरान अधिसूचना में दिए गए लाभ का अधिकारी नहीं था और अनियमित छूट दिए जाने से 2,56,316 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (नवम्बर 1981) विभाग ने गलती स्वीकार कर ली (जुलाई 1982) और सूचित किया कि विनिर्माता को एक कारण बताओ तथा मांग नोटिस दिसम्बर 1981 में जारी कर दिया गया था। मांग की पुष्टि और संग्रहण से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iii) संश्लिष्ट प्रक्षालकों (विनिर्दिष्ट वस्तुएं) का एक विनिर्माता उनका उत्पादन एक अन्य कम्पनी की ओर से भी कर रहा था। उसने दूसरी कम्पनी की ओर से की गई निकासियों पर शुल्क दे दिया और 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान अपनी निकासियों पर छूट इस आधार पर ले ली कि इन निकासियों का मूल्य 15 लाख रु० से अधिक नहीं था। परन्तु अन्य कम्पनी की ओर से की गई निकासियों को मिलाकर उनका मूल्य 15 लाख रु० से अधिक हो जाता था और 15 लाख रु० की सीमा की संगणना के लिए ये निकासियां शामिल की जानी थी। इस गलती के फलस्वरूप 1,94,697 रु० के शुल्क की मांग नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह चूक बताए जाने पर (अक्टूबर 1979) विभाग ने बताया कि निर्धारितों द्वारा अन्य कम्पनी की ओर से निकासी की गई वस्तुओं को इस सीमा की संगणना में नहीं लिया जा सकता। तथापि यह मत वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई 1982 के अपने पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण के प्रतिकूल है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(iv) विद्युत स्टेम्पिंगस और पत्तियों (विनिर्दिष्ट वस्तुएं) और विद्युत् ट्रांसफार्मरों के एक विनिर्माता को 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान निकासी किए गए विद्युत् स्टेम्पिंगस और पत्तियों की वावत (पांच लाख रु० की सीमा तक) 1.58 लाख रु० के शुल्क की छूट दी गई थी। तथापि उसके द्वारा 1978-79 और 1979-80 के पूर्व वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का मूल्य 20 लाख रु० से अधिक था और छूट अनुज्ञेय नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 1.58 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (अप्रैल 1981) विभाग ने बताया (जनवरी 1982) कि विनिर्माता को एक कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया था। मांग की पुष्टि और शुल्क की वसूली सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(v) काबलों और द्विबरियों और कुछ अन्य वस्तुओं का एक विनिर्माता अन्य विनिर्माताओं की ओर से जाँच कार्य भी करता था। वर्ष 1980-81 के दौरान निकासी किए गए 4.89 लाख रु० के मूल्य के काबलों और द्विबरियों पर उसने विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर मिलने वाली छूट ले ली। तथापि जाँच कार्यों का मूल्य जोड़ने पर वर्ष 1979-80 के दौरान निकासी की गई वस्तुओं का मूल्य कुल मिलाकर 20 लाख रु० से अधिक हो जाएगा। इसलिए विनिर्माता उक्त छूट का अधिकारी नहीं था और परिणामस्वरूप 76,113 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (मई 1981) मंत्रालय के स्पष्टीकरण के होने पर भी विभाग ने कहा (नवम्बर 1981) कि देश में खपत के लिए निकासी किए गए माल के मूल्य में जाँच कार्य का मूल्य शामिल नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(vi) प्रेशर कुकरो (विनिर्दिष्ट वस्तु) और बर्तनों (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) के एक विनिर्माता न पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 20 लाख रु० से अधिक मूल्य की उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (किए गए जाँच कार्यों का मूल्य शामिल करके) की निकासी की इसलिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर दी गई छूट उस को नहीं मिलती थी। तथापि विभाग ने उसे यह छूट लेने की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप वर्ष 1979-80 के दौरान उसके द्वारा की गई निकासियों पर 74,999 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (मई 1982) विभाग ने बताया कि विनिर्माता को एक कारण बताया नोटिस अब जारी कर दिया गया था। परन्तु यह नोटिस केवल बर्तनों पर लगाए गए कम शुल्क की बाबत था जबकि प्रेशर कुकरो पर अनुमत छूट भी वापस ली जानी थी क्योंकि निकासी की गई सब उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो गया था।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(vii) ट्रांजिस्टर युक्त दीवार घड़ियों और टाईम पीसों (विनिर्दिष्ट वस्तुएं) तथा उनके पुर्जों (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) के एक विनिर्माता को विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर दी गई छूट का लाभ देते हुए उनकी निकासी शुल्क दिए बगैर अनुमत कर दी गई। तथापि, उसने अपनी तीनों फैक्टरियों से जिन उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी की थी, उन सब का मूल्य 20 लाख रु० से अधिक था और इसलिए वर्ष 1979-80 के दौरान 49,999 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (जून 1982) विभाग ने बताया (जुलाई 1982) कि उसकी तीनों फैक्टरियों से निकासी की गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य केवल 19,36,040 रु० था और किए गए जाँच कार्यों के लिए 1,35,975 रु० का प्रभार वास्तव में बाहरी पार्टियों को कुछ घंटों के लिए किराए पर दी गई मशीनों का किराया था। तथापि सत्यापित लेखाओं में 1,35,975 रु० मजदूरी और मशीन जाँच कार्य के रूप में वसूल किए गए दिखाए गए थे जो इंगित करता है कि यह कार्य विनिर्माता द्वारा जाँच कार्य के रूप में किया गया था और यह विनिर्माता के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी द्वारा किए गए विनिर्माण कार्यकलाप का मामला नहीं था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की छानबीन की जा रही है।

(viii) विजली के मीटरों और औद्योगिक निकास (एक्जास्ट) पंखों (दोनों विनिर्दिष्ट वस्तुएं) और शीतक टावरों के एक विनिर्माता ने विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट का लाभ उठाया यद्यपि उत्पाद शुल्क योग्य सभी वस्तुओं की निकासियों का मूल्य 20 लाख रु० की सीमा से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप 26,809 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने बताया कि औद्योगिक पंखों का मूल्य शीतक टावरों के मूल्य में शामिल था और इसलिए 20 लाख रु० की सीमा से मूल्य अधिक नहीं हुआ था। अधिसूचना में "सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी के मूल्य"

का उल्लेख किया गया है, न कि "निकासी की गई वस्तुओं के मूल्य" का। इसलिए प्रत्येक टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाली सभी उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य कुल जोड़ संगणित करने में शामिल किया जाता है जो 20 लाख रु० से अधिक था। कुल जोड़ की संगणना में निकासी की गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं या निकासी हुई समझी जाने वाली वस्तुओं और फैक्टरी में ही प्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए विभाग का उत्तर सही नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.36 लघु यूनिटों को अनियमित छूट का दिया जाना

दिनांक 1 मार्च 1979 की एक अधिसूचना के अनुसार जिन लघु पैमाने की यूनिटों में संयंत्र और मशीनों पर किए गए निवेश की राशि 10 लाख रु० (19 जून से 20 लाख रु०) से अधिक नहीं थी, उनसे कुल मिलाकर 15 लाख रु० तक के मूल्य की वस्तुओं (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली) की निकासी शुल्क से मुक्त की गई थी। पहले 15 लाख रु० की निकासियों के बाद में हुई निकासियों पर 4 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। 19 जून 1980 की एक अन्य अधिसूचना के अनुसार शुल्क से पूरी छूट के लिए 15 लाख रु० की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रु० कर दिया गया और उस सीमा के बाद की छूट समाप्त कर दी गई। तथापि यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से (मूल विनिर्माता या उधार लाइसेंस-धारी को की गई निकासियों को छोड़कर) एक या अधिक फैक्ट्रियों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में देश में खपत के लिए निकासी की गई उक्त उत्पादशुल्क योग्य और जिन वस्तुओं पर छूट नहीं दी गई थी (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली), उनका कुल मूल्य 30 लाख रु० से अधिक हो जाए तो छूट नहीं मिलती थी।

(i) लहरीय बक्सों और मुद्रित दफती के डिब्बों (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) के एक विनिर्माता ने 1 मार्च 1975 को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत मुद्रित दफती के डिब्बों पर (उन्हें मुद्रण उद्योग के उत्पाद मानते हुए) शुल्क की छूट का दावा करते हुए उनकी

निकासी शुल्क की अदायगी किए बिना की। लहरीय बक्सों पर छूट का दावा इसलिए किया गया था क्योंकि लघु पैमाने की यूनिट द्वारा 30 लाख रु० तक के मूल्य की निकासियों पर शुल्क से पूरी छूट थी।

पिछले वर्ष के दौरान निकासी किए गए लहरीय बक्सों का मूल्य 30 लाख रु० से अधिक केवल तभी नहीं होगा जब दफती डिब्बों का मूल्य उनमें जोड़ा न जाए। चूंकि मुद्रित दफती के डिब्बे मुद्रण उद्योग के उत्पाद न होकर पैकिंग उद्योग के उत्पाद है अतः दिनांक 1 मार्च 1975 की अधिसूचना के अन्तर्गत उनके बारे में छूट उपलब्ध नहीं थी जैसा कि बोर्ड द्वारा भी 3 जनवरी 1976 को स्पष्ट किया गया और उसे बाद में 27 अगस्त 1980 को जारी की गई टैरिफ सूचना में दोहराया गया। तदनुसार 1978-79 और 1979-80 दोनों वर्षों में से प्रत्येक के दौरान लहरीय बक्सों और मुद्रित दफती के डिब्बों की निकासियों का मूल्य (दोनों को मिलाकर) 30 लाख रु० की सीमा से अधिक हो गया था और विनिर्माता दोनों छूट का हकदार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप शुल्क की राशि 5,53,396 रु० बनती है जिसकी विभाग द्वारा मांग नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों को बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 1980) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1981) कि विनिर्माता पर 2,00,000 रु० की शास्ति लगाए जाने के अतिरिक्त शुल्क की मांग भी की जा चुकी थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1982) कि विनिर्माता ने इस आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को अपील करके पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर दी है और 5,07,507 रु० के शुल्क और शास्ति की वसूली इस मामले में दाखिल की गई अपील में बोर्ड के आदेश द्वारा रोक दी गई है।

(ii) एक यूनिट ने जो प्लेटों, चद्दरों, एंगलों और चैनलों से बालसे, वाहिनियों और साईलेंसर्स का निर्माण कारखाने में ही उपयोग किए जाने तथा विक्री के लिए करती थीं, 30 अप्रैल 1975 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत इस आधार पर कि वह जाँच कार्य करती थी, कच्ची सामग्री के मूल्य पर शुल्क की अदायगी से छूट का दावा किया। यह दावा

अप्रैल 1979 से मार्च 1981 की अवधि के लिए किया गया था। तथापि अप्रैल 1979 से अगस्त 1980 की अवधि के दौरान इसने दिनांक 1 मार्च 1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत भी छूट ली थी क्योंकि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली उक्त वस्तुओं की पूर्व वित्तीय वर्ष में की गई निकासियों का मूल्य 30 लाख रु० की सीमा के अन्दर था। चूंकि इस रूपान्तरण में प्लेटे, चद्दरें आदि पूर्णतः परिवर्तित हो जाती थी तथा इस प्रक्रिया में अपना रूप ही समाप्त कर देती थी, इसलिए इसे विनिर्माण की प्रक्रिया के पश्चात् उसी वस्तु की वापसी का मामला नहीं माना जा सकता। इसलिए यह यूनिट दिनांक 30 अप्रैल 1975 की अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आती थी जो केवल जाव कार्यों के लिए लागू थी और इस यूनिट को अप्रैल 1979 से मार्च 1981 की अवधि के लिए 4,91,286 रु० का शुल्क देना चाहिए था। इसके अतिरिक्त जाव कार्य के लिए प्राप्त हुई कच्ची सामग्री की लागत शामिल करने से तीस लाख रु० की सीमा भी पार हो जाती थी और इसलिए दिनांक 1 मार्च 1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत ली गई छूट भी गलत थी और इसके कारण अप्रैल 1979 से अगस्त 1980 की अवधि के दौरान 62,140 रु० का शुल्क और कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों को बताए जाने पर (नवम्बर 1980) विभाग ने फरवरी 1981 और अप्रैल 1981 में कुल 5,53,426 रु० के शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। वसूली सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अगस्त 1982)।

(iii) ग्रैफाईट मूषाओं और ग्रैफाईट चूर्ण के एक विनिर्माता ने 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान निकासी किए गए चूर्ण पर इस आधार पर कोई शुल्क नहीं दिया कि यह प्राकृतिक काला खनिज था जो दिनांक 29 अप्रैल 1955 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क से मुक्त था। परन्तु ग्रैफाईट चूर्ण का विनिर्माण ग्रफाईट को संसाधित किए जाने के बाद होता था और इसके अतिरिक्त इसका एक अलग नाम, स्वरूप और उपयोग था। इसलिए यह प्राकृतिक काला खनिज नहीं रहा और टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था। इसके अतिरिक्त

दोनों उत्पादों (उपरोक्त) की निकासी का मूल्य 1978-79 और 1979-80 के वित्तीय वर्षों के दौरान 30 लाख रु० की सीमा से अधिक था और इसलिए विनिर्माता छूट का अधिकारी नहीं था और 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों के दौरान निकासी की गई सभी वस्तुओं की वाबत 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क देने की उसकी देयता बनती थी। विनिर्माता को गलत छूट देने के फलस्वरूप इन दोनों वर्षों के दौरान की गई निकासियों पर 4.34 लाख रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (फरवरी 1981) विभाग ने बताया (जनवरी 1982) कि विनिर्माता को एक कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया था। विभाग इस बात से भी सहमत था (जून 1982) कि विनिर्माण की प्रक्रिया में से गुजरने के बाद ग्रेफाइट चूर्ण केवल शुद्ध किया गया अयस्क नहीं था और इसलिए उत्पाद-शुल्क योग्य था। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (जून 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iv) टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के एक विनिर्माता ने वर्ष 1980-81 के दौरान पूर्वोक्त अधिसूचनाओं का लाभ उठाया यद्यपि उसकी निकासियों का मूल्य 30 लाख रु० से अधिक था। कुछ अन्य अधिसूचनाओं से भिन्न इस अधिसूचना में किसी स्पष्टीकरण द्वारा शब्द "मूल्य" का अर्थ न किए जाने के कारण 30 लाख रु० की सीमा को ग्राहकों को वस्तुओं के पड़ने वाले मूल्य के संदर्भ से लागू किया जाना चाहिए था जैसा कि सामान्य बोलचाल में समझा जाता है (जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने इण्डों इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम विक्रय-कर आयुक्त उ० प्र० के मामले में 25 मार्च, 1981 को निर्णय दिया)। गलत छूट दिए जाने के कारण वर्ष 1980-81 के दौरान 2.40 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 2.11 लाख रु० की मांग कर दी गई है और यह न्यायनिर्णयन के अधीन है।

(v) टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का एक विनिर्माता एक अन्य विनिर्माता (मूल विनिर्माता या उधार लाइसेंसधारी) की ओर से भी उसी टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करता था। यद्यपि पहले वाले विनिर्माता की बजाए बाद वाला विनिर्माता पूर्वोक्त छूट का पात्र नहीं था, तथापि पहले विनिर्माता द्वारा दूसरे विनिर्माता की ओर से की गई निकासियों पर शुल्क नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप अप्रैल 1979 से जुलाई 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 1,03,426 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताए जाने पर (अगस्त 1980) विभाग ने बताया (मार्च 1982) कि बाद वाले विनिर्माता की ओर से पहले विनिर्माता द्वारा की गई निकासियों का मूल्य वर्ष 1979-80 में 2,37,920 रु० और 1980-81 में (जुलाई 1980 तक) 9,74,865 रु० था और उधार लाइसेंसधारी ने वर्ष 1979-80 की बाबत 10,034 रु० का शुल्क दे दिया था (जून 1981)। तथापि किसी भी विनिर्माता ने 1980-81 में की गई निकासियों पर कोई शुल्क नहीं दिया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है,

(vi) 1 मार्च, 1978 को जारी की गई तथा 25 मार्च 1981 को संशोधित एक अधिसूचना के अनुसार लघु पैमाने की यूनिटों द्वारा निकासी किए गए रंग और वार्निश पर (टैरिफ मद 14 के अन्तर्गत आने वाले) लगने वाले शुल्क में कुल मिलाकर 1 करोड़ रु० मूल्य तक की निकासी पर 2 प्रतिशत यथामूल्य की कमी कर दी गई बशर्ते कि विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से घरेलू खपत के लिए एक या एक से अधिक फ़ैक्टरियों से घटी हुई शुल्क दर पर उक्त वस्तुओं की की गई प्रथम निकासियों का कुल मूल्य किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रु० से अधिक न हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 (i) के अन्तर्गत जारी की गई कुछ छूट अधिसूचनाओं में जिनमें निकासी के बारे में मूल्य का संदर्भ दिया जाता है एक स्पष्टीकरण विद्यमान है जिसमें यह कहा गया है कि मूल्य (कुल मूल्य या कुल मिलाकर मूल्य के संदर्भ में) का वही अर्थ होगा जो उसकी धारा 4 में दिया गया है। परन्तु दिनांक 1 मार्च 1978 की अधिसूचना में ऐसे कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

दो विनिर्माताओं को 1979-80 और 1981-82 के वर्षों के दौरान रोगन और वार्निश की निकासी 2 प्रतिशत यथा मूल्य के घटे हुए शुल्क पर करने को अनुमति दे दी गई यद्यपि इन दोनों वर्षों में निकासियों का मूल्य 1 करोड़ रु० से अधिक था। परन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, विक्रय-कर आदि को निकालकर निकासियों का कुल मूल्य 1 करोड़ रु० से अधिक नहीं था। न्यायिक रूप से यह निर्णित है कि छूट अधिसूचना के प्रयोजन के लिए मूल्य सभी शुल्कों और करों सहित बाजार मूल्य होता है, न कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 में दिया गया माना गया "मूल्य" जिसमें शब्द "मूल्य" की परिभाषा केवल शुल्क प्रभारित करने के लिए दी गई है, न कि निकासियों के कुल मूल्य की वावत। इसके अतिरिक्त जिस शब्द की परिभाषा अधिनियम में न दी गई हो, उसका अर्थ सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। सामान्य रूप में शब्द "मूल्य" का अर्थ वस्तु का वह मूल्य होगा जो इसे प्राप्त करने के लिए किसी को शुल्क और करों सहित देना पड़ता है। परिणामस्वरूप अप्रैल 1979 से दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 1,38,523 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (फरवरी 1982) विभाग ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (जुलाई 1982), आपत्ति की स्वीकृति पर उनके जवाब की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि इस विचार को स्वीकार करना कठिन है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून की योजना में मूल्य शब्द का अर्थ (जब तक विशिष्ट रूप से अन्यथा परिभाषित न किया गया हो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत अवधारित मूल्य से भिन्न कोई और अर्थ होगा। तथापि अधिनियम में मूल्य की धारणा साधारण परिभाषा नहीं है और अधिसूचना में इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महसूस की जा चुकी है।

प्रयोज्य वस्तुओं पर संदेत शुल्क के लिए अनुमत क्रेडिट के अनियमित उपयोग के कारण शुल्क का कम लगाया जाना।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 56 क के अन्तर्गत तैयार उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के विनिर्माण में जिन सामान या संघटक

पुर्जों को प्रयोज्य वस्तुओं के रूप में फैक्टरी में लाए जाने की अनुमति दे दी जाती है उस पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत होता है और इस क्रेडिट का उपयोग ऐसे विशिष्ट तैयार उत्पादों पर शुल्क की अदायगी करने तथा ऐसे सामान या संघटक पुर्जों पर शुल्क की अदायगी करने के लिए भी किया जा सकता है जिनकी फैक्टरी से इसी रूप में निकासी की गई हो।

2.37 रद्दी अथवा कतरनों की निकासी पर

उक्त नियम 56 क के उप नियम (3) (iv) (क) में निर्धारित है कि ऐसे कच्चे माल या संघटक पुर्जों जिन पर ऐसा क्रेडिट अनुमत किया गया है, से निकलने वाली रद्दी जो शुल्क अर्द्ध हो जाती है, उसकी निकासी केवल शुल्क की अदायगी किए जाने पर ही की जाए। विधि मंत्रालय ने भी फरवरी 1979 में यह परामर्श दिया था कि नियम के अन्तर्गत रद्दी पर शुल्क की अदायगी के लिए ऐसे क्रेडिट का उपयोग किया जाना अनुमत नहीं था।

(i) एक विनिर्माणकर्ता को "टिन छड़ों" (टैरिफ मद 26 कक के अन्तर्गत आने वाले) जिनसे गरम बेलित इस्पात चदरें विनिर्मित की जाती हैं, पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था और उसने क्रेडिट का उपयोग टिन छड़ों को अपेक्षित आकारों में काटने के दौरान निकली कतरनों (टिन छड़ों के कटे हुए सिरे) की निकासी पर शुल्क की अदायगी करने में किया हालांकि कतरने तैयार उत्पाद (गरम बेलित चदर) नहीं थे। कतरने मूल कच्चा माल (टिन छड़े) नहीं थी क्योंकि उनकी निकासी उसी रूप में की गई थी। क्रेडिट का अनियमित उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप अप्रैल, 1978 से जून 1979 तक की अवधि के दौरान की गई स्क्रैप की निकासी पर 9,54,940 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 1979) विभाग ने बताया (मई 1980) कि कतरने और कुछ न होकर छोटे टुकड़ों में टिन छड़े ही थी और इसलिए प्रोफार्मा क्रेडिट का उपयोग सही था। तथापि संबंधित कतरने न तो वाणिज्यिक बोलचाल में टिन छड़े थीं और न ही वे फैक्टरी में मूल रूप से लाए गए माल के सदृश्य ही थीं। विभाग का विचार सही नहीं था।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1982) कि सम्बद्ध कटे हुए टुकड़े 'रद्दी' थे न कि "कतरन" परन्तु अभी उनका मूल टिन छड़ों के रूप

में वर्गीकरण होना था और उनका टैरिफ मद 26 कक के अन्तर्गत लोहे या इस्पात उत्पादों के रूप में वर्गीकरण किया जाना था। तथापि यह वाणिज्यिक बोलचाल में उनकी "कतरन" के रूप में निकासी किए जाने के विपरीत है।

(ii) एक विनिर्माता जिसे लोहे अथवा इस्पात उत्पादों (टैरिफ मद 26 कक के अन्तर्गत आने वाले) के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए शुल्क प्रदत्त ब्लूम और बिल्लैट्स (उसी टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाले) लाने की अनुमति दी गई थी, उसे प्रदत्त शुल्क पर क्रेडिट अनुमत किया गया था, उसने उसका उपयोग निकासी की गई इस्पात रद्दी पर शुल्क की अदायगी करने के लिए कर लिया। ऐसी रद्दी तैयार उत्पाद या प्रयोज्य सामग्री न होने के कारण क्रेडिट का उपयोग इस पर अदायगी योग्य शुल्क के लिए नहीं किया जा सकता था। क्रेडिट के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप 1 अगस्त 1980 से 31 दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान 2,102 टन रद्दी की निकासी पर 7,63,086 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने शुल्क की वसूली कर ली (फरवरी 1982)।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की है क्योंकि विभाग को लेखापरीक्षा में आपत्ति उठाए जाने से पहले ही इस अनियमितता की जानकारी थी। तथापि एक वर्ष से अधिक समय से चली आ रही इस अनियमितता के संबन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद ही वसूली की गई थी।

(iii) एक विनिर्माणकर्ता ने जो इस्पात छड़ों के विनिर्माण के लिए शुल्क प्रदत्त इस्पात बिल्लट और इस्पात पिण्डों का उपयोग करता था, विनिर्माण की प्रक्रिया में उद्भूत इस्पात गलन कतरनों की निकासी इस्पात उत्पादों के रूप में की और उसने बिल्लैट्स पर प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का उपयोग ऐसी निकासियों के लिए किया। क्रेडिट के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप जुलाई 1976 से फरवरी 1978 की अवधि के दौरान कतरनों की निकासी पर 69,074 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल, 1980) विभाग ने गलती स्वीकार नहीं की और बताया (जनवरी 1982) कि कतरने बिल्लेट्स के कटे हुए सिरे होने के कारण कतरने नहीं बल्कि केवल बिल्लेट्स ही थी। तथापि अभिलेखों के अनुसार कटे हुए सिरों को "गलन कतरनों" के रूप में बेचा गया था, जो कुछ मामलों में बिजली चाप भट्ठी यूनिटों को बेचे गए थे, और विनिर्माणकर्ता ने भी यह पुष्टि कर दी थी कि निकासी की गई कतरनों (3 इंच से कम) को पुनः बेलित नहीं किया जा सका और बिजली चाप भट्ठी यूनिटों में उनका उपयोग केवल गलाने के लिए ही किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि कतरनों और कटे हुए सिरों की निकासी को इस्पात पिण्डों और इस्पात कतरनों की निकासी माना जा सकता है जो कि उत्पाद शुल्क कानून की योजना में एक ही प्रकार के सामान होते हैं, परन्तु बिल्लेट्स इनसे अलग होती हैं और नकद अदायगी और प्रोफार्मा क्रेडिट द्वारा अदायगी के बीच व्यवहार्य रूप में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। राजस्व के हित में न तो ऐसे अन्तर को और न ही कतरन और पिण्ड के बीच के अन्तर को छोड़ा जा सकता है।

(iv) एक विनिर्माणकर्ता को शीत बेलित स्ट्रिप्स के विनिर्माण में प्रयुक्त शीत बेलित चदरों पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था, परन्तु उसे इस्पात गलन कतरनों की निकासी पर शुल्क की अदायगी करने के लिए क्रेडिट का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1981 से दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान स्क्रेप की निकासी पर 1,64,528 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने बताया कि इस गलती का पता जून 1981 में चल गया था। तथापि 1,64,528 रु० के लिए मांग नोटिस लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद 29 जनवरी, 1982 को ही जारी किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(v) दो विनिर्माणकर्त्ताओं को बिजली की स्टेम्पिंग और लेमीनेशन के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात चद्दरों पर अदा किए गए शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था, उन्होंने उसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में निकली इस्पात कतरनों की निकासी पर शुल्क की अदायगी करने के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 1979 से अप्रैल 1981 की अवधि के दौरान कतरनों की निकासी पर 71.72 लाख रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1981) विभाग ने गलती स्वीकार कर ली (अगस्त 1981) और बताया (अप्रैल 1982) कि कालातीत नहीं हुई अवधि के दौरान की गई निकासी पर एक निर्धारिती ने 4.5 लाख रु० अदा कर दिए थे, शेष 7.9 लाख रु० की राशि राजस्व हानि बन गई है। अन्य मामले में, अगस्त 1979 से मई 1982 तक की गई निकासी के संबंध में 94.33 लाख रु० की मांग की गई है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पृष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(vi) आयातित इस्पात चद्दरों से बिजली के स्टेम्पिंग और लेमीनेशन का विनिर्माण करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट ने उक्त क्रेडिट का उपयोग 325 रु० प्रति टन की दर पर चद्दरों पर अदा किए जाने वाले प्रतिकारी शुल्क के लिए किया। विनिर्माण के दौरान 45 प्रतिशत इस्पात चद्दरे "रद्दगी" हो गईं और उन्हें शुल्क की अदायगी किए बिना या उनके लिए प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का प्रतिलेखन किए बिना ही कतरनों के रूप में बेच दिया गया था। फलस्वरूप जून 1980 से अक्तूबर 1981 की अवधि के दौरान 2,030 टन रद्दगी चद्दरों की निकासी पर 6,59,732 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को इस अनियमितता की सूचना मार्च 1982 में दी गई थी।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (नवम्बर 1982)।

2. 38 शुल्क मुक्त माल के लिए प्रयोज्य वस्तुएं

नियम 56क (2) के परन्तुक (1) के अनुसार किसी ऐसे सामान या उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल के संघटक पुर्जों के संबन्ध में जो उस पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क की पूर्ण अदायगी से ही मुक्त है या जिन पर शुल्क की "शून्य" दर प्रभाय है, के संबन्ध में कोई क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा।

(i) (क) एक विनिर्माणकर्ता को फ़ैक्टरी में लाए गए और बिजली मोटरों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए गए बिजली के स्टेम्पिंग और लेमीनेशन पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था; इस क्रेडिट का उपयोग मोटरों पर शुल्क की अदायगी के लिए किया गया था। उसे बिजली के पंखों के उत्पादन में प्रयुक्त बिजली मोटरों पर इस प्रकार से अदा किए गए शुल्क के लिए पुनः क्रेडिट अनुमत किया गया था और इस क्रेडिट का उपयोग पंखों पर शुल्क की अदायगी के लिए किया गया था। ऐसी बिजली की मोटरों को सम्पूर्ण देय शुल्क से छूट देने वाली अधिसूचना का संवैधानिक बल होता है, अतः नियम 56क के अन्तर्गत उसे स्टेम्पिंग और लेमीनेशन पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट का उपयोग करने का विकल्प नहीं था। ऐसी मोटरों पर प्राप्त शुल्क और ऐसी मोटरों पर प्राप्त शुल्क के लिए क्रेडिट प्राप्त करना गैर-कानूनी कार्य थे। फल-स्वरूप दिनांक 14 अगस्त 1965 की अधिसूचना के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अन्तर्गत मोटरों (ये शुल्क से मुक्त थे) पर शुल्क की अदायगी के बराबर मिलने वाला लाभ भी पंखों की निकासी पर उपलब्ध नहीं था और पंखों पर पूरा शुल्क उद्ग्राह्य था। क्रेडिट की अनियमित अनुमति और उपयोग के परिणामस्वरूप जुलाई 1979 से अक्टूबर 1979 की अवधि के दौरान की गई पंखों की निकासी पर 4,16,162 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1979) विभाग ने बताया कि विनिर्माणकर्ता स्टेम्पिंग तथा मोटरों पर प्रदत्त शुल्क के संबन्ध में नियम 56क के अन्तर्गत क्रेडिट का उपयोग कर सकता था। यह उत्तर सही नहीं है क्योंकि बिजली मोटरों के संबन्ध में कानूनी छूट अधिसूचना में उसे नियम 56(क) (2) के परन्तुक (1)

के अनुसार शुल्क से पूर्णतया मुक्त मोटरों के विनिर्माण में प्रयुक्त स्टेम्पिंग पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट से वंचित कर दिया गया है ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) दो विनिर्माणकर्त्ताओं को बिजली के स्टेम्पिंग पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था और उन्होंने इसका उपयोग बिजली पंखों पर शुल्क की अदायगी के लिए किया था । तथापि बिजली मोटरों (उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद) जिनका उपयोग उसी फैक्टरी में बिजली के पंखों के निर्माण में किया जाता था, के विनिर्माण में बिजली के स्टेम्पिंग का उपयोग प्रयोज्य वस्तुओं के रूप में किया गया था । चूंकि अधिसूचना के अनुसार मोटरों शुल्क की अदायगी से मुक्त हैं, अतः क्रेडिट की अनुमति और उपयोग अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1980 से मार्च 1981 तक और जनवरी 1981 से नवम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान इन दोनों विनिर्माणकर्त्ताओं द्वारा की गई निकासी पर क्रमशः 1.13 लाख रु० और 4.08 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था ।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 1981) विभाग ने बताया (जनवरी 1982 और मई 1982) कि भारत सरकार द्वारा जून 1980 में जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यदि किसी विनिर्दिष्ट तैयार उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कोई शुल्क से पूर्णतः मुक्त मध्यवर्ती उत्पाद उत्पन्न होता है, तो मध्यवर्ती उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट का उपयोग, निर्दिष्ट तैयार उत्पादों पर शुल्क की अदायगी के लिए अनुज्ञेय था, बशर्ते कि मध्यवर्ती उत्पादों का विनिर्माण और खपत, तैयार उत्पादों का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी के भीतर ही हुआ हो । मंत्रालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उपरोक्त नियम 56क(2) के परन्तुक (1) के उपबन्धों के विपरीत नहीं है ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को सही मान लिया है (नवम्बर 1982) ।

(ii) एक विनिर्माता को गोल छड़ों के विनिर्माण में प्रयुक्त बिल्लेट पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था, हालांकि नवम्बर 1963 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार शुल्क प्रदत्त बिल्लेट से

विनिर्मित गोल छड़ें शुल्क से पूर्णतः मुक्त थीं। विनिर्माता ने कतरनों (गोल छड़ों के विनिर्माण में शुल्क प्रदत्त बिल्लेट के उपयोग से उद्भूत कतरनों सहित) का उपयोग करके बिजली की भट्टियों में इस्पात पिण्डों का उत्पादन भी किया। उसने पिण्डों का उपयोग गोल छड़ों का उत्पादन करने में भी किया। उसने क्रेडिट का उपयोग इस्पात पिण्डों की निकासी पर शुल्क की अदायगी करने के लिए किया। क्रेडिट की अनुमति और उपयोग अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1976 से 14 जुलाई, 1977 की अवधि के दौरान की गई निकासी पर 7.19 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की (मई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iii) मूल शुल्क, विशेष शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में कच्चे माल या संघटक पुर्जों पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट और उसकी उपयोगिता अलग-अलग लेखाबद्ध की जातीं हैं।

एक विनिर्माता को तिजोरियों और मजबूत बक्सों के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात चद्दरों और प्लेटों पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था। तथापि उसने लोहे और इस्पात चद्दरों पर प्रदत्त मूल उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क दोनों के लिए अनुमत क्रेडिट का उपयोग 18 जून 1980 तक जब तिजोरियों और मजबूत बक्सों आदि पर विशेष उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य हो गया था, तिजोरियों और मजबूत बक्सों पर केवल मूल उत्पाद शुल्क की अदायगी करने के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप 18 जून, 1980 से पहले तिजोरियों और मजबूत बक्सों की निकासी पर 59,165 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की।

यह मामला वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1982 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

(iv) एक विनिर्माता को टार्च के टांचे बनाने के लिए ब्रास वैरलों के विनिर्माण में प्रयुक्त तांबा-स्ट्रिप और चदरों पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था । तांबा स्ट्रिप और चदरों के एक अंश का उपयोग टार्च स्विचों जैसी निशुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में किया गया था और ऐसे उपयोग से संबंधित क्रेडिट का हिस्सा अस्वीकृत नहीं किया गया था, इसकी वजाए इसे भी ब्रास वैरल पर शुल्क की अदायगी करने के लिए उपयोग में लाया गया था । क्रेडिट के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप जनवरी से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान ब्रास वैरलों की निकासी पर 7,52,160 रु० का शुल्क कम लगाया गया था । तथापि अगस्त से दिसम्बर 1980 की अवधि के दौरान 1,17,408 कि० ग्रा० स्ट्रिप और चदरों पर अनुमत क्रेडिट की 90,404 रु० की राशि सितम्बर 1981 में प्रतिलेखित कर दी गई थी ।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (जून 1982) कि 11,04,414 रु० की राशि का अतिरिक्त क्रेडिट दिसम्बर 1981 और मार्च 1982 में वापस ले लिया गया था ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982) ।

(v) एक विनिर्माता को हार्ड पिच, तारकोल पिच आदि (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत किया गया था, हार्ड पिच और तारकोल पिच का उपयोग एनोड और कैथोड के विनिर्माण में किया जाता था जो उत्पाद शुल्क योग्य सामान थे और एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए प्रतिष्ठापित इलैक्ट्रोलिक सैल में प्रयुक्त होते थे । एनोड और कैथोड का उपयोग एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए एल्यूमिना का विद्युत विश्लेषण करने के लिए उसी फैक्टरी में किया गया था । 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना के अनुसार एनोड और कैथोड उन पर उदग्राह्य सम्पूर्ण शुल्क से मुक्त थे । इसलिए हार्ड S/25 C & AG/82—12.

पिच, तारकोल पिच आदि पर प्रदत्त शुल्क के लिए दिनांक 4 जून, 1979 की अधिसूचना में दिए गए परन्तुक के अनुसार (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली प्रयोज्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क की सीमा तक छूट अनुमत करने के लिए) कोई क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाना था। इसलिए एल्यूमिनियम पर देय शुल्क के लिए क्रेडिट का उपयोग किया जाना अनियमित था। परिणामतः जून 1981 से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान की गई एल्यूमिनियम की निकासी पर 7,72,146 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 1982) विभाग ने बताया (मार्च 1982) कि जून 1980 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तैयार उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान शुल्क से पूर्णतः मुक्त मध्यवर्ती उत्पाद उत्पन्न होने से तैयार उत्पाद पर शुल्क की अदायगी के लिए क्रेडिट का उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते कि मध्यवर्ती उत्पाद का उपयोग तैयार उत्पाद के विनिर्माण में फैक्टरी के भीतर ही किया जाय। इस मामले में यह स्पष्टीकरण सुसंगत नहीं है क्योंकि एनोड और कैथोड विनिर्मित नहीं किए गए थे बल्कि विनिर्मित किए जाने का इरादा था। ये एल्यूमिनियम के विनिर्माण की प्रक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद भी नहीं थे, अपितु एल्यूमिनियम का विनिर्माण करने वाले प्लांट के उपभोज्य संघटक थे।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि एनोड और कैथोड मध्यवर्ती उत्पाद थे और क्रेडिट का उपयोग सही था। उत्तर में इस बात का जवाब नहीं दिया गया है कि उपभोज्य संयंत्र वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों का विनिर्माण ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों का विनिर्माण नहीं है जो तैयार उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों।

2.39 निर्धारित रीति की जगह अन्य रीति से उपयोग

(i) मार्च 1979 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार यदि क्लोरीन का उपयोग ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विनिर्माण किए जाने में किया जाए जिस पर सम्पूर्ण या आंशिक शुल्क देय था तो क्लोरीन पर

शुल्क से छूट मिलती थी। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विनिर्माण क्लोरीन की उत्पादन फैक्टरी की बजाए अन्यत्र हुआ हो तो नियम 56क में निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाना था।

एक विनिर्माता हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी समग्र आपूर्ति उसने एक ग्राहक को की थी, का विनिर्माण करने के लिए उक्त क्रियाविधि के अन्तर्गत अपनी फैक्टरी में क्लोरीन लाया। उसने ऐसी आपूर्ति के बाद शेष बचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जलयुक्त करके नष्ट कर दिया था। चूंकि विनिर्मित एसिड की सम्पूर्ण मात्रा की निकासी शुल्क की अदायगी करने के बाद नहीं की गई थी, अतः जितनी क्लोरीन नष्ट हुए एसिड के विनिर्माण में प्रयुक्त हुई थी, उतनी क्लोरीन पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के परिणामस्वरूप जनवरी 1980 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान की गई एसिड की निकासी पर 6,21,078 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और विनिर्माता से 6,21,708 रु० वसूल कर लिए (जुलाई 1981)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्टूबर 1982)।

(ii) मोटर वाहनों, इनके पुर्जे और आन्तरिक दहन इंजनों के एक विनिर्माता ने मैरीन गीयर बॉक्स और पावर-टैक-आफ को मैरीन इंजनों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने के लिए अपनी फैक्टरी में लाई गई शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य वस्तुओं के रूप में घोषित किया और प्रयोज्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट प्राप्त किया, जिसका उपयोग उसने अनियमित रूप से अन्य प्रकार के ऐसे आन्तरिक दहन इंजनों पर शुल्क की अदायगी के लिए किया जिनमें मैरीन गीयर बॉक्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 1980 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 1,99,772 रु० का शुल्क कम लगाया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान विभाग को इस स्थिति से जून 1981 में हुई चर्चा और 20 जुलाई 1981 को जारी की गई लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 1981) कि निर्धारित से इस राशि की वसूली 23 जुलाई, 1981 को कर ली गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की है (जुलाई, 1982) क्योंकि विभाग को लेखापरीक्षा से पहले ही क्रेडिट के दुरुपयोग की जानकारी थी। तथापि वसूली लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद ही की गई थी और यह अनियमितता पिछले वर्ष से भी अधिक समय से चली आ रही थी।

(iii) ड्राई सैल बैटरियों के एक विनिर्माता ने अपनी फैक्टरी में लाई गई प्रयोज्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क के लिए 1 अगस्त 1979 से उक्त क्रेडिट प्राप्त किया, परन्तु प्रत्येक परेषण का एक भाग रद्द कर दिया गया था। उसने रद्द किए गए माल का कोई लेखा नहीं रखा था। परिणामस्वरूप 1 अगस्त 1979 से 31 दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान विनिर्माण में उपयोग न किए गए रद्द माल पर प्रदत्त शुल्क की मात्रा से अधिक क्रेडिट का उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान की गई निकासी पर 98,119 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1981) कि इस गलती की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। तथापि लेखापरीक्षा में पुनः मार्च 1982 में यह देखने में आया कि विनिर्माता रद्द हुए माल का कोई लेखा नहीं रख रहा था और गलती बनी हुई है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्तूबर, 1982)।

(iv) टायरों के एक प्रमुख विनिर्माता ने रेयन और नाइलोन टायर कोर्ड वार्प शीटों (उस समय टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत) को टायरों (टैरिफ मद 16 के अन्तर्गत आने वाले) के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रयोज्य सामग्री घोषित किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है उसने रेयन और नाइलोन टायर कोर्ड वार्प शीटों पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट प्राप्त किया परन्तु उसने क्रेडिट का उपयोग 26 और 27 मार्च

1980 को निकासी किए गए रबड़ उत्पादों (टैरिफ मद 16 क के अन्तर्गत आने वाले) पर शुल्क की अदायगी करने के लिए किया। क्रेडिट के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप 26 और 27 मार्च 1980 को की गई निकासियों पर 2,24,286 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान दिलाया गया था (फरवरी 1981)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की है और बताया है (अगस्त 1982) कि लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने से पहले ही संशोधनात्मक कार्यवाही कार्य जा चुकी थी। तथापि मार्च 1980 और फरवरी 1981 के बीच कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और वसूली कालातीत हो गई थी, जून 1981 में निर्धारिती द्वारा स्वैच्छा से ही अदायगी की गई थी।

(V) 4 जून 1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत सभी उत्पाद शुल्क योग्य सामान जिन पर उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य है और जिनके विनिर्माण में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाला कोई सामान प्रयोज्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उस पर उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क की उतनी राशि की छूट अनुमत होती है, जितनी प्रयोज्य वस्तु पर पहले ही प्रदत्त शुल्क के बराबर हो, किन्तु यह प्रयोज्य वस्तु पर प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट की अनुमति और उपयोग के सम्बन्ध में अनुपालन की जाने वाली वैसी ही क्रियाविधि के अन्वयधीन होगी जो नियम 56 क में निर्धारित है और विभाग को प्रयोज्य वस्तुओं और निर्गत उत्पादों की घोषणा किए जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

(क) वायरलेस संग्राही सेटों, टेप रिकार्डरों और बिजली के पंखों के दो विनिर्माताओं को अपनी फैक्टरियों में 4 जून 1979 को या उसके बाद परन्तु क्रमशः 17 अगस्त 1979 और 25 मई 1980 को विभाग को घोषणा करने से पहले प्राप्त हुई शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य वस्तुओं पर 1,68,282 रु० के क्रेडिट अनुमत किए गए थे। इन क्रेडिटों का उपयोग तैयार उत्पादों पर शुल्क की अदायगी के लिए किया गया था।

क्रेडिट के अनियमित उपयोग के कारण तैयार उत्पादों की निकासियों पर 1,68,282 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में विभाग का ध्यान इस अनियमितता की ओर दिलाया गया था (अप्रैल 1981 और मार्च 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

यह मामला वित्त मंत्रालय को जुलाई, 1982 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

(ख) टायरों का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने 4 जून 1979 के बाद परन्तु 27 जून 1979 को अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने से पहले प्राप्त हुई प्रयोज्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क के लिए अनुमत 7,26,500 रु० के क्रेडिट का उपयोग किया था। क्रेडिट के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप 7,26,500 रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर विभाग का ध्यान जुलाई 1981 में दिलाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1982) कि लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार नहीं की गई हैं क्योंकि दिनांक 21 जनवरी, 1981 के संशोधन द्वारा अधिसूचना में पैरा 2क शामिल कर दिए जाने के बाद, कलक्टर द्वारा लिखित कारण देकर और इस सम्बन्ध में लगाई गई शर्तों और प्रतिबन्धों के अधधीन प्रयोज्य वस्तुओं पर पहले से प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट की मांग करने के लिए घोषणा दिए जाने सम्बन्धी उपबन्धों में ढील दी जा सकती है। तथापि इन दोनों उपरोक्त मामलों में कलक्टर द्वारा कारणों सहित दिया गया निर्णय, यदि दर्ज किया गया हो, अभी प्राप्त होना है।

(ग) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने जुलाई 1979 से जुलाई 1981 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई पूर्वोक्त शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य वस्तुओं पर 6,80,342 रु० का क्रेडिट प्राप्त किया, परन्तु उसने आवश्यक घोषणा प्रस्तुत नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने बताया (जून 1982) कि निर्धारित की को

कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। संशोधन सम्बन्धी सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(घ) एक विनिर्माता को 4 जून, 1979 से 17 अगस्त 1980 के बीच प्राप्त हुई प्रयोज्य वस्तुओं (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली) पर प्रदत्त शुल्क के लिए 3,98,998 रु० का क्रेडिट अनुमत किया गया था और उसने उपरोक्त अवधि के दौरान की गई विनिर्मित उत्पादों की निकासी पर शुल्क की अदायगी के लिए 3,69,046 रु० के क्रेडिट का उपयोग कर लिया था। परन्तु उसने विभाग को अपेक्षित घोषणा नहीं भेजी थी।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और 3,99,998 रु० के लिए मांग की (जनवरी 1982)। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

शुल्क का न लगाया जाना

2.40 उत्पादन का छिपाया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 55 और 173 छ के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य सामान के प्रत्येक विनिर्माता के लिए अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त हुए प्रमुख कच्चे माल का लेखा रखना और विभाग को प्रति मास प्रयुक्त कच्चे माल, विनिर्मित सामान और रहू या नष्ट किए गए कच्चे माल की मात्रा का लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

साबुन के एक विनिर्माता ने ऐसा लेखा प्रस्तुत नहीं किया। उसके लेखाओं के अनुसार उसके द्वारा खरीदे गए कच्चे माल की मात्रा साबुन की उतनी मात्रा के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी, जिस पर उसके द्वारा दिनांक 13 जुलाई 1968 और 1 मार्च 1973 की दो अधिसूचनाओं

के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 25,000 कि०ग्रा० साबुन को शुल्क की छूट देने के बाद शुल्क अदा किया गया था। उसके अभिलेखों में यह भी नहीं दिखाया गया था कि 1973-74 से 1975-76 के वर्षों के दौरान जब अस्पष्टीकृत अधिक स्टॉक हुआ तब कच्चे माल के अधिक स्टॉक का उपयोग कैसे किया गया था या उसे कैसे निपटाया गया था। ऐसे अधिक स्टॉक से जितना साबुन बनाया जाना चाहिए था, उसके मूल्य पर 1,45,256 रु० का शुल्क उद्ग्राह्य था, जिसके लिए विभाग द्वारा 1973-74 और 1975-76 के वर्षों के दौरान मांग नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसंबर 1976) विभाग ने विनिर्माता को एक कारण बताओं और मांग नोटिस जारी किया (जुलाई 1977)। लेखापरीक्षा द्वारा बाद में पूछताछ किए जाने पर (मार्च 1980) विभाग ने बताया (सितम्बर 1980) कि रसायन परीक्षक का यह मत था कि स्पष्ट नहीं किए गए अधिक कच्चे माल का कारण संसाधन हानि हो सकता था। तथापि विनिर्माता से प्राप्त उस सूचना के आधार पर मार्च 1982 में भी नोटिस का अनुसरण किया जा रहा था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि वर्ष 1973-74 से 1975-76 के दौरान 23,000 से 23,800 कि०ग्रा० साबुन का विनिर्माण करने में 1 से 47 कि०ग्रा० के बीच संसाधन हानि हुई थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता था कि 68,913 कि०ग्रा० आधिक्य की जिसका कारण नहीं बताया गया था, संसाधन हानि कैसे हो सकता थी। विभाग द्वारा आगे की गई कार्यवाही के बारे में सितम्बर 1982 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2. 41. गैर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में गलत निकासी

(i) टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत "मानव उपयोग के लिए अलकोहलिक शराब सहित सभी प्रकार के एलकोहलों" को छोड़कर "अन्यत्र निर्दिष्ट न की गई सभी वस्तुओं" पर 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य है। उच्चतम न्यायालय* द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि

*ए०आई०आर० 1973, एस०सी० 2440 और ए०आई०आर० 1973 एस०सी० 70

कराधान कानून में किसी शब्द के लिए शब्दकोश में दिए गए अर्थों की तुलना में उनके लिए वाणिज्यिक भाषाशैली (पारलैस) में दिए गए अर्थों को वरीयता दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय** बम्बई द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि मानक पुस्तकें अत्यन्त तकनीकी पुस्तकें होती हैं जिनमें तकनीकी व्यक्तियों के लिए तकनीकी सूचना होती है, इसलिए उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं का वर्गीकरण किए जाने में उनका कोई महत्व नहीं है।

“मैथानोल” जिसे वाणिज्यिक रूप से औद्योगिक रसायन समझा जाता है, के एक विनिर्माता को विभाग द्वारा अपने उत्पादों की निकासी शुल्क मुक्त करने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि रासायनिक और तकनीकी दृष्टि से मैथानोल एक मैथिल एलकोहल है और टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत “सभी प्रकार के एलकोहल” शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त है। विनिर्माता अपने उत्पाद की निकासी और विक्री एलकोहल के रूप में न करके औद्योगिक रसायन के रूप में कर रहा था। यह राज्य सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग के नियंत्रण के अध्वधीन भी नहीं था, हालांकि वाणिज्यिक रूप से समझे जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सभी एलकोहलों पर ऐसा नियंत्रण लागू होता है। रासायनिक रूप से एलकोहल एक जातीय नाम है जिसके अन्तर्गत इसके रासायनिक संघटन में आर्गेनिक ऐलकोहल ग्रुप वाले सभी रसायन आते हैं, परन्तु इस तकनीकी तथ्य का वाणिज्यिक वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है। टैरिफ में भी केवल एलकोहल को ही छोड़ा गया है और एलकोहलों को नहीं। इसलिए उत्पाद पर शुल्क न लगाए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान 2.68 करोड़ रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था। इसी प्रकार मार्च 1975 से सितम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान एक अन्य विनिर्माता द्वारा की गई उसी उत्पाद की निकासियों पर 19.75 लाख रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखा परीक्षा में गलतियों की ओर ध्यान दिलाया गया था (नवम्बर 1981); विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) टैरिफ मद 11(1) के अन्तर्गत प्राकृतिक या "पेट्रो-लियम या शैले से उत्पादित एस्फाल्ट और बिटूमन (कट बैक बिटूमन और एस्फाल्ट सहित)" पर शुल्क उद्ग्राह्य है। 1982 से टैरिफ की मद संख्या बदलकर 11(4) कर दी गई है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचा कि "ब्लोन ग्रेड बिटूमन" जिसका उत्पादन "स्ट्रेट ग्रेड बिटूमन" से किया जाता है, टैरिफ मद 11(1) के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि इसका उत्पादन पेट्रोलियम या शैले से नहीं किया जाता और न ही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। इस पर बोर्ड ने जून 1979 में एक टैरिफ सूचना जारी की जिसमें बताया कि "ब्लोन ग्रेड बिटूमन" जो बिटूमन की ही एक किस्म है और जिसका उत्पादन शुल्क प्रदत्त "स्ट्रेट ग्रेड बिटूमन" से किया जाता है, उस पर टैरिफ मद 11 के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य नहीं होगा। यह तर्क केवल स्ट्रेट ग्रेड एस्फाल्ट से उत्पादित ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट पर भी उतना ही लागू होता है।

(क) शुल्क प्रदत्त स्ट्रेट ग्रेड बिटूमन से ब्लोन ग्रेड बिटूमन का उत्पादन करने वाले एक विनिर्माता को बिना शुल्क अदा किए ही ब्लोन ग्रेड बिटूमन की निकासी करने की अनुमति दे दी गई थी। टैरिफ मद 11 (1) के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था में बिटूमन की केवल कुछ किस्में ही निर्दिष्ट की गई हैं और इसलिए जो अन्य किस्में उसके अन्तर्गत शामिल नहीं की गई हैं, उन पर टैरिफ मद 68 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य था। परिणामतः 1.56 करोड़ रु० (3700 रु० प्रति टन की दर से) मूल्य के ब्लोन ग्रेड बिटूमन के 4218 टनों पर उद्ग्राह्य 12.48 लाख रु० की राशि के शुल्क की मांग नहीं की गई थी। यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई टैरिफ सूचना के विपरीत ब्लोन ग्रेड बिटूमन को टैरिफ मद 11(1) के अन्तर्गत वर्गीकृत भी किया जाता जैसा कि विनिर्माता द्वारा किया गया था और विभाग द्वारा अनु-मोदित किया गया था, तो भी उद्ग्राह्य शुल्क की जिस राशि की मांग नहीं की गई थी (200 रु० प्रति टन की दर से) उसकी राशि 8.85 लाख रु० (विशेष शुल्क शामिल करके) बनती थी।

लेखापरीक्षा में विभाग का ध्यान शुल्क न लगाए जाने की ओर दिलाया गया था (जुलाई 1982), इसका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

(ख) इसी प्रकार ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट के एक विनिर्माता जो ऐसे स्ट्रेट ग्रेड एस्फाल्ट से इसका उत्पादन करता था जिस पर शुल्क अदा कर दिया गया था, को शुल्क की अदायगी किए बिना ही ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट की निकासी करने की अनुमति दे दी गई थी। परिणामतः 1.63 करोड़ रु० (3700 रु० प्रति टन की दर से) मूल्य के 4427 टन ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट पर टैरिफ मद 68 के अंतर्गत 13.04 लाख रु० का शुल्क उद्ग्राह्य था। यदि केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई टैरिफ सूचना के विपरीत ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट को टैरिफ मद 11(1) के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया जाता जैसा कि विनिर्माता द्वारा किया गया था, और विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो भी उद्ग्राह्य शुल्क जिसकी मांग नहीं की गई थी (200 प्रति टन की दर से) उसकी राशि 9.30 लाख रु० (विशेष शुल्क शामिल करके) बनती थी।

लेखापरीक्षा में (फरवरी 1980) शुल्क न लगाए जाने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (मई 1981) कि यद्यपि ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट उत्तम कोटि का पाया गया था, किन्तु यह हर हालत में एस्फाल्ट ही था और चूंकि स्ट्रेट ग्रेड एस्फाल्ट पर शुल्क पहले ही अदा किया जा चुका था, अतः ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट पर दुबारा शुल्क देय नहीं है। विभाग की यह धारणा इस बात को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि स्ट्रेट ग्रेड एस्फाल्ट को ब्लोन ग्रेड एस्फाल्ट में बदले जाने में व्यापक विनिर्माण प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त होने के कारण, यह उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से पूर्णतः एक ऐसा भिन्न उत्पाद है जिसके गुण और उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं :

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि ब्लोन ग्रेड बिटूमन/एस्फाल्ट का वर्गीकरण स्ट्रेट ग्रेड बिटूमन के साथ किया जायगा और इसीलिए स्ट्रेट ग्रेड से विनिर्मित ब्लोन ग्रेड पर शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकता। ब्लोन ग्रेड जो स्ट्रेट ग्रेड से भिन्न उत्पाद है और स्ट्रेट ग्रेड से विनिर्मित किया जाता है, को छूट देने वाली अधिसूचना के अभाव में ब्लोन ग्रेड बिटूमन/एस्फाल्ट पर शुल्क न लगाए जाने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है।

(iii) 1 मार्च, 1975 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को शुल्क के उद्ग्राहण

से छूट प्राप्त थी, वशत कि उनका उपयोग उत्पादन फैक्टरी के भीतर या उसी विनिर्माता की अन्य फैक्टरी के भीतर मध्यवर्ती वस्तुओं या किसी वस्तु के संघटक पुर्जों के रूप में किया गया हो। यद्यपि 30 अप्रैल 1975 को हुए संशोधन के बाद मध्यवर्ती और संघटक पुर्जों का हवाला तो वापस ले लिया गया था, किन्तु "वस्तुओं के उपयोग" से यह अभिप्रेत था कि और विनिर्माण करने के बाद वस्तुओं की निकासी करना। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल 1975 के संशोधन के अनुसार उत्पादन फैक्टरी में अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए रखी गई मशीनों पर शुल्क देय था।

एक फैक्टरी में उत्पादित कोक भट्ठी गैस (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली) का आंशिक उपयोग तो फैक्टरी में होता था और कुछ अंश अन्य फैक्टरियों को आपूर्त कर दिया जाता था। ऐसी गैस मध्यवर्ती उत्पाद नहीं थी बल्कि तैयार औद्योगिक उत्पाद थी, इसलिए गैस के समूचे उत्पादन पर 29 अप्रैल 1975 तक शुल्क उद्ग्राह्य था। इसके बाद कम से कम अन्य विनिर्माता को की गई आपूर्ति पर तो शुल्क उद्ग्राह्य ही था (खपत हुए और आगे विनिर्माण के बाद अनिवार्यतः निकासी न किए गए उत्पादों सहित शब्द "प्रयुक्त" का उदार अर्थ दिए जाने के बाद भी)। मार्च 1975 से मार्च 1979 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार निकासी की गई गैस पर शुल्क न लगाए जाने के कारण विभाग द्वारा चार वर्षों से भी अधिक समय से 13,36,481 रु० की राशि के शुल्क की मांग नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में 29 अगस्त, 1979 को विभाग का ध्यान इस चूक की ओर दिलाए जाने पर विभाग द्वारा सितम्बर 1979 में शुल्क के लिए मांग की गई थी 9,93,252 रु० की मांग की पुष्टि और वसूली कर ली गई थी, 1 मार्च 1975 से 17 जून 1977 तक की अवधि से सम्बन्धित 3,43,234 रु० के शुल्क की शेष राशि कालातीत हो गई थी। विनिर्माता पर 6 लाख रु० की व्यक्तिगत शास्ति भी लगाई गई थी।

व्यक्तिगत शास्ति की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

(iv) 12 अगस्त, 1977 की एक अधिसूचना के अनुसार चलचित्र फीचर फिल्मों के पहले 12 प्रिन्ट शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त हैं और बाद के प्रिन्टों पर ग्रेड के आधार पर विभिन्न दरों पर शुल्क उद्ग्राह्य है। अन्य भाषाओं में डब की गई फिल्मों के विभिन्न भाषाओं के प्रिन्टों को एक फीचर फिल्म से सम्बन्धित प्रिन्ट माना जाता है और पहले 12 प्रिन्टों पर अनुमत शुल्क से छूट प्रत्येक भाषा के सम्बन्ध में अलग से अनुमत नहीं की जानी है।

(क) दो फिल्म प्रयोगशालाओं को विभिन्न भाषाओं में डब की गई फिल्मों की निकासी प्रति भाषा 12 प्रिन्टों तक शुल्क की अदायगी किए बिना ही करने की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1980 तक की गई निकासियों पर 3,91,875 रु० के शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में शुल्क न लगाए जाने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल और दिसम्बर 1981 के बीच) विभाग ने बताया (मई 1982) कि फिल्म में भाषा माध्यम समाप्त कर दिया गया था और चार विभिन्न भाषाओं में तैयार किए गए सभी प्रिन्ट्स पहले कुछ मीटरों को छोड़कर जिनमें पात्रों के नाम विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित किए गए थे, समरूप थे। तथापि जून 1977 से फरवरी 1981 तक की गई निकासियों के सम्बन्ध में 9 प्रयोगशालाओं से प्राप्य 45.54 लाख रु० की राशि के लिए 18 मार्च 1982 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे। वसूली या मांग के कालातीत हो जाने के कारण राजस्व हानि सम्बन्धी सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) विभाग ने 12 नवम्बर 1980 को एक विनिर्माता को सूचित किया कि डब की गई फिल्म के पहले 12 प्रिन्टों पर भी शुल्क अदा किया जाए और उसने विरोध व्यक्त करते हुए शुल्क अदा कर दिया। बाद में विभाग ने 8 दिसम्बर 1980 को अपने आदेश वापस ले लिए और उसी तारीख से शुल्क का उद्ग्रहण बन्द कर दिया। 26 फरवरी 1981 को निर्णय पुनः बदल दिया गया था और विरोध व्यक्त करते हुए उस तारीख से शुल्क पुनः अदा कर दिया गया था। 8 दिसम्बर 1980 से 26 फरवरी 1981 तक की अवधि के दौरान अनियमित रूप से छोड़े गए शुल्क की राशि 90,888 रु० बनी।

लेखापरीक्षा में (दिसम्बर 1981) इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया कि अपील करने पर बोर्ड ने कलेक्टर के 13 अक्टूबर 1980 के उन आदेशों को रद्द कर दिया था जिनमें निकासी की गई डब फिल्मों पर शुल्क की मांग की गई थी। भारत सरकार ने इस मामले को पुनरीक्षण के लिए अपने हाथ में ले लिया था और 14 मई 1981 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था, जिस पर निर्णय प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले का अर्ध-न्यायिक सुनिश्चयन किया जाना है।

(v) एक समेलित इस्पात संयंत्र में पिण्ड ढालने वाले ढलाईघर में पिण्ड सांचों और तला इस्पातों का विनिर्माण करने के लिए पिघले हुये लोहे की निकासी की अनुमति शुल्क की अदायगी के बिना ही दे दी गई थी, हालांकि टैरिफ मद 25 के अन्तर्गत पिघला हुआ लोहा स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क योग्य बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 23,98,846 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई 1982) विभाग ने बताया (जुलाई 1982) कि “जितनी देर से उतना अच्छा” के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पिघले हुए लोहे पर शुल्क अदा नहीं किया गया था। तथापि अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं बताया गया है और नियम 9 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण भी किसी ऐसी धारणा की पुष्टि नहीं करता जिससे राजस्व में हानि होती हो।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(vi) शंकु सहित सभी प्रकार का सूती धागा टैरिफ मद 18क के अन्तर्गत शुल्क के लिए प्रभार्य है। 18 जून, 1977 की एक अधिसूचना के अनुसार सीधी रील अटिटियों में एक सूती या बहु सूती धागा शुल्क से मुक्त है। किसी अन्य प्रकार का धागा शुल्क से मुक्त नहीं है।

फैक्टरी के भीतर आगे उपयोग (दोहरी सीधी रील अट्टियों में धागा बनाने के लिए) करने के लिए शंकु रूप में धागा बनाने वाले पांच विनिर्माताओं ने ऐसे शंकु की बिना शुल्क अदा किए निकासी की। धागा टैरिफ मद 18 क के अन्तर्गत शुल्क के लिये प्रभार्य था और अप्रैल 1979 से जुलाई 1981 की अवधि के दौरान की गई निकासियों के सम्बन्ध में न लगाए गए शुल्क की राशि 20,20,731 रु० बनती थी।

लेखापरीक्षा में इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया कि शंकु का उत्पादन विनिर्माण की निरन्तर प्रक्रिया के दौरान ही हुआ है और फैक्टरी के भीतर ही विनिर्मित और प्रयुक्त शंकु उत्पाद शुल्क योग्य तैयार वस्तुएं नहीं हैं क्योंकि बाजार में ये मानक आकार के नहीं हैं। 20 फरवरी, 1982 की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के रूप में टैरिफ में उल्लिखित ऐसी मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो विनिर्माण चाहे निरन्तर हो अथवा न हो, के दौरान उद्भूत हुई हों, उन पर शुल्क लगाया जायगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि शंकु धागे का अट्टी धागे में बदला जाना विनिर्माण नहीं है। तथापि विनिर्माण की परिभाषा देने वाली धारा 2 (च) (iv) के साथ पठित टैरिफ मद 18 क के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (2) के अनुसार ऐसा रूपान्तर उसका विनिर्माण ही होता है।

(vii) पटसन के निर्यात परेषणों का पैकिंग करने के लिए प्रयुक्त पटसन से बनी पैक शीटों पर पटसन के अन्य विनिर्माणों की तरह से ही शुल्क उद्ग्राह्य है।

नौ पटसन मिलों में निर्यात परेषण के पैकिंग के लिए प्रयुक्त पैक शीटों पर शुल्क नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1974 से अक्टूबर, 1979 के बीच विभिन्न अवधियों के दौरान की गई निकासियों पर 17.39 लाख रु० का शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल और मई 1981) इस गलती की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1982) कि 12 मई 1981 को एक मिल के सम्बन्ध में 1,34,967 रु० की मांग कर दी गई थी। अन्य आठ मिलों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप केवल 24 फरवरी, 1979 सेवाद.....की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर मांग की गई थी, क्योंकि उससे पूर्व अवधि का शुल्क काला-तीत हो गया था। अप्रैल 1974 से जनवरी 1979 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 16.04 लाख रु० के राजस्व की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय ने मूल तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया है (नवम्बर 1982) कि इस मामले में विधि मंत्रालय के साथ और परामर्श करना आवश्यक है।

(viii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2 (च) (i) के अनुसार तम्बाकू से संबंधित विनिर्माण में सिग्रेट सिगार, चूस्ट, वीड्री, सिग्रेट या पाइप अथवा टुकका तम्बाकू, चबाने की तम्बाकू या नसवार बनाना शामिल है और विनिर्मित तम्बाकू से संबंधित विनिर्माण में डिब्बों के लेबल लगाना या दुबारा लेबल लगाना और थोक पैकों से खुदरा पैकों में भरा जाना या उत्पादन को विपणन योग्य बनाने के लिए कोई अन्य उपचार किया जाना शामिल है। दिनांक 1 मार्च 1979 की एक अधिसूचना के अनुसार अविनिर्मित तम्बाकू पर शुल्क से छूट दे दी गई थी।

दो विनिर्माता (एक तम्बाकू का भण्डारण करने वाला और दूसरा जर्दा बेचने वाला) 2,72,520 कि० ग्रा० अविनिर्मित तम्बाकू लाए, उन्हें टुकड़ों में काटा परन्तु अप्रैल 1980 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान उत्पाद की निकासी विनिर्मित तम्बाकू के रूप में कर दी। केवल 50,125 कि० ग्रा० पर ही शुल्क अदा किया गया था। विभाग शेष मात्रा पर 2.10 लाख रु० की राशि के शुल्क का संग्रहण करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा में चूक बताए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने बताया कि शुल्क का भुगतान किए बिना निकासी किया गया तम्बाकू विनिर्मित नहीं था जो केवल कटा हुआ था और पैकिंग के बगैर बेचा

गया इस प्रकार कटा हुआ तम्बाकू, विनिर्मित तम्बाकू नहीं था और इसलिए शुल्क लगाए जाने से मुक्त था। 11 दिसम्बर, 1980 की एक टैरिफ सूचना में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अविनिर्मित तम्बाकू जिसे सिर्फ टुकड़ों में काटा गया हो और लेबल के साथ या बिना लेबल के पैक किया गया हो, विनिर्मित चवाने वाले तम्बाकू के रूप में वर्गीकरणीय है। बाजार में बेचे जाने योग्य तम्बाकू के संबंध में विनिर्माण शब्द के दिए गए व्यापक अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस मामले में उत्पाद विनिर्मित चवाने वाला तम्बाकू था जिस पर शुल्क लगाया जाना था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि इस बात का प्रमाण आवश्यक है कि इस वस्तु को वाणिज्यिक क्षेत्रों में चवाने वाले तम्बाकू के रूप में लिया गया था। तथापि यह नहीं बताया गया है कि इस मामले में यह सत्यापित किया गया था या नहीं और यदि किया गया था तो किस प्रकार है।

(ix) (क) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम में 4,12,090 रु० मूल्य की वस्तुओं की निकासी इस आधार पर शुल्क का भुगतान किए बिना की गई थी कि उन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाना था। उपलब्ध संगणीकृत अभिलेखों तथा गेट पासों के संदर्भ में संवीक्षा करने पर लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त रिक्त गेट पासों का संदर्भ देते हुए संगणीकृत विवरणों में अभिलिखित कुछ निकासियों की लेखापरीक्षा में संवीक्षा करने पर यह देखा गया कि उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं की निकासी शुल्क वसूल किए बगैर की गई थी। कुल मिलाकर अप्रैल, 1979 से जून, 1980 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर इन मामलों में वसूल न किए गए शुल्क की राशि 3,88,807 रु० थी।

लेखापरीक्षा में चूक अगस्त, 1980 में बताई गई थी, विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल, 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर, 1982) कि इस मामले की जांच की जा रही है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा 6.05 लाख रु० मूल्य के ग्यारह संगणकों की निकासी दिसम्बर, 1980 से अगस्त, 1981 के दौरान एक सरकारी विभाग को आपूर्ति करने के लिए की गई। कम्प्यूटरों की परिधियों की निकासी गेट पासों से की गई थी किन्तु बीजक पर कोई कीमत अंकित नहीं थी और न ही शुल्क का भुगतान किया गया था। उन पर 1,27,050 रु० का शुल्क लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा में शुल्क न लगाए जाने संबंधी चूक बताए जाने पर (अगस्त 1981) विभाग ने विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अक्टूबर 1981)। मांग की पुष्टि और वसूली से संबंधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है (नवम्बर 1982)।

2.42 अनिर्मित शुल्क मुक्त निकासियाँ

(i) 30 अप्रैल, 1975 की एक अधिसूचना के अनुसार किसी फ़ैक्टरी में विनिर्मित वे वस्तुएँ जो टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आती हैं, शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त हैं यदि उनका प्रयोग उसी फ़ैक्टरी में या उसी विनिर्माता की किसी अन्य फ़ैक्टरी में किया जाना हो किन्तु उस पूरी मशीनरी के संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है जो किसी वस्तु के उत्पादन या संसाधन के काम आती हो चाहे उनका प्रयोग विनिर्माता द्वारा उसी फ़ैक्टरी में या अपनी किसी अन्य फ़ैक्टरी में किया जाना हो।

(क) सिगरेट के एक प्रमुख विनिर्माता ने ऐसी पूरी मशीनों की संरचना की जो वस्तुओं का उत्पादन और संसाधन करने की क्षमता रखती थी। तथापि, उनका विनिर्माण केन्द्रीय शुल्क की औपचारिकताओं को पूरा किए बग़ैर और साथ ही शुल्क का भुगतान किए बग़ैर भी किया गया था। इसके अतिरिक्त टैरिफ मद 26क के अन्तर्गत आने वाले पीतल के मण्डलक का भी विनिर्माण किया गया और शुल्क का भुगतान किए बिना निकासी की गई। इसके परिणामस्वरूप 6,18,609 रु० का शुल्क वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में शुल्क के भुगतान में चूकों को बताए जाने पर (दिसम्बर 1978) विभाग ने अपराध के मामले दर्ज कर लिए और शुल्क की मांग की और

कहा (मार्च 1982) कि अपराध के दो मामलों का निर्णय हो गया था और मशीनों के संबंध में 1,55,615 रु० का शुल्क वसूल कर लिया गया था। शेष राशि की वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ख) 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक फिल्म कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता लगा कि उसने "हाट प्रोसेस डेवलपिंग मशीन" का विनिर्माण किया था जिसका मूल्य 3,57,125 रु० था और उसे उसी प्रबन्ध के अन्तर्गत अन्य कम्पनी में लगा दिया था। इसने 1974-75 से 1979-80 के वर्षों के दौरान अन्य प्रकार की संसाधन मशीनों का भी विनिर्माण किया था। तथापि इसने टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली इन मशीनों के विनिर्माण के लिए न तो उत्पाद शुल्क लाइसेंस प्राप्त किया था और न ही उन पर शुल्क का भुगतान किया था। विभाग द्वारा शुल्क न लगाए जाने के कारण 1,11,613 रु० के शुल्क की मांग नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में चूक बताए जाने पर (मार्च 1982) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 1974 से 1980 तक के वर्षों के लिए 1,11,613 रु० के कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी कर दिया। विभाग ने सूचित किया (मई 1982) कि इस राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा अप्रैल 1982 में विरोध के अधीन कर दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ग) ऊपरी क्रेनों की जांच करने वाली मशीन जैसी 9,84,636 रु० मूल्य की पूरी मशीनें जून, 1976 और जून, 1977 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान विनिर्मित की गईं और उसी फैक्टरी के भीतर वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रतिस्थापित की गईं किन्तु उन पर शुल्क नहीं लगाया गया। यहां तक कि उनके विनिर्माण की बात का भी पता नहीं चला था जिसके परिणामस्वरूप समुचित शुल्क और विनिर्माण की घोषणा न करने के लिए विनिर्माता द्वारा देय शास्ति का भी उद्ग्रहण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में चूक बताए जाने पर (मार्च 1981) विभाग ने 78,771 रु० के शुल्क और शास्ति के भुगतान की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया (जुलाई 1981) । मांग के संग्रहण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मई 1982) ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (जुलाई 1982) ।

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2(च) में दी गई विनिर्माता शब्द की परिभाषा में न केवल वह व्यक्ति शामिल है जिसने उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण में श्रम नियोजित किया था या किराए पर लिया था अपितु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी शामिल है जो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का स्वयं उत्पादन अथवा विनिर्माण करता है ।

विजली के बल्बों और ट्यूबों के एक विनिर्माता ने केवल द्रवण प्रभारों का भुगतान करके लघु पैमाने के यूनियोनों द्वारा 'बाइट्राइट ग्लास' का विनिर्माण कराया था और लघु पैमाने के विनिर्माताओं ने "बाइट्राइट ग्लास" पर शुल्क का भुगतान नहीं किया था । विनिर्माता ने आवश्यक कच्ची सामग्री की आपूर्ति की थी और उन्हें बल्बों की टोपियों में भरने के लिए अपनी फैक्टरी में बाइट्राइट ग्लास का अन्तिम द्रवण कार्य भी किया था । इस प्रकार विनिर्मित बाइट्राइट ग्लास का बल्बों के विनिर्माण में निर्धारित द्वारा उपभोग किया गया किन्तु उनपर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया । लेखापरीक्षा में यह बताया गया (जुलाई 1980) कि जो विनिर्माता वस्तुओं का विनिर्माण अपनी ओर से करवाता है वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2(च) के अनुसार 'बाइट्राइट ग्लास' का विनिर्माता है और टैरिफ मद 23 क (4) के अन्तर्गत 1 मार्च 1979 से बाइट्राइट ग्लास पर शुल्क देय होने के कारण उसे मार्च 1979 से जून 1980 की अवधि के दौरान उत्पादित बाइट्राइट ग्लास पर शुल्क का भुगतान करना था जिसकी राशि 4.66 लाख रु० बनती थी । इस पर विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किए (अगस्त 1981 और अक्टूबर 1981 में) जिनमें मार्च 1979 से जुलाई 1981 की अवधि के लिए 10.51 लाख रु० के शुल्क की राशि की मांग की । शुल्क के मांग की पुष्टि और वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मई 1982) ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (सितम्बर 1982)।

(iii) "सभी प्रकार के" नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्लों (वाष्पित अम्लों और उनके ऐनहाइड्राइडों सहित) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 14 छ के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य है।

एक निर्धारिती ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विनिर्माण किया और अम्ल के एक भाग का अपनी फैक्टरी के भीतर अमोनियम क्लोराइड के विनिर्माण में निर्जलीय रूप में शुल्क का भुगतान किए बगैर उपभोग किया हालांकि इसके लिए कोई छूट अनुज्ञेय नहीं थी।

लेखापरीक्षा में चूक बताए जाने पर (सितम्बर 1980) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली, निर्धारिती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मई 1979 से अक्टूबर 1980 की अवधि के दौरान उपभुक्त अम्लों के संबंध में 1,93,696 रु० के शुल्क की राशि के उद्ग्रहण के विरुद्ध कारण बताने के लिए 1 अप्रैल 1981 को नोटिस जारी कर दिया। यह बताया गया कि अक्टूबर 1980 के बाद उपभोग की गई मात्रा के बारे में मांग जारी की जा रही थी (फरवरी 1982)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है और बताया है (जुलाई 1982) कि कलेक्टर से कहा जा रहा है इसमें अन्तर्ग्रस्त शुल्क की वसूली करें।

(iv) 1 मार्च 1978 की एक अधिसूचना के अनुसार बिजली के केन्द्रों द्वारा उत्पादित बिजली जो बिजली उत्पादन के लिए ऐसे सहायक संयंत्रों को दी गई हो, शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त थी।

राज्य बिजली बोर्ड के अन्तर्गत 21 बिजली उत्पादन केन्द्रों में से एक ने अपने सहायक संयंत्रों को चलाने के लिए बाहरी ग्रिड से बिजली ली किन्तु शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए 1 मार्च 1978 की पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसी बिजली की कटौती उसे अपने उत्पादन से भी करने की अनुमति दे दी गई। गलत कटौती के परिणाम-स्वरूप उत्पादन के एक भाग पर शुल्क नहीं लगा जो मार्च 1978 से दिसम्बर 1981 के बीच 4,37,383 रु० बनता था।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जनवरी और मार्च 1979 के बीच) दिसम्बर 1979 में मांग की गई और बिजली बोर्ड ने 15 जून 1982 को 4,37,383 रु० का भुगतान कर दिया ।

इसके अतिरिक्त चार उत्पादन केन्द्रों में बाहरी स्रोतों से ली गई बिजली का प्रयोग सहायक संयंत्रों को चलाने के लिए किया गया था किन्तु गलत ढंग से उसे अपने उत्पादन से लिया दर्शाया गया था । एक केन्द्र में कुछ सहायक संयंत्रों को ऊर्जा देने वाले दो ट्रांसफार्मरों को सामान्य ग्रिड से जोड़ रखा था उन्हें वहीं से बिजली की आपूर्ति की जाती थी, भले ही केन्द्र में बिजली का उत्पादन हो रहा हो । उत्पादन के एक भाग पर इसी प्रकार की गलत कटौती दिए जाने के परिणामस्वरूप एक केन्द्र के संबंध में अप्रैल 1980 से जून 1981 की अवधि के दौरान 8,10,120 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया । अन्य तीन स्टेशनों के संबंध में न लगाए गए शुल्क की संगणना अभी की जाती है ।

लेखा परीक्षा में इन गलतियों को बताया गया (जनवरी 1982), विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 1982) । तथापि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए तथ्यों के परिणामस्वरूप उत्पादन केन्द्रों द्वारा सूचित उत्पादन के आंकड़ों की सत्यता की जांच की आवश्यकता समझकर विभाग ने यह अनुदेश जारी किए (मार्च 1982) कि उत्पादन केन्द्रों द्वारा भेजी गई मासिक विवरणियों की जांच ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाए जिनके कार्यक्षेत्र के भीतर वे उत्पादन केन्द्र आते हों ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है ।

(v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173(ज) के अनुसार नियमों के उपबन्धों के अनुसार फैक्ट्री में लाई गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं शुल्क का भुगतान किए बिना बाहर ले जाई जा सकती हैं यदि उस सामग्री को ऐसी किसी प्रक्रिया में से नहीं निकाला गया है जिसे विनिर्माण की संज्ञा दी जा सके । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2(च) (vii) में 'विनिर्माण' की परिभाषा में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो कृत्रिम वस्तुओं पर अपनाए जाने से 'विनिर्माण' कहलाती हैं । यदि वापस की गई वस्तुओं की विनिर्माण सम्बन्धी वृत्तियां दूर करने के लिए

भी इन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है तब भी परिभाषा लागू होगी।

(क) एक फैंटरी ने कुछ कृत्रिम वस्त्रों की निकासी उन पर शुल्क का भुगतान किए बिना 'वापस की गई वस्तुओं', के रूप में की। उन वस्त्रों की आरम्भ में शुल्क का भुगतान करने के बाद निकासी की गई थी किन्तु उनमें विनिर्माण संबंधी कुछ त्रुटियों के कारण वे वापस कर दिए गए थे। त्रुटि वाले वस्त्रों को पुनः संसाधित किया गया जैसे स्कोरिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, सिंगेइंग, पेडिंग, फीनिशिंग आदि जो पूर्वोक्त धारा 2 (च) (vii) में उल्लिखित है। चूंकि इस प्रकार का पुनः संसाधन विनिर्माण है, अतः दिसम्बर 1979 से मार्च 1981 की अवधि के दौरान इस प्रकार के 18,033 लाइनियर मीटर वस्त्रों की दुबारा निकासी पर 25,137 रु० का शुल्क उद्ग्राह्य था किन्तु शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (सितम्बर 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की (मार्च 1982)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने फरवरी 1981 में क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट किया था कि शुल्क संदत्त वस्त्रों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173 (ज) के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संसाधन विनिर्माण बन जाता है। दोषयुक्त वस्तुओं की पुनः प्रविष्टि की अनुमति नियम 173(ठ) के अन्तर्गत दी जानी चाहिए जिसकी व्यवस्था का इस मामले में अनुपालन नहीं किया गया। अतः विभाग का उत्तर सही नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (नवम्बर 1982)।

(ख) शुल्क संदत्त ग्लास वायल्स जो एक खरीदार द्वारा वापस कर दिए गए थे (अप्रैल 1980 से मार्च 1981 के बीच) को द्रवित करके पुनः वायल्स में परिणत किया गया और नए विनिर्माणों की मद 1980 से अप्रैल 1981 के बीच शुल्क का भुगतान किए बगैर निकासी की गई। पुनः निर्मित वायल्स जिसमें विनिर्माण अन्तर्ग्रस्त था, की निकासी में नियमों में निर्धारित क्रियाविधि का पालन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 91,467 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता को विभाग को जुलाई 1981 में सूचित किया था।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अगस्त 1982)।

(vi) प्रकाशीय और सर्वेक्षण यन्त्रों के एक विनिर्माता ने एक सरकारी विभाग को आपूर्त करने के लिए अवरक्त उपस्कर (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय) का भी विनिर्माण किया। मार्च 1978 से अगस्त 1979 की अवधि के दौरान आपूर्त किए गए 106 उपकरण सेटों में से 96 सेटों पर निर्धारिती ने शुल्क का भुगतान नहीं किया और न ही मासिक उत्पाद शुल्क विवरणियों के माध्यम से या अन्य माध्यम से पूर्ति के विषय में विभाग को सूचित ही किया। देय शुल्क की राशि 8,06,400 रु० बनती थी और शुल्क के भुगतान में चूक के कारण निर्धारिती पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताया जाने पर (फरवरी 1980) विभाग ने सूचित किया (मार्च 1982) कि निर्धारिती को 8,06,400 रु० का कारण बताओ एवं मांग नोटिस भेज दिया गया है और मामला अधिनिर्णय के अधीन है। वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (जुलाई 1982)। मांग को अन्तिम रूप दिए जाने और वसूली के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(vii) साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) के विनिर्माण में मुख्य रूप से लगी एक फैक्टरी में मशीन से पिसे हुए सोडियम सल्फेट का भी विनिर्माण किया जिसके एक भाग का उपयोग सोडियम सल्फेट और एनहिड्रस सोडियम सल्फेट के विनिर्माण के लिए फैक्टरी के भीतर ही किया गया। तथापि पारिणामिक सोडियम सल्फेट की निकासी शुल्क का भुगतान किए बगैर की गई हालांकि कच्चे सोडियम सल्फेट पर 1 मार्च 1975 से टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 1975 से जुलाई 1981 के दौरान की गई निकासियों पर 3,44,968 रु० का शुल्क नहीं लगा।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताया जाने पर (मई 1980) विभाग ने बताया (अगस्त 1981) कि 1 मार्च 1975 से 31 जनवरी 1980 के संबंध में 95,404 रु० की मांग कर दी गई है। बाद में यह

सूचित किया गया (जनवरी 1982) कि फरवरी 1980 से जुलाई 1981 तक की अवधि के लिए भी 2,49,564 रु० की मांग कर दी गई थी। शुल्क की वसूली संबंधी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (नवम्बर 1982)।

(viii) 19 अप्रैल 1979 की एक अधिसूचना के अनुसार मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों के पुर्जे और उपकरण (टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले) यदि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने हों, तो वे शुल्क के उद्ग्रहण से मुक्त होते हैं बशर्ते कि उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अध्याय X में निर्धारित क्रियाविधि के अन्तर्गत अन्य विनिर्माता की फैक्टरी में भेजा जाए।

एक विनिर्माता ने मई 1979 से दिसम्बर 1980 के दौरान ट्रैक्टरों के पूर्वोक्त पुर्जे और उपकरण अन्तर्गत किए किन्तु निर्धारित क्रियाविधि का पालन नहीं किया और 31,19,396 रु० के शुल्क का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त उसने मार्च 1979 से दिसम्बर 1980 के दौरान 71,73,326 रु० मूल्य के उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य उत्पादों की एक प्राइवेट पार्टी को निकासी की किन्तु उस पर 8,23,418 रु० शुल्क का भुगतान नहीं किया। विभाग को इन गलतियों का पता नहीं लगा।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों के बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 1981) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 1982) और सूचित किया कि विनिर्माता को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ix) अल्यूमिनियम के गोलों के दो विनिर्माताओं ने उनका उत्पादन चद्दरों से किया जिनमें से गोले काटे गए। तथापि शुल्क का भुगतान किए बगैर गोलों की निकासी की अनुमति दी गई क्योंकि अल्यूमिनियम की जिन चद्दरों का उन्होंने विनिर्माण किया था वे अल्यूमिनियम के कतरन से निर्मित की गई थी। अल्यूमिनियम की कतरनों या

चद्दरों से विनिर्मित गोलों पर 1 मार्च 1975 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क से छूट दे दी गई थी तथापि, इस मामले में चद्दरों का उत्पादन अल्यूमिनियम की कतरनों से किया गया था और ऐसी चद्दरें टैरिफ में स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में विनिर्दिष्ट हैं। अतः गोलों के विनिर्माण के लिए चद्दरों के प्रयोग से पूर्व ही चद्दरों का विनिर्माण किया जा चुका था और उन पर शुल्क उद्ग्राह्य था। जून 1979 से दिसम्बर 1980 की अवधि के दौरान निकासी की गई अल्यूमिनियम की कतरनों से विनिर्मित ऐसी चद्दरों पर 2,39,775 रु० का शुल्क लगाया जाना चाहिए था जो कि नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में चूक के बारे में बताए जाने पर (जनवरी 1981) विभाग ने कहा कि चद्दरों को विनिर्माण किया गया नहीं माना जा सकता क्योंकि विनिर्माता ने चद्दरों के रूप में निकासी नहीं की थी। नियम 9 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य मध्यवर्ती उत्पादों पर शुल्क के अधिग्रहण के बारे में उल्लेख है राजस्व के हित के प्रतिकूल इस दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देता।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि उनके विचार से जो 7 जुलाई 1981 की टैरिफ सूचना में भी दिए गए थे, प्रश्नगत चद्दरों पर शुल्क उद्ग्राह्य नहीं है क्योंकि वे मध्यवर्ती उत्पाद हैं। तथापि, नियम 9 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण इस दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देता।

2.43 उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की हानि पर शुल्क का न लगाया जाना

(i) पदार्थ नियम पुस्तक (मोटर स्पिरिट) के पैराग्राफ 64-क में दिए गए अनुदेशों के अन्तर्गत परिशोधन कारखानों में खनिज तेलों की हानि पर वास्तविक हानि की सीमा तक उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण में माफी दी जा सकती है किन्तु यह माफी विनिर्दिष्ट सीमा तक ही दी जा सकती है।

(क) एक लाइसेंसधारी ने तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की हानियां केवल प्रमाणित मात्रा के आधार पर संगणित की और अप्रमाणित मात्राओं को छोड़ दिया हालांकि विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में

हानि प्रति माह हुई थी और अनेक मामलों में प्रमाणित और अप्रमाणित मात्राओं की हानि मिलकर अनुमत सीमा पार कर जाती है। इसके परिणाम-स्वरूप मई 1975 से दिसम्बर 1975 की अवधि के दौरान 30,58,852 रु० का शुल्क नहीं लगा।

लेखापरीक्षा में गलती के बारे में बताए जाने पर (फरवरी 1977) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली (अगस्त 1981)।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है और कहा है (जुलाई 1982) कि वसूली योग्य शुल्क की मांग अब कर दी गई है और मामला अधिनिर्णयन के अधीन है।

(ख) एक परिशोधन कारखाने से नवम्बर 1966 से मार्च 1977 की अवधि के दौरान 44 अवसरों पर खनिज तेलों की निकासियों पर निर्धारित सीमा से अधिक हानि की मात्रा पर उद्ग्राह्य 35.62 लाख रु० के शुल्क की मांग नहीं की गई। आवश्यक अधिनिर्णयन जिसके फलस्वरूप राशि की मांग की जा सकेगी, अगस्त 1982 तक पूरा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में विलम्ब के बारे में बताए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने कहा (जून 1982) कि 13.11 लाख रु० की शुल्क की राशि को मामलों में अन्य संघटनों से प्रलेखों की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष 34 मामलों में जिनमें 22.51 लाख रु० की शुल्क की राशि अन्तर्ग्रस्त थी, कोई विशिष्ट कारण नहीं दिए गए थे।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि दो मामलों पर न्यायिक निर्णय हो चुका है और शेष 42 मामलों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया चल रही है।

(ii) "कोयला (लिंगनाइट सहित) और कोक जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं", को शामिल करने के लिये 1 मार्च 1978 से नई टैरिफ मद 11घ जोड़ी गई। कोकिंग कोयले को छोड़कर अन्य कोयले पर शुल्क की प्रभावी दर 5 रु० प्रति टन नियत की गई थी।

सात कोयला खानों में टबों में उठाए गए कोयले को कोयले के एक टब में 1 टन वजन का अनुमान लगाकर अभिलिखित किया गया। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी उसी आधार पर किया गया। कोयला खानों को मार्च 1978 से यह अनुमति दी गई कि प्रत्येक महीने के अन्त में अभिलिखित मूल मात्रा में से कुछ मात्रा घटा दें ताकि 'पक्का उत्पादन' निकल आए और दोनों के अन्तर का कारण 'टब से हुआ' माना जाएगा। इससे उत्पादन में हुई कमी के परिणामस्वरूप मार्च से दिसम्बर 1978 की अवधि के दौरान उत्पादन पर 1,77,318 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा में अनियमितता के बारे में बताए जाने पर (जून 1980) विभाग ने कहा (अप्रैल 1982) कि शुल्क में कमी का राशि के लिए कोयला खानों को कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मांग की पुष्टि और वसूली के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि कोयले के उत्पादन की संगणना के लिए अपनाई जा रही विद्यमान लेखा प्रणाली अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अप्रैल 1980 में जारी किए गए एक पत्र में अनुमोदित कर दी गई है।

2.44 उत्पाद शुल्क योग्य कतरन और रद्दी पर शुल्क का न लगाया जाना

(1) वित्त मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके 6 जून 1975 को यह स्पष्ट किया कि ऐसे रद्दी उत्पादों या उप-उत्पादों को (मुख्य उत्पादों के विनिर्माण के दौरान उद्भूत) जो पृथक नाम गुणों के साथ नई और भिन्न वस्तुओं के रूप में आते हैं विनिर्मित माना जाएगा और उन रद्दी उत्पादों पर शुल्क उद्ग्राह्य होगा। इस विचार की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कर दी गई है।*

तीन खड़ की फैक्ट्रियों में टायरों और ट्यूबों के विनिर्माण के दौरान उद्भूत कतरनों की निकासी और बिक्री शुल्क का भुगतान किए बिना की गई हालांकि टैरिफ मद 68 (सभी अन्य वस्तुएं जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं) के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य था।

*भारत का संघ बनाम दिल्ली क्लाय मिल्स लि०-1977 ई.एल.टी. (3.199)

तीन फैक्ट्रियों द्वारा निकासी की गई कतरन और रद्दी उत्पादों पर शुल्क न लगाए जाने के बारे में लेखापरीक्षा में दिसम्बर 1976, अक्टूबर 1977 और दिसम्बर 1977 में बताया गया। उसके बाद एक के संबंध में विभाग ने 2.69 लाख रु० की मांग करने की कार्रवाई की। परन्तु अन्य दो के संबंध में विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और मार्च 1975 से जून 1977 की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 93,486 रु० के शुल्क की मांग नहीं की गई। टायर के दो विनिर्माताओं के मामले में वसूली कालबाधित हो गई और छोड़ दिए गए शुल्क की राशि सुनिश्चित की जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ii) सिनेमा फिल्मों का विनिर्माण करने वाली एक फैक्ट्री में उप-उत्पाद के रूप में उद्भूत सिल्वरयुक्त स्लज और भट्टी धातु मल (सिल्वर नाइट्रेट के विनिर्माण की प्रक्रिया में उद्भूत) छिद्रण टुकड़े (सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के विनिर्माण में उद्भूत) और ब्रोमाइड कागजों की अवशेष राख (सिल्वर युक्त) को निकासी शुल्क लगाए बिना अनुमत कर दी गई थी।

चूंकि इन वस्तुओं के गुण रूप उनकी कच्ची सामग्रियों के गुणों से जिनसे उनका विनिर्माण किया गया था भिन्न थे और उनका प्रयोग भी अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अतः वे टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थी और उन पर 8 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क उद्ग्राह्य था। सितम्बर 1979 से जून 1981 की अवधि के दौरान उनकी निकासियों पर 2,00,675 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

इस चूक के बारे में लेखापरीक्षा में विभाग को बताया गया (सितम्बर और नवम्बर 1981 में) उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि (नवम्बर 1982) कि रद्दी के चार उत्पादों का मूल्य केवल इसलिए है कि उनमें सिल्वर का अंश है, अन्यथा ये रद्दी उत्पाद हैं न कि विनिर्माण प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद। तथापि, चूंकि

इन उत्पादों के गुण प्रयोग और मूल्य मूल सामग्री से भिन्न हैं और ये वाणिज्यिक उत्पाद हैं अतः वे रही नहीं होंगे बल्कि ऐसे उत्पाद हैं जिन पर शुल्क उद्ग्राह्य है ।

अनियमित रिबेट और प्रतिदाय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 12 (और नियम 12क भी) के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क का रिबेट तभी दिया जा सकता है यदि उनका निर्यात भारत के बाहर किया गया हो और सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों । नियम 13 में यह व्यवस्था है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का भांडागार अथवा लाइसेंस शुदा फैक्ट्री से शुल्क का भुगतान किए बगैर बांड निष्पादित करके या प्रतिभूति जमा करके उसी ढंग से निर्यात किया जा सकता है (जैसा कि नियम 12 में दिया गया है) । वर्ष 1981-82 के दौरान दिए गए रिबेटों की राशि 15.00 करोड़ रु०* थी और बांड के अधीन किए गए निर्यातों पर न दिए गए शुल्क की राशि 255.72 करोड़ रु० थी ।**

2.45 रिबेट की अनियमित स्वीकृति और निर्यातों पर शुल्क का आस्थगन

(i) सितम्बर, 1967 में जारी की गई एक अधिसूचना के साथ पठित पूर्वोक्त नियम 12 के अन्तर्गत खनिज तेल उत्पादों (टैरिफ मद 6 से 11क के अन्तर्गत आने वाले) पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क का रिबेट तभी अनुज्ञेय है यदि उन्हें विदेश में जाने वाले वायुयान में उपयोग के लिए भंडार के रूप में निर्यात किया जाए और उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा किया जाए । उनमें से एक शर्त यह है कि केवल दो विनिर्दिष्ट बाहरी देशों जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं, को उड़ानों के सम्बन्ध में रिबेट अनुमत है ।

*ये राशियां अनन्तिम हैं और इसमें दिल्ली कलकटरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

**यह राशि अनन्तिम है और इनमें दिल्ली और पटना कलकटरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

(क) दिसम्बर 1974 से नवम्बर 1979 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम को एक तीसरे देश जो विनिर्दिष्ट दो देशों में नहीं था, को उड़ान के लिए अनुसूचित वायुयानों को आपूर्त करने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (टैरिफ मद 7) जिसकी समय-समय पर निकासी की गई थी, पर उपक्रम द्वारा प्रदत्त शुल्क के लिए 28,01,819 रु० के उत्पाद शुल्क का रिबेट गलती से दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह बताया जाने पर (जनवरी 1980) कि यह रिबेट अनुमत नहीं था, विभाग ने कहा (जनवरी 1982) कि 5,81,096 रु० के शुल्क को वसूली के लिए सात कारण बताओ तथा मांग नोटिस अब (फरवरी से सितम्बर 1981 के बीच) जारी कर दिए गए थे और अन्य चार मांगों को पहले ही पुष्टि कर दी गई थी। वसूली के लिए शेष राशि हेतु कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (जुलाई 1982) कि उपक्रम ने केन्द्रीय सरकार के पास पुरोअग आवेदन दाखिल कर दिया है।

(ख) एक वायुयान को जारी किए गए उच्च कोटि के मिट्टी के तेल पर (टैरिफ मद 7 के अन्तर्गत आने वाले) जिनका विमानन टरबाइन ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था, पूर्वोक्त रिबेट देने के बाद शुल्क लगाया गया था हालांकि वह वायुयान एक तीसरे देश में गया था जो भारत के सीमा वाले विनिर्दिष्ट दो देशों में नहीं था। वर्ष 1980-81 के दौरान भांडागार ऐजेंसों द्वारा जारी किए गए 6,61,107 लिटर मिट्टी के तेल पर 2,07,092 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह गलती बताए जाने पर (अक्टूबर 1981) विभाग ने गलती स्वीकार कर ली। वित्त मंत्रालय द्वारा कि 2,60,233 रु० की मांग कर दी गई है और उसकी पुष्टि हो चुकी है (नवम्बर 1982)।

(ii) एक सीमा शुल्क गृह में लोहे और इस्पात उत्पादों के निर्यातों पर उन पर प्रदत्त शुल्क पर रिबेट का दावा अनुमत किया गया था (पूर्वोक्त नियम 12 के अधीन)। 1 मार्च 1974 की एक छूट अधिसूचना के अन्तर्गत विनिर्माणों में प्रयुक्त सामग्रियों पर प्रदत्त शुल्क की सीमा तक छूट देने के बाद निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण पर केवल निवल शुल्क का

भुगतान किया गया था। तथापि निर्यातक को इसके विनिर्माण पर प्रदत्त निवल राशि का रिबेट देने के बजाए निर्यातित वस्तुओं पर देय शुल्क की पूरी राशि पर रिबेट दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप सोलह निर्यात परेषणों पर दिसम्बर 1977 और जनवरी 1978 में 97,596 रु० का रिबेट अधिक दिया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती के बारे में बताए जाने पर (फरवरी 1978) विभाग ने कहा (जनवरी 1982) कि लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के बाद 97,596 रु० का कारण बताओं तथा मांग नोटिस जारी कर दिया गया था और सितम्बर 1978 में इस पर न्यायनिर्णयन किया गया। तथापि, निर्यातक ने अपील में आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर दिया था जिसपर निर्णय की प्रतीक्षा है (जुलाई 1982)।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

(iii) नियम 13 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण II के अनुसार "वस्तु" शब्द में निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं शामिल हैं।

संसाधित सूती वस्त्र के निर्यात की अनुमति शुल्क का भुगतान किए बगैर दी गई थी जो बांड के अधीन निकासी के अर्धधीन थी और (पूर्वोक्त स्पष्टीकरण II के अनुसार) इस प्रकार के संसाधित सूती वस्त्र के विनिर्माण में प्रयुक्त वस्तु धूसर सूती वस्त्र थे। इसलिए धूसर सूती वस्त्रों के विनिर्माण में प्रयुक्त सूती धागों पर शुल्क देय था। इसकी मांग नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप मई 1980 से अगस्त 1981 की अवधि के दौरान तीन विनिर्माताओं द्वारा की गई निकासियों पर 11.37 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस गलती के बारे में बताए जाने पर (अगस्त 1981 से जनवरी 1982 के बीच) विभाग ने कहा (दिसम्बर 1981) कि "शब्द" उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं" में निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद शुल्क योग्य सभी वस्तुएं शामिल होंगी। यद्यपि तीन मामलों

में से एक में विभाग ने 4.37 लाख रु० शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ तथा मांग नोटिस जारी कर दिया था। विभाग द्वारा पूर्वोक्त स्पष्टीकरण II को वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं पर (जिसका बाद में निर्यातित वस्तु के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है) लागू करके नियम का साधारण अर्थ बदल दिया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (नवम्बर 1982) कि मामले पर विचार किया जा रहा है।

(iv) 13 दिसम्बर 1980 की एक अधिसूचना द्वारा टैरिफ मद 26-कक के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात उत्पादों को 5 जनवरी 1981 से नियम 13 के क्षेत्र से निकाल दिया गया था।

अगस्त 1981 में लोहे और इस्पात के उत्पादों का निर्यात करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के पास अपने बंधक भांडागार में अपनी फैक्ट्रियों से 5 जनवरी 1981 से पहले मिले 4,734 दशमिक टन लोहा और इस्पात के उत्पाद थे जिनका निर्यात किया जाना था। चूंकि शुल्क का भुगतान किए बिना बांड के अधीन निर्यात की सुविधा 5 जनवरी 1981 से वापस ले ली गई थी, अतः 33.85 लाख रु० के देय शुल्क का विभाग द्वारा संग्रहण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस गलती के बारे में बताए जाने पर (अगस्त 1981) विभाग ने कहा कि इन परेषणों की फैक्ट्रियों से निकासी की गई थी और 13 दिसम्बर 1980 की अधिसूचना के उपबन्ध इन पर लागू नहीं हैं भले ही निर्यात 5 जनवरी 1981 के बाद किया गया हो। यह मत 5 जनवरी 1981 से पहले निर्यात न किए गए लोहे और इस्पात के उत्पादों पर बांड का सहारा लेकर शुल्क के संग्रहण में आस्थगन को अस्वीकार करने और केवल निर्यात के बाद छूट की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के विरुद्ध है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है (नवम्बर 1982)।

(v) धागों का विनिर्माण करने वाली एक कम्पनी को सूत का विनिर्माण करने वाली अपनी मिलों से शुल्क प्रदत्त सूत लाने की ओर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 191-क में निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए सूत पर प्रदत्त शुल्क के रिबेट का दावा करके विनिर्मित धागों के निर्यात की अनुमति दी गई थी। बाहर से लाए गए सूत की पहले धागो के लच्छे के रूप में निकासी की गई और उसके बाद इसे विभिन्न रूपों में निर्यात किया गया जैसे शंकु, बाल, अण्टी, चरखी आदि जो इस प्रकार निकासी किए गए धागों के लच्छों से तैयार किए गए थे। निर्यात किए जाने वाले धागों में प्रयुक्त धागे के लच्छों पर प्रदत्त शुल्क की छूट दी गई यद्यपि विनिर्माता किसी प्रकार के रिबेट का अधिकारी नहीं था क्योंकि उसने न तो धागों के लच्छों का निर्यात किया था और न ही वह धागों के लच्छे अपनी फ़ैक्ट्री में बाहर से लाया था जिस पर केवल नियम 191-क ही लागू होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई 1980) विभाग ने बताया कि इस मामले में नियम 191-क के लागू करने का चरण "लच्छी चरण" था, भारत सरकार ने निर्धारिती द्वारा निर्यातित धागे के विनिर्माण में प्रयुक्त धागे पर प्रदत्त शुल्क के प्रतिदाय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियम में यह शर्त शिथिल कर दी थी और अकेले सूती धागे पर प्रदत्त शुल्क की राशि के लिए क्रेडिट की राशि लच्छी धागे पर शुल्क की अदायगी के लिए प्रयुक्त की गई थी और नियम 191-क के अधीन दावाकृत और अदा किया गया रिबेट केवल लच्छी धागे पर प्रदत्त ऐसे शुल्क से संबंधित था।

जब नियम 56-क में ऐसे धागे के उन रूपों में जिनमें समुचित प्रक्रिया संबंधी जांच करके निर्यात के लिए उनकी निकासी की गई थी, शुल्क की अदायगी के लिए उपबन्ध मौजूद हैं तथा निर्यातित माल पर प्रदत्त शुल्क के रिबेट की मंजूरी के लिए नियम 12 में उपबन्ध मौजूद है तब नियम 191-क अनियमित रूप से लागू किया जाना आवश्यक नहीं था और अनुचित भी था क्योंकि इससे लाई गई और निर्यात की गई मात्रा पर नियम 191-क में विहित जांच नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 में ऐसा कोई सामान्य

उपबंध शामिल नहीं है जो सरकार अथवा बोर्ड को किसी भी नियम में ढील देने की शक्तियाँ देता हो। ढील देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम रूप से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शिथिलीकरण के लिए विशिष्ट उपबंधों के अलग नियमों में समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता होती है उदाहरणार्थ नियम 53, 55, 56-क, 97-क, 173, 173-ख और 173-ड में ऐसे उपबंध हैं। अतः नियम 56-क और 12 को लागू करने को बजाय बिना ऐसी शक्ति के नियम 191-क के उपबंधों में ढील देकर मंजूर किया गया प्रतिदाय अनिर्णयित था। नियम 191-क के अनियमित रूप से लागू किए जाने के फलस्वरूप 10 सितम्बर, 1974 से मार्च 1981 के अन्त तक कम लगाए गए शुल्क की राशि 29,54,741 रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.46 अनियमित प्रतिदाय

(i) 16 अक्टूबर 1976 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार उत्पादित नाइट्रोसेल्यूलोज रोगन पर शुल्क के उद्ग्रहण पर, परत लगाने के लिए प्रयोग के बाद रह गए ऐसे अप्रयुक्त रोगन के अवशिष्ट अंशों की मात्रा तक छूट थी, जो पुनः प्राप्त कर लिए गए हों तथा नाइट्रोसेल्यूलोज के आगे विनिर्माण के लिए पुनः प्रयुक्त किए गए हों। अतः लेपित करने की प्रक्रिया में नष्ट उत्पादन की मात्रा पर शुल्क उदग्राह्य था।

सितम्बर 1962 से सितम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान नाइट्रोसेल्यूलोज रोगन के एक विनिर्माता ने कोटिंग के लिए आंतरिक रूप से प्रयुक्त नाइट्रोसेल्यूलोज रोगन की मात्रा तथा पुनः प्राप्त विलायक की मात्रा के बीच अन्तर पर, जिसमें कोटिंग की प्रक्रिया में भाप के कारण नष्ट हुई सूचित की गई मात्रा शामिल थी, शुल्क अदा किया। 5 सितम्बर 1972 से 4 जनवरी 1975 तक की अवधि के दौरान और जुलाई 1975 में उसने प्रतिवाद करते हुए जारी मात्रा और पुनः प्राप्त मात्रा के बीच अन्तर पर शुल्क अदा किया और एक संशोधन आवेदन दाखिल किया जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद उसने

20 सितम्बर 1962 से 31 दिसम्बर 1975 तक का अवधि के लिए 38,35,467 रु० के तीन प्रतिदाय दावे प्रस्तुत किए और विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 और 1981-82 में प्रतिदाय किए गए थे ।

चूंकि अक्टूबर 1976 में जारी अधिसूचना में स्पष्टीकरण से पूर्व ही (जिसके अनुसार ऐसा उद्ग्रहण और संग्रहण आवश्यक है) पुनः प्रयोग के लिए केवल पुनः प्राप्त मात्रा को निकालकर उत्पादित और प्रयुक्त मात्रा पर शुल्क संग्रहीत किया जा चुका था अतः कोर्टिक प्रक्रिया में नष्ट मात्रा पर शुल्क सही रूप से वसूल किया गया था । वर्ष 1962 से 1975 तक के वर्षों के दौरान संग्रहीत किए गए ऐसे शुल्क की वापस अदायगी अनियमित थी । यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत के भी विरुद्ध था कि बाद में शुल्क के प्रतिदाय की मंजूरी जब ऐसे शुल्क का पूरा भार उनके ग्राहकों पर डाला जा चुका था, का स्पष्ट परिणाम विनिर्माता को अनुचित रूप से धनी बनाना होगा और ऐसे मामलों में विनिर्माता को प्रतिदाय देने का लाभ ग्राहकों से वास्तविक मान्य दावों तक सीमित होना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप विनिर्माता को 38.35 लाख रुपए का आकस्मिक लाभ हुआ ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला जांचाधीन है ।

(ii) दिनांक 1 मार्च, 1979 की एक अधिसूचना के अनुसार मोटर गाड़ियों (ट्रलर्स सहित) के हिस्सों और सहायक पुर्जों पर शुल्क के उद्ग्रहण से छूट थी, यदि वे विनिर्दिष्ट उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए गए हों और इसके साथ ही साथ यदि उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र उनका प्रयोग करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अध्याय X में निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन किया गया हो ।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार क्रेकशाफ्टों के एक विनिर्माता ने शुल्क की अदायगी के बिना उनकी निकासी की । किन्तु उसने उनके प्रयोग के सम्बन्ध में अध्याय X की क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया और मार्च से मई 1979 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 2,45,983 रु० की मांगें विभाग द्वारा अगस्त और दिसम्बर 1979 में

जारी की गई थी। विनिर्माता द्वारा भुगतान फरवरी 1980 में किया गया था। तथापि विनिर्माता द्वारा जुलाई 1980 में इस आधार पर प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया गया कि मांग किए जाने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 10 के अधीन उसे "कारण व्रताओं" नोटिस नहीं दिया गया था और इस प्रकार उसे नैसर्गिक न्याय से वंचित रखा गया था। विभाग द्वारा उसको कारण बताने का अवसर दिए जाने की वजाए उसका दावा स्वीकार कर लिया गया (सितम्बर 1980) और 2,24,352 रु० उसे वापस कर दिए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा गलती बताए जाने पर (फरवरी 1981) विभाग ने बताया (अप्रैल 1981) कि प्रतिदाय दावा इसलिए स्वीकार किया गया था कि वह शर्त कि पुर्जे विनिर्दिष्ट उत्पादों में प्रयुक्त किए जायें, पूरी कर दी गई थी और अध्याय X की प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने की शर्त का अनुपालन न किया जाना एक ऐसी शर्त थी, जिसे छोड़ा जा सकता था। 1 मार्च 1979 की अधिसूचना का सही निर्वचन किए जाने की आवश्यकता थी और उससे राजस्व की क्षति होने वाली उसमें समाविष्ट किसी शर्त को त्यागने के सम्बन्ध में विभाग को कोई विवेकाधिकार नहीं मिलता।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि कार्यविधि का मामूली सा उल्लंघन हुआ था।

(iii) (क) दिनांक 30 नवम्बर, 1963 की अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट सामग्री से विनिर्मित सरियों और छड़ों आदि पर शुल्क के उद्ग्रहण से छूट थी। किन्तु 1 मार्च 1974 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा यह छूट वापस ले ली गई थी और प्रति टन 65 रु० की प्रचलित दर पर शुल्क उद्ग्राह्य था।

एक विनिर्माता ने टैरिफ की मद 26-क क की उप-मद (i क) के अन्तर्गत आने वाली मृदु इस्पात की छड़ों और टार स्टील के विनिर्माण में शुल्क प्रदत्त सिल्लियां प्रयुक्त कीं। उसने 1 मार्च 1974 से 17 जून 1977 की अवधि के दौरान निकासी की गई 5,488 टन छड़ों और टार स्टील पर दिनांक 30 नवम्बर 1963 की अधिसूचना के अन्तर्गत गलत रूप से शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया और सितम्बर 1973 से जून 1980 तक की

अवधि के दौरान की गई निकासी पर 11.03 लाख रु० का प्रतिदाय स्वीकार किया गया (अक्टूबर 1981) यद्यपि प्रतिदाय केवल फरवरी 1974 के अन्त तक की अवधि के लिए ही अनुज्ञेय था। परिणामतः 6.67 लाख रु० गलती से वापस अदा किए गए।

(iii) (ख) दिनांक 18 जून 1977 की एक अधिसूचना के अनुसार 18 जून 1977 से पूर्व उपयुक्त दरों पर शुल्क के भुगतान के बाद कारखाने से निकाली गई इस्पात सिल्लियों से विनिर्मित लौह अथवा इस्पात के उत्पादों पर 130 रु० प्रति टन की रियायती दर पर शुल्क उद्ग्राह्य था।

18 जून 1977 से पूर्व अधिप्राप्त शुल्क प्रदत्त सिल्लियों से विनिर्मित 796 टन मृदु इस्पात छड़ों और टार स्टील पर एक विनिर्माता ने 18 जून 1977 के बाद और जून 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 1.04 लाख रु० का सही प्रकार से शुल्क (उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार) अदा किया। किन्तु शुल्क गलती से निर्धारितों को वापस अदा कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 1981) विभाग ने बताया (जुलाई 1982) कि निर्धारितों को 1.04 लाख रु० के लिए कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया गया है और 6.67 लाख रु० के लिए एक अन्य कारण बताओ और मांग नोटिस जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला जांचाधीन है।

(iv) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्तु और वस्तु पदार्थ) अधिनियम, 1978 की धारा 3(1) में केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की अनुसूची में उल्लिखित माल पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य शुल्क की कुल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर 4 अक्टूबर 1978 से शुल्क उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था है। चूंकि इस शुल्क का सम्बन्ध माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन की अवधि से नहीं था, अपितु उस बिन्दु से सम्बन्ध था जब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगने वाले माल पर शुल्क निर्धारित किया जाता है अतः उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के साथ-साथ

4 अक्टूबर 1978 से पूर्व स्टॉक में धारित माल पर भी उत्पाद शुल्क के अलावा 4 अक्टूबर 1978 को या उसके बाद अतिरिक्त शुल्क (जो उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त है) उद्ग्राह्य था।

एक विनिर्माण यूनिट को पूर्णतः विनिर्मित और बिना पैक किए गए वस्त्रों पर, जिसकी पैकिंग 3 और 4 अक्टूबर 1978 की श्राद्धी रात को होनी थी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की गई, 1,11,921 रु० की राशि वापस कर दी गई और उसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया था, चूंकि अतिरिक्त शुल्क उद्ग्राह्य था और सही ढंग से वसूल किया गया था अतः अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वापस अदायगी सही नहीं थी। 4 अक्टूबर, 1978 से पूर्व स्टॉक धारित करने वाली एक अन्य विनिर्माता यूनिट को उस तारीख के बाद उसकी निकासी करने की अनुमति दी गई जबकि उसने 35,760 रु० का अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में इन गलतियों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1980) विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की। नौ मिलों द्वारा की गई निकासियों पर 40.52 लाख रु० राशि के अतिरिक्त शुल्क के ऐसे ही कम उद्ग्रहण के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1980-81 के पैराग्राफ 2.58 में उल्लेख किया गया था, जिसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया था (दिसम्बर 1981) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति जांचाधीन थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला अभी जांचाधीन है।

उपकर का कम लगाया जाना

संबंधित उद्योगों में विकास और संगठनात्मक व्यय तथा मजदूरों के कल्याण के लिए व्यवस्था करने के लिए संसद के विभिन्न अधिनियमों के अधीन चाय, कहवा, तम्बाकू, बीड़ी, प्याज, नारियल, तेल और तिलहन, नमक, रबड़ जूट, कपास, सूती वस्त्र, रेयन और कृत्रिम रेशम के वस्त्र, ऊनी वस्त्र, मानव निर्मित वस्त्र, कागज, लोह अयस्क, कोयला और कोक, चूना पत्थर और डोलोमाइट, अशुद्ध तेल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर उपकर

लगाया जाता है। पिछले पांच वर्षों में उपकर से हुई आय और वे वस्तुएं जिनसे एक करोड़ रुपये से अधिक आय हुई, नीचे दी जाती है :—

क्रम	वस्तु	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
		(करोड़ रुपयों में)				
1.	कच्चा तेल	37.94	67.18	66.46	58.74	111.19
2.	कोयला और कोक	22.88	22.68	24.50	21.86	31.01
3.	खड़	4.81	5.19	6.61	6.27	5.52
4.	*सूती वस्त्रों पर हथकरघा उपकर	5.04	5.83	5.55	6.02	5.45
5.	चाय	3.47	4.04	4.25	4.56	4.48
6.	रेयन और कृत्रिम रेशम के वस्त्रों पर हथकरघा उपकर	1.64	1.86	1.94	2.00	1.28
7.	नमक	1.30	1.33	1.34	1.22	1.35
9.	तेल और तिलहन	..	0.70	1.23	1.10	1.04
9.	कागज	0.01	1.22
10.	मानव निर्मित वस्त्रों पर हथकरघा उपकर	1.14

*टिप्पणी: सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशम के वस्त्र आदि पर उपकर लगभग 1100 ब्रिनिर्माताओं से एक वस्त्र समिति द्वारा संग्रहीत किया जाता है और मार्च 1982 के अन्त में संग्रहण के लिये 34.81 लाख रु० की राशि बकाया थी।

2. 47 रबड़ बोर्ड द्वारा कम उपकर लगाया जाना

(i) रबड़ अधिनियम, 1947 के अंतर्गत भारत में उत्पादित सभी रबड़ पर ऐसी दर पर एक उपकर उद्ग्राह्य है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित हो और उसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहीत किया जाता है। 1 अप्रैल, 1961 से तीस पैसे प्रति किलोग्राम की दर नियत की गई थी और वह 30 जुलाई 1975 से बढ़ाकर चालीस पैसे कर दी गई थी। यद्यपि बहुत सी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में उद्ग्राह्य उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा संग्रहीत किया जाता है तथापि रबड़ अधिनियम, 1947 के अधीन गठित रबड़ बोर्ड को (जो इसके आगे 'बोर्ड' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) अधिनियम की धारा 12 के अधीन उन सम्पदाओं के मालिकों से जिन पर रबड़ उत्पादित होता है अथवा उन विनिर्माताओं से जो इस रबड़ का प्रयोग करते हैं, उपकर के संग्रहण का दायित्व सौंप दिया गया है। धारा 12 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उपकर फीस थी न कि कर अथवा उत्पाद शुल्क। एक उच्च न्यायालय ने ऐसे आधार पर दाखिल एक याचिका खारिज कर दी थी, परन्तु अपील को अनुमति दे दी थी और याचिका उच्चतम न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़ी है (जुलाई 1982)।

(ii) "सोल क्रेप रबड़" पर उपकर उत्पादकों पर लगाया और संग्रहीत किया जाता है जबकि 'सोल क्रेप' से इतर रबड़ पर उपकर विनिर्माताओं (जो रबड़ का प्रयोग करते हैं) से उसकी खरीद अथवा उनके द्वारा अधिप्राप्ति के आधार पर संग्रहीत किया जाता है। बोर्ड के अनुसार उपकर अदा करने का भार अंशतः विनिर्माताओं पर डाल दिया गया था ताकि रबड़ के उत्पादकों द्वारा कर की चोरी को न्यूनतम किया जा सके, क्योंकि लघु उत्पादकों (50 एकड़ अथवा कम जोत वाले) की संख्या काफी बड़ी (1.44 लाख से अधिक) है। 50 एकड़ से अधिक जोत वाले उत्पादक उत्पादन की मासिक और वार्षिक विवरणियां दाखिल करते हैं जबकि लघु उत्पादक उसी समय विवरणियां प्रस्तुत करते हैं, जब उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है। बोर्ड ने अभी तक उन्हें विवरणी दाखिल करने के लिए नहीं कहा और परिणामतः उपकर प्रतीकात्मक नमूना सबक्षणों के आधार पर परिकल्पित उनके अनुमानित उत्पादन पर ही लगाया जाता है।

(iii) सोल क्रेप रबड़ के बड़े उत्पादकों से अर्ध वार्षिक विवरणियों की प्राप्ति बहुत बकाया है। 30 जून, 1981 को सितम्बर 1980 को समाप्त छमाही के लिए और पिछली छमाहियों के लिए 1,532 विवरणियां प्रतीक्षित थीं। इनमें से 414 विवरणियां 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया थीं। इससे पता चलेगा कि लघु उत्पादकों द्वारा बड़े उत्पादकों की तुलना में कम सूचना देने अथवा विवरणी दाखिल न करने की प्रवृत्ति अपनाये जाने की अब संभावना नहीं है। किन्तु उस अवधि के लिए जिसके लिए कोई विवरणी प्राप्त नहीं हुई थी, कोई मांग नहीं की गई। बोर्ड का यह मत था (जून 1981) कि उसके पास सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण करने अथवा अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुपालन न करने वाले उत्पादकों को दंडित करने के लिए शक्तियां नहीं थीं।

रबड़ अधिनियम में, धारा 12 अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन करने के लिए एक वर्ष तक कारागार अथवा 1000 रु० तक के जुमाने अथवा दोनों दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम में विवरणियों की अप्राप्ति की कल्पना है तथा 12(5) धारा में बोर्ड के लिए यह व्यवस्था है कि वह नियमों में विहित ढंग से निर्धारण करे और निर्धारित को धारा 12(6) के अधीन जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार हो। नियम 33, 33क, 33ख, 33ग, 33घ, और 33ङ में निर्धारण और संग्रहण के लिए सुसंगत प्रणाली और क्रिया-विधि विहित की गई है। बोर्ड द्वारा सरकार को इस संबंध में किसी जिला न्यायाधीश के अधिनिर्णय के अनुसार अपनी वर्तमान शक्तियों पर किसी प्रकार की सीमाओं का उल्लेख करते हुए कोई विशिष्ट पत्र व्यवहार नहीं किया गया था। न तो अधिनियम द्वारा और न ही नियमों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित करने की शक्ति छीनी गई है और अब भी लघु उत्पादकों के सम्बन्ध में बोर्ड केवल अपने सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार तैयार किये गये उत्पादन के अनुमानों के आधार पर ही निर्धारण कर रहा है।

(iv) विनिर्माताओं पर उपकर प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले लेखा-परीक्षित लेखाओं और रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 10 जून, 1981 को, वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक से

संबंधित 4376 निर्धारणों (कुल संख्या का 37.43 प्रतिशत) को लेखापरीक्षित लेखाओं और रिपोर्टों के न होने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था। पिछले वर्षों से संबंधित निर्धारणों के सम्बन्ध में ब्यौरे बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे। बोर्ड ने बताया (मई 1980) कि लघु विनिर्माताओं ने अभिवेदन किया था कि उन्हें लेखापरीक्षित लेखाओं और रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण से छूट दी जाये। स्टाफ की कमी के कारण भी बोर्ड ने लघु विनिर्माताओं के लेखाओं का सत्यापन नहीं किया था।

दो विनिर्माताओं के मामले में क्रमशः वर्ष 1970-71 से 1974-75 और 1976-77 के लिये लेखापरीक्षित लेखे और रिपोर्टें अभी तक बकाया थीं (अक्टूबर 1981) और दो मामलों में उत्पादन अनन्तिम रूप से 22,331 टन निर्धारित किया गया था जिसमें 68.51 लाख रु० का उपकर अन्तिमस्त था। बोर्ड अभी तक बकाया लेखापरीक्षित लेखाओं और रिपोर्टों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था (अक्टूबर 1981)।

(v) अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार वाणिज्यिक मूल्य वाले स्क्रेप रबड़ सहित सभी प्रकार के रबड़ पर उपकर उद्ग्राह्य है। दो विनिर्माताओं के पास 815 टन स्क्रेप रबड़ पर वर्ष 1976-77 से वर्ष 1978-79 के दौरान 3.26 लाख रु० राशि का उपकर नहीं लगाया गया था। बोर्ड का यह मत था (जून 1981) कि स्क्रेप रबड़ पर उपकर उद्ग्राह्य नहीं था। लेखापरीक्षा में यह बताया गया था कि धारा 12(i) के अधीन उद्ग्रहण का सम्बन्ध रबड़ के उत्पादन से होता है और विनिर्माताओं द्वारा खरीद अथवा खपत के चरण पर शुल्क के उद्ग्रहण के कारण रबड़ के स्क्रेप होने के कारण उपकर का उद्ग्राह्य होना समाप्त नहीं हो जाता। बोर्ड ने अभी तक स्क्रेप रबड़ पर उपकर संग्रहीत करना आरम्भ नहीं किया है (जुलाई 1982)।

(vi) मार्च 1980 के अन्त में, 1961-62 से 1978-79 तक के वर्षों से संबंधित 6087 मामलों में 193.89 लाख रु० राशि का उपकर बकाया था। किन्तु लेखापरीक्षा में व्यक्तिगत खाता लेखाओं में दिए गए आंकड़ों के अनुसार निर्धारित वार ब्यौरों का मिलान इस राशि से नहीं किया जा सका।

बोर्ड ने बताया (जून 1981) कि इन सभी मामलों में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई थी। बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 1981) कि उपकर के विलम्बित भुगतानों पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत तक की दर से व्याज लगाने की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम की धारा 12 में संशोधन का मसौदा सरकार के पास पड़ा है। 193.84 लाख रु० तक के बकायों पर उद्ग्राह्य शास्तिक व्याज की राशि 12 प्रतिशत की दर से भी (कुछ कर कानूनों में दर) 23.26 लाख रु० प्रतिवर्ष बनेगी।

(vii) बोर्ड ने उस उत्पादित रबड़ पर कोई उपकर नहीं लगाया जिसका निर्यात 1973 से 1977 तक के वर्षों में किया गया था (वर्ष 1977-78 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 88 में उल्लिखित)। विधि मंत्रालय की सलाह के अनुसार (जून 1974) उपकर उत्पादन पर उद्ग्राह्य था और यह रबड़ के निर्यातकों पर लगाये जाने वाला सीमा शुल्क नहीं था। इससे बोर्ड पर रबड़ अधिनियम के इस प्रकार लागू करने का दायित्व आ जाता है कि वह निर्यात के चरण पर उत्पादन पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण को स्थगित न करे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (जून 1979) कि बोर्ड को ऐसे किसी उत्पादित रबड़ पर जो निर्यात किया गया था, उपकर के छूट देने की कोई शक्ति नहीं थी। तथापि, बोर्ड को इस आशय से कोई निर्देश नहीं दिये गये कि वह किस प्रकार उस उत्पादित रबड़ पर उपकर लगाने के बारे में कार्यवाही करे जिसे निर्यात किया जा सकता था, क्योंकि यह महसूस किया गया (जून 1979) कि रबड़ के और निर्यात की संभावना नहीं थी। चूंकि भावी निर्यात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः ऐसे निर्देशों की आवश्यकता बनी हुई है। उपरोक्त बातें वाणिज्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय को सूचित की गई थी (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

2.48 जूट उत्पादों पर उपकर का न लगाया जाना

दिनांक 25 फरवरी, 1976 की एक अधिसूचना के अधीन 1 मार्च, 1976 से सभी जूट उत्पादों पर उपकर उद्ग्राह्य था। अपने दिनांक 19 अप्रैल, 1977 के पत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जूट के सामान के विनिर्माण के लिये उत्पादन के कारखाने

में प्रयुक्त जूट के धागे अथवा सुतली पर भी उपकर लगाया जाता चाहिए, क्योंकि उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उपकर के उद्ग्रहण से कोई भी छूट मंजूर नहीं की गई है।

(i) जूट का माल विनिर्मित करने वाले एक कारखाने में यद्यपि कारखाने से निकासी किये गये जूट के सामान की मात्राओं पर तो उपकर लगाया गया था परन्तु कारखाने में प्रयुक्त जूट के धागे और सुतली की मात्रा पर कोई उपकर अदा नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1979) विभाग ने अक्टूबर 1977 से फरवरी 1981 तक की अवधि के दौरान कारखाने के अन्दर विनिर्मित और प्रयुक्त जूट के धागे और सुतली की मात्रा पर 3,56,518 रु० के उपकर की मांग करते हुये एक कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर 1981)। इस राशि की मांग की पुष्टि और वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (अप्रैल, 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 1 अक्टूबर, 1977 के बाद की अवधि के लिये की गई मांग को चुनौती दी गई है और वह उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है।

(ii) जूट उत्पादों का विनिर्माण करने वाली एक संयुक्त मिल ने जूट के वस्त्रों की निकासियों पर उपकर अदा किया था, परन्तु बोरियों के विनिर्माण में कारखाने के अन्दर प्रयुक्त जूट के कपड़े पर उपकर अदा नहीं किया, यद्यपि दोनों उत्पाद पृथक-पृथक जूट की वस्तुएं थीं और दोनों पर ही उपकर उद्ग्रह्य था। 1 मार्च, 1980 से 30 जून, 1981 तक की अवधि में की गई निकासियों पर न लगाये गये उपकर की राशि 2.49 लाख रु० थी।

अगस्त 1981 में लेखापरीक्षा में चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने 1 मार्च 1980 से आगे की अवधि के लिये उपकर की मांग करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किये। जारी की गई मांग के प्रति वसूली के बारे में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मई, 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 1,72,080 रु० के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, और उस पर अधिनियम होना है।

2.49 संसाधित वस्त्रों पर उपकर का न लगाया जाना

खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत ऐसे सभी वस्त्रों पर जिन पर उत्पाद शुल्क अदा किया जाता है, 19 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर अतिरिक्त शुल्क (जो हथकरघा उपकर कहलाता है) उद्ग्राह्य है।

(i) ऐसी विजली करघा फ़ैक्टरियों में जिनमें चार या पांच विजली करघे लगाये गए हैं, विनिर्मित सूती वस्त्रों पर दिनांक 20 दिसम्बर 1961 की अधिसूचना के अधीन उपकर के उद्ग्रहण से छूट मिली हुई थी, परन्तु केवल उस समय जब विशेष क्रियाविधि का अनुपालन किया जाये। 18 जून, 1963 को जारी अधिसूचना के अनुसार संसाधित सूती वस्त्र जो ऐसे विजली करघा फ़ैक्टरियों में विनिर्मित किए गए हों, जिनमें पांच से कम विजली करघे लगे थे, पर भी हथकरघा उपकर के उद्ग्रहण से छूट थी। वित्त मंत्रालय ने 21 अप्रैल, 1971 को स्पष्ट किया कि विजली करघा फ़ैक्टरियों में जिनमें पांच या अधिक विजली करघे लगे थे, विनिर्मित संसाधित वस्त्रों पर भी हथकरघा उपकर के उद्ग्रहण से छूट मिलेगी, भले ही विशेष क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, किन्तु बोर्ड ने मामले पर पुनः आगे विचार किया और यह बताते हुये 30 दिसम्बर, 1978 को अनुदेश जारी किये कि उन विजली करघा फ़ैक्टरियों में जिनमें पांच अथवा अधिक विजली करघे लगे हों, विनिर्मित संसाधित वस्त्रों पर भी हथकरघा उपकर के संग्रहण के लिये मांग की जानी चाहिए यदि विशेष क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जाता, परन्तु आगे आदेशों के प्राप्त होने तक मांगों के लिए दबाव नहीं डाला जाए।

एक राज्य में विजली करघा फ़ैक्टरियों में विनिर्मित वस्त्रों पर हथकरघा उपकर नहीं लगाया गया था, यद्यपि उनमें से प्रत्येक फ़ैक्टरी में पांच या अधिक विजली करघे लगे थे और स्वतंत्र संसाधकों द्वारा संसाधन किये जाने के बाद वस्त्र की निकासी की गई थी (विशेष क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया गया था)। निकासियों पर शुल्क की मांग जारी नहीं की गई थी, यद्यपि वे बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार जारी की जानी चाहिए थी और केवल संग्रहण नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा में एक संसाधन मिल के विरुद्ध मांग करने में हुई चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई 1979 और सितम्बर 1979) अक्टूबर 1979 से जून 1980 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर कुल 5,40,572 रु० की मांगें विभाग द्वारा 29 मई, 1980 से 23 मई, 1981 के दौरान की गई थीं। मार्च 1979 में की गई लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप 24 अन्य संसाधन यूनिटों को भी कुल 17,86,656 रु० की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, वे मांगे भी संग्रहण के लिये बकाया हैं क्योंकि दिसम्बर, 1978 में किये गये वायदे के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के आदेश अभी तक (जुलाई 1982) प्राप्त नहीं हुये हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मांग करने के लिए दिसम्बर, 1978 के बाद कार्रवाई की गई थी। किन्तु इतनी देर होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि ऊपर बताया गया है और मांग अभी संग्रहीत नहीं हुई है।

(ii) दो बिजली परिचालित संसाधन यूनिटों से निकासी किये गये सूती वस्त्र और कढ़े हुए सूती वस्त्र पर संघ उत्पाद शुल्क संग्रहीत किया गया, परन्तु हथकरघा उपकर संग्रहीत नहीं किया गया था। दोनों यूनिटों ने 18 जून, 1977 से फरवरी 1981 तक और 18 जून, 1977 से 30 मार्च, 1980 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 94,49,104 और 25,40,601 वर्ग मीटर सूती वस्त्र की निकासी की, जिस पर संग्रहीत न किये गये हथकरघा उपकर की राशि 2,27,804 रु० थी।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून, 1981) विभाग ने दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये (अगस्त और सितम्बर 1981)। मांग की पुष्टि और वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (जुलाई, 1982)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1982)।

2.50 कागज पर उपकर का न लगाया जाना

उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम 1951 के अधीन 27 अक्टूबर 1980 को जारी किए गए और 3 फरवरी 1981 को संशोधित किए गए आदेश के अनुसार 1 नवम्बर, 1980 से "कागज और सभी

प्रकार के कागज बोर्ड" पर उत्पाद शुल्क (उपकर के रूप में संग्रहण के लिये) लगाया गया था।

लकड़ी की लुगदी से बनाये गये सैलोफोन के एक विनिर्माता ने 1 नवम्बर, 1980 के बाद "उपकर" की अदायगी किए बिना सैलोफोन की निकासी की। यद्यपि उपकर 1 नवम्बर, 1980 से उद्ग्राह्य था, इसके परिणामस्वरूप 1 नवम्बर, 1980 से 31 मई, 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 92,055 रु० का उपकर नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1981) विभाग ने बताया (सितम्बर 1981) कि उपकर की वसूली के लिये कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मांग की पुष्टि कर दी गई है। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर दी है और सैलोफोन पर उपकर के संग्रहण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

2.51 स्थगन आदेश वापस लेने के लिये कार्यवाही करने में विलम्ब

पूर्णतः अथवा अंशतः कपास और मानव निर्मित रेशे अथवा धागे से विनिर्मित सभी किस्म के सूती वस्त्रों और मानव निर्मित वस्त्रों पर क्रमशः टैरिफ मद 19 और 22 के अधीन शुल्क उद्ग्राह्य है। ऐसे सूती वस्त्रों पर, जो ब्लीचिंग, मरसेराइजिंग रंगाई, छपाई, जलरोधी करण, रबड़ीकरण, सिकुड़न रोधी करण, आकेंडी संसाधन अथवा अन्य प्रक्रिया द्वारा संसाधित किये जाते हैं अथवा ऐसे मानव निर्मित वस्त्रों पर जो इसी प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा संसाधित किये जाते हैं, उनके ऐसी प्रक्रिया द्वारा और आगे विनिर्माण पर शुल्क उद्ग्राह्य था, और शुल्क का दायित्व 24 नवम्बर 1979 को जारी अध्यादेश और टैरिफ के अनुवर्ती संशोधन द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया था।

सूती और मानव निर्मित वस्त्रों के एक विनिर्माता को जुलाई 1979 में उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा निकासी किये गये वस्त्रों पर शुल्क अदा किये जाने से इस शर्त के अध्याधीन अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया

कि वह उस शुल्क के लिये बैंक गारंटी दे जो उसके विरुद्ध निर्णय दिये जाने की स्थिति में देय हो सकती थी। नवम्बर 1979 में अध्यादेश जारी होने तथा फरवरी 1980 में टैरिफ में संशोधन के कारण ऐसे वस्त्रों पर शुल्क के उद्ग्रहण पर विवाद का मुद्दा दूर हो गया। किन्तु विभाग ने स्थगन आदेश रद्द कराने के लिये न्यायालय में कोई आवेदन नहीं दिया (अगस्त 1982 तक) और जुलाई 1979 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर 39.72 लाख रु० राशि के शुल्क की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की (जो केवल 24.13 लाख रु० की बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत थी)।

वसूली करने में विफलता की ओर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया कि कार्यवाही की जा रही थी। की गई कार्यवाही के बारे में सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.52 शुल्क का परित्याग

दिनांक 1 मार्च, 1969 की एक अधिसूचना के अनुसार बिजली की मोटरों, रोटारों और स्टेटरों पर शुल्क की छूट थी, यदि वे उत्पादन कारखाने में उन बिजली के पंखों के विनिर्माण में संघटक हिस्से के रूप में प्रयुक्त हुए हों जिन पर पूर्ण रूप से शुल्क उद्ग्राह्य था। 17 मार्च 1972 से सरकार ने कतिपय श्रेणी के पंखों के सम्बन्ध में शुल्क की रियायती दरें अनुमत की और 15 सितम्बर 1973 से मोटरों, रोटारों तथा स्टेटरों पर शुल्क के उद्ग्रहण से छूट दे दी भले ही वे ऐसे बिजली के पंखों के विनिर्माण में प्रयुक्त हुए हों जिन पर शुल्क पूर्णतः अथवा अंशतः उद्ग्राह्य था। अतः शुल्क उन पंखों में प्रयुक्त बिजली की मोटरों पर उद्ग्राह्य था जिन पर 17 मार्च 1972 से 14 सितम्बर 1973 तक की अवधि के दौरान शुल्क की केवल रियायती दर लगाई गई थी।

1975-76 वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 81 में 15 सितम्बर, 1973 से पूर्व शुल्क की रियायती दर पर निकासी किये गये पंखों के विनिर्माण में प्रयुक्त बिजली की मोटरों के सम्बन्ध में शुल्क से छूट की गलत मंजूरी के उदाहरण दिये गये थे। उसके बाद सरकार ने S/25 C & AG/82—15.

दिनांक 27 जनवरी 1978 का परिपत्र जारी करके 15 सितम्बर 1973 से पूर्व निकासी किये गये पंखों पर शुल्क का परित्याग कर दिया। ऐसा परित्याग पूर्व व्यापी प्रभाव से शुल्क की छूट की मंजूरी के समान ही था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 8(1) के अधीन प्रत्यायोजित कानूनी अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है।

विजली के पंखों पर शुल्क के अनियमित परित्याग के 49 मामलों में जो अब तक लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये हैं, 1.72 करोड़ रुपये का शुल्क उद्ग्राह्य था।

वित्त मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1981) कि सरकार का आशय ऐसे मामलों में निरन्तर छूट अनुमत करना था और तदनुसार 15 सितम्बर 1973 से पूर्व की अवधि के लिये शुल्क का परित्याग किया गया था। उत्तर में परित्याग की वैधता अथवा अवैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और न उसमें यह संकेत है कि इस मुद्दे पर विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया था अथवा नहीं। वास्तव में कानूनी रूप से सरकार द्वारा प्राप्य 1.72 करोड़ रु० का राजस्व मांगा अथवा संगृहीत नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि परित्याग विधि मंत्रालय की सलाह के अनुसार यह निर्णय करने के बाद अनुमत किया गया था कि उस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील न की जाये जिस मामले में 15 सितम्बर 1973 से पहले की अवधि के लिये भी शुल्क से छूट दी जानी थी।

2.53 पुनः गोदाम में रखे गये माल पर शुल्क

जहां माल एक गोदाम से दूसरे गोदाम में शुल्क के भुगतान के बिना बांड के अधीन ले जाया जाता है, वहां गन्तव्य स्थान के गोदाम पर पहुंचने पर उस गोदाम के प्रभारी विभागीय अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह पुनः गोदाम में रखे जाने के प्रमाण-पत्र रिकार्ड करे और उस गोदाम के प्रभारी अधिकारी को जहां से माल लाया गया था तथा परेषक के पास भेजने के लिए परेषिती को प्रतियां भेजे। परेषक के लिये यह आवश्यक है कि इस परिवहन परमिट के जारी होने के नब्बे दिनों के अन्दर

इसे उस गोदाम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे जिसने सामान हटाने की अनुमति दी थी। ऐसा न किये जाने पर नियमों में यह अपेक्षित है कि ऐसे माल पर शुल्क लगाया जाये।

वर्ष 1966 से वर्ष 1981 के दौरान एक क्लक्टरी के विभागीय अधिकारियों के समक्ष 20 परेषकों द्वारा पुनः माल गोदाम में रखने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे, परन्तु 2.22 करोड़ रुपए राशि का शुल्क जो उद्ग्राह्य था, नहीं मांगा गया सिवाय फरवरी 1976 में हटाये गये दो परेषणों के सम्बन्ध में 77,354 रु० के शुल्क के और इसकी वसूली भी बकाया है। उपरोक्त मामलों में नियमों की अपेक्षा के अनुपालन में विफलता जिसके कारण राजस्व की क्षति हुई थी, का लेखापरीक्षा में उल्लेख किया गया था (अगस्त 1982); विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि 5 मामलों में तो अब पुनः गोदाम में रखने के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं और शेष 15 मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2.54 आकस्मिक लाभ

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन जारी दिनांक 12 सितम्बर, 1979 के आदेश द्वारा कृषि मंत्रालय ने चीनी के फैक्टरी मूल्य नियत किए थे (मूल उत्पाद शुल्क और विक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सहित)। 20 सितम्बर 1979 को मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मूल्यों में विशेष उत्पाद शुल्क भी शामिल था।

46 कारखानों में 20 सितम्बर 1979 के स्पष्टीकरण की जानकारी से पूर्व दिनांक 12 सितम्बर 1979 के आदेश के अधीन नियत मूल्यों के अलावा 4,67,780 रु० का विशेष उत्पाद शुल्क वसूल किया गया था। संग्रहित अतिरिक्त राशियां विनिर्माताओं द्वारा रख ली गईं क्योंकि शुल्क केवल टैरिफ मूल्य पर (फैक्टरी मूल्य के आधार पर) उद्ग्राह्य था न कि प्राप्त मूल्य के आधार पर। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 12 सितम्बर 1979 के मूल आदेश में चूक के कारण कारखानों ने 4,67,780 रु० का अनभिप्रेत आकस्मिक लाभ उठाया।

चूक का प्रभाव कृषि और वित्त मंत्रालयों की जानकारी में लाया गया था (सितम्बर 1982) ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि स्पष्टीकरण के देर से जारी किए जाने के कारण हुए अनभिप्रेत लाभ के प्रश्न पर कृषि मंत्रालय जिसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम फ़ैक्टरी मूल्य नियत किए थे, को अपनी टिप्पणियां देनी थी । कृषि मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1982) कि उनके पास अधिक प्रभारित राशि का सत्क्षपन करने के लिए कोई साधन नहीं थे, जिसे केवल वित्त मंत्रालय ही कर सकता था । कृषि मंत्रालय को 20 सितम्बर 1979 तक केवल 16,784 रु० की अधिक प्रभारित की गई राशि की जानकारी थी । उसके बाद अधिक प्रभारित राशि के संबंध में, खरीददारों को अधिक प्रभारित राशि के प्रतिदाय के लिए दावा करना था । तथापि, दिनांक 12 सितम्बर 1979 के आदेश में उस दंडस्वरूप और प्रपीड़क कार्यवाही का उल्लेख है जो मूल्य निर्धारण संबंधी आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर की जाती है ।

2.55 हीरे की अनी लगे औजारों पर जाँब कार्य

काटने के औजारों (जो टैरिफ मद संख्या 51 का के अन्तर्गत आते हैं) के विनिर्माण पर शुल्क उद्ग्राह्य है । केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने जून 1981 में स्पष्ट किया कि प्राप्त हीरों का प्रयोग करके औजारों की अनी का तथाकथित पुनः सैटिंग किया जाना वस्तुतः नवीन हीरा औजार अनी का विनिर्माण था और पुराने हीरों की मरम्मत करना भी इस अर्थ में विनिर्माण के अधीन आता था कि पुरानी अनी का प्रयोग समाप्त हो चुका था । तदनुसार विनिर्मित औजार अनी के मूल्य पर शुल्क उद्ग्राह्य है ।

औजारों के एक विनिर्माता (जो टैरिफ मद 51 का के अन्तर्गत आते हैं) को उसके द्वारा निकासी किए गए ऐसे तराशे औजारों पर किए गए केवल रिलेपिंग प्रभारों के आधार पर शुल्क अदा करने की अनुमति दी गई जो औजार घिसी हीरा अनी के प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त हुए थे । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) के अन्तर्गत कोई छूट अधिसूचित न किए जाने के कारण शुल्क ऐसे औजारों

के मूल्य पर उद्ग्राह्य था जबकि केवल वहन किए गए लेपिंग प्रभारों पर ही शुल्क लगाया जा रहा था। अप्रैल 1979 से मई 1980 तक की अवधि के दौरान विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए 320 औजारों पर कर लगाए गए शुल्क की राशि 43,200 रु० थी।

इस गलती के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को सूचित किया गया था (जून 1981); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1982) कि मामला जांचाधीन है।

2.56 पाठ्य पुस्तकें और धार्मिक पुस्तकें

दिनांक 16 मार्च 1976 की एक अधिसूचना के अनुसार शैक्षिक प्रयोजनों (जैसे पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं) के लिये आपूर्त सफेद छपाई कागज पर शुल्क का उद्ग्रहण 40 प्रतिशत से घटाकर यथा मूल्य 5 प्रतिशत कर दिया गया।

एक कागज मिल को जो धार्मिक पुस्तकों की छपाई करने वाले एक प्रैस को सफेद छपाई कागज आपूर्त कर रहा था, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार रियायती दरों पर शुल्क अदा करने की अनुमति दी गई थी यद्यपि 7 अगस्त 1979 को विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी कि उक्त प्रैस को आपूर्त कागज पर रियायती दर पर शुल्क नहीं लगेगा क्योंकि उनके प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नहीं मुद्रित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 1978 के दौरान की गई निकासियों पर वसूल न किये गये शुल्क की राशि 55,260 रु० थी।

लेखापरीक्षा में अनियमित छूट दिये जाने के संबंध में ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1981) विभाग ने बताया कि छूट पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिये पुस्तकों तक सीमित नहीं थी।

वित्त मंत्रालय ने मूल्य तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया है कि प्रतिदाय अपीलीय क्लबटर द्वारा किये गये एक अपीलीय आदेश के अनुपालन में मंजूर किया गया था।

अध्याय 3

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की प्राप्तियां

अनुभाग 'क'—संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

3.01 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन की वर्ष 1981-82 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 299.05 करोड़ रु० थी जिसमें 291.56 करोड़ रु० का कर राजस्व और 7.46 करोड़ रु० का कर भिन्न राजस्व शामिल था। इस वर्ष के दौरान मुख्य कर राजस्व के संग्रहण के आंकड़े और साथ ही साथ पिछले दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

कर राजस्व	1979-80	1980-81	1981-82*
	(करोड़ रु० में)		
1. विक्री कर	125.08	154.80	190.90
2. राज्य उत्पाद शुल्क	29.08	40.62	55.19
3. माल और यात्रियों पर कर	15.35	17.61	19.04
4. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	6.13	7.05	9.09
5. वाहनों पर कर	5.28	6.01	6.72
6. भू राजस्व	0.16	0.25	0.23
7. मनोरंजन कर सहित सामान और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.35	8.17	10.42
क. कुल कर राजस्व	187.43	234.51	291.59
ख. कर भिन्न राजस्व	5.41	7.03	7.46
ग. कुल राजस्व प्राप्तियां	192.84	241.54	299.05

*आंकड़े मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए हैं।

3.02 बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का संग्रहण

बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान मुख्य कर राजस्व के संग्रहण के आंकड़े और साथ ही साथ पिछले दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

कर राजस्व	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमानों की अपेक्षा वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(करोड़ रु० में)				
1. बिक्री कर	1979-80	109.71	125.08	(+) 14
	1980-81	126.71	154.80	(+) 22
	1981-82	160.97	190.90	(+) 19
2. राज्य उत्पाद शुल्क	1979-80	10.62	29.08	(+) 174
	1980-81	22.78	40.62	(+) 79
	1981-82	32.14	55.19	(+) 72
3. माल और यात्रियों पर कर	1979-80	12.25	15.35	(+) 25
	1980-81	18.00	17.61	(-) 2
	1981-82	35.00	19.04	(-) 46
4. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	1979-80	4.48	6.13	(+) 37
	1980-81	4.58	7.05	(+) 54
	1981-82	8.06	9.09	(+) 13

1	2	3	4	5
5. वाहनों पर कर	1979-80	5.05	5.28	(+) 5
	1980-81	5.75	6.01	(+) 5
	1981-82	7.45	6.72	(-) 20
6. भू राजस्व	1979-80	0.23	0.16	(-) 30
	1980-81	0.18	0.25	(+) 39
	1981-82	0.21	0.23	(+) 10
7. मनोरंजन कर सहित केन्द्रीय कर के अन्तर्गत सामान और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1979-80	4.94	6.35	(+) 29
	1980-81	6.00	8.17	(+) 36
	1981-82	9.54	10.42	(+) 9
कुल कर राजस्व	1979-80	147.28	187.43	(+) 27.26
	1980-81	184.00	234.51	(+) 27.4
	1981-82	253.37	291.59	(-) 15.00

बिक्री कर से वसूल किए जाने वाले राजस्व के वज्रट अनुमान परिमित ही होते हैं और राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के अनुमान और भी परिमित होते हैं। सामान और यात्रियों पर कर के अनुमानों को छोड़कर अन्य कर राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 1981-82 के अनुमान अधिक यथार्थवादी थे।

3.03 कर राजस्व के संग्रहण की लागत

कर राजस्व के संग्रहण की लागत जहां उसे अवधारित करने के लिए रिकार्ड रखे गए हैं और जैसा कि विभागों द्वारा सूचित की गई थी, नीचे दी जाती है :—

कर राजस्व	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
(करोड़ रुपयों में)				
1. विक्री कर	1979-80	125.08	1.20	0.96
	1980-81	154.80	1.31	0.85
	1981-82	190.90	1.53	0.80
2. राज्य उत्पाद शुल्क	1979-80	29.08	0.20	0.69
	1980-81	40.62	0.34**	0.85
	1981-82	55.19	0.36**	0.65
3. माल और यात्रियों पर कर	1979-80	15.35	0.94	6.12
	1980-81	17.61	1.30	7.38
	1981-82	19.04	1.12	5.88
4. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	1979-80	6.13	0.16	2.61
	1980-81	7.05	0.25	3.35
	1981-82	9.09	0.31	3.41
5. वाहनों पर कर	1979-80	5.28	0.28	5.30
	1980-81	6.01	0.32	5.32
	1981-82	6.72	0.36	5.36
6. सामान और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1979-80	6.35	0.035	0.55
	1980-81	8.17	0.03	0.37
	1981-82	10.42	@0.06	0.58

@सामान और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के संग्रहण में वृद्धि के कारण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)

**आंकड़े अनन्तिम हैं।

विक्रय कर

3.04 सर्वेक्षण, पंजीकरण और घोषणा फार्म

(i) सामान्य

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 के अनुसार किसी व्यापारी को, उसकी सकल विक्री निर्धारित राशि (इस समय व्यापारी के मामले में 1 लाख रु०, विनिर्माता के मामले में 30,000 रु० और हलवाई के मामले में 75,000 रु०) से अधिक हो जाने पर कर अदा करना होता है और उसे इस बात का उल्लेख करके कि वह किस किसम के माल का व्यापार करता है अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, के अन्तर्गत ज्योंही कोई व्यापारी अन्तर्राज्यीय विक्री या खरीद करता है उसे अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए। बिना पंजीकरण कराए व्यापार करने वाला व्यापारी यदि विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के दौरान या अन्यथा पकड़ा जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ii) दिल्ली में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या

गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	जिस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है	वर्ष के प्रारम्भ में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	ऐसे पंजीकृत व्यापारियों की संख्या जिन का पंजीकरण वर्ष के दौरान रद्द हो गया था	वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या
1979-80	दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975	61,742	5,955	2,137	65,560
	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956	55,426	5,803	1,865	59,364
1980-81	दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975	65,560	6,685	1,155	71,090
	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956	59,364	6,543	972	64,935
1981-82	दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975	71,090	7,503	932	77,661
	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956	64,995	7,295	807	71,483

व्यापारियों का निर्धारण लगभग 50 वार्डों में किया जाता है । दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अनेक व्यापारियों का पंजीकरण हुआ है और दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत उनके निर्धारण एक साथ किए जाते हैं यद्यपि उपरोक्त आंकड़ों से पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता चलता है, तथापि स्थिर और कम होने की भी प्रवृत्तियां देखने में आई थी जो नीचे दी गई हैं :—

	31 मार्च 1980 तक		31 मार्च 1981 तक		31 मार्च 1982 तक	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
1 लाख रु० और 3 लाख रु० के बीच वार्षिक बिक्री वाले पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	20,230	18,172	19,310	17,672	19,831	18,154
1 लाख रु० से कम वार्षिक बिक्री वाले पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	13,634	12,472	15,613	13,730	14,849	13,581

(iii) पंजीकरण से बचने वाले व्यापारियों का पकड़ा जाना

लोक लेखा समिति (पांचवीं लोक सभा) ने अपनी 116वीं रिपोर्ट (1973-74) के पैराग्राफ 5—8 में निम्न रूप से बताया था :—

“1971-72 के दौरान पकड़े गए अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,730 थी जो वार्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद वर्ष 1972-73 के दौरान घट कर 764 रह गई। तथापि समिति को सूचित किया गया है कि उसकी 74वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.14 में दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए सर्वेक्षण कार्यक्रम को इस ढंग से सरल और कारगर बनाने के लिए उपाय किए गए हैं जिससे समस्त क्षेत्र का वर्ष में एक बार पूरी तरह सर्वेक्षण हो सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपंजीकृत व्यापारी जो अन्यथा पंजीकृत होना चाहिए न बच पाए। समिति ने सुझाव दिया कि बहुधा अचानक जांच भी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया (1982) कि 50 वार्डों में से 10 में 1979-80 से 1981-82 तक के तीन वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों में पकड़े गए 262 व्यापारियों में से केवल 22 का पंजीकरण किया गया था। अन्य व्यापारियों का पंजीकरण न करने के कारण दर्ज नहीं किए गए थे। अपंजीकरण के मामलों को किसी रूप में पकड़े जाने की वार्षिक दर 1971-72 या 1972-73 की दर की तुलना में भी घट गई है।

(iv) अकार्यात्मक सर्वेक्षण

विक्रय कर आयुक्त ने अक्टूबर 1979 में ये अनुदेश जारी किए थे कि सभी पंजीकृत व्यापारियों का वर्ष में एक बार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन सर्वेक्षणों का विक्रय कर अधिकारियों और सहायक विक्रय कर अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण क्रमशः 10 और 20 प्रतिशत की सीमा तक किया जाना चाहिए।

1979-80 से 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में जांचें गए (1982) पचास वार्डों में से दस वार्डों में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 12,303, 13,058 और 14,214 थी। तीन वर्षों में कुल 13,273 व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया था और 1 से 6 प्रतिशत की सीमा तक उनका विधिवत पर्यवेक्षण किया गया था। सभी पचास वार्डों में जबकि

77,661 व्यापारी पंजीकृत किए गए थे, तीन वर्षों में 55,749 व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया था। विभाग में पहले ही पंजीकृत व्यापारियों के ऐसे सर्वेक्षण से राजस्व को उपचित हुए किसी उल्लेखनीय लाभ का कोई मूल्यांकन रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था।

(V) पंजीकृत व्यापारियों को घोषणा फार्म जारी करना

किसी पंजीकृत व्यापारी को, अपने पंजीकृत खरीदारों को की गई विक्री घोषणा पत्रों में दर्ज करनी पड़ती है और ऐसी विक्रियों के संबंध में कर से छूट का दावा करने के लिए प्रविष्टियों पर खरीदार से विधिवत हस्ताक्षर कराने होते हैं। विधिवत क्रमांकित खाली घोषणा फार्म विभाग द्वारा जारी और नियंत्रित किये जाते हैं। यदि विक्री को छिपाया जाता है तो निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार है कि वह व्यापारी को खाली फार्म जारी करने से मना कर दें। 1 फरवरी 1978 से पहले एक फार्म में दर्ज की जाने वाली विक्री की मौद्रिक सीमा निर्धारित थी और उसके बाद मौद्रिक सीमा और खाली फार्मों को जारी करने पर नियंत्रण में ढील दे दी गई थी। 10 नवम्बर 1981 से एक वित्तीय वर्ष में होने वाले सभी लेन देनों चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो को एक फार्म में दर्ज करने की अनुमति 30,000 रु० प्रति फार्म की सीमा के अध्यक्षीन दे दी गई थी। नये फार्म किसी व्यापारी को तभी जारी किये जाने थे जब वह उसको पहले जारी किये गये फार्मों का हिसाब दे दे।

(क) 27 जून 1981 से स्थानीय और केन्द्रीय दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत एक व्यापारी ने 30 जून 1981 को समाप्त तिमाही की विवरणी प्रस्तुत नहीं की और 30 सितम्बर 1981 को समाप्त तिमाही के सम्बन्ध में 3 अलग-अलग विवरणियां प्रस्तुत की। उसको 29 जुलाई 1981, 5 दिसम्बर 1981 और 21 दिसम्बर 1981 को क्रमशः 20, 40 और 40 फार्म जारी किये गये थे। केवल फार्मों (30,000 रु० प्रतिफार्म की सीमा) का हिसाब देने के बाद ही किसी व्यापारी को फार्म जारी करने की 10 नवम्बर 1981 से लागू की गई प्रणाली में निर्धारित जांच नहीं की गई थी। उस व्यापारी को कुल 146 फार्म जारी किये गये थे जिसने केवल 76 फार्मों का हिसाब दिया था। व्यापारी ने दिसम्बर 1981 और जनवरी 1982 के बीच 10 लाख रु० से अधिक मूल की खरीद की थी और जब उसकी विवरणी में पाई गई

विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी को अपने रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया (फरवरी 1982) तो व्यापारी ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित कर दिया (फरवरी 1982) और इसे रद्द करने का अनुरोध किया। उसका निर्धारण अभी तक पूरा नहीं किया गया है (दिसम्बर 1982)

(ख) 10 अगस्त 1979 से पंजीकृत एक व्यापारी को विभाग ने सितम्बर 1979 से मई 1980 के महीनों के दौरान 175 घोषणा फार्म जारी किये थे, हालांकि उसने एक भी त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। जुलाई 1980 में सर्वेक्षण करने पर उसका पता ठिकाना मालूम नहीं हुआ।

(ग) एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को की गई 18,24,858 रु० मूल्य की घड़ियों की बिक्री को 30 जून 1979 को समाप्त तिमाही से संबंधित फार्म सं० जी० 807148 में दी गई घोषणा के आधार पर कर से मुक्त कर दिया गया था। खरीदने वाले व्यापारी जो 'शुन्य' बिक्री विवरणियां प्रस्तुत कर रहा था ने दिसम्बर 1980 से पहले अपना कारबार बंद कर दिया था और जून 1981 में उसका कहीं पता नहीं चला। तथापि, उसको 6 अगस्त 1979 को 25 घोषणा फार्म (सं० जी० 807126 से 807150 तक) जारी किये गये थे जिनमें जी 807148 की संख्या वाला उपर्युक्त फार्म भी सम्मिलित था। घड़ियों की प्रसंगाधीन बिक्री पर नेमी सर्वेक्षण जिसमें खरीदार व्यापारी का सर्वेक्षण नहीं किया था के बावजूद 1,82,485 के बिक्री कर राजस्व की हानि हुई। सतर्कता और प्रवर्तन शाखा जिसने 27 जून 1981 को जांच शुरू की, 1,82,485 रु० की राजस्व की हानि के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की थी।

(vi) पंजीकरणों का अग्रभावी निरसन

विक्रय कर कानून में व्यापारी के पंजीकरण के निरसन की व्यवस्था है अगर वह :—

(क) अपने कारबार को बन्द कर देता है या अंतरित कर देता है या

(ख) कर की अदायगी में चूक करता है या

- (ग) कर का देनदार नहीं रहता या
- (घ) कर छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठी घोषणा प्रस्तुत करता है या स्वीकार करता है या
- (ङ) मांगी गई प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है या
- (च) विक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहरा दिया जाता है।

पंजीकरण के निरसन की धमकी जिसके साथ यह धमकी भी शामिल है कि उसके बाद व्यापारी कारबार करने के लिए अयोग्य हो जायेगा, साधारणतया एक शक्तिशाली प्रशासनिक उपाय है। तथापि लेखा-परीक्षा में देखे गये मामलों से यह पता चला कि व्यवहार में यह थोथी धमकी थी।

(क) सितम्बर 1961 में पंजीकृत एक व्यापारी से कोई जमानत नहीं ली गई थी। उसने त्रैमासिक विवरणियां दाखिल नहीं की और 21 दिसम्बर 1973 को विभाग ने उससे 5,000 रु० की प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए कहा किंतु उसने इसका पालन नहीं किया। 3 जून 1975 को विभाग ने व्यापारी को स्थानीय और केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत 25-25 हजार रु० की दो जमानतें देने का आदेश दिया क्योंकि उसने विवरणियां दाखिल नहीं की थीं और न ही 1963-64 से 1970-71, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के दौरान विवरणियां समय पर प्रस्तुत की थी तथा उसने वर्ष 1971-72 और 1972-73 में निर्धारित कर भी जमा नहीं कराया। जमानतें प्रस्तुत न किये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया किंतु केवल सितम्बर 1979 में और वह भी दिसम्बर 1978 से अर्थात् पूर्व प्रभावी तिथि से जब कि फर्म परिसमापन के अंतर्गत चली गई थी। वर्ष 1977-78 तक किए गए कर निर्धारणों पर 2,66,437 रु० की मांगों की अभी उससे वसूली की जानी थी।

(ख) एक पंजीकृत व्यापारी ने सितम्बर 1978 को समाप्त होने वाली तिमाही और बाद की तिमाहियों के लिए विवरणी दायर नहीं की। विवरणी दाखिल न करने के लिए उसको जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पावती नहीं मिली। अगस्त 1979 में व्यापारी अपने कारबार

के पते पर नहीं मिला। नवम्बर 1981 में व्यापारी ने निर्धारण अधिकारी को सूचित किया कि उसने अपना कारबार बंद कर दिया था और पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया जो 17 नवम्बर 1981 को निरस्त कर दिया गया था। 31 मार्च 1978 तक के उसके निर्धारणों पर 6,87,509 रु० का कर व्यापारी से अभी वसूल किया जाना है (दिसम्बर 1982)।

(vii) सारांश

सर्वेक्षण के स्वरूप और सीमा, पंजीकरण के निरसन तथा पंजीकृत व्यापारियों को जारी किए खाली घोषणा फार्मों के निर्गम के जरिये लागू किए गये नियंत्रण से निम्नलिखित बातों का पता चला :—

- (क) पंजीकरण से बच निकले व्यापारियों, जिनका पता सर्वेक्षणों में लगा था, की संख्या में वर्ष 1971-72 या 1972-73 के दौरान भी पकड़े गये मामलों की तुलना में पिछले तीन सालों में काफी कमी हुई थी।
- (ख) अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाने के उद्देश्य से पंजीकृत व्यापारियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था और पहले ही पंजीकृत व्यापारियों के नेमी सर्वेक्षण का बहुत थोड़ा लाभ हुआ था।
- (ग) घोषणा फार्मों के ऊपर नियंत्रण के जरिये जांच लागू करने से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
- (घ) पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने के विक्री कर कानून के उपबंधों का चूककर्ता व्यापारियों के विरुद्ध कभी भी समय पर उपयोग नहीं किया गया था और यह राजस्व बढ़ाने के लिये शक्तिशाली प्रशासनिक उपाय के बजाये औपचारिकता मात्र बन कर रह गया था।

3.05 विक्रिय कर देने वाले व्यापारियों के निर्धारण में प्रगति

(i) पिछले तीन वर्षों में स्थानीय और केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत विक्री कर देने वाले व्यापारियों के निर्धारणों में विभाग द्वारा दी गई प्रगति नीचे दर्शाई गई है :—

	1979-80		1980-81		1981-82	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
(क) वर्ष के प्रारम्भ में बकाया निर्धारणों की संख्या	1,55,611	1,39,087	1,66,670	1,50,428	1,82,709	1,67,117
(ख) वर्ष के दौरान उद्भूत निर्धारणों की संख्या	61,092	54,744	70,865	64,989	73,030	66,769
(ग) वर्ष के दौरान पूरे किये गये निर्धारणों की संख्या	50,033	43,403	54,826	48,300	55,722	49,615
(घ) वर्ष के अन्त में बकाया निर्धारणों की संख्या	1,66,670	1,50,428	1,88,209	1,87,117	2,00,022	1,84,271
(ङ) उपरोक्त (ग) में से उन निर्धारणों की संख्या जो चालू अर्थात् पिछले वर्ष से सम्बद्ध थे	946	762	883	707	661	554
(च) उपरोक्त (ग) में से ऐसे निर्धारणों की संख्या जिनके वर्ष के अन्त में समय सीमा के कारण काबजातीत हो जाने की सम्भावना थी	41,446	37,997	50,218	44,995	52,089	46,553

वर्ष 1981-82 के दौरान 1,05,337 निर्धारण पूरे किये गये थे जिसके फलस्वरूप 13.54 करोड़ रु० की राशि के कर के लिये निवल मांगों की गई थी। इस राशि में से 5.84 करोड़ रु० के कर की मांग उन 12,825 निर्धारणों के कारण की गई थी जो मार्च 1982 के दौरान पूरे किये गये थे। ऐसे मामलों जिनमें व्यापारी कारोबार बन्द कर देते हैं और निर्धारण उसके बहुत समय बाद किया जाता है, की अधिक संख्या होने के कारणों में से एक कारण यह है कि किसी एक वर्ष में किये गए निर्धारणों में से 90 प्रतिशत से अधिक निर्धारण 3 से 4 वर्ष पहले हुई बिक्री से संबंधित होते हैं। सभी निर्धारण अधिकारी अधिकांश समय पुराने बकाया निर्धारणों को समय सीमा के कारण कालातीत न होने देने के लिये व्यस्त रहते हैं। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आयकर विवरणियों के निर्धारणों के संबंध में निर्धारण की सीमावधि घटाकर 4 वर्ष से 2 वर्ष कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप निर्धारण अधिकारी आजकल 4 वर्ष पुराने निर्धारणों को पूरा करने की बजाये अधिकतर केवल 2 वर्ष पुराने या उससे कम के निर्धारणों को पूरा करने में लगे रहते हैं।

(ii) विभाग द्वारा दिए गये 31 मार्च 1982 को बकाया निर्धारणों का वर्षवार विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

निम्नलिखित वर्षों से संबंधित बकाया निर्धारण	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1980-81	72,374	66,215	1,38,589
1979-80	65,864	61,989	1,27,853
1978-79	61,784	56,067	1,17,851
जोड़	2,00,022	1,84,271	3,84,293

1977-78 और 1978-79 वर्षों से संबंधित 31 मार्च 1981 को बकाया निर्धारणों की संख्या निम्नलिखित थी :—

निम्नलिखित वर्षों से संबंधित बकाया निर्धारण	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1978-79	56,617	51,797	1,08,414
1977-78	56,110	51,038	1,07,148

1977-78 के वर्ष से संबंधित 4,021 स्थानीय निर्धारणों (अर्थात् 56,110-52,089) और 4,485 (अर्थात् 51,038-46,553) केन्द्रीय निर्धारणों को 1981-82 के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की बजाये समय सीमा के कारण कालातीत होने देने के कारण विभाग से पूछे गये हैं।

1981-82 के दौरान वर्ष 1978-79 से संबंधित स्थानीय और केन्द्रीय बकाया निर्धारणों क्रमशः 5,167 (अर्थात् 61,784-56,617) और 4,270 (अर्थात् 56,067-51,797) की संख्या में वृद्धि के कारण विभाग से पूछे गये हैं।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

3.06 विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियां और जब्तियां

1980-81* के वर्ष के दौरान की गई तलाशियों और जब्तियों और उनके फलस्वरूप राजस्व आय पर विभाग से प्राप्त हुई सूचना नीचे दी गई है :—

(क) जब्ती और तलाशी के मामलों की संख्या जिनमें 31 मार्च 1980 को निर्धारण बकाया था	1,332
(ख) 1980-81 के दौरान की गई तलाशियों और जब्तियों की संख्या	265
जोड़	1,597
(ग) 1980-81 के दौरान पूरे किये गये निर्धारण की संख्या :	
(i) 1 अप्रैल 1980 से पहले उद्भूत हुए मामलों में से	313
(ii) 1980-81 के दौरान उद्भूत मामलों में से	114
जोड़	427
(घ) ऐसे मामलों की संख्या जिनके निर्धारण 31 मार्च 1981 को बकाया थे	1,170
(ङ) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें 1980-81 के दौरान अभियोजन कार्य-वाही की गई या अपराधों को संयोजित कर दिया गया था	शून्य
(च) 265 मामलों में छिपाई गई कुल विक्री की राशि जिसे 1980-81 के दौरान पकड़ा गया था।	507 लाख रु०
(छ) 1980-81 के दौरान निर्धारण किए गए 427 मामलों में की गई कर की मांग	15 लाख रु०

* 1981-82 से सम्बन्धित सूचना अभी भी विभाग द्वारा पूरी की जाती है।

3.07 विक्रय कर के संग्रहण में बकाया

31 मार्च 1979 को 38.49 करोड़ रु० और 31 मार्च 1980 को 49.22 करोड़ रु० के संग्रहण की बकाया राशि की तुलना में 31 मार्च 1981 को निर्धारण के फलस्वरूप जिस विक्री कर की मांग (निवल) की गई थी परन्तु जिससे संग्रहीत नहीं किया गया था, उस की राशि 51.70 करोड़ रुपये थी जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

	1978-79		1979-80		1980-81	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
(क) वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर	24.45	7.97	28.09	10.40	34.38	14.84
(ख) वर्ष के दौरान की गई निवल कर की मांगें	7.17	4.13	9.88	6.37	8.18	5.74
(ग) वर्ष के दौरान संग्रहण किया गया निवल कर	0.89	0.66	1.51	0.91	2.92	2.93
(घ) बड़े खाते डाले, कमी किये जाने तथा अपील, संशोधन आदि में वृद्धि के कारण भी समायोजित निवल कर	2.64	1.04	2.08	1.02	3.75	1.84
(ङ) वर्ष के अन्त में बकाया निवल कर	28.09	10.40	34.38	14.84	35.89	15.81
(क+ख)--(ग+घ)						

(i) 353 निर्धारितियों में से प्रत्येक से 50,000 रु० से अधिक की मांगें बकाया थी। बकाया मांगों के वर्ष वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—
(करोड़ रु० में)

से बकाया मांगे	राशि		
	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1972-73 और उससे पूर्व वर्ष	3.57	1.42	4.99
1973-74.	1.66	0.43	2.09
1974-75.	2.40	0.51	2.91
1975-76.	3.10	0.55	3.65
1976-77.	3.94	1.25	5.19
1977-78.	4.03	1.88	5.91
1978-79.	4.73	2.30	7.03
1979-80.	6.91	4.46	11.37
1980-81.	5.55	3.01	8.56
जोड़	35.89	15.81	51.70

(ii) विभाग ने बकाया मांगों को कुछ कारणों के अनुसार जिनकी वजह से वे बकाया हैं वर्गीकृत किया है कि वे क्यों बकाया हैं जो नीचे दी गई हैं :—

	1978-79		1979-80		1980-81	
	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय	स्थानीय	केन्द्रीय
	(करोड़ रु० में)					
(क) भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाणित राशियों सहित पत्राचाराधीन मांगें .	14.04	5.73	18.48	8.96	16.90	8.13
(ख) न्यायालय द्वारा रोकी गई वसूली .	1.45	0.51	2.67	0.80	2.36	1.02
(ग) अन्य प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूली .	3.29	1.02	2.27	1.41	2.12	1.45
(घ) व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली .	0.72	0.24	1.18	0.27	0.93	0.21
(ङ) अपील पुनरीक्षण आदि के कारण रुकी वसूली .	3.99	2.26	4.22	2.29	7.01	3.34
(च) बट्टे खाते डाले जाने वाली सम्भावित मांग .	3.24	0.48	3.08	0.61	2.67	1.04
(छ) अन्य कारण .	1.36	0.16	2.48	0.50	3.90	0.62
जोड़ .	28.09	10.40	34.38	14.84	35.89	15.81

(iii) विभाग ने बताया है (मई 1982) कि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली के लिए प्रमाणित राशियों सहित 25.03 करोड़ रु० की मांगों (स्थानीय कर 16.90 करोड़ रु० और केन्द्रीय कर 8.13 करोड़ रु०) की वसूली की संभावना है।

(iv) 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान बकाया निबल मांगों का संग्रहण बट्टे खाते डाली गई, अपील में कम की गई मांगों की राशि से कम थी तथापि 1980-81 में मांग में कमी (5.59 करोड़ रु०) की तुलना में वसूली अधिक (5.85 करोड़ रु०) थी। किंतु विभाग ने बताया है (मई

1982) कि 3.71 करोड़ की राशि की विक्रय कर मांगें (स्थानीय कर 2.67 करोड़ रु० और केन्द्रीय कर 1.04 करोड़ रु०) बट्टे खाते डाले जाने की संभावना थी।

3.08 विक्रय कर विभाग के पास बकाया पड़े वसूली प्रमाण पत्र

(i) 31 मार्च 1981 और 31 मार्च 1982 को विक्रय कर की वसूली किए जाने के लिए विक्रय कर विभाग के पास बकाया पड़े वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या निम्नलिखित है:—

	1980-81		1981-82	
	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
(i) पिछले वर्ष के बकाया पड़े प्रमाण पत्रों की संख्या और वसूली के लिए प्रमाणित राशि	5,101	159	8739	370
(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रमाण पत्रों की संख्या और वसूली के लिए प्रमाणित राशि	9,717	551	13,121	708
(iii) वर्ष के दौरान कर की वसूली किए जाने के बाद वापस किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या और वसूली किए गए कर की राशि	5,114	190	6354	121
(iv) विभिन्न कारणों से कर की वसूली किए बिना वापस किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त कर की राशि	965	150	923	253
(v) 31 मार्च की वर्ष की समाप्ति पर बकाया पड़े प्रमाण पत्रों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त कर की राशि	8,739	370	14,583	704

31 मार्च, 1982 को 8,739 प्रमाण पत्रों से प्राप्य 370 लाख रु० में से 340 लाख रु० 769 प्रमाण पत्रों के थे जिनमें प्रत्येक मामले में 10,000 रु० से अधिक कर की वसूली होनी थी। इनमें से 199 प्रमाण पत्र, जिनमें 166 लाख रु० का कर अर्न्तग्रस्त है 1978-79 और उससे पहले के वर्षों से संबंधित है।

3.09 अभिलेखों में विसंगतियां होने के बावजूद अनुमत की गई छूटें

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 के अनुसार और 20 अक्टूबर, 1975 तक दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 के अधीन एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यापारी को बेचे गए माल का मूल्य विक्रेता व्यापारी की कुल बिक्री से कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा जिसके लिए वह अपनी विवरणियों के साथ ऐसी बिक्री की पूरी सूची तथा उसके समर्थन में खरीददार व्यापारी से बिक्री के संबंध में प्राप्त हुआ घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के दौरान अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त या कोई व्यक्ति सन्तुष्ट है कि व्यापारी ने अपनी बिक्री के ब्यौरे छिपाए हैं या अपनी बिक्री के गलत ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं तो वह यह निदेश दे सकता है कि व्यापारी देय कर की राशि के अतिरिक्त शास्ति के रूप में अधिकतम कर की उतनी राशि का ढाई गुणा अदा करेगा, जिसे वह बचाना चाहता था। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन एक व्यापारी जब अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है, तो वह 4 प्रतिशत की दर पर कर अदा करने का जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि बिक्री के समर्थन में निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अन्यथा 10 प्रतिशत या सम्बद्ध राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री के लिए लागू दरें जो भी अधिक हैं।

(i) एक व्यापारी द्वारा 1974-75 के दौरान तीन पंजीकृत व्यापारियों को की गई 20,81,851 रु० की भेवे (सूखे फल) और किराना माल की बिक्री पर मार्च, 1979 में किए गए निर्धारण में कर में छूट अनुमत की गई थी। तथापि, दो खरीददार व्यापारियों द्वारा भेवे और किराना माल की पुनः बिक्री नहीं की जाती थी और तीसरे व्यापारी का

निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता था यद्यपि उसका निर्धारण दी गई पंजीकरण संख्या और विभाग के अभिलेखों में दिए गए संदर्भों के अनुसार नहीं होना चाहिए था। इसलिए तथ्यों का सत्यापन किए बिना छूट गलती से दी गई थी। 20,81,851 रु० की बिक्री पर 1,01,073 रु० का कर नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त विसंगतियां बताई गई थी (जनवरी 1980) और लेखापरीक्षा ने विभाग से ऐसी घोषणाओं का सत्यापन किए बिना स्वीकार किए जाने के कारण पूछे थे। विभाग का उत्तर अभी प्राप्त होना है (दिसम्बर 1982)।

(ii) वर्ष 1976-77 के दौरान एक व्यापारी ने स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों को की गई बिक्री के कारण अपनी बिक्री की राशि से कटौती का दावा किया किन्तु दावा इस प्रकार की गई बिक्री से 1,60,908 रु० अधिक था। उसने अन्तर्राज्यीय बिक्री की राशि पर 4 प्रतिशत की रियायती दर का दावा भी किया जो ऐसी बिक्री से 19,239 रु० अधिक थी। बिक्री की सूची में जोड़ों और बिलों की राशि से अधिक राशि के दावे के समर्थन में निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विभाग द्वारा दावा (अगस्त 1980) सत्यापित किए बिना अनुमत कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विक्रय कर अधिनियम के अधीन 16,091 रु० का और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन 1,154 रु० का कर कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (जुलाई 1981), विभाग ने गलतियां स्वीकार कर ली और सूचित किया (फरवरी 1982) कि स्थानीय अधिनियम के अधीन 16,091 रु० की और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन 1,154 रु० की अतिरिक्त मांगें कर दी गई हैं और बिक्री के गलत ब्यौरे दिए जाने के लिए दोनों अधिनियमों के अधीन क्रमशः 16,000 रु० और 1,100 रु० की शास्ति लगा दी गई है। 1,154 रु० की मांग वसूल भी कर ली गई है और अन्य राशियों की वसूली की सूचना प्राप्त होनी है (जून 1982)।

गृह मंत्रालय को मामले जून 1982 में सूचित किए गए थे, जिन्होंने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है (अक्तूबर 1982)।

3. 10 अस्वीकार्य छूटों का अस्वीकार न किया जाना :—दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 5 और उसके अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित कुछ माल की बिक्री पर राज्य के अन्दर बिक्री के पहले चरण पर कर लगाया जाता है और बिक्री के अगले चरणों पर छूट दी जाती है बशर्ते कि बाद की बिक्रियों के समर्थन में पहले चरण पर विक्रेता से प्राप्त इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि वह विक्रय कर की अदायगी करने के लिए जिम्मेदार है।

(i) 1977-78 के वर्ष में 11,81,458 रु० के मूल्य की दवाइयों और प्रसाधन सामग्री की दुबारा बिक्री पर एक व्यापारी को ऐसी बिक्री के लिए कर से छूट अनुमत की गई थी (फरवरी 1982) जब कि उसके आशय के दावे के समर्थन में कि बिक्री के पहले चरण पर कर अदा कर दिया गया था, उपर्युक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 1,18,146 रु० का कर कम लगाया गया (11,81,458 रु० का 10 प्रतिशत)।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1982) विभाग ने बताया (अक्तूबर 1982) कि माल के स्वरूप की फिर से जांच करके अक्तूबर 1982 में 61,480 रु० की मांग कर दी गई है। वसूली की सूचना प्राप्त होती है। (दिसम्बर 1982)।

(ii) वर्ष 1976-77 के दौरान दो व्यापारियों द्वारा की गई 54,15,023 रु० की बिक्री पर कर (अप्रैल 1980) नहीं लगाया गया था जबकि बिक्री के पहले चरण पर केवल 35,92,177 रु० की बिक्री की राशि के समर्थन में विक्रेता से घोषणा-पत्र दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 82,712 रु० का कर कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर 1981 और फरवरी 1982) विभाग ने बताया (जून 1982) कि एक व्यापारी के मामले में कर के पुर्ननिर्धारण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी और दूसरे के बारे में कार्यवाही विचाराधीन थी। संशोधन के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1982)।

(iii) एक व्यापारी ने निर्धारण वर्ष 1977-78 में हुई बिक्री में से 94,700 रु० की बिक्री पर कर से छूट इस आधार पर मांगी कि इन वस्तुओं की बिक्री के प्रथम चरण पर कर पहले ही दिया जा चुका था और यह छूट अनुमत कर दी गई (अगस्त 1980)। परन्तु उस व्यापारी द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र में दिखाई गई बिक्री की राशि जिससे वस्तुएं खरीदी गई थी, में परिवर्तन कर दिया पाया गया। इसके अतिरिक्त निर्धारण वर्ष 1978-79 के बारे में व्यापारी ने दावा किया कि 2,25,518 रु० की बिक्री एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को की गई थी परन्तु यह देखा गया कि खरीदने वाले व्यापारी द्वारा दिए गए घोषणा-पत्रों में दर्शाई गई बिक्री की राशियों में परिवर्तन कर दिया गया था।

आंकड़ों में परिवर्तन की ओर लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1982) विभाग ने जांच के बाद सही स्थिति स्वीकार कर ली (अप्रैल 1982) और दोनों निर्धारण वर्षों के निर्धारण संशोधित करके 18,526 रु० की अतिरिक्त मांग कर दी। अभिलेखों के मिथ्याकरण के लिए 46,315 रु० की अधिकतम शास्ति उद्घाह्य थी, परन्तु 18,000 रु० की शास्ति लगाई गई (अप्रैल 1982)। व्यापारी ने, 18,000 रु० की शास्ति सहित 36,525 रु० जमा कर दिये हैं (अक्तूबर 1982)।

ये मामले गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे (अगस्त 1982), उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1982)।

3. 11 श्रबेक्षित साक्ष्य के अभाव में बिक्री को अन्तरण माना जाना

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6क के अन्तर्गत यह प्रमाणित करने का दायित्व कि वस्तुओं का अन्तरण बिक्री न होकर अन्यथा था, उस व्यापारी पर है जो उसको बिक्री न मानकर उस पर छूट मांगता है।

(i) दिल्ली से बाहर परेषित 5,89,422 रु० मूल्य की वस्तुओं पर निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए एक व्यापारी पर विक्रय कर नहीं लगाया गया। तथापि व्यापारी ने वस्तुएं बाहर भेजने के समर्थन में कोई साक्ष्य और निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इन परिस्थितियों

3. 12 कर की गलत दर का लागू किया जाना

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट न की गई वस्तुओं की रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर (21 अक्टूबर 1975 से) 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से उद्ग्राह्य हैं यदि बिक्री के समर्थन में निर्धारित घोषणा-पत्र दिए गए हो और राज्य क्षेत्र आयात के दौरान उनकी बिक्री पर कर पहले ही दे दिया गया हो। विनिर्दिष्ट वस्तुओं में "लेमिनेटिड शीटें" शामिल हैं।

21 अक्टूबर, 1975 और 31 मार्च, 1977 के बीच दो व्यापारियों द्वारा लेमिनेटिड शीटों की 1,13,31,223 रु० की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर इन बिक्रियों पर लागू 4 प्रतिशत की दर की जगह व्यापारियों द्वारा अपनी विवरणियों में किए गए दावे के अनुसार 2 प्रतिशत की रियायती दर से निर्धारित किया गया (अप्रैल 1978 से मई 1980 के बीच)। इसके फलस्वरूप दोनों मामलों में 2,26,683 रु० का कर कम लगाया गया और इसके अतिरिक्त कर की राशि पर देय 1,83,278 रु० का व्याज भी वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में गलतियां बताए जाने पर (दिसम्बर 1980) विभाग ने 1975-76 और 1976-77 के वर्षों से संबंधित दोनों व्यापारियों के निर्धारण संशोधित कर दिए (मई 1981) और 4,09,961 रु० की मांग कर दी जिसमें से 2,34,906 रु० की वसूली हो चुकी थी (जनवरी 1982)।

यह मामला गृह मंत्रालय को जून 1982 में सूचित किया गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1982)।

3. 13 सर्वोत्तम विवेकवृद्धि के अनुसार निर्धारणों में प्रत्यक्ष गलतियां

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी निर्धारित तारीख तक किसी अवधि की विवरणी दाखिल नहीं करता है तो व्यापारी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद आयुक्त उससे प्राप्य कर की राशि का निर्धारण यदि कोई हो, अपनी सर्वोत्तम विवेकवृद्धि के अनुसार करेगा।

(i) 1972-73 के वर्ष के लिए सम्बद्ध विवरणों के अभाव में एक व्यापारी की 16,45,277 रु० की अनुमानित कुल विक्री पर सर्वोत्तम विवेकवृद्धि के अनुसार विक्रय कर निर्धारित किया गया (फरवरी 1977) तथापि विभाग की विशेष जांच शाखा द्वारा अगस्त, 1973 में प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया था कि व्यापारी ने 1972-73 के वर्ष के दौरान 18,80,696 रु० की खरीद की थी।

जांच रिपोर्ट को ध्यान में न रखने की बात को लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (अप्रैल 1977) व्यापारी का पुनर्निर्धारण सर्वोत्तम विवेकवृद्धि के अनुसार 19,74,731 रु० की कुल विक्री (खरीद पर 5 प्रतिशत लाभ जोड़ने के बाद) पर किया गया और 33,604 रु० की अतिरिक्त मांग (अधिभार सहित) कर दी गई (अप्रैल, 1982), मांग की वसूली के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1982)।

इस मामले की सूचना गृह मंत्रालय को जून 1982 में दी गई थी, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1982)।

(ii) स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यापारी की कर लगाए जाने योग्य विक्री आय निर्धारण वर्ष 1976-77 की प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से 1,12,500 रु० नियत की गई। किन्तु 7 प्रतिशत की दर से कर की 7,875 रु० संगणना करने की बजाय प्रति तिमाही गलती से 4,500 रु० की राशि संगणित की गई। इस गलत संगणना के कारण 13,500 रु० का कर कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने पर (दिसम्बर 1981) विभाग ने 13,500 रु० की अतिरिक्त मांग की (मार्च 1982) व्यापारी द्वारा दायर की गई अपील अनिर्णीत है (जून 1982)।

गृह मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

3.14 कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए अर्थदण्ड के उद्ग्रहण में चूक

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 22 (1) के अनुसार कोई भी पंजीकृत व्यापारी उस कर की राशि संग्रहीत नहीं करेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार न हो इसके

अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम की धारा 57 में यह उपबन्ध है कि व्यापारी द्वारा गलत ढंग से संग्रहीत कर की राशि पर ढाई गुना अर्थदण्ड लगाया जाए।

एक व्यापारी को वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए अपनी विक्री के संबंध में जो कि विक्रय कर अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई थी, (13 नवम्बर, 1979 और 19 मई 1980 को) केवल 42,137 रु० का कर वसूल करना था किन्तु व्यापारी ने उस अवधि के दौरान कर के रूप में 63,648 रु० वसूल किया। व्यापारी ने अपने द्वारा वसूल की गई कर की 21,511 रु० की राशि अपने पास ही रख ली। उपरोक्त विधि में उपबन्ध होते हुए भी व्यापारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। व्यापारी पर अर्थदण्ड लगाया जाना था जो 53,777 रु० से अधिक न हो अर्थात् संग्रहीत कर का ढाई गुना।

लेखापरीक्षा में इस चक को बताए जाने (जून 1981) पर विभाग ने सूचित किया कि अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत अब 30,000 रु० का कुल अर्थदण्ड (वर्ष 1975-76, 1976-77 में प्रत्येक वर्ष के लिए 15000 रु०) लगाया जा चुका है। व्यापारी ने अपील दायर की है (दिसम्बर 1981) जो अनिर्णीत है।

गृह मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है।

3. 15 कर के संग्रहण और अभिलेखों के मिलान में प्रणाली के दोष

विक्रय कर का चैक और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संग्रहण अप्रैल, 1962 से केन्द्रीकृत कर दिया गया था किन्तु अध्ययन दल की सिफारिशों पर 1974 से इसे विकेन्द्रीकृत कर दिया गया। उसके बाद विक्रय कर नियमों में संशोधन किया गया और व्यापारी अपनी विवरणी प्रस्तुत करने से पहले देय कर का समुचित सरकारी खजाना अथवा बैंक में भुगतान कर सकते हैं। प्राप्त किए गए कर की पुष्टि में खजाना या बैंकों से विभाग में प्राप्त दैनिक स्कालों को नियंत्रण रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और केन्द्रीय तथा स्थानीय कर के संबंध में नियंत्रण कक्ष में अलग अलग रखे गए दैनिक संग्रहण रजिस्टर में वार्ड वार दर्ज किया जाता है।

(ii) सभी वार्डों के दैनिक संग्रहण रजिस्टर की अप्रैल, 1982 में नमूना जांच की गई और यह पता लगा कि दैनिक संग्रहण रजिस्टर में दिसम्बर 1981 में दर्ज की गई राशि खजाना और बैंकों द्वारा सूचित की गई कुल प्राप्त से कम थी।

	स्थानीय कर (₹०)	केन्द्रीय कर (₹०)
खजाना और बैंक आंकड़ों के अनुसार संग्रहीत कर .	6,39,02,735.26	3,79,15,248.37
वार्ड के लिए दैनिक संग्रहण रजिस्टर में दर्ज किए गए लेखा आंकड़ों का जोड़। .	5,87,31,645.42	4,11,97,527.15
अन्तर	(+) 51,71,089.84	(—) 32,82,278.78

(iii) वार्डवार रजिस्टर में दर्ज कर लेने के बाद स्काल (चालानों का हिस्सा संबंधित मांग और संग्रहण रजिस्ट्रों में प्रदत्त कर की राशि दर्ज करने के लिए सम्बद्ध वार्ड अधिकारी के पास भेज दिया जाता है जिस पर नियंत्रण कक्ष द्वारा निगरानी रखी जाती है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जून 1982) कि संग्रहण शाखा के नियंत्रण कक्ष में वर्ष 1980-81 के दौरान वार्डों से एक भी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि मांग और संग्रहण रजिस्ट्रों में प्रविष्टि कर ली गई है।

(iv) निर्धारण वार्डों में प्राधिकृत प्रतिदायों के भुगतान पर संग्रहण शाखा द्वारा निगरानी रखी जानी है। मार्च, 1981 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान संग्रहण शाखा ने प्रतिदायों के संबंध में 1693 प्रतिदाय सूचनाएं जारी कीं जिसकी राशि 60,61,417 ₹० बनती थी जो विभिन्न निर्धारण वार्डों में प्राधिकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा में संग्रहण शाखा से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सभी प्रतिदाय बैंक के माध्यम से किए गए थे क्योंकि संग्रहण शाखा में भुगतानों पर निगरानी नहीं रखी जा रही है या उन्हें दर्ज नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को विभाग और गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

राज्य उत्पाद शुल्क

3.16 शुल्क का अनियमित प्रतिदाय

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 जो दिल्ली में लागू है, के अन्तर्गत भारत में तैयार विदेशी शराब (बियर सहित) जो संघ राज्य क्षेत्र में आयात की जाती है, या यहां से निर्यात की जाती है या भेजी जाती है पर उत्पाद शुल्क देय है। शुल्क प्रदत्त सामानों के निर्यात पर छूट या शुल्क के प्रतिदाय के लिए न तो अधिनियम में और न ही उसके अधीन बनाए गए नियमों में कोई व्यवस्था है, उनमें आयात, निर्यात या भेजे जाने पर शुल्क के उद्ग्रहण की केवल व्यवस्था है। केवल ऐसी शराब पर शुल्क उद्ग्रहण है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो। शराब लाइसेंस नियमावली 1976 के अनुसार यदि समय बीत जाने के कारण या किसी अन्य कारण से शराब खराब हो गई हो और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न हो (रसायनिक विश्लेषण के आधार पर) तो स्टॉक को नष्ट कर देना चाहिए और कोई क्षतिपूर्ति या शुल्क का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क कार्यालय ने तीन लाइसेंसधारियों को 3,123 बोतल भारत में तैयार विदेशी शराब और बियर के 20,143 बोतल दिल्ली से बाहर निर्यात करने की अनुमति दे दी जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो चुकी थी। काफी समय बाद शुल्क का भुगतान करने के बाद उनका दिल्ली में आयात किया गया। उसके बदले अंशतः प्रतिस्थापित मालों और अंशतः सुधारे गए मालों को शुल्क से मुक्त करके दिल्ली में आयात करने की अनुमति दी गई। आयात (प्रतिस्थापित मालों का) या पुनः आयात (सुधारे गए मालों का) पर शुल्क न लगाए जाने के कारण विभाग को 45,669 रु० के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में गलती बताए जाने (मई, 1979) पर विभाग ने कहा (जुलाई, 1979 में और जनवरी, 1980 में) कि उत्पाद शुल्क केवल पेय शराब पर यह मानकर लगाया जाता है कि मूल आयात की तारीख

को वे पेय न थी। विभाग का यह तर्क कि शराब आरंभ से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थी, शराब से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं था जिसे आयात के तुरन्त बाद और एक सप्ताह के भीतर अभिलिखित किया जाना चाहिए।

यह मामला गृह मंत्रालय के पास अक्टूबर, 1979 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस

3. 17 स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अधीन प्रतिफल स्वरूप अचल सम्पत्ति बेचने के लिये मुख्तारनामे के पंजीयत किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 के अधीन मुख्तारनामे की लिखत जब प्रतिफल के फलस्वरूप और किसी अचल सम्पत्ति को बेचने के लिये अटर्नी को प्राधिकृत किये जाने के लिये दिया जाता है तो शुल्क प्रतिफल की राशि की 3 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य होता है। सामान्य मुख्तारनामे पर केवल 10 रु० का स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य है। प्रतिफल और अन्य सभी तथ्य तथा परिस्थितियां तय करने की विफलता पर जिनसे किसी लिखत की शुल्क प्रभार्यता पर असर पड़ता है, निष्पादी अथवा लिखत के तैयार करने में अथवा तैयार करने के बारे में लगा अथवा संबंधित व्यक्ति पूर्णतः और सत्यतः 5000 रु० तक के जुर्माने के लिये जिम्मेदार हो जाता है।

लिखत के निष्पादी द्वारा स्वामित्वाधीन अचल सम्पत्ति बेचने की शक्ति के बारे में धारक को प्राधिकृत करने वाले सामान्य मुख्तारनामे के 145 लिखतों पर स्टाम्प शुल्क 10 रु० प्रति लिखत के हिसाब से लगाया गया था। मुख्तारनामों के धारकों से संबंधित व्यक्तियों से इन 145 मामलों में निष्पादियों को कुल 69,29,420 रु० प्राप्त हुये। इस प्रकार की राशियों के लिये मुख्तारनामे के निष्पादियों द्वारा रसीदें दी गई थी और इस प्रकार की रसीदें अधिकतर उन्हीं तारीखों पर पंजीयन

प्राधिकारी द्वारा पंजीयत की गई जिन पर मुख्तारनामा मंजूर करने वाले लिखत पंजीयत किये गये थे। विनिदिष्ट राशियों के लिये अचल सम्पत्ति बेचने के करार भी पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा उन्हीं तारीखों पर पंजीयत किये गये थे, करारनामों के लिये नियत मामूली दरों पर उन पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया था। अचल सम्पत्तियों के स्वामियों द्वारा निष्पादित वसीयतों भी जिनके द्वारा उन व्यक्तियों को सम्पत्ति मिलेगी जिनके लिये मुख्तारनामों के निष्पादियों की मृत्यु पर धन (कुल 69,29,420 रु०) मिला था, पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा लगभग उन्हीं तारीखों को पंजीयत की गई थी।

यदि पंजीयन प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित स्टाम्प अधिनियम के उपबंधों को लागू कर देते जिनके द्वारा उन्हें उसी तारीख पर स्वतंत्र रूप से चार भागों में प्रलेखों के पंजीयन करने से पूर्व लेन-देनों के पूरे व्यौरे प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है तो सामान्य मुख्तारनामा मंजूर करने वाले विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में केवल 1,450 रु० की बजाय 2.08 लाख रु० की राशि का स्टाम्प शुल्क (हस्तांतरण के प्रतिफल के 3 प्रतिशत अथवा अचल सम्पत्ति बेचने के लिये मुख्तारनामा देने के लिये प्रतिफल के 3% पर) वसूल हो जाँता 'इसके अतिरिक्त स्टाम्प अधिनियम 1899 के शास्तिक उपबंधों के अधीन प्रत्येक मामले में उद्ग्राह्य 5000 रु० तक का जुर्माना लगाकर 145 मामलों में कुल 7.25 लाख रु० की आय हो जाती।

1981-82 में लेखापरीक्षा की जानकारी में आई पंजीयन प्राधिकारियों की प्रशासनिक विफलता जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई थी, विभाग को बताई गई थी (अगस्त 1982) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

ये मामले गृह मंत्रालय को सूचित किये गये थे (सितम्बर 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है। वर्ष 1976-77, 1978-79 और 1980-81 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के क्रमशः पैरा-ग्राफ 125; 112 और 3.20 में पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा में देखा गई ऐसी ही विफलताएं सूचित की गई थीं।

मोटर गाड़ी कर

3. 18 नवीनीकरण फीस वसूल करने में विफलता

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 24(4) मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा समाविष्ट की गई थी। इसमें व्यवस्था है कि परिवहन गाड़ी से इतर अन्य मोटर गाड़ियों के संबंध में संशोधन के आरंभ की तारीख से पूर्व अथवा बाद (16 जनवरी 1979) में जारी पंजीयन का प्रमाण पत्र ऐसे प्रमाण पत्र के जारी किये जाने की तारीख से केवल पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसका नवीनीकरण निर्धारित फीस की अदायगी पर किया जा सकता है। पंजीयन के नवीनीकरण से भिन्न प्रथम पंजीयन के संबंध में वर्तमान फीस मोटर साइकिलों और स्कूटरों के संबंध में 5 रु० और अन्य गाड़ियों के संबंध में 16 रु० है। संशोधन के बाद दिल्ली प्रशासन ने नवीनीकरण के लिये कोई पंजीयन फीस निर्धारित नहीं की है।

1961-62 से 1965-66 के दौरान कारें, जीपें और स्टेशन वैन जिनकी संख्या 14,995 थीं और मोटर साइकिलें तथा स्कूटर जिनकी संख्या 26,478 थी अधिनियम के अधीन पंजीयत की गई थी। अतः उनके संबंध में पंजीयन नवीनीकरण के लिये 16 जनवरी, 1979 अथवा पंजीयन की तारीख से 15 वर्ष जो भी बाद में हों, तारीख आ गई थी।

ऐसी गाड़ियां जिनके संबंध में 31 मार्च 1981 तक पंजीयन के नवीनीकरण की तारीख आ गई थी उनके पंजीयन नवीनीकृत नहीं किये गये थे क्योंकि विभाग ने अभी तक नवीनीकरण फीस निर्धारित नहीं की थी। 3.72 लाख रु० की राशि जिसे नवीनीकरण फीस के रूप में वसूल कर लिया जाना चाहिये था (प्रथम पंजीयन के लिये विद्यमान दरों पर) प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई।

फीस संग्रह करने में विफलता का उल्लेख लेखापरीक्षा में किया गया था (अगस्त 1981) विभाग ने बताया (अक्टूबर 1982) कि चूंकि नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं किया गया था अतः उन गाड़ियों पर नवीनीकरण फीस प्रभार्य नहीं थी जो अधिनियम के संशोधन के बाद

15 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई थी। नवीनीकरण दरों को निर्धारित करने के लिये नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यक कार्यवाही पहले ही कर ली गई थी परन्तु उसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

यह मामला वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

भू-राजस्व

3. 19 संग्रहण प्रभारों का वसूल न किया जाना

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 की धारा 3 और 10 के अधीन जहां राजस्व प्राधिकारियों के लिये भू-राजस्व के वकाया के रूप में (अन्य सरकारों से वसूली प्रमाण-पत्रों की प्रति पर) अन्य सरकारों की ओर से प्राप्य राशियां वसूल करना आवश्यक होता है वहां उन्हें संग्रहण प्रभार काटने के बाद अन्य सरकारों को संग्रहीत राशि भेजनी पड़ती है।

वर्ष 1975-76 से 1980-81 के दौरान दो अन्य राज्य सरकारों की ओर से विभागीय राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व के वकाया के रूप में 14.96 लाख रु० राशि के जल प्रभार संग्रहीत किये गये थे और कोई संग्रहण प्रभार काटे बिना ही पूरी राशि उन्हें भेज दी गई थी। यद्यपि ऐसी ही अन्य राज्य सरकारों द्वारा 10 प्रतिशत इसी प्रकार वसूल किया जा रहा है तथापि दिल्ली प्रशासन द्वारा काटे जाने वाले संग्रहण प्रभार की राशि निर्धारित न किये जाने के कारण दिल्ली में संग्रहण प्रभार वसूल नहीं किया जाता। उसके परिणामस्वरूप लगभग 1.5 लाख रु० तक के राजस्व (अन्य राज्यों में दरों के अनुसार 10 प्रतिशत पर) की दिल्ली प्रशासन को हानि हुई।

संग्रहण प्रभारों की वसूली के लिये दरों के निर्धारण न किये जाने की चूक लेखापरीक्षा में बताई गई थी (दिसम्बर 1981), विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

चूक गृह मंत्रालय को सूचित की गई थी (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

3. 20 बकाया मांगों को अग्रणीत करने में विफलता

दो तहसीलों से जमाबंदी रजिस्ट्रों में (भू-राजस्व के संबंध में मांग और संग्रहण रजिस्टर) 1974-75 से 1980-81 वर्षों के लिये 16.87 लाख रु० की मांगें जो व्यक्तिगत लेखाओं में प्रतिबिंबित थी, मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के रजिस्टर में अग्रणीत नहीं की गई थी। परिणामतः 27.96 लाख रु० की अग्रणीत की जाने वाली बकाया मांगों की बजाय केवल 11.09 लाख रु० की मांगें वर्ष 1980-81 के रजिस्टर में अग्रणीत की गई थीं।

यह विफलता विभाग को लेखापरीक्षा में बताई गई थी (दिसम्बर 1981), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

मामला गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 1982) उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

मनोरंजन कर

3. 21 मनोरंजन कर राजस्व के कुछ पहलू

(1) सामान्य

उत्तर प्रदेश मनोरंजन एवं वाजीकर अधिनियम 1937, जो संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्राप्त राशियों पर 75 प्रतिशत तक की दर पर कर उद्ग्राह्य है। कर की चालू दरें हैं, चलचित्रदर्शी कार्यक्रम पर 60 प्रतिशत, अन्य मनोरंजनों पर 25 प्रतिशत, घुड़दौड़ पर 10 प्रतिशत। वर्ष 1981-82 और पिछले दो वर्षों में संग्रहण क्रमशः 10.23 करोड़ रु०, 8.31 करोड़ रु० और 6.21 करोड़ रु० था। संग्रहण का व्यय औसतन लगभग 3.50 लाख रु० प्रतिवर्ष था।

(ii) वीडियो खेलों पर कर नहीं लगाया गया

अधिनियम में मनोरंजन की परिभाषा में "कोई भी प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोविनोद, खेल अथवा खेलकूद जिसमें व्यक्तियों को मनोरंजनों से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए प्रवेश भुगतान करने पर मिलता है,"

शामिल है। विधि विभाग की सलाह पर वित्त विभाग ने मनोरंजन कर आयुक्त को सूचित किया था कि वीडियो खेल मशीन को परिचालित करने के लिए उसमें डाला गया रुपया अधिनियम के अन्तर्गत इसी प्रकार का भुगतान है और उस पर कर उद्ग्राह्य है। अनुमानित (अक्टूबर 1981) 500 मशीनों पर, जो दिल्ली में विभिन्न खेल के स्थानों पर लगाई गई हैं और जहां सामान्यतः इस प्रकार का भुगतान एक रु० प्रति खेल के हिसाब से प्रभारित किया जाता है, संग्रहण पर 25 प्रतिशत की दर से न लगाए गए कर की राशि 11.25 लाख रु० प्रतिवर्ष बनती थी।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर विभाग का ध्यान दिलाया गया (अगस्त 1982 में), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

(iii) प्राप्य मनोरंजन कर की मांग एवं वसूली न किया जाना

जहां सरकार (दिल्ली में प्रशासन) इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रभारित राशि से उद्भूत होने वाली समग्र आय को मनोरंजन के किसी भी व्यय के लिए बिना कुछ राशि निकाले लोकोपकारी, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए लगाया जाता है तो अधिनियम के अन्तर्गत उसे यह अधिकार है कि ऐसी आय को कर से मुक्त कर दे। छूट की स्वीकृति से सम्बद्ध किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में चूककर्ता पर 500 रु० की शास्ति लगाई जा सकती है और छूट वापस ली जा सकती है।

(क) 1979-80 में 50 मामलों में छूट दी गई थी जो इस शर्त के अध्येधीन थी कि मनोरंजन की तारीख से एक महीने के भीतर विभाग को लेखे मिल जाने चाहिए। लेकिन लेखे एक हफ्ते से लेकर साढ़े सात महीने तक के विलम्ब के पश्चात् प्राप्त हुए थे। ऐसी चूकों पर 2,39,721 रु० का मनोरंजन कर उद्ग्राह्य हो गया था और 25,000 रु० की शास्ति प्रभार्य हो गई थी तथापि छूट प्रदान की गई और कोई शास्तिक कार्यवाही नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इन चूकों की ओर विभाग का ध्यान दिलाया गया (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982) ।

(ख) विभाग द्वारा रखे गए वसूली रजिस्टर से पता चला कि 96 मामलों में 8.22 लाख रु० का कर 2 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवधि तक वसूल नहीं किया गया था (मई 1982) । भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए पड़े 75 मामलों में, जिसकी सूचना कलक्टर, दिल्ली को दी गई थी, विभाग के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि कलक्टर के साथ वसूली संबंधी कोई कार्यवाही की गई थी। केवल 3 मामलों में अदालतों द्वारा स्थगन आदेश दिए गए थे।

लेखापरीक्षा में विभाग का ध्यान इस चूक की ओर दिलाया गया था (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982) ।

(ग) जैसा कि वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित है, कर की अग्रिम अदायगी (बैंक ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त) बिना किसी विलम्ब के सरकारी खाते में जमा करानी होती है। अगस्त 1980 से जनवरी 1982 के दौरान प्राप्त 4.36 लाख रु० की कर की अग्रिम अदायगी 3 दिन से लेकर 5 महीने तक की अवधि के लिए सरकारी खाते के बाहर रखी गई थी। दो-दो लाख रु० के दो "डिमान्ड ड्राफ्ट" लगभग दो महीने तक सरकारी खाते के बाहर रखे गए थे (सितम्बर/अक्टूबर, से नवम्बर 1981 तक) ।

लेखापरीक्षा में विभाग का ध्यान इन चूकों को ओर दिलाया गया था (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

उपरोक्त मामले गृह मंत्रालय को सूचित किए गए थे (अगस्त 1982), उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982) ।

अनुभाग ख—संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़

3.22 खरीद एवं बिक्री छिपाए जाने के कारण राजस्व की हानि

पंजाब सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1948, जो संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ पर लागू है, के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी अपनी बिक्री या खरीद को छिपाने की दृष्टि से झूठे या गलत लेखे रखता है तो उसे कर के अलावा शास्ति के रूप में भुगतान करना होगा जिसकी राशि अन्तर्ग्रस्त कर के एक चौथाई से कम नहीं होगी परन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी।

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के टायरों एवं ट्यूबों की बिक्री पर एक व्यापारी पर 1977-78 में 23.08 लाख रु०, 1978-79 में 31.90 लाख रु० और 1979-80 में 37.75 लाख रु० की बिक्री पर बिक्री कर निर्धारित किया गया। निर्धारण क्रमशः मई 1980, सितम्बर 1980 और जनवरी 1981 में किए गए थे। बिक्री के समर्थन में उसने व्यापार लेखे तैयार किए थे जिनमें तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 22.92 लाख रु०, 32.04 लाख रु० और 36.85 लाख रु० की खरीद दिखाई गई थी। तथापि निर्धारित ने 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 26.39 लाख रु०, 37.40 लाख रु० और 41.41 लाख रु० के माल की खरीद की थी, जैसा कि उन घोषणाओं में दिखाया गया था जो कि उसने चण्डीगढ़ के एक दूसरे व्यापारी को प्रस्तुत की थीं जिससे माल खरीदा गया था और जो दूसरे व्यापारी के निर्धारण में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई थीं। अतः खरीद करने वाले व्यापारी ने अपनी खरीद 13.39 लाख रु० (1977-78 में 3.47 लाख रु०, 1978-79 में 5.36 लाख रु०, और 1979-80 में 4.56 लाख रु०) छिपाई थीं 13.72 लाख रु० (2.5 प्रतिशत का लाभ जोड़ कर) की छिपाई गई बिक्री पर लगाई जाने वाली शास्ति के अलावा 1.37 लाख रु० का कर नहीं लगाया गया था।

जून 1982 में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का ध्यान इस गलती की ओर दिलाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982) ।

यह मामला गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 1982); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982) ।

राम स्वरूप गुप्त

नई दिल्ली

(राम स्वरूप गुप्त)

दिनांक

21-2-1983

निदेशक, प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली

(ज्ञान प्रकाश)

दिनांक

21-2-1983

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

३४

रा०अ०भा०
N.A.I.-32

राष्ट्र

स्तकालय

Natio

ary

यह पुस्तक नि
को वापस कर दी

पुस्तकालय

This book must
on the date stamped

ibrary

MGIPF-413NAL/79-50,000-4-12-79.

38

336-54

134643

ग्रहण नं०
(Call No.)

e 739

अवधि
(Accn. No.)

लेखक

Author... *Left on Mr. Car...*

शीर्षक

Title... *Gandhi's General
(Civil) P. T. 1981-82*

निकासी तिथि
Issued on

लेने वाले के हस्ताक्षर
Borrower's Signature

वापसी तिथि
Returned On

Form No. N.A.I-31